लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 11 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XI Contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/ CONTENTS

अंक 19, शुक्रवार, 17 मार्च, 1978/26 फाल्गुन 1899 (शक)

No. 19, Friday, March 17, 1978/Phalguna 26, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1-14
तारांकित प्रश्न संख्या 345 से 347 और 352	Starred Questions Nos. 345 to 347 and 352	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	14-183
तारांकित प्रश्न संख्या 348 से 351, 353 से 357 और 359 से 364	Starred Questions Nos. 348 to 351, 353 to 357 and 359 to 364	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3274 से 3280, 3282 से 3317, 3319 और 3321 से 3473	Unstarred Questions Nos. 3274 to 3280, 3282 to 3317, 3319 and 3321 to 3473	
खेतड़ी (राजस्थान) में औरतों के साथ अशिष्ट व्यवहार की घटना के समाचार के बारे में	Re. Report incident of molestation of women at Khetri (Rajasthan)	183-184
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	185-186
ध्यान आकर्षण (प्रक्रिया) के बारे में	Re. Calling Attention (Procedure)	186
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	187-191 & 194-197
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में व्याप्त स्थिति का समाचार	Reported situation in Banaras Hindu University	
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur	187
डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र	Dr. Pratap Chandra Chunder	187
श्री चन्द्र शेखर सिंह	Shri Chandra Shekhar Singh	194
श्री मनोहर लाल	Shri Manohar Lal	195
श्री रामजी लाल सुमन	Shri Ramji Lal Suman	196
श्री नाथू सिंह	Shri Nathu Singh	197

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign†marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
सभा का कार्य	Business of House	192-193
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति छठा प्रतिवेदन	Committee on Subordinate legislation Sixth Report	193
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member	197
श्री मनी राम बागड़ी	Shri Mani Ram Bagri	
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters Under Rule 377–	197-198
(एक) डा० राम मनोहर लोहिया और डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं को संसद भवन के निकट स्थापित करने की आवश्यकता	(*i*) Need for Installation of Statues of Dr. Ram Manohar Lohia and Dr. Shyama Prasad Mukherjee near Parliament House	197
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan	
(दो) पश्चिम बंगाल में किसानों को मिलावटी कीटनाशी दवाइयां दिये जाने का समाचार	(*ii*) Reported supply of adulterated pesticides to Farmers in West Bengal	198
श्री राज कृष्ण डान	Shri Raj Krishna Dawn	
(तीन) विश्वविद्यालयों में शैक्षिक स्वतंत्रता का समाचार	(*iii*) Reported academic freedom in Universities	198
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	Dr. Subramaniam Swamy	
(चार) देश के विभिन्न भागों में हाल ही में हुई भारी ओला वृष्टि के कारण फसलों को हुई क्षति	(*iv*) Reported damage to crops due to recent heavy hailstorm in different parts of the country	198
श्री मनी राम बागड़ी	Shri Mani Ram Bagri	
अनुदान अनुदानों की मांगें (रेल) । 1978–79	Demands for Grants (Railways), 1978-79	199
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	200-207
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bills and Resolutions	208-209
चौदहवां प्रतिवेदन	Fourteenth Report	
संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम का निरसन और आंसुका को वापस लेने के बारे में संकल्प—वाद विवाद स्थगित	Resolution Re. Repeal of Constitution (Forty Second Amendment) Act and Withdrawal of MISA-Debate adjourned	209-210
श्री विनायक प्रसाद यादव	Shri Vinayak Prasad Yadav	209

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अंग्रेजी को अतिरिक्त सम्पर्क भाषा बनाए रखने के बारे में संकल्प	Resolution Re. Continuance of English as Additional Link Language	211-218
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम	Shri S. D. Somasundaram	211
श्री के० राममूर्ति	Shri K. Ramamurthy	212
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	214
श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य	Shri Shyamaprasanna Bhattacharya	214
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal	215
श्री रागावलू मोहनरंगम	Shri Ragavalu Mohanarangam	215
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	216
श्री गणनाथ प्रधान	Shri Gananath Pradhan	217
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	218
खेतड़ी (राजस्थान) में औरतों के साथ अशिष्ट व्यवहार के आरोपों के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Allegations of molestation of women in Khetri (Rajasthan)	219-20
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	220
लखनऊ की घटना के बारे में	Re. Incident at Lucknow	220-221
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	221

लोकसभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 17 मार्च, 1978/26 फाल्गुन, 1899 (शक)
Friday, March 17, 1978/Phalguna 26, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रुपया-निधियां बनाने के लिये विभिन्न देशों के साथ किये गये करार

*345. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहायता ऋणों में से रुपया निधियां बनाने के लिए पिछले एक वर्ष में विभिन्न देशों के साथ किए गए करारों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विभिन्न विदेशी ऋणों के संबंध में उक्त रुपया-निधियों में कितनी धनराशि जमा हो गई है ; और

(ग) भारत के विकासोन्मुख कार्यक्रमों में उनका उपयोग किस रूप में होगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) समकक्ष रुपया निधियां बनाने के लिए पिछले एक वर्ष में केवल एक करार किया गया था ? इस करार में, जो पैट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की विशेष निधि के साथ 11 जनवरी, 1977 को किया गया था, प्रत्यक्ष भुगतान शेष के रुप में 218 लाख अमरीकी डालर के एक ऋण की व्यवस्था है । इस करार की शर्त यह थी कि शुरु में यह ऋण आयात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और बनाई गई समकक्ष निधियां (लगभग 18.6 करोड़ रुपए) सिंगरौली उच्च तापीय विद्युत केन्द्र की वित्त व्यवस्था के लिए इस्तेमाल की जाएंगी ।

श्री के० लकप्पा : मैं अपना प्रश्न पूछने से पहले उसकी कुछ पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं ।

म यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में बनाई गई रुपयों की निधियों में जमा धनराशि का उपयोगं किस प्रकार किया जाएगा ? मंत्री महोदय ने जो उत्तर

दिया है वह मेरे प्रश्न के अनुरुप नहीं है । उन्होंने कहा है कि पैट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की विशेष निधि के साथ किए गए करार में ऋण की व्यवस्था है... मेरा प्रश्न है ।

(क) विदेशी सहायता ऋणों में से रुपये की निधियां बनाने के लिए पिछले एक वर्ष में विभिन्न देशों के साथ किए गए करारों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विभिन्न विदेशी ऋणों के संबंध में उक्त रुपया निधियों में कितनी धनराशि जमा की गई है ; और

(ग) भारत के विकासोन्मुख कार्यक्रमों में उनका उपयोग किस रुप में होगा ।

अध्यक्ष महोदय : इन सब प्रश्नों का संबंध भाग (क) से है ।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय ने कहा है कि पैट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की विशेष निधि में से कुछ धन सिंगरौली परियोजना पर व्यय किया जाएगा । इसे अकेले नही लिया जा सकता । इसे अन्य संचित संसाधनों के अनुरुप होना चाहिए ; गत एक वर्ष में कार्य निष्पादन अच्छा नहीं रहा है । मंत्री महोदय की जानकारी हेतु मैं कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि उन्हें पता चले कि गत एक वर्ष में कार्य निष्पादन कैसा रहा । रुपयों में निधियों के अधिक उपयोग के लिए केन्द्र सरकार विदेशी सहायता लेने के लिए वाध्य है उपयोगिता की दर में समुचित कमी हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न संगत नहीं है ।

श्री के० लकप्पा : यह प्रश्न के भाग (ग) से संबद्ध है । भारत के विकास कार्यक्रमों में इसका किस तरह उपयोग किया जाएगा । 1977-78 की प्रथम तिमाही में जनता पार्टी ने केवल 400 करोड़ रुपयों का उपयोग किया है जबकि कुल राशि 4000 करोड़ रुपये के लगभग है । मुश्किल से दसवें भाग का उपयोग किया जा सका है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबद्ध नहीं है ।

श्री के० लकप्पा : भारत सरकार यह मंत्रालय संसाधनों का उपयोग करने में असमर्थ है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न असंगत है ।

श्री के० लकप्पा : प्रश्न का भाग (ग) इस राशि के उपयोग के संबंध में है । इसलिए इस संबंध में मुझे बोलने दीजिए उदाहरणार्थ सोवियत संघ के 250 करोड़ रूबल.....

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पढ़िए । प्रश्न के सभी भाग भाग (क) से संबद्ध हैं ।

श्री के० लकप्पा : वित्त मंत्रालय को देश में उपलब्ध रुपयों में संसाधनों की विद्यमान दशाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे करार नहीं करने चाहिए थे क्योंकि यह राशि 4000 करोड़ रुपये के लगभग जमा हो गई है.....

अध्यक्ष महोदय : आखिर आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं . . . . . .

श्री के० लकप्पा : भारत सरकार उन परियोजनाओं . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कोई करार नहीं किया है । करार 11-1-77 को किया गया और तब यह मंत्रालय उनके अधीन नहीं था । आप करार के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री के० लकप्पा : मैं मंत्रालय के कार्य निष्पादन के संबंध में प्रश्न पूछना चाहता हूं । करार के बाद गत एक वर्ष के दौरान इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

यह ऐसा अकेला मामला नहीं है जिसके सम्बन्ध में मंत्रालय असफल रहा है अपितु अनेक परियोजनाओं के संबंध में विदेशी मुद्रा का पूरा उपयोग नहीं किया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है ।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य के प्रश्न का संबंध विदेशी सहायता ऋणों में से रुपया निधियां बनाने के बारे में है । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैंने उन्हें बताया है कि रुपयों में समकक्ष निधियों बनाने के लिए पिछले एक वर्ष में केवल एक करार किया गया था । इस प्रकार की व्यवस्था केवल एक परियोजना के संबंध में की गई है हमने माननीय सदस्य को बताया है कि इस प्रकार की समकक्ष निधियां सिगरौली उच्च तापीय विद्युत केन्द्र की वित्तीय व्यवस्था के लिए इस्तेमाल की जाएगी। माननीय सदस्य और क्या जानकारी चाहते हैं मैं समझ नहीं पाया ।

श्री के० लकप्पा : इस परियोजना के लिए ऐसी निधि के उपयोग हेतु करार में क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

श्री एच० एम० पटेल : हमने कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है केवल यही उल्लेख किया गया है कि ऐसी समकक्ष निधियां विशेष परियोजना हेतु उपयोग में लाई जाएगी और ऐसी विधि का उपयोग भी किया गया है ।

डा० सुब्रमण्यम स्वामी : मंत्री महोदय के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि विदेशी मुद्रा सहायता में से जो समकक्ष निधियां बनेगीं वह भारत की अन्य देशों पर निर्भरता को बढ़ाएंगी क्या आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए मंत्री महोदय ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है ।

'अन्त्योदय' परिवारों को बैंक ऋण दिया जाना

*346. **श्री युवराज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या 'अन्त्योदय' परिवारों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण देने की कोई व्यवस्था है और कितने 'अन्त्योदय' परिवारों को ऐसे ऋण दिए गए है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : राजस्थान राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बनाई गई अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंक ऋण प्रदान कर रहे हैं । अब तक उन्होंने 5778 परिवारों को 75.04 लाख रुपये मंजूर किये ।

Shri Yuvraj : People having no resources and not owing any property are covered under Antyodya Scheme. There are 30 to 35 crores of such people in the country. I want to know whether Antyodya Scheme has been introduced only in Rajasthan or is it part of national policy adopted by the Central Government ? Has any scheme at national level for people having no resources or means of livelihood been formulated and whether any directions for giving loans to such people from the nationalised banks have been issued to other States besides Rajasthan by the Central Government ?

श्री एच० एम० पटेल : यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा तैयार की गई है । प्रश्न का उसी से सम्बन्ध है । मैंने तो जानकारी दे दी है ।

उन्होंने आगे पूछा है कि क्या अन्य राज्य भी उनका अनुसरण कर रहे हैं । निःसन्देह राजस्थान सरकार ने उन्हें भी इस से अवगत कराया है । अब उसे लागू करना या न करना उन राज्यों का काम है । वास्तव में प्रत्येक राज्य इस बात पर विचार कर रहा है कि समाज के इस वर्ग को किस प्रकार सहायता दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि क्या इसके लिए कोई राष्ट्रीय योजना है ।

श्री एच० एम० पटेल : मैं कह चुका हूं कि कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है ।

Shri Yuvraj : It is disappointing to note that only Rajasthan Government has formulated this scheme and accorded sanction for granting loans of Rs. 75 lakhs to 5778 persons. I want to know whether any scheme for giving loans to the resourceless people from the nationalised banks is contemplated to be introduced at a national level ?

श्री एच० एम० पटेल : स्वयं राजस्थान सरकार ने अन्त्योदय योजना को प्रायोगिक आधार पर चलाया है । उनका कहना है कि पहले बर्ष 1.6 लाख लोगों को योजना से लाभ पहुचेगा । उस अनुभव के आधार पर अगले वर्ष इतने ही और लोगों को योजना के अन्तर्गत लाया जायेगा । अत : जब तक यह न देख लें कि योजना किस प्रकार चलती है उसे अभी देश भर में लागू नहीं किया जा सकता ।

श्री हितेन्द्र देसाई : इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : राजस्थान सरकार द्वारा यह योजना चलाने का उदेश्य राजस्थान के प्रत्येक गांव के सबसे गरीब 5 परिवारों के जीवन स्तर को सुधारना है । चालू वर्ष में 1.6 लाख परिवारों को कार्यक्रम के अधीन लाया जायेगा ।

श्री हितेन्द्र देसाई : ब्याज की दर क्या होगी ?

श्री एच० एम० पटेल : यह डी० आर० आई० स्कीम के अन्तर्गत 4 प्रतिशत है ।

Shri Ramji Lal Yadav : People have adopted villages in their own areas with the result that some villages have remained excluded from being adopted and these left out villages are not getting loans from the Nationalised banks under Antyodya Scheme. Will the Government ensure that all the villages are adopted.

श्री एच० एम० पटेल : जी नहीं । राजस्थान राज्य को ही इस का प्रबन्ध करना होगा ।

Shri Chaturbhuj : How many persons were taken under Antyodaya Scheme in Rajasthan and how much loan was given. What is being done for provision of loan by the nationalised banks within a radius of 5 kilometers ?

श्री जगन्नाथ राव : उन्होंने 75 लाख रुपये बताया तो है ।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने पहले ही कहा है कि अब तक 5778 परिवारों को 75.04 लाख रुपये दिये गये हैं ।

Shri Surendra Jha Suman : I want to know whether you have also informed Bihar Government. If so, what is the reaction of the Bihar Government ?

श्री एच० एम० पटेल : बिहार के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री नाना साहिब बोंडे : यह योजना राजस्थान ने लागू की है । क्या उसे सारे देश में लागू किया जायेगा ।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने कहा है कि यह एक प्रयोग है । अभी उसे 1 वर्ष नहीं हुआ । हमें इसका कार्य देखना है तभी उसके लिये अन्य राज्यों को सिफारिश की जायेगी ।

Shri S. S. Somani : The Rajasthan Government has introduced this scheme for the upliftment of economically hopeless people but the banks are facing some practical difficulties. They say that there are no means for recovering the loan. The loan cannot invariably be given to every body without guarantee by the Government. That is why only five thousand out of one lakh six thousand families were given loans. Will you issue such directions to the Banks that recovery.....

अध्यक्ष महोदय : उन्हें निर्देश देने का कोई अधिकार नही ।

Shri S. S. Somani : Then it will not be possible for loans to be given by the Banks. Will some alternative be found under which recovery of the loans could be made through the Patwari ?

श्री एच० एम० पटेल : योजना के अधीन बैंक जमीन के आबंटन, पशुओं-भेड़ बकरी खरीदने, मुर्गी पालन, सूअर पालन, लघु तथा कुटीर उद्योग के लिए दिया जाता है । ऋण देते समय लोगों के साथ पूर्ण हमदर्दी बर्ती जाती है । इससे कोई गारंटी भी नहीं ली जाती । यह समझ कर ऋण दिया जाता है कि वे लोग इस से कुछ कमायेंगे और ऋण वापस करेंगे ।

श्री तुलसी दासप्पा : क्या इन परिवारों का कोई अन्तरिम सर्वेक्षण किया गया है कि इस वर्ष इन परिवारों ने इस योजना से कितना लाभ उठाया है ।

श्री एच० एम० पटल : इस योजना को अभी एक वर्ष नहीं हुआ है ।

Shri Mitha Lal Patel : Rajasthan Government is facing two main problems. First is a guarantee demanded by the Bank from the poorestman. There will be no difficulty if you give a guarantee to the banks, but wherefrom will the poorman bring guarantee ? Guarantee should not be demanded from them.

Secondly, no instructions regarding cooperating with the Antyodya Scheme have been issued by the Reserve Bank. The Hon. Minister should instruct the Banks to cooperate with the Antyodaya Scheme and implement it.

श्री एच० एम० पटेल : अभी इसी योजना को एक वर्ष नहीं हुआ है । रिजर्व बैंक ने इस मामले में अध्ययन के लिए लोगों का एक दल भेजा था । जो भी उचित सहायता संभव होगी अवश्य दी जायेगी ।

यह सहायता रियायती ब्याज दर पर दी जाती है । और केवल 4 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है । बैंकों द्वारा दी जाने वाली कुछ राशि का जो 50 या 60 करोड़ रुपये है, आधा प्रतिशत बैठती है । राजस्थान सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 28 करोड़ रुपये मांगे हैं । हम समझते है कि यह राशि बहुत अधिक है । इतने रुपये की जरुरत भी नहीं होगी । हम उनकी जरुरत जहां तक हो सकेगा पूरी करने की कोशिश करेंगे ।

विकसित देशों द्वारा संरक्षणवादी उपाय

†347. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर**
श्री प्रसन्नभाई मेहता } क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकसित देशों ने विकासशील देशों के विरुद्ध संरक्षणवादी उपाय किये हैं : और

(ख) इस उपाय से हमारे देश को क्या हानि हुई है और सरकार ने इस उपाय के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

यह सच है कि 1977 की शुरुआत से ही संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों जैसे प्रमुख विकसित देशों में संरक्षणात्मक प्रवृत्तियां उभर कर सामने आ गई हैं । ये प्रवृत्तियां विकसित देशों द्वारा अपने घरेलू उद्योगों के प्रतियोगी आयातित उत्पादों से बचाव के लिये किये गये विभिन्न उपायों से प्रकट होती है । इन उपायों का प्रतिकूल प्रभाव भारत सहित विकासशील देशों पर कहीं अधिक पड़ा है ।

इस प्रकार के संरक्षणात्मक उपायों में कवर होने वाली ऐसी प्रमुख मदों में जिनमें भारत का हित जुड़ा है, कतिपय इस्पाती तथा इंजीनियरी उत्पाद तथा जूते शामिल हैं । वस्त्र ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां विकसित देशों ने आयातों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कदम उठाए हैं ।

भारत सरकार इस समस्या के प्रति पूर्णत: सजग है । अधिकांश विकसित आयातक देशों द्वारा अपनाए गये इन संरक्षणात्मक रुखों की पृष्ठ भूमि में वस्त्रों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विनियमन करने के लिये मल्टी-फाइवर व्यवस्था का नवीकरण किया गया । यह व्यवस्था 1-1-1978 से चार वर्षों की अवधि नवीकृत किया गया है और यह आशा की जाती है कि इससे वस्त्रों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ अंश तक स्थिरता आ जाएगी । एम० एफ० ए० के ढांचे के भीतर हमने भी अपने प्रधान उपभोक्ता देशों के साथ सन्तोषजनक द्विपक्षीय वस्त्र करार किये हैं ।

हम अंकटाड, गाट, एस्कैप जैसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी चिन्ता व्यक्त करते रहे हैं । विकसित देशों द्वारा लागू किये गये विशिष्ट उपायों के बारे में हमारी चिन्ता पर सरकारी तथा मंत्रिस्तर पर जर्चा की गई और इन देशों में हमारे राजदूतावासों तथा उन देशों के यहां हमारे संयुक्त आयोगों दोनों के जरिए द्विपक्षीय स्तर पर चर्चा की जा रही है ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का यह दृष्टिकोण है कि संरक्षणवादी प्रवृतियों जो बल पकड़ती जा रही है उससे विकासशील देशों को विकासशील देशों के साथ अपना लाभ बढ़ाने के कार्य को क्षति पहुंचेगी । यदि हां तो क्या हाल ही में अमरीका से राष्ट्रपति तथा इगलैंड के प्रधानमंत्री की हाल ही की भारत यात्रा के दौरान यह मामला उठाया गया था ? यदि हां, तो इस पर हुई चर्चा के क्या परिणाम है ?

Shri Arif Beg : Mr. Speaker, Sir, Ambassador—level talks have been held several times to sort out the problems and as and when our Ministers have been to these countries, they had high-level discussions on this issue. This issue was also discussed with President Carter.

श्री प्रसन्न भाई मेहता : प्रश्न यह था कि क्या इस मामले के बारे में श्री कार्टर क्या बिट्रेन के प्रधान मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया गया था ? यदि हां, तो उस विचार-विमर्श का क्या परिणाम रहा । इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी तथा हमारी मांगें क्या थी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : इसमें संदेह नहीं है कि विकसित देशों की संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के परिणामस्वरुप, विकासशील देशों का काफी अदित हुआ है । यह हमारे देश के लिए भी चिंता की बात है । अत: जब मैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा अमरीका के दौरे पर गया था, इस समय मैंने उन देशों से अपने समकक्षी वाणिज्य मंत्रियों तथा फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ विचार-विमर्श किया था । इसी प्रकार जब राष्ट्रपति कार्टर तथा ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री कैलाहन भारत आये थे तो उस समय भी उनके साथ इस मामले पर बातचीत की गई थी । मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है । कि इसी विचार-विर्श के परिणाम स्वरुप ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा तथा विशेषतया सूती कपड़े के कोटे पर लगाये गये नियन्त्रण में काफी ढील दी गई है तथा इसके फलस्वरुप यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा अमरीका से किए जाने वाले निर्यात में इस वर्ष 150 करोड़ रुपये की वृद्धि देने की आशा है ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : जो वक्तव्य दिया गया है, उससे लगता है कि संरक्षणवादी उपायों की अन्तर्गत सूती कपड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद तथा जूते आदि वस्तुएं आती है।

अब इसके सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 1977-78 के दौरान इन वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है ? यदि हाँ, तो किस सीमा तक ? तथा इन वस्तुओं के निर्यात को बढाने के लिए भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

श्री मोहन धारिया : श्रीमान जी, यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस कार्यवाही का हमारे देश पर काफी प्रभाव पड़ा है तथा इसके फलस्वरुप इस वर्ष के हमारे सूती कपड़े के निर्यात पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है । परन्तु अगले वर्ष से अतिरिक्त कोटे को प्राप्त करने के बाद, हमारे निर्यात में वृद्धि होने की काफी संभावना है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न सूती कपड़े के बारे में है ।

श्री मोहन धारिया : मैं वही बताने जा रहा हूं । हमारे निर्यात को इससे सम्भवत: लगभग 100 करोड़ रुपयें का फर्क पड़ा है । इसका ठीक अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि इन वस्तुओं के कोटे निर्धारित ह । जो लक्ष्य रखा जाता है उसे पूरा करने का लक्ष्य करने का प्रयत्न भी किया जाता है । आधुनिक विश्व में बदलते हुए फैशन से भी इस मामले का सम्बन्ध रहता है । अत: इसकी निश्चित मात्रा बताना कठिन है । परन्तु फिर भी कुल मिलाकर लगभग 100 करोड़ तक का फर्क तो इससे पड़ा ही है ।

श्री बेदब्रत बरुआ : यह देख कर मुझे हैरानी हुई है कि मंत्री महोदय ने स्वंय ही अपने आपको बधाई देना आरम्भ कर दिया है । विकसित देशों पर इतिहास अभी तक सदा ही हमारे देश को दबाने का रहा है । बहु-राष्ट्रीय उत्पादों की बिक्री हमारे देश में बहु-राष्ट्रीय ऐजेंसियों तथा कम्पनियों के माध्यम से ही की जाती है तथा साथ ही यह भी है कि वह हमारा माल नहीं उठा रही है । मैं समझता हूं कि अनेक संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलनों तथा विकसित देशों के प्रयत्नों के फलस्वरुप स्थिति में सुधार हुआ है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि सम्बद्ध देशों के प्रश्न को छोड़कर आदि वह यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देश को अमरीका, गोया, ब्रिटेन सरकार इस पर पुन: विचार करने के लिए क्या कर रही है ? जब यह हमारा माल नहीं उठा रहे है तो इन पर पुन: विचार विमर्श होना चाहिये क्यों कि भारत उस माल का उत्पादन करता है । कई बार हमें इकतरफा कार्य-वादी भी करनी पड़ती है । ऐसे विकसित देश अधिक नहीं हैं जो उत्पादन भी करते हों । अत: यदि यह हमारा माल नहीं उठाते या हमें हमारे माल का उचित मूल्य नहीं देते तो आप स्थिति का पुर्नविलोकन करने के लिए क्या करेंगे ?

उदाहरणार्थ हमारे यहां बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां है । वह साबुन आदि जैसी वस्तुयें हमारे यहां सस्ते दामों पर बेचती हैं तो आप देश में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाहीं करेंगे ।

श्री मोहन धारिया : अपनी प्रशंसा आप करने का इसमें कोई प्रश्न नहीं है । मैं सदन की जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ष 1974 के ग्रुप एक के करार के अनुसार फैब्रिक लेवल 12.84 करोड़ वर्ग गज का था । इसके सन्दर्भ में 12.80 करोड़ गज से अब कोटा 19.70

करोड़ गज बढ़ा दिय गया है । इसी प्रकार ग्रेप दो के 2.14 करोड़ रुपये के कपड़ों के करार में से अब हम 4.64 करोड़ के निर्यात का लक्ष्य पूरा करेंगे ।

अत: सदन इस बात की प्रशंसा करेगा कि विभिन्न स्तरों पर किये गये प्रबन्धों के फलस्वरुप ही कोटे में इतनी वृद्धि करवा पाना सम्भव हो सका है । जहां तक बदला लेने का सम्बन्ध है, उसके बारे में माननीय सदस्य को बता दूं कि व्यापार में इस प्रकार बदला नहीं लिया जा सकता जैसा कि माननीय सदस्य महोदय ने सुझाव दिया है । परन्तु विकासशील देशों के साथ उचित समन्वय किया जा सकता है । इसी दृष्टि से मैंने चाय के बारे में भी इन देशों के साथ बातचीत की थी । भारत, श्रीलंका तथा बगला देश महत्वपूर्ण देश हैं तथा हम सब की बैठक इस सम्बन्ध में हुई थी । जहां तक पटसन का सम्बन्ध है, थाईलैंड, बंगला देश सम्बद्ध देश हैं, हम भला बदले की कार्यवाही कैसे कर सकते है ? हमें वर्तमान मंडियों का उपयुक्त लाभ उठाना होगा । हमें उन पर किसी न किसी तरह दबाव डालना होगा अत: अपने दबाव मूल्य में वृद्धि करनी होगी तथा हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं ।

श्री यादवेन्द्र दत्त : बिना किसी प्रकार की व्यापारिक लड़ाई करने की अपेक्षा मंत्री महोदय ने अभी पटसन के बारे में बताया । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय, विकासशील राष्ट्रों तथा विकसित राष्ट्रों के विरुद्ध दबाव डालने के तौर-तरीके अपनाये बिना ही, हम उन पर मैंगनीज़, फैरों मैंगनीज़ तथा गुलाबी अबरक आदि वस्तुओं, जिन पर कि हमारा ही एकाधिकार है तथा जिनका प्रयोग इलैक्ट्रानिक्स, मिसाईल्ज़ तथा राकेट्री आदि के कार्यों में उपयोग होता है, के माध्यम से पश्चिमी देशों के यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा विकसित राष्ट्रों पर व्यापारिक दबाव नहीं डाल सकते हैं ?

श्री मोहन धारिया : इसके बारे में माननीय सदस्य द्वारा यहां तो नहीं, हां बाहर सुझाव दिया गया था ? मैंने इसे नोट कर लिया है और जहां तक उन पर दबाव डाला जा सकेगा, डाला जायेगा ।

डा० बी० ए० सैय्यद मोहम्मद : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ट्रेड तथा टैरिफ सम्बन्धी सामान्य करार से माल्टा सम्बन्धी रोक लगाने के बारे में अनुमति ले ली गई है? यदि नही तो क्या मंत्री महोदय द्वारा ट्रेड तथा टैरिफ सम्बन्धी सामान्य करार के अनुच्छेद 22 तथा 23 के सन्दर्भ में विचार-विमर्श तथा शिकायत कर दी गई है ?

श्री मोहन धारिया : मैं पहले ही सदन में यह बात स्पष्ट कर चुका हुं कि ज्योंही सम्बद्ध देशों द्वारा यह एक तरफा कार्यवाही की गई थी, त्यों ही हमने करार के अनुसार बातचीत करने की मांग की थी । इतना ही नहीं अपितु हमने तो मध्यस्थता निकाय-सूतीकपड़ा निगरानी निकाय का द्वार भी खटकाया था । हमने उनके समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत किये क्या हमारे तर्कों तथा बातचीत के परिणाम स्वरूप ही, इस मामले का निपटारा इस सीमा तक सम्भव हो सका ।

Shri Om Prakash Tyagi : May I know if it is realised by hon. Minister that our country is making progress so far as the productions of textile engineering goods are concerned? Secondly it is also a fact that at this time our several

mills are lying closed and there is sufficient stock in them ? Our export depends upon them also. You have wretched some concessions from developed countries after many some efforts. But tomorrow again these countries can change their altitude and if it is done what permanent steps you are likely to take to meet such a situation ? May I also know if you are making some definate plan and taking some hastive steps in this regard ?

श्री मोहन धारिया : इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात पर बल दिया है। वैसे ही अफ्रीकी देशों, एशियाई देशों तथा अन्य देशों को निर्यात के लिए हम वस्तुओं की खोज कर रहे हैं। एक ओर तो हम अपनी विपणन पद्धति की भली प्रकार स्थापना करना चाहते है और दूसरी ओर हमारा प्रयत्न ऐसी वस्तुओं के उत्पादन का है जो स्पर्धात्मिक मूल्य पर विदेशों में जा सके और इस प्रकार की कोई समस्या पैदा न हो।

श्री चित्त बसु : अमरीका तथा साझा बाजार देशों की संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के कारण हमारे व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसके बारे में सरकार क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का सोच रही है। जो अन्ततः एशियाई साझा बाजार का रूप ले सके। एशियाई साझा बाजार के बारे में शाह ईरान के सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? आगे विकासशील देशों के बीच व्यापार का विकास करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है जिससे कि साझा बाजार और पश्चिमी देशों की संरक्षणवादी प्रवृत्तियो का मुकाबला किया जा सके ?

श्री मोहन धारिया : सभी विकाशील देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध होने के कारण भारत ने बंगकोंक में 'इकाफे' की बैठक में न केवल भाग लिया है अपितु नेतृत्व भी किया है। जब इस बैठक में भाग लेने के लिये मैं वहां पर था वहां पर विचार विमर्श के पश्चात् यह तय हुआ कि विकासशील देशों के बीच बेहतर आर्थिक सम्बन्ध होने चाहिएं। विकासशील देशों में विकसित टेक्नोलोजी का परस्पर आदान-प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान परिस्थिति में उससे अधिक लाभ उठाया जा सके।

जहां तक एशियाई बाजार के सुझाव का सम्बन्ध है यह विचार ईरान के शाह ने दिया है। शाह की भारत यात्रा के दौरान इस पर भारत सरकार से चर्चा की गई। इसमें कुछ अन्तर्निहित कठिनाइयां हैं। फिर भी सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। ताकि विकासशील देशों के बीच पूरा समन्वय स्थापित हो सके। तथा हमें विकसित देशों द्वारा लिए गये किसी हानिकर निर्णयों तथा प्रतिबन्धों से हानि न उठानी पड़े।

श्री ज्योर्तिमय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 48 (3) को पढ़ें। मैंने इस बारे में एक नोटिम दिया है। यह नियम 48 (3) इस प्रकार हैं यदि कोई प्रश्न पुकारे जाने पर न पूछा जाये, या जिस सदस्य के नाम से हो वह अनुपस्थित हो, तो अध्यक्ष किसी सदस्य की प्रार्थना पर निदेश दे सकेगा कि उसका उत्तर दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री ज्योर्तिमय बसु : आप इसकी अनुमति क्यों नहीं देते ? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। .... **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : सभी कुछ महत्वपूर्ण है। आपको नोटिस देना चाहिए था।

श्री ज्योतिमय बसु : मैंने बहुत से प्रश्न पूछे हैं नियम 48 (3) के अन्तर्गत मैंने स्पष्ट नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक है । मैं इसकी अनुमति नहीं देता **(व्यवधान)** इसी कारण से हम प्रश्न पूरे नहीं कर पाते । जिन सदस्यों ने नोटिस दिये थे वे उपस्थित नहीं हैं — **(व्यवधान)**

श्री समर मुखर्जी : जबकि नियम में व्यवस्था है आप उनके नोटिस पर विचार करें । **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनके नोटिस पर विचार करके इसे अस्वीकृत किया है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : जबकि उन्होंने नोटिस दिया है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अध्यक्ष लोक सभा द्वारा दिये गये निदेश 15 को पढ़ता हूं ।

"15. यदि किसी प्रश्न के पुकारे जाने पर वह पूछा न जाये अथवा वह सदस्य, जिसके नाम में वह प्रश्न हो, किसी अन्य सदस्य को अपनी ओर से प्रश्न पूछने का प्राधिकार पत्र दिये बिना अनुपस्थित रहे, तो अध्यक्ष स्वविवेक से दूसरे चक्र में उसका उत्तर दिये जाने का निदेश दे सकता है यदि उसकी अथवा सम्बन्धित मन्त्री की राय में प्रश्न का विषय इतना महत्वपूर्ण हो कि सभा में उसका उत्तर दिया जाना अवश्यक हो ।"

(व्यवधान) आपको अन्य प्रश्नों को लिये जाने का अवसर देना चाहिए ।

Shri Nathu Singh : I have a point of order. If the Hon. Minister is prepared to answer them, you may allow it.

अध्यक्ष महोदय : नहीं । मंत्री को इस बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं है ।

श्री सौगत राय : आप आध घंटे की चर्चा की अनुमति द सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि नोटिस प्राप्त होगा तो हम इस पर विचार करेंगे । मैंने अभी नियमों और निदेशों की ओर उल्लेख किया है । मैं नियमों तथा निदेशों का पाबन्द हूं **(व्यवधान)** कृपया कार्यवाही में बाधा न डालें ।

भारतीय वस्तुओं पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध

* 352. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वस्तुओं का यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में सरलता से निर्यात नहीं होता ;

(ख) यदि हां, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों ने भारतीय वस्तुओं पर कैसे प्रतिबंध लगाये हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में यूरोपीय आर्थिक समुदाय कमीशन के साथ कोई बातचीत की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में भारतीय माल का प्रवाह सामान्यत: सन्तोषजनक है किन्तु कुछ मदों/ माल के निर्यातों को बढ़ाने की संभाव्यताएं विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों से अवरुद्ध हैं। ये प्रतिबंध टैरिफ तथा गैर-टैरिफ अवरोध स्वरूप के हैं, जिनमें मात्रा संबंधी प्रतिबंध, आयात निगरानी प्रणाली आदि शामिल हैं।

(ग) तथा (घ) इन मामलों पर सामान्यत: उपयुक्त द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय फोरमों के माध्यम से कार्यवाई की जाती है। वस्त्र, पटसन, कयर सहित कई मामलों में व्यापार-वार्ताएं की गई हैं और सन्तोषजनक समझौते हुए हैं।

Shri Durga Chand : The Hon. Minister has stated that E.E.C. countries like U.S.A., Canada and Australia, have imposed some restrictions on export of certain specified goods. The hon. Minister has stated that 100 developed or developing countries have suffered due to these restrictions. I want to know whether India would like initiative in convening conference of such countries so that a joint protest may be made and the losses in export may come to an end.

The Minister of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): I raised this question in the meeting of E.S.C.A.P. held in Bangkok during the previous year and current year also. The Hon. Members would be happy to know that a conference of commerce Ministers of E.S.C.A.P. Countries would be held in India during 16 August to 23 August. This matter could necessarily be discussed in that meeting. Taking into consideration the feeling of the Hon. Members we have started efforts in that direction. I am happy that a meeting of Ministers has been promised.

Shri Durga Chand : We are satisfied with the reply of the Hon. Minister. I want to know from him if an agreement is not reached and the restrictions continue as at present, would the Government explore alternative market of Middle east West Asian and South Asian countries so that we may be able to expect our steel, engineering goods, fabrics and cotton.

Shri Arif Beg : Efforts are being made to export our goods to other countries.

Shri Hukam Chand Kachwai : Is it a fact that defective goods were exported by S.T.C. and other traders during the last 8-10 years and as such those countries have stopped import of our goods and if so what efforts have been made to improve our image so that our goods may be exported to these countries again. How much goods used to be exported there ?

Shri Arif Beg : There is nothing like this. Still if the Hon. Member refers to any specific instance, we can take action against such persons. In this context I want to say that if any traders have indulged in much activities then the Government would take action against them. Before exporting goods quality control is exercised.

श्री मोहन धारिया : मैं स्पष्ट कर देना चाहता हुं कि इस बारेमें कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। यह सच है कि कुछ निर्यातक, जिस रीति से क्वालिटी रखनी चाहिए, वैसे नहीं रखते इसलिए. . . .

Shri Hukam Chand Kachwai : I asked the question in Hindi.

Shri Mohan Dharia : So the Government is concerned about it and we are trying for better quality control. Not only the licences of the defaulters would be cancelled but their action would be treated as a crime.

We are preparing a Bill for this purpose which I shall bring before the house. We are also trying a self certification system for exporters. We can rely on them. But we would have to take stern action against these persons who do not act in a responsible manner. I hope that it would solve the problem.

Choudhry Balbir Singh : Will the Hon. Minister consider formation of an organisation for tea and other commodities for which a few countries have a monopoly for trading with other countries on the lines of O.P.E.C. so that we can enhance our trade.

Shri Arif Beg : Mr. Speaker, as stated by the Hon. Member, we are also trying for the formation of an organisation on the pattern of the producing countries for tea etc. We are in contact with these countries so that we may get substantial value for our produce.

श्री अरविन्द बाला (पंजौर) : श्रीमान्, वाणिज्य मंत्री तथा वाणिज्य राज्य मंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों में अन्तर है। राज्य मंत्री ने बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं है और यदि कोई व्यापारी छोटा है तो उसका ध्यान रखा जाता है। परन्तु वाणिज्य मंत्री के उत्तर में कहा गया है कि क्योंकि कुछ व्यापारी घटिया माल बेचते हैं उसका हमारे विदेशी व्यापार पर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने सामान्य वक्तव्य दिया है इसलिए मैं उनसे विशेष रूप से पूछना चाहता हुं। इसके अतिरिक्त मंत्री जी को पता है कि क्वालिटी नियंत्रण प्रमाण पत्र के पश्चात् ही वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। यह उत्तर इतना भिन्न है कि मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हुं।

श्री मोहन धारिया : जैसा कि मैंने पहले कहा मेरे सहयोगी के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कुछ शिकायतों का उल्लेख किया यदि किसी ऐसे मामले की जानकारी हमें दी जाती है तो हम उन पर ध्यान देंगे। मैं अपनी विश्वव्यापी यात्रा के दौरान स्थिति का पता लगाऊंगा।

किस्म-नियंत्रण के बारे में मैंने हिन्दी में बताया कि हम ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस रद्द कर सकते हैं परन्तु निर्यात नियमों का पालन न करने वाले निर्यात-कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे मंत्रालय ने विधेयक तैयार किया है जिस पर विधि मंत्रालय विचार कर रहा है। हम कानूनी शक्ति चाहते हैं ताकि घटिया किस्म का माल भेज कर अपनी तथा देश की हानि करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सके। हम सभा के समक्ष विधेयक लाना चाहेंगे।

जहां तक स्वयं प्रमाणीकरण योजना का सम्बन्ध है हम इस बारे में निर्यात करने वालों को प्रोत्साहित करना चाहेंगे यदि वे अपने आप ही आत्म अनुशासन का पालन करेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी और यदि वे ऐसा नहीं करते तो हम उन्हें छोड़ नहीं सकते।

Shri Gauri Shanker Rai : I have a query in this regard. Today there is more deception in trade than in quality control. I had been to Singapore. The traders of Indian origin and Singapore traders told me that they have stopped trade with India, because they do not send goods according to the specifications. Even the traders of Indian origin stated that they have stopped trading with India as nobody is interested in trade with India. In that context I want to say that there proposal does not merely stand far standard and quality control but also includes perjury also. They also stated that they have sent complaints to the Government but no action has been taken. We have asked them to send all such cases.

Shri Mohan Dharia : I had mentioned about quality control and specifications. The statement of Honoble Member is correct certain persons do not adhere to their specifications we would certainly take action against them. If there be any such case, please send me the requisite information and we would enquire into the matter and cancel the licence.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के विचाराधीन विदेशी कम्पनियों की साम्य पूंजी कम करने सम्बन्धी मामले

*348. **श्री के० ए० राजन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक विदेशी कम्पनियों की साम्य पूंजी घटाकर 40 प्रतिशत करने सम्बन्धी उनके प्रस्ताव अन्तिम रूप दिये जाने केलिए रिजर्व बक आंफ इंडिया के विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे अधिकांश मामले ड्रग्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स (औषध और भेषज) क्षेत्र से संबंधित हैं ;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(घ) उनके मामलों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब होने के क्यां कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) विदेशी मुद्रा वनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 (2) (क) के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक को 880 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। 834 आवेदन पत्रों के संबंध में अंतिम निदेश दे दिये गये हैं जिनमें स्वीकृत अ-निवासी स्वत्तवाधिकारों के स्तर निर्धारित किये गये हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

(घ) इन कंपनियों के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम संबंधी आवेदनपत्रों पर निर्णय सरकार की नयी औषध नीति को जो हाथी समिति की सिफारिशों पर आधारित है, अंतिम रूप दे दिये जाने के बाद किया जाएगा।

विवरण

	औषध कंपनी
1.	ऐंग्लो-फ्रैंच ड्रग कंपनी (ईस्ट्रन) लिमिटेड, बंबई ।
2.	ऐबौट लैब्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंबई ।
3.	वेयर इंडिया लिमिटेड ।
4.	वरोस वैलकम एण्ड कंपनी लिमिटेड, बंबई ।
5.	सीवा गैगी आफ इंडिया लिमिटेड, बंबई ।
6.	बूट्स कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, बंबई ।
7.	साइनामिड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बंबई ।
8.	कार्टर वैल्स एण्ड कंपनी लिमिटेड , बंबई ।
9.	सी० ई० फुलफोर्ड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंबई ।
10.	ई० मर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बंबई ।
11.	ग्लैक्सो लैब्स इंडिया लिमिटेड, बंबई ।
12.	जाफरी मैनर्स ऐंड कंपनी लिमिटेड, बंबई ।
13.	ग्रूव प्रोडक्ट्स (फारईस्ट) लिमिटेड ।
14.	होचेस्ट फार्मा स्यूटिकल्स लिमिटेड ।
15.	इंडियन शेरिंग लिमिटेड, बंबई।
16.	जौनसन ऐंड जौनसन लिमिटेड ।
17.	मे ऐण्ड बेकर, एसैक्स
18.	मे ऐण्ड बेकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ।
19.	मर्क शार्प ऐंड धूमे (इंडिया) लिमिटेड ।
20.	निकोलस आफ इंडिया लिमिटेड ।
21.	ऑर्गेनान इंडिया लिमिटेड ।
22.	पार्क डेविस (इंडिया) लिमिटेड ।
23.	फाइजर लिमिटेड, बंबई ।
24.	रिचर्डसन हिन्दुस्तान लिमिटेड ।
25.	रोश प्रोडक्ट्स लिमिटेड ।
26.	स्मिथ क्लिन ऐंड फ्रैंच (इंडिया) लिमिटेड ।
27.	सहरीब गेगी लिमिटड, अहमदाबाद
28.	सैंडोज इंडिया लिमिटेड, बंबई ।
29.	सिनबाओटिक्स (इंडिया) लिमिटेड, बंबई ।
30.	यूनी सांक्चो लिमिटेड, हैदराबाद ।
31.	वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड, बंबई ।
32.	वेयथ लैब्स लिमिटेड, बंबई ।

चाय की तस्करी

*349. **श्री शंकर सिंह वाघेला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहुत बड़ी मात्रा में चाय की पड़ौसी देशों को तस्करी की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ट्रकों में लदी भारी मात्रा में भारतीय चाय जिसकी पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान को तस्करी की जाने वाली थी पकड़ी गई थी जैसा कि इकोनामिक टाइम्स, दिनांक 23 फरवरी, 1978 (प्रथम पृष्ठ) में प्रकाशित हुआ था ;

(घ) उस चाय एवं ट्रकों के मालिक कौन हैं और इस मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(ड़) चाय की तस्करी को पूरी तरह रोकने के लिए और क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता नहीं चलता कि भारतीय चाय बड़े पैमाने पर पड़ोसी देशों को चोरी छिपे निर्यात की जाती है।

(ग) और (घ) : रिपोर्टों से ऐसा लगता है कि 21-2-1978 को पंजाब पुलिस अधिकारियों ने सीमा के लगभग 80 किलोमीटर अन्दर, कपूरथला जिले में कांजली पुल पर 6736.200 किलो-ग्राम चाय से लदा ट्रक नम्बर आर० एस० जी० 7722 पकड़ा था। ट्रक कपूरथला जिले के श्री गुरदयाल सिंह का है और उसे श्री करम सिंह चला रहा था। ट्रक का मालिक तथा ड्राइवर दोनों गिरफ्तार कर लिये गये हैं। चाय, गोहाटी के श्रीहरि किशन दास की है। इस संदेह में कि चाय सिलिगुडी से चुराई गई है, पुलिस ने, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है। ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि चाय, भारत-पाकिस्तान सीमा के पार चोरी छिपे निर्यात के लिये थी।

(ड़) हालांकि तस्करी पर प्रभावी रूप से नियंत्रण बना हुआ है, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को उपयुक्त प्रकार से सतर्क कर दिया गया है, और इसके अलावा तस्करी निवारक उपायों को भी सुगठित कर दिया गया है। स्थिति पर बराबर निगाह रखी जा रही ।

काश्मीरी फलों के निर्यात का प्रस्ताव

*350. **श्री अब्दुल अहमद वकील :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार काश्मीरी फलों का निर्यात करने का है जिससे अच्छी विदेशी मुद्रा अर्जित हो सकती है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : भारत से पहले ही फलों के निर्यात किये जा रहे हैं जिनमें कश्मीरी फल शामिल हैं और ऐसे निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

बेरोजगार सिविलियन वाणिज्यिक विमानचालक

*351. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**
श्री राम देनी राम } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी भी बेरोजगार सिविलियन वाणिज्यिक विमानचालकों की संख्या बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस समय बेरोजगार सिविलियन वाणिज्यिक विमानचालकों की कुल संख्या कितनी है और ऐसे प्रत्येक विमानचालक को उनके लाइसेंस किन-किन तारीखों में दिए गये ;

(ग) क्या ऐसे विमानचालकों से बार-बार अभ्यावेदन/विज्ञापन प्राप्त होने के बावजूद सरकार ने उन्हें शीघ्र नियुक्त करने और पुन: रोजगार देने के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरंभ नहीं किया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उन्हें अब इंडियन एयरलाइन्स अथवा एयर इंडिया में नियुक्त करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय लगभग 200 कॉमर्शियल पायलट लाइसेंसधारी विमानचालक बेरोज़गार हैं। बेरोजगार विमानचालकों को लाइसेंस प्रदान करने की वास्तविक तारीखों के संबंध में सूचना इस समय तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्रित किया जाएगा और सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) क्योंकि एयर इंडिया को मल्टी-ईजन विमानों पर कुछ न्यूनतम घंटों के कमांड का अनुभव रखने वाले विमानचालकों की आवश्यकता होती है, वे सामान्यत: इंडियन एयरलाइन्स से प्रशिक्षण-प्राप्त विमानचालक ले लेते हैं और इंडियन एयरलाइन्स, इसके बदले में, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बेरोज़गार कॉमर्शियल विमानचालकों में से विमान चालक भर्ती करते हैं। इंडियन एयर लाइन्स का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 1978-79 के दौरान कुछ विमानचालक भर्ती करने का प्रस्ताव है। यद्यपि निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यत: 30 वर्ष है, तथापि इस वर्ष की भर्ती के लिए, एक विशेष परिस्थिति के तौर पर, 30-33 वर्ष की आयु वर्ग के आवेदकों पर भी दृष्टिकोण से विचार किया जायेगा कि ऐसे बेरोज़गार वाणिज्यिक विमान-चालक भी, जो ऊपर बतायी गयी सामान्य आयु सीमा को पार कर चुके हैं, इन पदों के लिए आवेदन कर सकें।

बकाया राशि वसूल करने के लिये की गई कार्यवाही

*353. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **वित्त** मंत्री जीवन बीमा निगम के एकक एम्पायर "ऑफ इंडिया" द्वारा दिये गये ऋण की वसूली के बारे में दिनांक 23 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4897 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झुमरीतलैया में जो मकान नीलाम हुआ, और जिसे जीवन बीमा निगम ने लिया था, उसका कब्जा लेने में सहायता करने के लिये निगम के अनुरोध पर बिहार सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) झुमरीतलैया के श्री चत्तूराम भंडानी से खर्चे तथा ब्याज सहित कुल कितनी धनराशि प्राप्य है ; और

(ग) क्या धनराशि वसूल करने अथवा नीलाम हुए मकान का कब्जा लेने के लिये कोई नया कदम उठाया गया है ?

वित्त मंत्री (एच० एम० पटेल) : (क) बिहार सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम को मकान का कब्जा लेने में सभी संभव सहायता देने के लिए उपायुक्त, हजारी बाग को आवश्यक हिदायतें जारी करदी हैं।

(ख) झुमरीतलैया स्थित मकान की खरीद के बाद 31 दिसम्बर, 1977 तक श्री भंडानी से 3,75,000 रुपए की धनराशि वसूल की जानी थी।

(ग) झुमरी तलैया स्थित मकान का मौके पर कब्जा लेने के संबंध में उप न्यायाधीश हजारी बाग की अदालत में एक नया आवेदन-पत्र दिया गया था, तथा इस कार्य के निष्पादन के लिए मजिस्ट्रेट तथा सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों के दल की प्रतिनियुक्ति पर व्यय के लिए आवश्यक रकम कोर्ट में जमा कर दी गई थी, जिस पर 22 फरवरी, 1978 को मकान का कब्जा देने के संबंध में एक वारंट जारी किया जाना था। किन्तु, इसी बीच श्री गुरू प्रसाद भंडानी नामक कथित मकान के किरायेदार ने (जो अशोक माइका प्रा० लिमि० का प्रबन्ध निदेशक बताया जाता है) 22 फरवरी, 1978 को मामला अदालत में उठाया और मकान का मौके पर कब्जा लेने के विरुद्ध अदालत से अस्थाई रोक आदेश ले लिये। जीवन बीमा निगम ने 6 मार्च, 1978 को इस मामले का प्रत्युत्तर दिया है तथा अदालत द्वारा सुनवाई की तारीख 18 मार्च, 1978 निर्धारित की गई है।

जीवन बीमा निगम ने प्रभागीय प्रबन्धक, पटना को हिदायतें दी हैं कि वह झुमरीतलैया स्थित मकान के शेष हिस्से का, केवल उस हिस्से को छोड़कर जिसके लिए श्री गुरू प्रसाद भंडानी द्वारा कथित दावा किया गया है, अदालत के मार्फत मौके पर कब्जा लेने का प्रयत्न करें और कथित किराएदार का उक्त दावा स्वीकार न करे।

प्रतिपाटन शुल्क तथा प्रति शुल्क लगाया जाना

*354. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में समाचारपत्रों में प्रकाशित यह समाचार सही है कि अमरीकी सरकार का विचार प्रतिपाट्न (एंटी-डम्पिग) शुल्क और प्रति-शुल्क (कोंटरवेलिंग) लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। अमरीका सरकार ने भारत सहित आठ विकासशील देशों से वस्त्र उत्पादों के आयात पर प्रतिकारी शुल्क लगाने की संभावना के बारे में जांच पड़ताल आरंभ की है। अमरीकी प्राधिकारियों ने कंक्रीट वायर स्ट्रैण्डों का अमरीका को निर्यात करने वाली कतिपय जापानी फर्मों तथा एक भारतीय फर्म के विरुद्ध डम्पिंग विरोधी जांच पड़तालें भी आरंभ की हैं।

(ख) सरकार ने अमरीकी प्राधिकारियों पर इन उपायों के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। वायर-स्ट्रैण्डों के बारे में डम्पिंग विरोधी प्रक्रियाओं से सम्बद्ध फर्म ने अमरीकी प्राधिकारियों को एक अभ्यावेदन दिया है। वस्त्र उत्पादों पर प्रतिकारी शुल्क लगाने संबंधी जांच पड़ताल के बारे में, सरकार अमरीकी कानून में लिए गए प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्यवाही कर रही है।

अमरीकी और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को कपड़ों के निर्यात के लिये कोटे का आवंटन

355. श्री के० मालन्ना
के० प्रधानी } : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1978 के लिये अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को रूई, ऊन और कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों के निर्यात (ओ० जी० एल०-3 के अन्तर्गत) के कोटे के आवंटन की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है और उसकी घोषणा कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफबेग) (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

1978 के लिये सं० रा० अमरीका तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को वस्त्रों के निर्यात के लिये कोटे के आवंटन की योजना में कुल वार्षिक कोटे के विभाजन की व्यवस्था है जिसके अनुसार कोटा वर्ष 1978 के पहले 6 महीनों के लिये 60 प्रतिशत तथा दूसरे 6 महीनों के लिये 40 प्रतिशत है। फैब्रिक्स तथा बने-बनाये परिधानों के कोटे का 75 प्रतिशत उच्च कीमत आधार पर आवंटित किया जाना है तथा शेष 25 प्रतिशत पहले आये पहले पाये आधार पर आवंटित किया जाना है। पहले आये पहले पाये वर्ग का आधा कोटा पुख्ता संविदाओं के आधार पर आवंटित करने के लिये आरक्षित किया जाता है तथा दूसरा आधा भाग ऐसी संविदाओं के लिये आरक्षित है जिनके आधार पर लदान के लिये माल तैयार तथा निरीक्षित किया जाता है। हौजरी, निटवियर तथा सिलेसिलाए परिधानों के मामले में कोटे का 50 प्रतिशत भाग उच्च कीमत आधार पर आवंटित होगा। शेष 50 प्रतिशत भाग पहले

आये पहले पाये आधार पर आवंटित किया जायेगा जिसका आधा भाग पुख्ता संविदाओं के लिये आरक्षित किये जाने हैं तथा शेष आधा भाग ऐसी संविदाओं के लिये आरक्षित किये जाने हैं जिनके आधार पर लदान के लिये माल तैयार तथा निरीक्षित किया जाना है। पर्याप्त विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के उद्देश्य से सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् को जो वस्त्र कोटे का संचालन करती है, जहां व्यवहार्य हो, न्यूनतम कीमत व्यवस्था अपनाने के लिये प्राधिकृत किया गया है ।

तथापित, यदि विपणन स्थिति के अनुसार आवश्यक होगा, तो उपर्युक्त योजना की समीक्षा की जायेगी।

खजुराहों के लिए विमान सेवा

*356. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिये बम्बई से इन्दौर, कान्हा नेशनल पार्क होकर, खजुराहो तक एक विमान सेवा आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि, हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी नहीं । फिलहाल नहीं ।

(ख) राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Tour by Reserve Bank Team in Rajasthan

*†357. **Shri Ram Kanwar Berwa :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a team of officers led by the Governor of Reserve Bank toured Rajasthan during the second week of February;

(b) whether a memorandum was submitted to the team by the State Government;

(c) if so, the main contents thereof; and

(d) Government's reaction thereto ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) Yes, Sir. The Governor, Deputy Governors and other officials of the Reserve Bank of India visited Jaipur on 10/11th February 1978 to attend the meeting of the Central Board of Directors of RBI. During this visit, on a prior request from the State Government, they met the Chief Minister of Rajasthan on 11th February.

(b) & (c) : The State Government had submitted notes on some points for discussion. The main issues raised in the notes were :—

(i) Problems relating to financing the Antyodaya Programme of the State Government.

(ii) The financing of Rural Electrification Programmes in Rajasthan.

(iii) Difficulties in obtaining bank loans by the State Road Transport Corporation.

(iv) Conversion of non-banking sub-treasuries into banking sub-treasuries in Rajasthan.

(d) The issues involved are being examined by the Reserve Bank of India.

स्वर्ण नियन्त्रण आदेश में ढील

359. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ**
श्री प्रद्युम्न वल } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में सरकार ने स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के किन उपबन्धों में ढील दी है तथा वस्तुतः जेवरात पहनने वालों को यदि कोई राहत दी गई है तो वह क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार स्वर्ण नियन्त्रण आदेश में और आगे ढील देने अथवा उसे समाप्त करने का है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : 14 फरवरी 1978 को अधिसूचनाएं /आदेश जारी करके प्रमाणित स्वर्णकारों को, स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों की परिधि में कुछ रियायतें दी गई हैं। इन रियायतों के अनुसार प्रमाणित स्वर्णकार—

(i) ऐसी मानक स्वर्ण छड़ों से आभूषण तैयार कर सकेगा और तैयार करके बेच सकेगा जिन्हें अपने पास रखने की उसे, ग्राहकों से प्राप्त विशिष्टि आर्डर के सन्दर्भ में, पहले से ही अनुमति प्राप्त है;

(ii) एक समय में किसी भी व्यक्ति से 35 ग्राम तक के आभूषणों की छोटी खरीदारियां कर सकेगा और उनका उपयोग, अन्य ग्राहकों से प्राप्त विशिष्टि आर्डरों को पूरा करने के लिये जेवर बनाने के लिये कर सकेगा।

ऊपर लिखित रियायतों का लाभ उठाने वाले स्वर्णकारों को अपना व्यापार एक निश्चित स्थान पर करना पड़ेगा और इस सम्बन्ध में निर्धारित हिसाब-किताब वगैरा रखना पड़ेगा।

(iii) स्वर्णकार का प्रमाण-पत्र केवल स्वर्णकारों के परिवार के सदस्यों के नाम जारी करने की वर्तमान पाबंदियों को हटा लिया गया है। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति स्वर्णकार का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेगा जिसके पास स्वर्णकार का काम करने की दक्षता हो और जिसने कम से कम तीन महीने तक किसी प्रमाणित स्वर्णकार के साथ सीखने के लिये काम किया हो और जो इसलिये अयोग्य करार न दिया जा

चुका हो कि उसे किसी मामले में सजा मिली है, अथवा स्वर्ण नियन्त्रण अथवा तस्करी के किसी अपराध में जुर्माने की सजा हुई है।

2. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सरकार के पास जमा स्टाक में से मुख्यत: तस्करी-विरोधी उपाय के रूप में, सोना बेचने के सरकारी निर्णय की घोषणा की है। आशा है कि सरकार के स्टाक में सोने की बिक्री से देश में सोने के भाव भी गिरेंगे।

3. सरकार का स्वर्ण नियन्त्रण कानून को हटा लेने का कोई विचार नहीं है। परन्तु, स्वर्ण नियन्त्रण प्रशासन को अधिक कारगर बनाने के लिये अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में समय-समय पर संशोधन किये जाते हैं। ये संशोधन बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा स्वर्णकारों तथा स्वर्ण व्यापारियों के संघों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के सन्दर्भ में किये जाते हैं।

कमल आयल मिल और कैपिटल मिल, दिल्ली की 'रेपसिड तेल' की सप्लाई

*360. **डा० बलदेव प्रकाश**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय } : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमल आयल मिल और कैपिटल मिल, दिल्ली को इस बात के बावजूद 'रेपसीड' तेल सप्लाई किया गया कि दिल्ली प्रशासन ने उन्हें काली सूची में डाल दिया था और उनके लाइसेंस रद्द कर दिये गये थे जैसा कि 22 फरवरी, 1978 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) :

(क) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार ने कमल आयल मिल अथवा कैपिटल मिल को परिष्करण के लिये रेपसीड तेल की सप्लाई नहीं की।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Tax Exemptions for Village Development

***361. Shri RAM SAGAR :** Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to give tax exemptions to any firm or voluntary organisation adopting any particular village for its alround development particularly in the field of education, health and industries and removal of unemployment there; and

(b) if so, the details in this regard; if not, whether Government will consider such proposal ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL: (a) and (b) : With a view to encouraging companeis and co-operative societies to involve themselves

in the work of rural welfare and uplift, the Finance (No. 2) Act, 1977 had provided for tax concession under section 35CC of the Income-tax Act, 1961.

The Finance Bill, 1978 seeks to extend the tax concession to taxpayers carrying on business or profession and making payments to associations and institutions for carrying out rural development programmes. This is proposed through insertion of a new section 35CCA in the Income-tax Act, 1961.

A statement giving the details of the tax concessions available under section 35CC and the proposed section 35CCA is laid on the table of the House.

STATEMENT

Section 35CC of the Income-tax Act, 1961—Rural Development Allowance

Under Section 35CC, inserted in the Income-tax Act, 1961 by the Finance (No. 2) Act, 1977 companies and co-operative societies would be entitled to a deduction, in the computation of their taxable profits, of the expenditure incurred by them on any programme of rural development approved by the prescribed authority. This provision was made with effect from 1st September, 1977.

2. The deduction will be allowed only where the company or co-operative society has obtained the prior approval of the *prescribed authority* in respect of the programme of rual development before incurring such expenditure. The expression "programme of rural development" has been defined to include any programme for promoting the social and economic welfare of, or the uplift of, the public in any *rural area.*

3. The Central Board of Direct Taxes issued a notification on 27th August, 1977 designating the Committee consisting of the following officers as the prescribed authority for approving programme of rural development for this puprpose:

Secretary,

Department of Agriculture	Chairman
Secretary,	
Department of Industrial Development	Member
Secretary,	
Department of Expenditure	Member
Chairman	
Central Board of Direct Taxes.	Member.

4. Areas falling outside the specified local limits of various municipalities or cantonment boards, which will not be regarded as "*rural areas*" for the purposes of section 35CC of the Income-tax Act, 1961 have been specified in a notification dated 29th September, 1977.

Section 35CCA—proposed to be inserted through the Finance Bill, 1978—Expenditure by way of payment to associations and institution for carrying out rural deve odment programmes.

The Finance Bill, 1978 (Clause 7) seeks to provide that sums paid by any taxpayer carrying on business or profession to any association or institution which has as its object the undertaking of programmes of rural development will

be allowed as a deduction in computing the taxable profits where such sums are to be used for carrying out a programme of rural development. The details of the proposed provision have been given in paragraphs 30 to 32 of the Memorandum explaining the provisions in the Finance Bill, 1978 circulated to Hon'ble Members along with Budget papers.

Development of Seats of Indian Culture

*362. SHRI BHARAT SINGH CHOWHAN
SHRI YOGA DATT SHARMA } : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate a scheme to develop the original seats of Indian culture as centres of tourist attraction; and

(b) If so, the details thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Sir.

(b) The Department of Tourism has been providing facilities such as accommodation, water supply, electricity, approach roads, and effecting environmental improvement at selected tourist centres of cultural interest which are of national and international importance. An integrated approach to the planning of facilities is now being developed through undertaking the preparation of master plans of selected centres. It is also proposed to encourage art and crafts distinctive of such places to help preserve them as well as to develop them a major tourist attraction.

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का वस्त्रों का निर्यात

*363. **डा० बापू कालदाते :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को वस्त्र के निर्यात के लिये रियायत लेने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने कोटे में वृद्धि कर दी है ;

(ग) क्या वस्त्रों का निर्यात यूरोपीय आर्थिक समुदाय के केवल एक देश तक सीमित है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) नये भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय वस्त्र करार में हमारे निर्यात स्तरों की अपेक्षा परिधानों के निर्यातों के लिये काफी बड़े कोटों की व्यवस्था है । परिधानों के निर्दिष्ट वर्गों के लिये सुनिश्चित कोटा, स्तर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के भी सदस्य राज्यों पर लागू होते हैं। 1978 के लिए नियन्त्रणों के अध्यधीन परिधानों के वर्गों के लिये कोटा स्तरों को दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

परिधानों के वर्ग जो अलग-अलग नियन्त्रण के अधीन हैं और वर्ष 1978 के लिये यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रत्येक सदस्य राज्य के लिये नियन्त्रण-स्तर

वर्ग संख्या	विवरण	इकाई	पश्चिम जर्मनी	फ्रांस	इटली	वेनेलक्स	ब्रिटेन	आयरिश गणराज्य	डेनमार्क	कुल ई ई सी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	निटेड शर्ट, सिंगलेट, टी शर्ट तथा स्वेटर शर्ट	1000 अदद	1896	1267	610	634	2121	30	214	6772
7.	महिलाओं के बुने तथा निटेड ब्लाउज	1000 अदद	9049	2574	1117	3500	11185	94	481	2800
8.	पुरुषों की बुनी शर्टें	1000 अदद	8624	895	3107	2692	8486	166	530	24500
15-ख.	महिलाओं के बुने ओवरकोट, रेनकोट तथा अन्य कोट लबादे तथा जेकेट	1000 अदद	91	227	60	111	124	2	53	668
26.	बुनी तथा निटेड ड्रेसें	1000 अदद	1347	1662	588	947	1785	12	159	6500
27.	बुने तथा निटेड स्कर्ट	1000 अदद	1154	858	469	598	1250	17	154	4500
29.	महिलाओं के बुने सूट	1000 अदद	75	90	52	35	121	3	14	390
30-ख.	महिलाओं के अन्य बुने अंडरवियर	मे. टन (*)	(10)	(10)	(5)	(6)	155	(1)	(1)	198

(*) सीलिंग बुटायर ।

मूल्य, उत्पादन, वितरण आदि के सभी नियन्त्रणों का पुनरीक्षण करने के लिये समिति की नियुक्ति

*364. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**
श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्य, उत्पादन, वितरण, आयात, निर्यात विदेशी मुद्रा औद्योगिक लाइसेंसिंग आदि पर लगे सभी नियन्त्रणों का पुनरीक्षण करने के लिये एक समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम और समिति के निर्देश-पद क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने श्री वाडिलाल डगली की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की है जो कीमतों, उत्पादन, वितरण, लाइसेंसों और आयातों पर नियन्त्रणों की प्रणाली का मूल्यांकन और समीक्षा करेगी तथा इस बात की जांच करेगी कि वातस्व में उन्हें किस तरह लागू किया जाता रहा है और उनके जरिये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति वस्तुतः हुई है या नहीं । समिति के अन्य सदस्य हैं :—

1. श्री एरा सेज़ियन
2. श्री वगारामतुलपुले
3. श्री एल० सी० जैन
4. श्री संजय सेन ।

समिति का एक सदस्य सचिव होगा जिसकी नियुक्ति शीघ्र ही की जायेगी ।

2. समिति के विचारनीय विषय ये होंगे :—

(1) यह जांच करना कि क्या कीमतों, उत्पादन, वितरण, लाइसेंसों और आयातों पर नियन्त्रणों की प्रणाली राष्ट्रीय आयोजन एवं अर्थव्यवस्था के मार्गदर्शन के लिये एक कारगर साधन सिद्ध हुई है ?

(2) सभी प्रकार के नियन्त्रणों के संचालन और प्रबन्ध से पहले क्या अनुभव हुआ है और क्या पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों की वास्तव में प्रप्ति हुई है ।

(3) अर्थव्यवस्था के किन-किन क्षेत्रों में ये नियन्त्रण सफल हुए हैं और इसलिये क्या उन्हें संशोधन करके अथवा विना फेर-बदल के जारी रखना जरूरी है ?

(4) किन-किन क्षेत्रों में नियन्त्रण प्रभावहीन सावित हुए हैं अथवा अब उनकी आवश्यकता नहीं रही है और इसलिये उन्हें हटा दिया जाना चाहिये ?

(5) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में नियन्त्रणों की प्रणाली राज सहायता प्रणाली से किस प्रकार सम्बद्ध है ? क्या उस प्रकार की आर्थिक सहायता देना न्यायोचित है और क्या नियन्त्रण प्रणाली में उपयुक्त संशोधन करके राज सहायता प्रणाली को कम करना या समाप्त करना सम्भव है ।

इस प्रकार समिति अन्य बातों के साथ-साथ उद्योगों पर लागू होने वाली नियन्त्रणों के संचालन का अध्ययन भी करेगी।

TEA PLANTATIONS IN INDIA

3274. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the number of the plantations in the country and the names of Indian and foreign capitalists to whom they belong; and

(b) the number of employees engaged in them together with their pay-scales ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) There are 13,165 tea gardens registered with Tea Board including 11,513 gardens of small growers owning 8 hectares or below. Of the balance 1,633 gardens, 680 are owned on proprietorship/partnership basis and the rest are owned by 154 private limited companies, 305 public limited companies and 97 sterling companies. Details of ownership are available in the tea Directory, 1976 published by the Tea Board.

(b) Information relating to monthly rated employees engaged in Tea plantation under the categories like medical, clerical, artisans, managerial and supervisory staff etc. is not available. However, average number of daily labour employed in tea plantations in India during 1975 was 7,74,897, Statement showing state-wise break-up of daily labour employed and their daily wage rate in the main states is attached.

The number of average daily labour employed in Tea Plantations during 1975 is as follows :

Assam	4,02,195
West Bengal	2,00,130
Tripura	8,064
Bihar	184
Uttar Pradesh	2,197
Himachal Pradesh	8,139
Tamil Nadu	72,251
Karnataka	3,138
Kerala	78,599
	7,74,897

Daily wage rates prevailing at present are as follows :—

	Men	Women	Children
ASSAM			
(*i*) Tea Gardens 150 acres and above			
(*a*) Dibrugarh (Sub-Div. of Lakhimpur District Sibsagar District . . .	5·30	5·12	2·61
(*b*) Darrang District (excluding Mangaldai) and North Lakhimpur Sub-Division of Lakhimpur District . . .	5·23	5·06	2·58
(*c*) Mangaldai Sub-Divn. of Darrang District .	5·20	5·03	2·57
(*d*) Nowgong, Kamrup and 'United North Cachar and Mikir Hills . . .	5·13	5·02	2.57
(*e*) Goalpara District . . .	5·07	4·96	2·53
(*f*) Cachar . . .	4.72	4·62	2·42
(*ii*) For gardens below 150 acres in Dibrugarh and Sibsagar District Darrang District i. e. (a) and (b) above.	Wages are lower by three paise for adult men and women and by one paisa for children.		
WEST BENGAL			
(*a*) Dooars			
(*i*) Gardens 500 acres and above .	5·30	5·13	2·74
(*ii*) For gardens below 500 acres . .	Wages are lower by three paise for men and women.		
(*b*) Terai	5·24	5·07	2·72
(*c*) Darjeeling .	4·92	4·81	2·54
TRIPURA .	3·55	3·55	1·68

SOUTH INDIA

	Adults	Adolescents	Children
(*i*) Kearala . . .	7·11	5·53	4·62
(*ii*) Tamil Nadu . .	7·12	4·96	4·25

	Grade I	Grade II	Adolescents	Children
(*iii*) Karnataka	5·65	5·25	3·40	2·85

निर्यात के कारण गुड़ के मूल्य में वृद्धि

3275. **श्री रोबिन सेन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुड़ के निर्यात की अनुमति दे दी है ;

(ख) क्या सरकार को स्वदेशी बाजार में गुड़ की मूल्य वृद्धि की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को आन्तरिक बाजार में गुड़ की कीमत में हुई किसी महत्वपूर्ण वृद्धि की जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन

3276. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल (स्कोप रेल) द्वारा निर्यात प्रोत्साहन सम्बन्धी स्थायी समिति के कार्य क्या हैं और यह समिति कब और क्यों गठित की गई;

(ख) इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसकी बैठक कब-कब होती है; और

(ग) इस समिति के गठन के पीछे जो उद्देश्य हैं वे अब तक किस सीमा तक पूरे हुए हैं ?

वाणिज्य, नागरिकत पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) 26 नवम्बर, 1977 को, वाणिज्य मंत्रालय ने रेल मंत्रालय से परामर्श करके रेल (स्कोप रेल), द्वारा निर्यात संवर्धन सम्बन्धी स्थायी समिति का गठन किया जिसमें सम्बन्धित मंत्रालयों तथा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं ताकि रेल द्वारा निर्यात माल की ढुलाई से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जा सके। स्कोप रेल के अध्यक्ष अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय हैं और रेल मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क बोर्ड, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, महानिदेशक नौवहन, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता स्थित पत्तन न्यासों, राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, भारतीय नौवहन, निगम, चाय बोर्ड, सामान्य बीमा निगम, सेल इन्टरनेशनल, कोल इंडिया, व्यापार विकास प्राधिकरण, इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद्, आल इंडिया शिर्पस कौंसिल, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चेम्बर फैडरेशन, एसोसिऐटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, फैडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्टर्स आर्गेनाइजेशन, इंडियन नेशनल शिपआनर्स एसोशियशन आदि के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं ।

इस स्थायी समिति का काम रेल सेवाओं की पर्याप्तता तथा नियमितता, महत्वपूर्ण टर्मिनलों पर निर्यात खेपों को हैंडल करने तथा भांडागारण सुविधाओं, निर्यात माल के लिये माल डिब्बों, मोटर गाड़ियों कंटेनरों की पर्याप्त तथा समय पर पूर्ति, किफायती रेल भाड़ा दर ढांचा लागू करना और एक से दूसरे स्टेशन तक के लिये रियायती दरें, दस्तावेजों तथा क्रिया विधियों का सरलीकरण, पाकिस्तान, बंगलादेश तथा नेपाल को सीधे निर्यातों के लिये रेल परिवहन सुविधाएं तथा आन्तरितक स्टेशनों से पत्तन नगरों तक निर्यात खेपों की ढुलाई, सुविधाओं में वृद्धि तथा बहुविध माडलों के कंटेनर शुरू करना तथा सुकर बनाना है ।

स्कोप रेल का पहला सत्र 20 मार्च, 1978 को नई दिल्ली में होना नियत किया गया है ।

दाते समिति की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों को स्थानान्तरित की गई ऋण समितियां

3277. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त दाते समिति ने कहा है कि कृषि अल्प अवधि ऋण के लिये अपेक्षित 300 करोड़ रुपयों में से 1978-79 के लिये 150 करोड़ रुपये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये जायेंगे ;

(ख) दाते समिति की सिफारिश के अनुसार कितनी ऋण समितियां राष्ट्रीयकृत बैंकों को स्थानान्तरित की गई हैं, और

(ग) क्या यह भी सच नहीं है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ली गई ऋण समितियों की संख्या 300 से अधिक नहीं है और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इन समितियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) श्री सी० डी० दाते की अध्यक्षता वाले अध्ययन दल ने मध्य प्रदेश की अल्पकालीन कृषि ऋण आवश्यकताएं 1974-75 में 275 करोड़ रुपये के लगभग बतायी थीं जो 1979-80 में बढ़कर 300 करोड़ रुपये तक हो सकती है । 1979-80 में 725 करोड़ रुपये के लगभग जमाओं का अनुमान लगाते हुए और 60 प्रतिशत ऋण जमा अनुपात मानते हुए, अध्ययन दल ने अनुमान लगाया कि वाणिज्यिक बैंकों के वर्ष 1979-80 में कुल ऋण 435 करोड़ रुपये के आसपास होंगे जिन में से लगभग 150 करोड़ रुपये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये जायेंगे ।

(ख) मई, 1970 में मध्य प्रदेश में इस योजना को लागू करते समय, 10 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 305 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अपने हाथ में ली गई थीं । वर्ष 1976-77 के दौरान पी० ए० सी० के विलय द्वारा कृषक सेवा समितियों के निर्माण और अर्थक्षम/सम्भावित अर्थक्षमता वाली समितियों में उनके पुनर्गठन के कारण, वाणिज्यिक बैंकों में विलय होने वाली समितियों की संख्या कमी होकर 253 रह गई ।

(ग) खरीफ, 1977 और रबी 1977-78 के लिये अल्पकालीन ऋण, जिनकी राशि 74.73 लाख रुपये और 26.09 लाख रुपये थी, क्रमशः 159 और 72 समितियों में वितरित किये गये थे । 31 दिसम्बर, 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार 44 समितियों को 3.39 लाख रुपए की ऋण राशि मध्यकालीन ऋणों के रूप में वितरित की गई । वित्त पोषित की जाने वाली ऐसी समितियों की कुल संख्या 186 है ।

एक्सचेंज कन्ट्रोल डिपार्टमेंट आर० बी० आई० मुख्य पत्तनों और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क स्टेशन

3278. **श्री नाथू सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य पत्तनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आर्थिक कार्य विभाग भारतीय रिजर्व बैंक में एक्सचेंज कन्ट्रोल विभाग, कारगो कस्टम अधिकारियों के कृत्य, गतिविधियां और संगठनात्मक ढांचा क्या है और भारत के निर्यात व्यापार को वे किस प्रकार प्रभावी विनियमित करते हैं ;

(ख) मुख्य पत्तनों, तथा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एक्सचेंज कन्ट्रोल विभाग (आर०बी० आई०) कस्टम स्टेशनों में कितने व्यक्ति नियुक्त हैं, और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में मांगे गये आँकड़े क्रमश: प्रथम और तृतीय पंच वर्षीय योजना के अतिन्म वर्षों में क्या थे ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) आर्थिक कार्य विभाग में सात प्रभाग हैं। यह विभाग केन्द्रीय सरकार का बजट तैयार करता है, विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं और संसाधनों का समय-समय पर मूल्यांकन करता है और विकास सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यकताओं के अनुसार आँतरिक एवं बाह्य संसाधन जुटाने तथा इन्हें आवंटित करने के लिये कार्रवाई करता है । यह भारत की आर्थिक स्थिति की भी बराबर समीक्षा करता रहता है और सरकार को आर्थिक नीतियों, के निर्माण के विषय में सलाह देता है । यह विभाग, बीमा, बैंकिग, करेंसी और सिक्का निर्माण, पूंजी निर्गम और विदेशी पूंजी निवेश, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम के प्रशासन और शेयर बाजरों के विनियमन के लिये भी उत्तरदायी है । भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित सभी विषयों, खास तौर से, उसके विदेशी, मुद्रा संबंधी पहलु के संदर्भ में विचार करने के लिये इस विभाग का वाणिज्य मंत्रालय से निकट संपर्क रहता है ।

आर्थिक कार्य विभाग विकास शील देशों को ऋण देने के कार्य से भी संबंधित है । भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों के परि-रक्षण और उनके प्रभावकारी उपयोग के लिये किये जाने वाले कार्यों से सम्बन्धित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक सभी प्रयोजनों के लिये विदेशों को भेजी जाने वाली राशियों का विनियमन करता है और निर्यात से होने वाली प्राप्तियों की निगरानी रखता है । भारतीय रिजर्व बैंक पर सोने के आयात और निर्यात, करेंसी नोटों और सिक्का निर्माण तथा प्रतिभूतियों के नियन्त्रण की भी जिम्मेदारी है। बैंक भारत में विदेशियों, विदेशी कम्पनियों और गैर-निवासी भारतीयों द्वारा व्यापारिक गृहों की स्थापना पर भी नियन्त्रण रखता है।

सीमाशुल्क प्राधिकरणों के नौभार एककों का संबंध सीमा शुल्क लगाने और सीमा शुल्क तथा और बातों के साथ-साथ आयात एवं निर्यात दोनों के लिये व्यापार और विदेशी मुद्रा नियन्त्रण सम्बन्धी तत्समान कानूनों के अन्तर्गत नियन्त्रण लागू करने से है।

सीमाशुल्क गृह (कस्टमस हाउस) मानक क्षेत्रीय एकक हैं। इन्हें कार्य के परिमाण और नियुक्त कर्मचारियों के आधार पर नौभार एककों जैसे कई एककों या विभागों में विभाजित किया जाता है । सीमा शुल्क गृहों पर कलैक्टर का नियन्त्रण होता है जिसकी सहायता विभिन्न श्रेणी के अधीनस्थ कर्मचारी करते हैं जिनकी संख्या कार्यभार पर निर्भर करती है ।

(ख) विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग (भारतीय रिजर्व बैंक) में नियुक्त कार्मिकों की संख्या निम्नलिखित है :—

श्रेणी I	407
श्रेणी II	1
श्रेणी III	1292
श्रणी IV	314
जोड़	2014

बड़े पत्तनों और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्थित सीमाशुल्क केन्द्रों में नियुक्त कार्मिकों की संख्या निम्नलिखित है :—

	बड़े पत्तन	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे
समूह क	196	14
समूह ख	711	45
समूह ग	5223	369
समूह घ	2082	संबद्ध सीमा शुल्क गृहों से प्रति नियुक्त किये जाने ह।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग से संबंधित सूचना का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

सीमाशुल्क गृहों से संबंधित सूचना निम्नलिखित है :

1956-57 तुरन्त उपलब्ध नहीं।
1-1-1966 को स्थिति

	बड़े पत्तन	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे
समूह-क	76	7
समूह-ख	403	13
समूह-ग	1501	209
समूह-घ	1676	42

जीवन बीमा निगम के डिबैलपमेंट आफिसरों की सेवा शर्तें

3279. **श्री अहसान जाफरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1958-77 की अवधि में जीवन बीमा निगम के डिवलपमेंट आफिसर के औसत कार्य निष्पादन में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो प्रतिशत वृद्धि क्या है; और

(ख) क्या नेशनल फेडरेशन आफ इन्श्योरेन्स फील्ड वर्कर्स आफ इंडिया, जिसके साथ जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों ने वर्ष 1965 और 1971 के दौरान सेवा शर्तों के बारे में लिखित समझौता किया था, को नई सेवा शर्तों पर जो 78 अप्रैल, 1976 को ऊपर एक पक्षीय रूप में थोपी गयी बातचीत करने तथा तय करने के लिये कोई अवसर दिया गया था, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 1958 से 1977 तक की अवधि के दौरान व्यक्तिगत बीमों के नए कारबार के अन्तर्गत बीमाकृत राशि को देखते हुए विकास अधिकारियों के औसत कार्य में 282 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु इस अवधि के दौरान विकास अधिकारियों की लागत में 4.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम और नेशनल फैडरेशन आफ फील्ड वर्कर्स आफ इंडिया के बीच 1965 और 1971 में दो करार किए गये थे, जिनका सम्बन्ध क्रमश: विकास अधिकारियों की स्वत: वेतन वृद्धि तथा कार्य निष्पादन के न्यूनतम मानदंड से था । प्रबन्धकों और विकास अधिकारी फैडरेशन के बीच वेतनमानों आदि के सम्बन्ध में किया गया करार 31 मार्च, 1977 को समाप्त हो गया था।

प्रबन्धकों ने विकास अधिकारियों के फैडरेशन द्वारा प्रस्तुत किए गए मांग-पत्र के आधार पर 1974 में उनके साथ हुई बातचीत के दौरान एक नया करार करने के उद्देश्य से विकास अधिकारियों के लिये नए लागत मानदंड निर्धारित करने का भी सवाल उठाया था। परन्तु फैडरेशन की ओर से इस बारे में कोई निश्चयात्मक उत्तर नहीं मिला । विकास अधिकारियों के वेतनमानों आदि में वृद्धि करने तथा उनके काम के सम्बन्ध में फेडरेशन की मांगों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा 8 अप्रैल, 1976 को जारी की गई अधिसूचना और दिनांक 21 अप्रैल 1976 के जीवन बीमा निगम कर्मचारी (संशोधन) विनिमय, 1967 में विकास अधिकारियों के लिए लागत मापदंड निर्धारित किये जाने और उनके वेतनमानों, नगर पूरक भत्ते तथा भविष्य निधि में अंशदान की दर जाए जाने की व्यवस्था है।

GRANT OF LICENCES TO OPIUM GROWERS

3280. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the procedure and ruls governing the grant of licences to opium growers are unsatisfactory; and whether licences are cancelled even if the production is below average due to natural calamities and unavoidable reasons;

(b) whether the opium producers have to encounter a lot of difficulty in getting new licences or in renewal of all over; and

(c) the steps being taken by Government to do away with this difficulty?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) No, Sir. In terms of the licensing principles framed by the Government for the current 1977-78 poppy crop season, licences have been given to the poppy growers whose crop was partially damaged in 1976-77 due to natural calamities, by bringing down the qualifying yield for grant of licence from 20 kg. of opium per hectare to 12 kg. of opium per hectare in respect of such cultivators. Besides, in the villages where there was widespread damage to crop in the 1976-77 crop season, licences have been given irrespective of the yield tendered by the cultivators in these villages.

(b) & (c) There are no reports with the Government that the poppy growers have faced any difficulty in regard to grant/renewal of licences for cultivation of opium poppy.

LOANS ADVANCED BY NATIONALISED BANKS FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN GUJARAT DISTRICT

3282. SHRI CHHITU BHAI GAMIT : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) number of persons in Adivasi Talukas in Surat district to whom loans were advanced by the nationalsed banks for agricultural development, cattle breeding an other purposes during the period from 1974-1977 indicating the amount of loan advanced in each case;

(b) the number of Adivasis, Small and Marginal farmers as well as agricultural labourers out of them and the of loans advanced to them and the difficulties in advancing them loans;

(c) whether any simple procedure (policy) would be followed by Government so as to enable them to get loans easily and if so, details thereof; and

(d) whether stamp duty in respect of the Bond and 25 per cent amount has to be first deposited in the bank by the loanee and whether Adivasis, small and marginal farmers as well as agricultural labourers would be exempted therefrom and if so, the details thereof and when ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b) : Reserve Bank of India does not collect information in the form asked by the Hon'ble Member.

(c) & (d) Forms and procedures have been considerably simplified to enable farmers, particularly small and marginal, to get loans for agricultural purposes easily. Cultivators in Gujarat, borrowing from commercial banks, are exempted from payment of Stamp Duty upto a loan of Rs. 5,000/-.

पश्चिमी देशों से भारत को स्थल से होकर पर्यटन यातायात

3283. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी देशों से भारत को स्थल से होकर आने वाले पर्यटन यातायात में कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भारत में स्थल से होकर अधिक पर्यटन यातायात के आने के लिये उपयुक्त स्थिति उत्पन्न करने और पड़ौसी देशों का सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) पश्चिम के जिन देशों से मुख्यतया पर्यटक आते हैं उनसे स्थल के मार्ग से आने वाले पर्यटकों की संख्या 1976 के मुकाबले 1977 में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत के विश्व पर्यटन संगठन का सदस्य होने के नाते दक्षिण एशिया क्षेत्रीय यात्रा आयोग, इस क्षेत्र के लिये पर्यटक यातायात के आगमन के लिये उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करने के लिये, पड़ौसी देशों के अपने समकक्ष विभागों के साथ घनिष्ट सहयोग से कार्य करता है । स्थल से होकर आने वाले पर्यटक यातायात को प्रोत्साहन देने के लिये, भारत में उन राजमार्गों (हाईवेज़) पर जिनका इस यातायात द्वारा समान्यता प्रयोग किया जाता है, सड़क के किनारे-किनारे सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है।

तीसरी विमान कम्पनी के बारे में परियोजना प्रतिवेदन

3284. **श्री शरद यादव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विभिन्न राज्यों के, जहां इस समय कोई भी विमान कम्पनी कार्यरत नहीं है, महत्वपूर्ण कस्बों और जिलों को जोड़ने के लिये और/अथवा विमान सुविधा से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को विमान सेवा से जोड़ने के लिये तीसरी विमान कम्पनी के लिये परियोजना प्रतिवेदन पर अब सरकार ने अपना विचार पूरा कर लिया है और यदि हां, तो ऐसे विचार करने का क्या परिणाम निकला है;

(ख) ऐसी परियोजना की प्रारम्भिक लागत कितनी होगी, तत्काल संचालन में कितना समय लगेगा, प्रारम्भिक स्तर पर किन-किन स्थानों को विमान सेवा द्वारा जोड़ा जायेगा और ऐसी तीसरी विमान कम्पनी में कितने वाणिज्यिक विमान चालक नियुक्त किये जायेंगे ;

(ग) विमान किस स्रोत से खरीदे जायेंगे ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसके शीघ्र संचालन में विलम्ब होने से ऐसी परियोजना की कुल लगात में वृद्धि होगी ; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) "थर्ड लेवल एयर आपरेशन" के बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

केन्द्रीय सेवाओं में कर्मचारियों की वरिष्ठता के मामलों पर पुनर्विचार

3285. **श्री मोहन लाल पिपिल :** क्या **वित्त** केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्त विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की वरिष्ठता के बारे में कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 22 जुलाई, 1972 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/3/72-स्थापना (डी) के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में खास सचिवालय में ऐसे कोई व्यक्ति हैं, जिन्हें 22 दिसम्बर 1959 से पूर्व नियुक्त किया गया था । परन्तु जिनकी वरिष्ठता उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित 4 जुलाई, 1972 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सेवा की अवधि के आधार पर निश्चित नहीं की गई है यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन को दृष्टि में रखते हुए उनके वरिष्ठता के मामलों पर कब तक पुनर्विचार किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) ऐसा अनुमान है कि माननीय सदस्य का मंतव्य वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आदि सेवाओं के संवर्ग से है । यदि हां, तो 22 दिसम्बर 1959 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित वरीयता के सिद्धांत इन संवर्गों पर लागू नहीं होते। उनके लिए वरीयता के अलग सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

JAM TEXTILE MILL, BOMBAY

3286. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Jam Textile Mill, Bombay evades excise duty on large scale and if so, the quantum of cloth manufactured by the said mill during the last three years and the amount of excise duty paid by this Mill; and

(b) whether it is a fact that most of the cloth is manufactured and sold by the mill in pieces of one or half metre and if so, the number of such pieces of cloth manufactured and sold during the last three years and the quantum of the remaining cloth sold ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

एयर इंडिया में काम कर रहे रिलीज्ड इमरजेंसी/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वेतन का निर्धारण

3287. **श्री किशोर लाल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने अपने अधीन काम कर रहे रिलीज्ड इमरजेंसी/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अफसरों का वेतन मंत्रीमंडल सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापन सं० 9/24/71-संस्थापन (ग), और सं० 9/26/74-संस्थापन (ग) क्रमश: दिनांक 1 जनवरी, 1972 और 6 जनवरी, 1972 के अनुसार जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप पुन: निर्धारित कर दिया है ;

(ख) अगर भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स ने भी जो एयर इंडिया का एक समवर्ती संगठन है, अपने अधीन नियुक्त रिलीज्ड इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों का वेतन निर्धारित कर दिया है ;

(ग) अगर भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांन्तों के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स, द्वारा इन व्यक्तियों को उनकी उचित मांग न मानने के क्या कारण हैं ; और

(घ) रिलीज्ड इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों को वे लाभ देने के लिये इंडियन एयरलाइन्स का कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, जो उन्हें एयर इंडिया में और अन्य सरकारी मंगठनों में दिये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), (ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

FOREIGN EXCHANGE EARNED BY I.A.A.I.

3288. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the total amount of foreign exchange earned by International Airports Authority of India so far;

(b) the number of its officers together with their names and designations who made foreign tours at the expense of the Authority indicating the number of tours made by each officer and the total foreign exchange expenditure incurred thereon and the designations of the officers and employees who were sent abroad for training and the mount of foreign exchange expenditure incurred on them, separately; and

(c) the justification for incurring such an infructuous expenditure and the steps proposed to be taken by Government to check it ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHAK) : (a) The total amount of foreign exchange earned by International Airports Authority of India from 1975-76 to 1977-78 (upto January, 1978) was Rs. 1939·35 lakhs. The break-up of foreign exchange portion of the income of International Airports Authority of India for the first 3 years of its formation, i.e., for the years 1972-73 to 1974-75 is not available.

(b) & (c) A statement showing the names and designations of officers of the International Airports Authority of India, who visited foreign countries for the work of the Authority and the purpose/justification of the tours and the amount of foreign exchange released in each case is enclosed as Annexure I. (*Placed in the Library See. No. LT-1830/78*). Another statement showing the names and designations of the officers and employees of the Authority who went abroad for training and the amount of foreign exchange released in each case is enclosed as Annexure II. *Placed in the Library See. No. LT-1830/78*]. In some cases, a part of foreign exchange released was surrendered on return from tours/training.

The Officers and employees of the Authority are sent abroad only when it is absolutely essential in the interest of export promotion and other work of the Authority. Similarly, they are sent for training abroad on jobs where such facilities are not available in India. No infructuous expenditure has been incurred by the Authority on such tours/training courses.

ठाकुरगंज में स्टेट बैंक आफ इंडिया के भुगतान कार्यालय का दर्जा बढ़ाया जाना

3289. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के पूर्णिया जिले में ठाकुरगंज ब्लाक मुख्यालय व्यापार का एक बड़ा केन्द्र है और वहां राजस्व की भी अच्छी आय होती है ;

(ख) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया वहां अपने भुगतान कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर ब्रांच कार्यालय खोलना चाहता है; और

(ग) यदि हां, तो कब और वह कब तक काम करना शुरू कर देगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक को आशा है कि मार्च, 1978 के दौरान ठाकुरगंज स्थित उसके "उपकार्यालय" का दर्जा बढ़ा दिया जायेगा ।

चीन को लौह अयस्क का निर्यात करने के लिये पत्तन सुविधाएं

3290. **श्री आर० कोलाथाइवेलु :** क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन के राष्ट्रीय धातु एवं खनिज आयात तथा निर्यात निगम के जिस प्रतिनिधि मंडल ने चीन द्वारा अपेक्षित लौह अयस्क की मात्रा के बारे में तमिलनाडु की यात्रा की थी, उसके द्वारा किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिये भारत में विकसित की जाने वाली पत्तन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तैयार किये गये अन्तिम प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) चीन के राष्ट्रीय धातु तथा खनिज एवं आयात एवं निर्यात निगम के प्रतिनिधि मंडल ने चीन द्वारा अपेक्षित लौह अयस्क की मात्रा के सम्बन्ध में अथवा भारत में पत्तन सुविधाओं के बारे में, जिन्हें इस प्रयोजन के लिये विकसित किया जाना है, कोई ठोस प्रस्ताव नहीं किये ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन में छात्रों को प्रशिक्षण के लिये पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने वाले संस्थान

3291. **श्री ए० मुरुगेसन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन में छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिये विभिन्न संस्थानों और उनमें प्रस्तुत पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद ऐसे छात्रों को उपयोगी ढंग से नियुक्त किया गया है और

(ग) ऐसे अर्हता प्राप्त छात्रों की संख्या कितनी है जिन्हें हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने और अपने देश में भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये विदेशों में भेजा गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) पर्यटन में पाठ्यक्रम आफर करने वाले विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं की एक सूची संलग्न है (अनुबन्ध) ।

(ख) क्योंकि पर्यटन में पाठ्यक्रम लेने वाले विद्यार्थियों का अनुमोदन केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है । अतः वह उनके पाठ्यक्रम पूरा होने पर उनके द्वारा लिए गए रोज़गार का कोई रिकार्ड नहीं रखता है ।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पर्यटन की अभिवृद्धि करने के लिये ऐसे विद्यार्थियों द्वारा विदेशों की कोई यात्रा करने का अनुमोदन नहीं किया है ।

विवरण

क्रम सं०	विश्वविद्यालय/संस्था	डिग्री/डिप्लोमा	अवधि
1.	व्यावसायिक अध्ययन कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय ।	डिप्लोमा	2 वर्ष
2.	गढ़वाल विश्वविद्यालय	डिप्लोमा	1 वर्ष
3.	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष
4.	पत्राचार अध्ययन व प्रगामी शिक्षा संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय ।	स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र	1 वर्षीय पत्राचार
5.	प्रौढ़ व प्रगामी शिक्षा विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	2 सिमेस्टर्स
6.	सोफिया कालेज, श्री बसंत कुमार स्मारक पालिटैक्निक, बम्बई ।	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष
7.	भारतीय विद्याभवन, राजेन्द्र प्रसाद संचार अध्ययन संस्थान, बम्बई ।	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष
8.	लेडी अमृतबाई डागा महिला कालेज, नागपुर।	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष
9.	इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, दिल्ली ।	प्रमाण पत्र/डिप्लोमा	1/3 वर्ष
10.	इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, बम्बई ।	प्रमाण पत्र/डिप्लोमा	1/3 वर्ष
11.	इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, कलकत्ता ।	प्रमाण पत्र/डिप्लोमा	1/3 वर्ष
12.	इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, मद्रास ।	प्रमाण पत्र/डिप्लोमा	1/3 वर्ष

VACANT POSTS IN A.I. AND I.A.

3292. SHRI BHARAT BHUSHAN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number of vacant posts, category-wise, in Air-India and Indian Airlines at present;

(b) the number and names of vacant posts in the cadres to which direct recruitment is made; and

(c) the time by which these vacant posts are proposed to be filled in ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a), (b) & (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

महाराष्ट्र में सभी जिला मुख्यालयों के लिये विमान सेवा का उपलब्ध किया जाना

3293. **श्री आर० के० महागी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में सभी जिला मुख्यालयों को पर्याप्त विमान सेवा द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में क्या कठिनाई है और सरकार उक्त कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करेगी ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

निर्यात निरीक्षण परिषद् और निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा अपने कर्मचारियों के सेवा मामलों के बारे में अपनाये नये नियम

3294. **श्री सी० एम० विश्वनाथन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात निरीक्षण परिषद् और निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा अपने कर्मचारियों के सेवा मामालों के बारे में कौन से नियम अपनाये गये हैं ।

(ख) क्या निर्यात निरीक्षण परिषद् ने निर्यात निरीक्षण परिषद्/एजेंसी के कर्मचारियों के लिये कोई नियम बनाये हैं; और

(ग) निर्यात निरीक्षण परिषद्/एजेंसी द्वारा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले कर्मचारियों पर लागू होने वाले प्रतिनियुक्ति नियम क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) निर्यात निरीक्षण परिषद् ने निर्यात निरीक्षण परिषद् तथा साथ ही निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के कर्मचारियों के लिये सेवा नियम बना लिये हैं।

(ग) उपर्युक्त नियमों में, निर्यात निरीक्षण परिषदों/निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के कर्मचारियों की निर्यात निरीक्षण परिषद् के नियन्त्रण के बाहर के सरकारी क्षेत्र के/स्वायत्त निकायों में प्रतिनियुक्ति को नियन्त्रित करने के लिये कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं हैं। परन्तु इन नियमों में यह सामान्य व अवशिष्ट व्यवस्था है कि नियमों में जैसा विहित है उससे इतर मामलों में निर्यात निरीक्षण परिषदों/निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के कर्मचारियों पर वे नियम, आदेश, अनुदेश आदि लागू होंगे जो केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये बनाये गये हैं ।

छोटे और सीमान्त किसानों से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज की दर

3295. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे और सीमान्त किसानों से कितनी ब्याज की दर वसूल की जाती है ;

(ख) क्या सरकार ने प्रतिभूति पर और उनकी खड़ी फसलों पर ऐसे किसानों को ऋण देने की किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार छोटे किसानों को ऐसे ऋण देने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश देगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही बैंकों को ये ब्याज की दरें वसूल करने के लिये कहा है :

(1) लघु सिंचाई और भूमि विकास के प्रयोजन के लिये किसानों को मंजूर किये गये 3 वर्ष से कम की परिपक्वता वाले सावधिक ऋणों पर 10.5 प्रतिशत से अनधिक;

(2) डेरी उद्योग, मुर्गी पालन, मछली पालन, बागवानी आदि जैसे विविधीकृत प्रयोजनों के लिये किसानों को मंजूर किये गये 3 वर्ष से कम की परिपक्वता वाले सावधिक ऋणों पर 11 प्रतिशत से अनधिक ; और

(3) छोटे किसानों को 2500/- रुपये से अधिक के लिये चाहे वे ऋण अल्प, मध्यम और सावधिक ऋणों में से कोई से हों, व्यक्तिशः अलग-अलग ऋणों पर 11 प्रतिशत से अधिक ब्याज न वसूल किया जाये ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को उनकी खड़ी फसलों की जमानत लेकर फसल ऋण पहले ही से प्रदान कर रहे हैं।

LOANS GIVEN TO DEVELOPING COUNTRIES

3296. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the amount of assistance as well as loans given by the Government of India to each of the developing nations during the last five years (from 1973 to 1977; and

(b) the criteria adopted for giving assistance and loans to them ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) The amount of assistance by way of loans, grants and other assistance to developing nations extended by the Government of India during the 5 years from 1972-73 to 1976-77 are as under :

Loans

1. Sri Lanka .	. Rs. 27·60 crores
2. Nepal . . .	. Rs. 35·00 ,,
3. Mauritius . . .	. Rs. 5·00 ,,

Loans

4. Tanzania	Rs. 5·00	,,
5. Bhutan	Rs. 4·92	,,
6. Bangladesh	Rs. 56·35	,,

Grants

1. Nepal	Rs. 46·15	Crores
2. Bhutan	Rs. 76·62	,,
3. Bangladesh	Rs. 88·93	,,

Other assistnace to developing countries

1. Under the Colombo Plan	Rs. 2·81	Crores
2. Under the Special Commonwealth African Assistance Plan	Rs. 0·92	,,
3. Under Indian Technical & Economic Co-operation Programme	Rs. 9·32	,,

(b) Assistance is extended to developing countries on the basis of the requests received from and the priority requirements of these countries and in the light of relations with these countries.

लेखा को लेखा-परीक्षा से पृथक किया जाना

3297. **श्री वयालर रवि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में लेखा को लेखा परीक्षा से पृथक करने के प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है और यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) राज्य लेखों को लेखा परीक्षा से पृथक करने के कार्य की इतनी अधिक लम्बी प्रक्रिया बनाने का क्या कारण है; और

(ग) क्या इस विषय के बारे में कर्मचारियों के सुझावों और मांगों को ध्यान में रखा गया है और यदि हां, तो जिन सुझावों और मांगों को ध्यान में रखा गया है, उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) जी, नहीं । अप्रैल, 1976 में यथा-संशोधित नियन्त्रक महा लेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां, तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 10 किसी राज्य के राज्यपाल, को राष्ट्रपति से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके और भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श के बाद भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक से लेखा सम्बन्धी कार्यों को अपने अधिकार में लेने सम्बन्धी शक्तियां प्रदान करती है । यह बात राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई है कि वे पहल करके इससे संबंधित तकनीकी, प्रशासनिक और कार्मिक पहलुओं के विस्तृत प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजे ।

राज्य सरकारों द्वारा लेखाओं की लेखा परीक्षा से पृथक करने के संबंध में भेजे गए प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार अनुमोदन देते समय यह सुनिश्चित करेगी कि लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों की राज्य सरकार में स्थानान्तरण हो जाने की स्थिति में उनकी सेवा की विद्यमान शर्तों के साथ-साथ वेतनमानों को भी संतोषजनक ढंग से संरक्षण दिया जाये ।

केन्द्रीय सरकार की नीति की घोषणा किये जाने के पश्चात् हरियाणा को छोड़कर, किसी अन्य राज्य सरकार ने लेखाओं को लेखा परीक्षा से पृथक करने के लिये संतोषजनक प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करके हरियाणा सरकार के प्रस्ताव, पर विचार किया जा रहा है।

चूंकि इस मामले में पहल राज्य सरकारों द्वारा की जानी है, इसलिये राज्यों में लेखाओं को लेखा परीक्षा से पृथक करने के ऐसे प्रस्तावों को केन्द्रीय सरकार द्वारा छोड़ देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों में लेखाओं को लेखा परीक्षा से पृथक करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को न तो कोई निदेश जारी किया है और न ही कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया है। जब भी कभी राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होंगे तो उपर्युक्त नीति के अनुसार उनकी जांच की जाएगी

(ग) भारत सरकार राज्यों में लेखाओं को लेखा परीक्षा से पृथक करने संबंधी प्रस्तावों पर अनुमोदन देते समय यह सुनिश्चित करेगी कि लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों के राज्य सरकार में स्थानान्तरण हो जाने की स्थिति में उनकी सेवा की विद्यमान शर्तों के साथ-साथ वेतनमानों को भी संतोषजनक ढंग से संरक्षण दिया जाए।

इसके साथ-साथ, लेखा परीक्षा विभाग के जिन कर्मचारियों को लेखा परीक्षा से लेखाओं को पृथक करने की स्थिति में राज्य सरकार को स्थानान्तरित करने का विचार होगा, उनके विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

व्यापार तथा अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के सर्वेक्षण के लिये एक अध्ययन दल बनाने का प्रस्ताव

3298. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई शताब्दियों से लेह (लद्दाख) की स्थिति सन्धि मार्ग पर महत्वपूर्ण रही है जिसके माध्यम से सेंट्रल एशिया के देशों के साथ भारतीय व्यापार का सम्पर्क बना रहा, सरकार का विचार व्यापार और अर्थ व्यवस्था की सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करने के लिये और लद्दाख को पुन: वाणिज्यिक केन्द्र बनाने के लिये सर्वेक्षण करने हेतु एक अध्ययन दल बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो लद्दाख के उत्थान के लिये सरकार का अन्य क्या उपाय करने का विचार है जिससे लद्दाख के लोगों को केवल कृषि पर निर्भर न करना पड़े ?

वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) तथा (ख) लघु उद्योग विकास निगम, जम्मू के कहने पर भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने जम्मू तथा कश्मीर की निर्यात संभाव्यता का सर्वेक्षण किया। इसमें लद्दाख भी शामिल था। सर्वेक्षण के अनुसार, अपनी अधिक ऊंचाई तथा भौगोलिक स्थिति के कारणों लद्दाख घरेलू हस्तशिल्प, ऊन तथा ऊन पर आधारित उद्योग, ताजे तथा साधित फल और

सब्जियां, भेड़ों तथा भेड़ की चमड़ियों के उपयोग तथा होप्स कल्टीवेशन के लिये विशेष रूप से उपर्युक्त है। यह रिपोर्ट फरवरी, 1978 में लघु उद्योग विकास निगम, जम्मू को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी गई है। अब इस सम्बन्ध में अभी आवश्यक कार्यवाही करना राज्य सरकार तथा राज्य विकास निगम का काम है।

धन-कर निर्धारिती

3299. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1977 को दस लाख रुपये और इससे अधिक रुपयों की घोषणा करने वाले धन कर निर्धारिती व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनसे देय यदि कोई बकाया कर की राशि है तो वह कितनी है और यह राशि कब से देय है और किन कारणों से बकाया है ; और

(ग) कितने मामलों को बट्टे खाते में डाले जाने की संभावना है और इससे कितनी राशि सम्बद्ध है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

OFFICERS OF THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION ON DEPUTATION

3300. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the number of Officers holding the posts of Deputy Secretary and above in the Ministry at present who are on deputation for more than three years, five years and eight years, separately;

(b) the steps being taken to revert them to their State cadres; and

(c) the rules governing their appointment on deputation and reversion to their parent cadres ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE , CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) There is only one Officer (I.A.S.) who has completed more than 5 years on deputation with this Department.

(b) and (c) The appointment to tenure posts and reversion on completion of tenures are governed under the Staffing Scheme formulated for this purpose. This scheme provides for extension of tenures in exceptional cases where public interest so demands.

रूपसी हवाई अड्डे (आसाम) के लिये यात्री यातायात

3301. **श्री अहमद हुसैन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपसी हवाई अड्डा (आसाम) यात्री यातायात के लिए कब चालू हो जायेगा और इंडियन एयरलाइन्स रूपसी हवाई अड्डे के लिए और यहां से कब यात्री उड़ानें शुरू करेगी ;

(ख) ऐसा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उनका मंत्रालय विभिन्न व्यापारिक समुदायों के लिए (जो विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं) इस के पर्यटक-महत्व के हित को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य के लिए कृपया आवश्यक आदेश जारी करेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) रूपसी का वर्तमान हवाई अड्डा, डी० सी०-3 विमानों के परिचालनों तथा एच० एस०-748/एफ०-27 विमानों के सीमित परिचालनों के लिए उपयुक्त है। विमान-बेड़े की अत्यधिक तंगी के कारण इंडियन एयरलाइंस द्वारा निकट भविष्य में रूपसी के लिये विमान सेवायें परिचालित करने की कोई योजना नहीं है। गैर-असूसुचित निजी परिचालकों ने भी रूपसी के लिए विमान सेवाएं परिचालित करने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई है।

कोयम्बटूर का पर्यटन विकास

3302. **श्री के० ए० राजू :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को यह जानकारी है कि कोयम्बटूर जिले में वल्पाराय थिरूमूर्ति नगर और घुमरावतलू नगर में पास की पहाड़ियों में पर्यटन विकास के लिए काफी गुंजाइश है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों का सुधार करने का कोई प्रस्ताव है , और

(ग) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों का सुधार करने का कोई समय-बद्ध कार्यक्रम है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र का संबंध है, तामिलनाडु में ऐसे पर्यटक केन्द्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है जो राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। अतः कोयम्बटूर जिले में वल्पाराय में ग्राम हिल्स, थिरूमूर्ति नगर तथा अमरावायलूनगर में पर्यटन सुविधाओं का विकास करने के कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विकास कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों का युक्तिसंगत बनाया जाना

3303. **श्री सुब्रहमण्यम स्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16(छ) और 17 के अन्तर्गत वर्ष 1975 में बनाये गये विकास कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों को युक्तिसंगत बनाने के लिए वर्ष 1975 में बनाई गई योजना में यह व्यवस्था की की गई है कि भूतपूर्व कम्पनियों के विकास कर्मचारियों को पदों का समान दर्जा देकर जूनियर निरीक्षक के निरीक्षक ग्रेड II और ग्रेड I तथा विकास अधीक्षक के ग्रेड में रखा जायेगा, ।

(ख) क्या वर्ष 1975 की अधिकारियों के वेतन और सेवा शर्तों को युक्तिसंगत बनाए जाने सम्बन्धी योजना की धारा 3(1) में विशेष रूप से विकास कर्मचारियों को अधिकारियों के रूप में वर्गीकृत किये जाने से यह रोक लगाती है,

(ग) यदि हां, तो भूतपूर्व ओरियंटल के निरीक्षक सहायक विकास अधीक्षक और विकास अधीक्षक के पदों पर काम कर रहे कुछ विकास कर्मचारियों को 440-880 रुपये के वेतनमान की बजाए 530-1050 रुपये और 770-1300 रुपये के वेतनमानों में, जिसके परिणामस्वरुप करोड़ों रुपये की आवर्ती हानि होती है, सहायक प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वर्गीकृत करने के क्या कारण हैं, और

(घ) इन त्रुटियों को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) से (घ) साधारण बीमा (विकास कर्मचारियों के वेतनमानों तथा अन्य सेवा शर्तों का युक्तिकरण) योजना, 1976 में यह व्यवस्था है कि भूतपूर्व बीमा कम्पनियों के विकास कर्मचारियों को, उक्त योजना में निर्धारित, उनके प्रारम्भिक लागत अनुपात तथा वर्ष 1974 के लिए अनुसूचित प्रीमियम आय के आधार पर, विकास अधीक्षक, निरीक्षक ग्रेड I और निरीक्षक ग्रेड II के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और अन्य सेवा शर्तों का युक्तिकरण) योजना, 1975 में उन कर्मचारियों का अधिकारियों की श्रेणी में वर्गीकरण किए जाने की व्यवस्था है, जिन्होंने पर्यवेक्षी, लिपिकीय अथवा अधीनस्थ पद पर काम नहीं किया तथा जिनको भारतीय साधारण बीमा निगम के बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति ने विकास कर्मचारी वर्ग का सदस्य घोषित नहीं किया। भूतपूर्व एकक 'ओरियण्टल' में विकास अधीक्षक और सहायक विकास अधीक्षक के पदों पर काम करने वाले व्यक्ति प्रशासनिक कार्य कर रहे थे। साधारण बीमा निगम के बोर्ड द्वारा स्थापित की गई समिति ने उनके द्वारा किए जाने वाले काम को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिकारियों के रूप में वर्गीकृत किया था और तदनुसार उन्हें सहायक प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी की श्रेणी में रखा था।

खाद्य तेल का आयात

3304. **डा० मुरली मनोहर जोशी**: क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1977 और जनवरी-फरवरी, 1978 में प्रत्येक महीने में कितने खाद्य तेल का आयात किया गया तथा खाद्य तेल की प्रत्येक मद का ब्यौरा क्या है;

(ख) उसमें से भारत को कितना खाद्य तेल मुफ्त उपहार के रूप में प्राप्त हुआ तथा कितना खाद्य तेल खरीदा गया;

(ग) क्या समस्त खाद्य तेल का आयात केवल सरकारी एजेंसी के माध्यम से किया जाता है अथवा गैर-सरकारी आयात कर्ताओं को भी खाद्य तेल का आयात करने की अनुमति दी गई है; और

(घ) क्या यह सच है कि खाद्य तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आई है जिसका देश के उपभोक्ता बाजार में प्रभाव नहीं पड़ा और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) जनवरी, 1977 से अक्तूबर, 1977 तक आयात किये गये खाद्य तेल की महीनेवार तथा तेल वार मात्रा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--1831/78**]

नवम्बर, 1977 से फरवरी, 1978 तक के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 1977-78 के दौरान फरवरी, 1978 तक मुफ्त उपहार के रूप में प्राप्त खाद्य तेलों की मात्रा 21,750 मे० टन है।

(ग) आयात सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों तथा निजी व्यापार दोनों के माध्यम से किया गया है।

(घ) जनवरी, 1977 से जनवरी, 1978 तक खाद्य तेलों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें तथा जनवरी, 1977 से दिसम्बर, 1977 तक खाद्य तेलों की घरेलू कीमतें दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--1831/78**]

दालों के मूल्य में वृद्धि की सीमा

3305. **श्री रामानन्द तिवारी**
श्री भारत भूषण } **: क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार की दालों के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन मूल्यों को गत वर्ष के स्तर पर लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णकुमार गोयल) : (क) 25 फरवरी, 1978 को समाप्त सप्ताह (अंतिम सप्ताह जिसके बारे म यह जानकारी उपलब्ध है) और वर्ष 1977 के इसी सप्ताह के दालों के थोक मूल्य सूचकांक अनुबंध पर दिये विवरण में दिये गये हैं।

(ख) मूल्यों में वृद्धि का प्रमुख कारण वर्ष 1975-76 की उपज की तुलना में वर्ष 1976-77 में दालों की उपज में लगभग 20 लाख मीटरी टन की कमी होना है।

(ग) दालों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाकर तथा उनकी उत्पादकता में सुधार करके उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले से शुरू किये गये उपायों को जारी रखा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नेफेड) तथा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन० सी० सी० एफ०) को प्राथमिक मण्डियों से बड़ी मात्रा में दालों की खरीद करने के निदेश दिये गये हैं। दालें भी एक मद है जो उत्पादन-एवं वितरण प्रणाली की परिकल्पित

योजना में शामिल है। दालों का और आयात करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है। सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से दालों के मूल्यों तथा उपलभ्यता पर लगातार निगरानी रख रही है और जब भी आवश्यक होगा और उचित कदम उठाये जायेंगे।

विवरण

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3305, जिसका उत्तर 17-3-1978 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

थोक मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष : 1970-71 100)

	25 फरवरी को समाप्त सप्ताह	
	1977	1978
दालें	175.5	245.0
चना	146.0	234.4
अरहर	203.2	268.6
मूंग	189.7	233.0
मसूर	222.4	298.7
उड़द	200.5	210.8

DECLINE IN PRICES OF GUR

3306. SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware that prices of Gur are falling constantly ;

(b) the names of countries to which Gur was exported during 1977-78 and the quantity of Gur exported to those countries; and

(c) the effective action being taken to ensure fair price of Gur and sugarcane to the farmers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) A declining to Steady trend in the prices of Gur in the internal market has come to the notice of the Government.

(b) The figures of export of Gur during the year 1977-78 are not yet available. However, on the basis of the reports received from the various port offices of CCI&C, Shipping documents for about 428 ·225 tonnes of Gur have so far been passed. Statement giving the country-wise position is laid on the table of the House.

(c) All quota restrictions on the export of Gur have been removed and its export is now freely allowed. Government have also taken a decision to export 6 ·50 lakh tonnes of sugar during 1978. Moreover, NAFED has been asked to purchase Gur in the internal market to estabilise its price, so that the farmers get fair price on Gur as well as sugarcane.

STATEMENT

EXPORT OF OUR FROM INDIA

Qty. in Metric Tonnes

Country	Total Exports
1. Bahrein	11·054
2. Sultanate of Oman	102·059
3. Kuwait	13·320
4. Saudi Arabia	27·000
5. U. A. E.	44·210
6. Qatar	1·000
7. Ethopia	2·084
8. Fizzi	70·825
9. Singapore	9·500
10. U. K.	72·453
11. Canada	25·270
12. U. S. A.	51·650
	428·225

उचित दर की दुकानों के माध्यम से अशोधित 'रेपसीड' तेल की बिक्री

3307. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचे जा रहे अशोधित पीले रंग के 'रेपसीड' तेल की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से केवल परिष्कृत रेपसीड बेचा जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम में परिवर्तन

3308. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत में विदेशी पूंजी उनिवेश की सुविधा के लिए निगमित लाभ पर कम करों के पक्ष में अपने कर ढांचे के बाद विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में परिवर्तन करने वाली है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बारे में दिनांक 19 फरवरी, 1978 के साप्ताहिक 'न्यू एज' में 'यू० एस० मल्टी-नेशनल्स डिक्टेट टर्म्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है, और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) और (घ) सरकार ने भारत संयुक्त राज्य अमेरिका कारोबार परिषद् के संयुक्त राज्य अमेरिका (यू० एस०) अनुभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और 'न्यू ऐज में छपे दिनांक 19 फरवरी, 1978 के समाचार का अवलोकन किया है। सरकार की नीती यह है कि उच्च तकनीकी क्षेत्रों में तथा निर्यात प्रधान उद्यमों में और राष्ट्रीय हित को देखते हुए निधारित शर्तों पर चुने हुए मामलों में विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी।

TRANSACTION SETTLED WITH FOREIGN DELEGATIONS VISITED INDIAN ENGINEERING INDUSTRIAL FAIR

3309. **SHRI NATVERLAL B. PARMAR :** Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) the number and names of foreign trade delegations which visited Indian Engineering Industrial Fair;

(b) the balue of the transactions settled with foreign trade delegations; and

(c) the main commodities included in these transactions ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Delegations from 50 countries and representatives from 7 International Institutions visited the Indian Engineering Trade Fair held at New Delhi from 1-2-78 to 14-2-78. A statement showing the names of the countries and International Institutions represented is annexed.

(b) & (c) The orders booked by overseas visitors, including members of delegation, industrial classification wise, are as under :—

Industrial Classification	Value in Rs.
Welding	21,46,·000
Electronics/Instrumentation	5,000
Light Engineering	45,75,000
Air-conditioning/Refrigeration	57,10,000
Heavy Engineeing	40,00,000
Small Scale Industries	50,81,00
TOTAL	2,15,17,000

STATEMENT

1. COUNTRIES FROM WHICH VISITORS CAME TO I.E.T.F. 1978

1. Afganistan
2. Algeria
3. Australia
4. Austria
5. Bahrain
6. Bangladesh
7. Belgium

8. Canada
9. China
10. Czechoslovakia
11. Federal Republic of Germany
12. Ghana
13. Guyana
14. Hong Kong
15. Hungary
16. Indonesia
17. Iran
18. Iraq
19. Italy
20. Japan
21. Jordan
22. Korea, Republic of
23. Liberia
24. Malwai
25. Malaysia
26. Mexico
27. Mongolia
28. Nepal
29. Netherland
30. Nigeria
31. Oman, Sultanate of
32. Pakistan
33. Philippines
34. Qatar
35. Saudi Arabia
36. Singapore
37. Sri Lanka
38. Sudan
39. Switzerland
40. Syria
41. Tanzania
42. Thailand
43. Uganda
44. Union of Soviet Socialist Republic
45. United Arab Emirates
46. United Kingdom
47. United States of America
48. Venezuela
49. Yugoslavia
50. Zaire.

II. NAMES OF INSTITUTIONS REPRESENTED IN IETF 1978.

51. Asian Development Bank (Philippines)
52. Asian Productivity Organisation
53. International Bank for Reconstruction & Development (Washington, USA)
54. International Trade Centre (Switzerland)
55. UAE Development Bank (UAE)
56. United Nations Development Programme (Yugoslavia)
57. United Nations Industrial Development Organisation (Austria and Federal Republic of Germany)

सस्ते टेलीविजन सैटों पर उत्पादन शुल्क

3310. **श्री अहमद एम० पटेल**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सस्ते टेलीविजन सेटों पर उत्पादन शुल्क कम कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) और (ख) सस्ते टेलीविजन सेटों पर शुल्क की दर कम नहीं की गयी है। लेकिन, ऐसे सेटों पर अन्य सामान के साथ समान रूप से, वित्त विधयक, 1978 द्वारा लगाये गये मूल शल्क के 1/20 की दर पर विशेष उत्पादन शुल्क लगेगा।

5%शुल्क की रियायती दर एवं विशेष उत्पादन शुल्क का लाभ उठाने के लिये मूल्य सीमा, मल्टीचैनल सेटों के संबंध में 150 रुपये बढ़ा दी गयी है। यह, ऐसे सेटों के निर्माण की अपेक्षाकृत ऊंची लागत को हिसाब में लेकर किया गया है।

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल डिवीजन में चाय बागान उद्योग का विकास

3311. **श्री जगन्नाथ शर्मा**: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के गढ़वाल डिवीजन में चाय बागान उद्योग के विकास के लिये पर्याप्त क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में चाय उद्योग के विकास के लिये राज्य सरकार के परामर्श से सरकार कोई कदमे उठाना चाहती है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (ग) जी हां। चाय बोर्ड उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों यथा देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा गढ़वाल में बागानों के विकास के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है, प्रथम दृष्ट्या यह पता चला है कि इन क्षेत्रों में विस्तार की संभाव्यता विद्यमान है। 1973 में राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उनके द्वारा मिट्टी की संरचना, ऊंचाई, वर्षा आदि के आधार पर इन सभी

क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र के सम्बन्ध में अलग परियोजना रिपोर्ट चाय बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी। ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार ने 1977 में पर्वतीय क्षेत्रों में चाय के विकास के लिए, जिसमें चाय बोर्ड से बागान चाय मशीनों आदि के सम्बन्ध में सहायता-उपाय शामिल हैं, एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

जनरल करंसी वूलन्स एक्सपोर्टर्स कारपोरेशन लुधियाना द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

3312. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनरल करंसी वूलन्स एक्सपोर्टर्स कारपोरेशन, लुधियाना ने दिसम्बर 1977 में सोवियत रूस को बने हुए ऊनी वस्त्रों के निर्यात के बारे में उनको कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बग) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) यद्यपि ऊनी वस्त्रों के निर्यात हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम की मार्फत मार्गीकृत किये जाते हैं, तथापि सोवियत संघ के खरीदार भारत में ऐसे एकक चुनते हैं जिनसे वह यह माल खरीदेंगे। हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम ने सप्लाई आधार के विविधीकरण के प्रयास किये हैं। कुछ लघु क्षेत्र के एककों ने इस माल के निर्यात के उद्देश्य से सार्थ-संघ का भी गठन किया है।

सोया दुग्ध की स्वदेशी टेक्नोलोजी

3313. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 13 फरवरी, 1978 के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'सोया मिल्क मेकर आन परोल कमप्लेनिंग एबाउट नानकोआपरेटिव एटिट्युड टु वर्डस हिज प्रोजेक्ट आफ सोया मिल्क एंड अदर ग्रिवेंसिज' शीर्षक से प्रकाशित एक वैज्ञानिक के पत्र की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके अनुरोधों पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उस पर उचित निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) यह कहना सही नहीं है कि सरकार डा० कोठारी की सोया दूध की परियोजना के प्रति असहयोग का रूख अपनाये चली आ रही है। उनकी दरख्वास्त पर

सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सरकार ने, सोया-दूध को केन्द्रीय उत्पादनशुल्क से, 14 जनवरी, 1978 की अधिसूचना सं० 5/78 केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के द्वारा छूट दे दी है।

चाय का मूल्य कम करने के लिये कार्यवाही

3314. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;

(ग) खुले बाजार में चाय की कीमत कम करने में यह कदम कहां तक सहायक हुआ है ; और

(घ) खुले बाजार में चाय की कीमत कम करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या अन्य कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां।

(ख) चाय को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लाने का मुख्य प्रयोजन यह है कि सरकार जब कभी आवश्यक हो आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई कर सके।

(ग) चाय को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लाने से चाय की कीमतों में गिरावट आई। चाय का थोक मूल्य सूचकांक, जो 7 जनवरी, 1978 को समाप्त होने वाले सप्ताह में 199.9 से बढ़कर 4 फरवरी, 1978 को समाप्त होने वाले सप्ताह में 220.5 हो गया था, 25 फरवरी, 1978 को समाप्त होने वाले सप्ताह में घटकर 199.8 हो गया। देशीय बाजार में खुली चाय की उपलभ्यता की स्थिति में भी सुधार हुआ है।

(घ) इस उद्देश्य से सरकार ने कई उपाय किये हैं जिनमें चाय का उत्पादन बढ़ाना, चाय पर 5 रु० का निर्यात शुल्क लगाना, निर्यात करने के लिये दिए जाने वाले प्रोत्साहनों को समाप्त करना और सार्वजनिक नीलामियों के माध्यम से अधिक मात्रा में बिक्री करना शामिल हैं। जुलाई, 1977 से राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (एन० सी० सी० एफ०) तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) ने बहुत से केन्द्रों में निर्धारित फुटकर भाव पर लगभग 5 लाख कि० ग्रा० खुली चाय बेची है। देशीय बाजार में चाय के मूल्यों तथा उपलभ्यता पर लगातार नजर रखी जा रही है और जब कभी स्थिति की मांग होगी, अतिरिक्त उपाय किये जायेंगे।

उद्योगों का वित्त पोषण करने के लिए बैंक आफ बड़ौदा द्वारा जारी मार्गनिर्देशक सिद्धान्त

3315. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ बड़ौदा ने उद्योगों का वित्त पोषण करने के लिए क्या मार्गनिर्देशक सिद्धान्त जारी किए हैं तथा केन्द्रीय स्तर पर एजेन्टों, क्षेत्रीय प्रमुखों तथा मैनेजरों और कार्य-पालक बोर्ड को क्या अधिकार दिए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि एक विशेष जोन द्वारा सिफारिश किए गए प्रस्ताव कार्यपालक बोर्ड द्वारा स्वीकार किए जाने हैं ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जोन द्वारा सिफारिश किए गए कितने प्रस्तावों को अस्वीकार/कम किया गया ;

(घ) ऐसे कितने प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया जहां वसूली नहीं हो रही है ;

(ङ) उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा मार्गनिर्देशक सिद्धान्तों का उचित रूप से पालन किए बिना अग्रिम धन की अनुमति देने की परिपाटी को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(च) उच्च अधिकारियों के कहने पर ऋण देने की परिपाटी को संशोधित करने के लिए क्या प्रस्ताव हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) उद्योगों का वित्त पोषण करने के लिए बैंक आफ बड़ौदा द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर ऋण स्वीकृत करने के लिए प्रदत्त शक्तियों का स्पष्ट विवरण नीचे दिया गया है :—

(1) निदेशक बोर्ड	सम्पूर्ण शक्तियां
(2) प्रबंधक समिति :	50 लाख रुपये
नये ऋणों को स्वीकृति देने की शक्तियां ।	
वर्तमान ऋणों के पुनरीक्षण के लिए शक्तियां	सम्पूर्ण (उन्हीं शर्तों एवं निबंधनों के साथ)
(3) केन्द्रीय कार्यालय में परिचालक प्रबंधक	30 लाख रुपये
(4) जोनल समितियां	25 लाख रुपये
(5) जोनल प्रबंधक	20 लाख रुपये
(6) क्षेत्रीय प्रबंधक	12.50 लाख रुपये

वर्ग	(1)	(2)	(3)	(4)
सीमित जमानती ऋण	5 लाख	4 लाख	1.50 लाख	1 लाख
असुरक्षित ऋण	25,000	20,000	10,000	8,000

(ख), (ग) और (घ) बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सभी प्रस्तावों को, प्रत्येक के गुणावगुण के आधार पर अनुमोदित, संशोधित तथा अस्वीकृत किया जाता है।

(ङ) और (च) मुख्य कार्यालय से भेजी गयी निरीक्षण टीम द्वारा शाखाओं का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। वे (टीम) स्वीकृत किये गये ऋणों तथा बकाया ऋणों की वसूली के तरीके के बारे में रिपोर्ट देते हैं। बैंक के मुख्य कार्यालय द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट के अनुपालन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

WORLD BANK ASSISTANCE TO HIMACHAL PRADESH FOR APPLE ORCHARDS

3316. SHRI RAJ KESHAR SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the World Bank is giving grant to Himachal Pradesh for the Apple Orchards Development and Marketing project;

(b) the main features of this project and the details of physical targets fixed thereunder; and

(c) the details of physical/financial targets of the project achieved so far and the names of the places proposed to be brought under this project in the remaining period of the project ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) International Development Association, the soft lending affiliate of the World Bank, has given a credit of $13 million for Himachal Pradesh Apple Processing and Marketing Project.

(b) The project envisages construction/setting up of—

(i) 401 Km roads and 20 Km of cableways,

(ii) 6 packing houses and 4 grading houses,

(iii) 1 Processing plant, 5 cold storages and 1 Transhipment Centre,

(iv) Rehabilitation of Delhi Cold Storage,

(v) Technical assistance and training, and

(vi) Pilot project for mushroom cultivation on oakwood (Shitake cultivation)

(c) As in the Annex.

STATEMENT

Statement showing the items of work, financial/physical targets of the Project achieved so far and the names of the places proposed to be brought under the Project.

Item of work	Financial/physical targets of the Project achieved so far
1	2
(*i*) Road works	Expenditure till January, 1978 was Rs. 5·26 crores. Overall progress is about 74%.
Cableways .	Techno-economic feasibility report under preparation.
(*ii*) Packing Houses	Out of 6 Units of 5000 tonnes capacity each 5 Units at Patlikuhl, Bhuntar, Kotgarh, Oddi and Rohru/ Hatkoti, have already been acquired and another (Kotkhai) is likely to be acquired by the end of this month. Civil works of one packing house Partlikuhl have been completed.
Grading Houses	All 4 sites at Chindi, Chail Chowk, Tutupani and Raj garh have been acquired. These are of 1500 tonnes each and are expected to be operational before the next apple season. Project authorities and Himachal Pradesh Government have been requested to ensure this.
(*iii*) Processing Plant .	Site has already been acquired in the Industrial Estate at Parwanu (Solan District).

Item of work	Financial/Physical targets of the Project achieve so far
Cold Storages . .	Land has been acquired for 4 sites at Patlikuhl, Oddi,, Kotgarh and Rohru. Civil works and installation of equipments are under progress.
Transhipment Centre .	The Centre at Kundli in Delhi-Haryana border has already been completed and is functioning.
(*iv*) Rehabilitation of Delhi Cold Storage	Tenders have already been invited.
(*v*) Technical assistance and training	Expenditutre so far is Rs. 15·17 lakhs. Out of 51 manmonths of consultancy services. 23 manmonths have already been availed of.
(*vi*) Pilot Project for mushroom cultivation on oak wood (Shitake cultivation) . . .	Preliminary studies by Korean experts have shown good results.

2. The names of the places proposed to be brought under this project in the remaining period are: Kotgarh, Kotkhai, Rohru/Hatkoi, Oddi, Rajgarh Chail Chowk, Chindi and Tutupani (where packing and grading houses will be located). Himachal Pradesh Horticultural Produce Marketing & Processing Corporation proposes to set up one apple juice plant at Parwanu (Distt. Solan) The cold storages are to be set up at Patlikuhl, Oddi, Kotgarh, Kotkhai and Rohru/Hatkoti.

Construction of two air cooled storages, one each at Patlikuhl and Khadrala has been completed and these will be ready for operation during the coming apple marketing season.

लघु क्षेत्र की संसाधनों की आवश्यकताओं के लिये धन दिया जाना

3317. **श्री अधन सिंह ठाकुर:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने सावधि ऋण देने वाली एजेंसियों के रूप में अपनी भूमिका में कोई आमूल परिवर्तन लाने के बारे में अपनी आपत्ति वित्त मंत्रालय को सूचित की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार लघु क्षेत्र की संसाधनों की आवश्यकताओं के लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार करने का है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ऐसे प्रस्ताव जिनके लिये बैंक आफ बड़ौदा ने धन उपलब्ध किया है

3319. **श्री गोविन्द मुंडा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंक आफ बड़ौदा की संरचना क्या है, इसके निर्देशक मंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं, इसकी कुल शाखाएं कितनी हैं, तथा इसमें मैनेजर, अधिकारी और क्लर्कों के रूप में कुल कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में बैंक आफ बड़ौदा ने कितने नए प्रस्तावों के लिए वित्त की व्यवस्था की; उसने कितने प्रस्तावों को अस्वीकृत किया तथा कितने मामलों में तदर्थ वित्त अग्रिम दिया तथा इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक मामले में राशि क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) बैंक के कार्यों और व्यवसाय के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबन्ध की जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है। अध्यक्ष और प्रबन्धक निदेशक बैंक का मुख्य अधिकारी होता है और वह बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का उपयोग और सौंपे गए कार्यों को निर्वहन करता है। बैंक आफ बड़ौदा के निदेशक मंडल की वर्तमान रचना संलग्न अनुबन्ध में दी गयी है। बैंक आफ बड़ौदा के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक की सहायता। महाप्रबन्धक, 5 उप महाप्रबन्धक और 1 विधि सलाहकार द्वारा की जाती है।

31 दिसम्बर, 1977 को भारत में और विदेशों में, बैंक की शाखाओं की कुल संख्या 1266 थी।

30 जून, 1977 को बैंक में निम्नलिखित वर्गों के 20,970 कर्मचारी थे :—

प्रबन्धकीय	170
अधिकारी	4804
लिपिक	11,282
अधीनस्थ	5091
कुल	21,347

(ख) बैंक को प्राप्त ऋण आवेदन शाखा, क्षेत्र, केन्द्रीय कार्यालय अथवा निदेशक मंडल जैसे विभिन्न स्तरों पर मंजूर अथवा न मंजूर किये जाते हैं। निदेशक मंडल के नीचे के प्राधिकारी, बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा में प्रस्तावों को मंजूर करते हैं। एक वर्ष में बैंक को असंख्या आवेदन प्राप्त होते हैं और निपटाये जाते हैं और बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा जिन आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की गई उनकी संख्या का प्रगामी सांख्यिकीय रिकार्ड रखना बैंक के लिये कठिन होगा।

विवरण

बैंक आफ बड़ौदा के निदेशकों के नामों की सूची

क्रम सं०	नाम, पद और संक्षिप्त विवरण	नियुक्ति की तारीख	अवधि की समाप्ति की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री आर० सी० शाह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक आफ बड़ौदा, 8—बालचंद हीराचंद मार्ग, बम्बई 400001.	1-5-75	30-4-79

1	2	3	4
2.	श्री जितेन्द्र कुमार नारनभाई पटेल, (अहमदाबाद में गांधी रोड स्थित बैंक की शाखा में लिपिक) (बैंक के कामगर कर्मचारियों के प्रतिनिधि)	11-12-72	10-12-75 जब तक उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं होती वे कार्य करते रहेंगे)
3.	श्री आर० एम० देसाई, एजेन्ट, सूफी बौग शाखा, बैंक आफ़ बड़ौदा, सूरत (गुजरात), (बैंक के अधिकारी वर्ग के कर्मकारियों के प्रतिनिधि)	4-11-77	3-11-80
4.	श्री ई० बी० रीनबोथ, नं० 2 कैन्टोन्मेंट, जबलपुर 482001 (म० प्र०), (बैंक के जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले)	—तदैव—	—तदैव—
5.	श्री वी० के० लक्ष्मणन्, उपाध्यक्ष, दी० थुदियालर कोआपरेटिव, एग्रीकल्चरल सर्विसेज लिमिटेड, के० वरमादुराई, कोयम्बटूर 641017 (तमिलनाडू), (किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले)	—तदैव—	—तदैव—
6.	श्री कृपाल सिंह शेखावत, कलाकार, बी० 18 ए, शिव मार्ग, बनी पार्क, जयपुर 302006 (राजस्थान), (कारीगरों के प्रतिनिधि)	—तदैव—	—तदैव—
7.	श्री आनन्द एन० अमीन, अध्यक्ष, डूरा कैमिकल्स कारपोरेशन, (प्रा०) लि०, दूसरी मंजिल, आनन्द भवन, रीलीफ रोड, अहमदाबाद-38000 (गुजरात)	—तदैव—	—तदैव—
8.	श्री सी० सी० चोक्शी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, मैसर्स सी० सी० चोक्शी, एण्ड कं०, मफतलाल हाऊस, बैकबे रेक्लेमेशन, बम्बई-400020 (महाराष्ट्र)	4-11-77	3-11-80
9.	श्री चुन्नी लाल इन्दलिया, (अ० ज०), कृषि शास्त्री, गांव बछनू, तहसील नोखा, जिला : बीकानेर (राजस्थान)	—तदैव—	—तदैव—
10.	डा० वी० एस० व्यास, जी० एस० एफ० सी० कृषि प्रबंध के प्रोफेसर, भारतीय प्रबंध संस्थान, वस्त्रपुर, अहमदाबाद-380015 (गुजरात)	—तदैव—	—तदैव—
11.	श्री इब्राहम अशरफ, उद्योगपति (चमड़े के व्यापारी), दारूल मौला, 88/22, नल रोड, सीसामऊ, कानपुर (उ० प्र०)	30-12-77	29-12-80
12.	श्री आर० जनकीरमन, ज्वाइंट चीफ एकाउन्टेंट, लेखा तथा व्यय विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई ।	1-11-77	
13.	कुमारी कुसुमलता मित्तल, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।	20-4-76	

DIFFERENT RATES OF INTEREST CHARGED BY NATIONALISED BANKS FROM DIFFERENT COMMERCIAL ESTABLISHMENTS

†3321. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether nationalised banks charge interests on loans from different commercial establishments at different minimum rates; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b) The rates of interest charged by banks from their constituents are governed by the minimum and maximum lending rates fixed by the Reserve Bank of India. Banks are not permitted to charge a rate of interest below the minimum lending rate of 12·5% except in case of certain specified categories which have been exempted from the stipulation of minimum lending rate directive. Variations arise mainly due to the cost structure of banks, which differs from bank to bank depending upon the cost of establishment and the composition of their deposits and advances.

दुर्लभ वस्तु का निर्यात

3322. **श्री राज कृष्ण डान** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह घोषित नीति है कि हमारे देश की दुलर्भ वस्तु का आगे निर्यात नहीं किया जायेगा ;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि इस समय हमारे देश में पशुओं के लिए चारे (सरसों की खली) की कमी है ;

(ग) क्या सरकार तेल सामग्री की विभिन्न प्रतिशतता के वर्गीकरण की आड़ में पशुओं के लिए चारे (सरसों की खली) का अभी भी निर्यात कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की निर्यात की घोषित नीति और उसके कार्यान्वयन के बीच कोई असंगति है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) पशु चारे की आवश्यकता में हरे चारे, सूखे चारे तथा रातिब शामिल । केवल अच्छी किस्म के दुधारू पशुओं को रातिब (खली तथा भूसी आदि) खिलाना किफायती तथा लाभदायक होता है । खली का हमारा कुछ उत्पादन लगभग 50 लाख मी० टन है और अच्छी किस्म के पशुओं की घरेलू मांग से अधिक है । हमारी नीति घरेलू आवश्यकताओं से वेशी मात्रा की सीमा के अन्तर्गत ही खली के, जिसमें सरसों की खली शामिल है, नियंत्रित निर्यात की अनुमति देना है ।

(घ) जी नहीं ।

1973 और 1974 में हरियाणा के डाकघरों में बेनामी जमाकर्ता

3323. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 और 1974 के दौरान हरियाणा के डाकघरों में भारी राशि जमा करने के बारे में कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त डाकघरों में इस अवधि के दौरान कुल कितनी राशि जमा की गई ;

(ग) क्या सरकार ने जमाराशि की वास्तविकता की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और सरकार ने कितने मामलों में बेनामी जमाकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : (क) जी हां ।

(ख) 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के दौरान हरियाणा राज्य में डाकघर बचत बैंक की सकल जमा रकमें इस प्रकार थीं :—

(करोड़ रुपयों में पूर्णांकित)

1972–73 .	50
1973–74 . .	97
1974–75 . .	77

(ग) और (घ) डाकघर बचत बैंक में जमा के लिए पेश की गयी रकमों को तभी स्वीकार किया जाता है जब जमा के लिये संबंधित कार्य पद्धति पूरी कर दी जाती है । डाकघरों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे इस बात की जांच करें कि जमाकर्ता बेनामी है अथवा नहीं । इस मामले की जांच आय-कर विभाग कर रहा है ; जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

TOTAL AMOUNT OF BLACKMONEY

3324. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total number of blackmoney in the country at present according to official estimates;

(b) whether existence of black money creates a dangerous parallel economy;

(c) whether Government propose to formulate a time-bound programme to eliminate this evil and if so, when; and

(d) whether Government propose to carry out raids in underground vaults and bank lockers to recover gold, silver, diamonds and other valuables on the line of demonetisation of currency notes and if so, by what time and if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) No precise estimate is possible of the quantum of "Black money" in the country. The Direct Taxes Enquiry Committee (the Wancho Committee) estimated the income undisclosed to income-tax, authorities at a figure of Rs. 1,400 crores for the year 1968-69. The Government has not attempted to make any estimate of black money.

(b) Black money is unquestionably an evil. However, Government does not believe that black money has created a parallel economy in the country.

(c) & (d) The process of unearthing black money is a continuous one. Several steps have already been taken in this regard. The Taxation Laws (Amendment) Act, 1975 introduced a number of amendments in the tax statutes to facilitate unearthing of black money and check its proliferation. The smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 provides for the forfeiture of illegally acquired properties of smugglers and foreign exchange manipulators.

Search and seizure operation under section 132 of the Income tax Act 1961 and Section 37A of the Wealth Tax Act are also carried out wherever warranted. These and other measures will continue to be in operation. There can be no time limit as to the operation of such measures.

REPORT OF THE JHA COMMITTEE ON INDIRECT TAXES

3325. DR. VASANT KUMAR PANDIT : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Government have received the interim and final report of the L. K. Jha Committee on Indirect and Direct taxation enquiry;

(b) if so, what are their main suggestions regarding (i) reforms in direct and indirect taxes, (ii) distribution of expenditure on rural and urban sectors, (iii) suggestions regarding excise levies on consumer's items, (iv) rationalisation of duties on inputs of agricultural and essential production (v) sales tax and other vital fiscal policies; and

(c) what steps the Government propose to take on these suggestions ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): (a) The full Report (interim and final) of the Jha Committee relating to Indirect Taxes has been received by the Government.

(b) Part I of the Report of the Committee, which contains, in a condensed form, the main conclusions and recommendations of the Committee, has already been laid on the Table of the House on the 16th December, 1977. Hon'ble Member may kindly refer to this volume for knowing the suggestions of the Committee on the specific points raised by him.

(c) As already indicated in the Budget speech of the Finance Minister on 28-2-1978, the Government is presently examining the Report and it is, therefore, too early to indicate the decisions of the Government on the suggestions of the Committee specified in part (b) of the Question.

तस्करी रोकने के उपाय

3326. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात-स्थिति के पहले वर्षों–1976-77 और 1975-76 --की तुलना में पूरे वर्ष 1977-78 में तस्करी की गतिविधियों में लगातार कमी नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) तस्करी की बुराई को प्रभावशाली ढंग से और उत्तरोत्तर रोकने के लिए सरकार क्या निरन्तर कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) क्या सरकार ने सीमाशुल्क निरीक्षण दस्तों और नोकाओं तथा इस प्रकार के अन्य उपकरणों में सुधार करने और सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त धन-राशि खर्च की है और यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) जी हां। पूर्ववर्ती 1975-76 और 1976-77 वर्षों की तुलना में 1977-78 के दौरान (जनवरी, 1978 तक) तस्करी में कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी है। इसका पता इससे चलता है कि सी० शु० अधिकारियों द्वारा पकड़े गये माल की मात्रा में कमी हुई है, विदेशों से स्वदेश आने वाली रकमों में तेजी से वृद्धि हुई है, विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये की विनिमय दर मजबूत हुई है और देश में प्रमुख बाजारों में तस्करी का माल नहीं मिलता है।

(ग) तस्करी पर नियंत्रण पाने के लिये, तस्करी निवारक उपायों को सुदृढ़ किया गया है। इन उपायों में निवारक और गुप्त सूचना संग्रह तन्त्र को सुदृढ़ करना और आयात की अनुमति देकर और तस्करी के लिए आकर्षक कतिपय मदों के सम्बन्ध में सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में कमी करने/समाप्त करने जैसे आर्थिक उपाय करना सम्मिलित हैं।

(घ) जनवरी, 1977 से फरवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान सीमा शुल्क निवारक कर्मचारियों पर 19,60,168 रुपये और तस्करी निवारक उपस्करों पर 94,93,104 रु० का अतिरिक्त खर्च किया गया था।

बेरोजगार युवकों को वित्तीय सहायता

3327. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई महीने पहले जब जनता सरकार की घोषित नीति के अनुसार उन के स्वनियोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध न किये जाने के कारण हमारे बेरोजगार युवक बैचेन हो रहे हैं ; और

(ख) क्या मंत्री महोदय इस सभा को बतायेंगे कि उन बेरोजगारों युवकों को बैंकों अथवा सरकार से इस प्रकार की वित्तीय सहायता कब तक मिल जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नीति के अनुरूप, बैंकों द्वारा बेरोजगार युवकों को आर्थिक क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर रियायती ब्याज दरों पर ऋण दिया जाता रहा है। हाल ही में, उद्योग मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एककों में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक केन्द्रीय योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा उन एककों के लिए जिसमें प्लांट तथा मशीनरी पर 1 लाख रुपये से अधिक निवेश नहीं होना है मार्जिन राशि के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी। बैंक इन एककों की ऋण संबंधी मांगों को पूरा करेंगे। इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वित होने पर देश के बेरोजगार युवकों की ऋण संबंधी मांगे काफी हद तक पूरी हो जाएंगी।

त्रिपुरा में चाय की उत्पादिता में सुधार

3328. **श्री चित्त बसु** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में चाय की प्रति हैक्टर पैदावार देश में इसकी पैदावार की तुलना में सबसे कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी उत्पादिता में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) चाय बोर्ड विविध तरीकों से चाय उद्योग की सहायता के लिये सतत प्रयत्नशील है। तीन प्रमुख सतत विकासात्मक योजनाओं अर्थात् चाय पुनर्रोपण वित्त योजना, चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपस्कर किराया खरीद योजना और पुनर्रोपण उपदान योजना के अन्तर्गत बोर्ड की सहायता त्रिपुरा चाय उद्योग को उपलब्ध है। गवेषणा के लाभों का विस्तार करके तथा अन्य सहायता प्रदान करके योजनाओं के और अधिक उदारीकरण पर राज्य सरकारों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है। चाय गवेषणा संघ इस बात के लिये भी सहमत हो गया है कि जब तक त्रिपुरा में गवेषणा के लिये एक उप-केन्द्र स्थापित नहीं हो जाता, तब तक वह अपने सिल्चर कार्यालय द्वारा त्रिपुरा में चाय बागानों को सलाहकार सेवायें प्रदान करेगा।

अनियमितताओं के कारण सहकारी समितियों का निलम्बन

3329. **श्री प्रद्युम्न बल** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 22 फरवरी, 1978 के 'नवभारत टाइम्स' में "सस्ते कपड़े की बिक्री में एक बड़ा घोटाला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) अनियमितताओं के कारण अब तक किस-किस और कितनी सहकारी समितियों को निलम्बित किया गया है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि नियंत्रित सस्ता कपड़ा वास्तव में गरीब लोगों और जरूरतमंद लोगों को मिले ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार) : गोयल) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने नीचे दिये दिल्ली के 16 सहकारी भण्डारों के बारे में नियंत्रित कपड़ा बेचने का अधिकार स्थगित कर दया है :—

(1) सदाचार कोआपरेटिव कंज्यूमर्स स्टोर लि०,

(2) गुडविल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लि०,

(3) रोशनारा कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लि०,

(4) भगवान नगर कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लि०,

(5) वसन्त विहार कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लि०,

(6) पाल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लि०,

(7) पहाड़गंज फेयरडील कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लि०,

(8) स्टेंडर्ड कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लि०,

(9) वैस्ट देहली कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लि०,

(10) अशोका कोआपरेटिव एम० पी० सोसायटी लि०,

(11) गोधा कोआपरेटिव एम० पी० सोसायटी लि०,

(12) कमल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लि०,

(13) पहाड़ी धीरज कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लि०,

(14) उपकार कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लि०,

(15) लक्ष्मी महिला कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लि०,

(16) कांटीनेंटल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लि०,

(ग) दिल्ली में नियंत्रित कपड़ा बेचने के लिये अधिकृत सभी दुकानों को इस समय निम्नलिखित विनियमों का पालन करना होता है :—

(i) नियंत्रित कपड़े की बिक्री केवल खाद्य कार्डों पर की जाती है ।

(ii) उपभोक्ता के खाद्य कार्ड में नियंत्रित कपड़े की खरीद की प्रविष्टि की जाती है ।

(iii) खाद्य कार्डधारी एक पंचांग मांस में एक जोड़ा धोती/साड़ी या 10 मीटर नियंत्रित कपड़ा खरीद सकता है ।

(iv) कैश मेमो में खरीदने वाले का पूरा नाम और पता, उसके खाद्य कार्ड की संख्या और उचित दर की दुकान की संख्या लिखनी होती है ।

(v) इस प्रकार के सभी कैश मेमों पर रबड़ की मोहर लगाई जायेगी जिसमें लिखा होगा कि यह नियंत्रित कपड़ा "पुनः" बिक्री के लिये नहीं है ।

(vi) नियंत्रित कपड़े की दुकान का स्वामी खाद्य तथा सम्भरण विभाग के केवल उसी मंडल के खाद्य कार्डधारियों को नियंत्रित कपड़ा बेच सकता है जहां उनकी दुकान स्थित है। तथापि सुपर बाजार, कनाट प्लेस और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड, रायसीना रोड, बड़े भण्डार होने के नाते किसी भी कार्ड-धारी को उपर्युक्त मात्रा तक नियंत्रित कपड़ा बेच सकते हैं।

दिल्ली प्रशासन से राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को जारी किये गये निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन करने का अनुरोध भी किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियंत्रित कपड़े की बिक्री केवल निर्धनों तथा जरूरत मंद लोगों को ही की जाए :—

(क) ग्रामीण इलाकों में नियंत्रित कपड़े की बिक्री केवल ऐसे छोटे किसानों तक ही सीमित रखी जाये जिनके पास 2 हैक्टेयर (5 एकड़) तक जोत है।

(ख) शहरी क्षेत्रों में, नियंत्रित कपड़े की बिक्री आयकर न देने वाले लोगों तक सीमित रखी जाए।

CONSTITUTION OF OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION COMMITTEE

3330. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Official Language Implementation Committee has been constituted in his Ministry/Department;

(b) if so, the dates on which its meetings were held in 1977 and the decisions taken in each meeting;

(c) the number of decisions, out of them, which have been fully implemented; and

(d) the reasons for delay in regard to the decisions which have not been fully implemented ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a), (b), (c) & (d) Yes Sir, in order to review the implementation of the Government policies and orders regarding the use of Hindi for official purposes in the Ministry, an Official languages implementation Committee has already been set up in the Ministry of Tourism & Civil Aviation. In 1977, this Committee held its meeting on 28th October, 1977, the minutes whereof are enclosed (Appendix X), [Placed in the Library. See No. LT—1832/78]

It will be seen that from the very nature of the decisions taken in this meeting, their implementation is a continuous process and it will take time before an assessment can be made of the measure of progress achieved. Instructions have, however, been issued to all concerned to ensure effective implementation of the decisions taken in the meeting.

INQUIRY INTO SMUGGLING OF DIAMONDS AND JEWELLERY

3331. SHRI MADHAV PRASAD TRIPATHI
CHAUDHURY RAM GOPAL SINGH } : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in a weekly "Panchjanya" dated the 4th September, 1977 reporting smuggling of Diamonds and Jewellery worth Rs. 60 lakhs and also involvement of many Government Officers therein: and

(b) Whether it is a fact that Government have not conducted any inquiry into the matter because Government officers were involved in the smuggling and if so, whether Government will now conduct an enquiry into this matter and if any inquiry was conducted the customs thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) & (b) The Government is aware of the news item. Diamonds worth Rs. 58 lakhs were seized at Palam airport on 19/20th August, 1976. Inquiries revealed that the diamonds were being attempted to be smuggled out of India. The diamonds have been confiscated. Prosecution has been launched against persons involved in this case. Prosecution has also been launched separately against a Customs Officer. Departmental proceedings are contemplated against some more Customs Officers.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों और उद्यमकर्ताओं को दिये गये ऋण पर ब्याज कम किया जाना

3332. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों और उद्यमकर्ताओं को दिये गए ऋण पर ब्याज कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ताकि वे अपने व्यापार में सुधार कर सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को मंजूर किये गये निर्धारित राशि तक के ऋण की भारतीय रिजर्व बैंक के ब्याज की न्यूनतम 12.5 प्रतिशत की दर के निदेश से मुक्त है क्योंकि वे उपेक्षित क्षेत्रों का अंग है। तदनुसार बैंक पात्र मामलों में, ऐसे ऋणकर्त्ताओं को ब्याज की न्यूनतम दर से कम दरों पर ऋण देते हैं। अन्य मामलों में अधिकतम 15 प्रतिशत की सीमा लागू होती है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में निर्धारित किया है। अलबत्ता, बैंकों को सलाह दी गई है कि आर्थिक विकास के हित में, जमाओं पर ब्याज की घटाई गई दरों और ब्याज कर की समाप्ति का लाभ अपने ऋण कर्त्ताओं को दें।

INVESTMENT IN INDIA BY ECONOMIC AND TRADE ORGANISATION OF U.S.S.R.

3333. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) Whether the Economic and Trade Organisation of U.S.S.R. offered to invest capital in certain industries of the country during 1977; and

(b) if so, the full details thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b) There was no specific offer by any Soviet authority to invest capital in certain

industries in India during 1977. However, in April 1977 the Soviet Government extended a credit of Roubles 250 million to the Government of India to be utilised for the development of the ferrous metallurgical industry, for coal mining projects in the Raniganj and Singrauli areas and for such other projects as may be mutually agreed upon between the two Governments. Proposals for the utilization of this credit are still under consideration. In October 1977 the Soviet Government agreed to cooperate in the construction of an alumina plant in Andhra Pradesh to be financed on a compensation basis. This proposal is also receiving further consideration.

एफ०ई०आर० ए० अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी साम्य पूंजी को कम करना

3334. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी विदेशी कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने एफ० ई० आर० ए० के अधीन उपबन्धों के अनुसार अपनी साम्य पूंजी को कम करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) कितनी कम्पनियों ने अभी तक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया/ऐसा करना स्वीकार नहीं किया ; और

(ग) ऐसी कम्पनियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) अब तक 275 कम्पनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 की धारा 29 (2) के अधीन दिये गये निदेशों के अनुसार साम्य पूंजी (इक्विटी) को कम करने के प्रस्ताव पेश किये हैं ।

(ख) यद्यपि किसी भी कम्पनी ने विदेशी मुद्रा अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निदेश का पालन करने से इन्कार नहीं किया है तथापि कम्पनियों से पक्के प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने वाले निदेश कानूनी किस्म के होते हैं और इनका पालन न करने पर अधिनियम के दंडात्मक उपबंध लाग हो जायेंगे ।

राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम/परियोजना उपकरण निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण

3335. **श्री शिव सम्पत्ति राम** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पुर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय के ज्ञापन संख्या 5/1/63-एस० सी० टी० (1) दिनांक 4 मार्च, 1964 में राज्य व्यापार निगम आदि जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन सेवाओं में अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/2/71-एस्ट (एस० टी० सी०) दिनांक 27 नवम्बर, 1972 में वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गई है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1965 में राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम और परियोजना उपकरण निगम आदि में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी तथा उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी ; और

(घ) 1965 से 31 दिसम्बर, 1977 तक उपर्युक्त निगमों में कितने कर्मचारी भर्ती किए गए तथा पदोन्नत किए गए तथा कुल कर्मचारियों की तुलना में प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हिस्से का अनुपात क्या है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

PURCHASE OF COMMODITIES BY SUPER BAZAR FROM INTERMEDIARIES INSTEAD OF MANUFACTURERS

3336. SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to State whether the commodities sold in the Super Bazar run by the Cooperative Stores Limited Delhi are purchased from intermediaries instead of being purchased direct from the manufacturers as a result of which the consumers have to pay higher prices and the Super Bazar is also suffering loss ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : The Cooperative Store Ltd., (Super Bazar) Delhi generally makes purchases of manufactured articles directly from the manufacturers of their authorised agents. In respect of agricultural commodities like pulses, rice, sugar, etc., these are procured from the National level cooperative organisations wherever possible and from the commission agents/wholesalers, at favourable rates. The Super Bazar is not suffering loss on this account. The retail prices of articles sold are usually lower than those prevailing in the open market.

औद्योगिक विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता

3337. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने भारत में कम विकसित राज्यों के औद्योगिक विकास में सहायता देने के लिए 250 लाख डालर का ऋण देना मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मांगी गई सहायता से सहायता देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया गया है; और

(ग) उन विभिन्न राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें सहायता पाने वाले उद्योग स्थित हैं तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) विश्व बैंक ने भारत सरकार को सरकारी और संयुक्त क्षेत्र की मध्यम दर्जे की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक वस्तुओं और

सेवाओं के विदेशी मुद्रा के खर्च की व्यवस्था करने के लिए 250 लाख अमेरिकी डालर का ऋण दिया है। यह ऋण सहायता केवल कम-विकसित राज्यों में स्थित परियोजनाओं तक ही सीमित नहीं है।

(ख) यह ऋण सहायता विनिर्माण, कृषि उद्योग और खनन विकास उद्यम क्षेत्रों के लिए दी जाएगी।

(ग) इस ऋण के अन्तर्गत सहायता देने के लिए अभी तक कोई विशिष्ट परियोजनाएं निर्धारित नहीं की गई हैं। जैसा कि इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है किसी भी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में स्थित सरकारी और संयुक्त क्षेत्र की परियोनाएं इस ऋण के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं।

CONTROL ON PRICES OF COMMODITIES

3338. SHRIMATI CHANDRAVATI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the prices of the commodities are controlled by Government or big wholesale traders and the role played therein by middle class and small traders;

(b) whether Government have any role therein;

(c) if so, why the prices fall at the time of new crops and increase as soon as the stocks reach the traders; and

(d) whether the prices of finished goods also fall in any season or it is only the prices of raw material which fall when these goods are in the stock of the producer ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b) : Government exercises control over a few essential commodities so as to make them available to consumers at reasonable prices. Moreover, market intervention by public agencies such as NAFED and NCCF helps in restraining profit margins. Anti-social activities are also checked through action taken under the Essential Commodities Act, etc.

(c) Fall in prices of agricultural commodities at the time of the harvest, and a rise later on, are normal phenomena arising from the fact that output from the fields comes into the market at specific points of time and has to be stored for use throughout the year. There are also wide fluctuations in output from year to year leading to situations which can be exploited for the purpose of raising prices.

(d) Normally, a fall in prices of raw materials leads to a fall in the price of the corresponding manufactured product, For example, over the past year, oil-seed prices declined by 15·5 per cent and those of edible oils by about 13 per cent.

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा संदिग्ध तरीकों से अतिरिक्त लाभ कमाया जाना

3339. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने संदिग्ध तरीकों से अपने उत्पादों के मूल्य बढ़ा कर अतिरिक्त लाभ कमाया है;

(ख) क्या यह सच है कि कम्पनी ने अपने वितरकों का कमीशन 3 प्रतिशत से घटा कर 2 प्रतिशत कर दी थी और वितरकों से कहा था कि कम किए गए 1 प्रतिशत की उपभोक्ताओं के लिए अपने उत्पादों के मूल्य में जोड़ दें; और

(ग) क्या इस निर्णय के परिणामस्वरूप खुदरा मूल्य अपने-आप एक प्रतिशत बढ़ गए और कम्पनी ने एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ अर्जित किया ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) जी, नहीं। सरकार किसी फर्म के निजी कार्यचालन में उस समय तक हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि उसने नियमों व विनियमों का उल्लंघन न किया हो।

(ख) उपर्युक्त (क) के विषय में, सरकार के पास इस प्रकार की या दूसरी कोई सूचना नहीं है।

(ग) वितरकों के कमीशन में 1 प्रतिशत की कमी करने से 100 करोड़ रुपए के कारबारी मूल्य में एक करोड़ रुपए का अतिरिक्त सकल लाभ होगा। परन्तु वास्तविक सकल लाभ बहुत सी अन्य बातों पर निर्भर करेगा। मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के बैलैंस शीट के अनुसार उनकी कुल बिक्री 1972 में 140.44 करोड़ रुपए, 1973 में 132.68 करोड़ रुपए और 1974 में 145·12 करोड़ रुपए थी। कर से पहले का लाभ 1972 में 9.69 करोड़ रुपए से कम होकर 1973 में 9.23 करोड़ रुपये तथा 1974 में और मामूली कम होकर 9.22 करोड़ रुपए रह गया था।

भारत मलएशियाई व्यापार समझौता

3340. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में भारत मलएशियाई व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एग्री-एक्सपो-77 प्रदर्शनी में अनियमितताएं, कदाचार और उस पर व्यय

3341. **डा० भगवान दास राठौर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एग्री-एक्सपो 1977 पर वास्तव में कुल कितनी धनराशि खर्च हुई और क्या उसके आयोजन पर इतनी अधिक धनराशि खर्च करना न्यायासंगत था;

(ख) क्या एग्री-एक्सपो 1977 का आयोजन करने में भारी अनियमितताएं तथा कदाचार किए गए; और

(ग) इसको आयोजित करने के आधार क्या हैं तथा क्या व्यय का स्वरूपवार और उद्देश्यवार ब्यौरा सभापटल पर रखा जाएगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) एग्री-एक्सपो 1977 के आयोजन के लिए भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा किया गया खर्च लगभग 75.44 लाख रु० था तथा वह रचित था।

(ख) जी नहीं। वाणिज्य मन्त्रालय के नोटिस में कोई बात नहीं आई है।

(ग) एग्री-एक्सपो 1977 के आयोजन के आधार ये थे :

(1) स्वतन्त्रता के बाद से कृषि तथा सम्बद्ध उत्पादों के क्षेत्र में प्राप्त प्रगति के बारे में जानकारी का प्रचा ;

2) कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग में प्रगति के उपायों का पता लगाना;

(3) उपभोक्ता तथा अन्य माल की ग्रामीण मांग से भारतीय विनिर्माताओं को अवगत करना।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा किए गए खर्च दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

	लाख रु० प्रारम्भिक वास्तविक आंकड़े
1. निर्माण कार्य, जिसमें बिजली का कार्य तथा बागवानी का कार्य शामिल है।	39.23 (अनुमानित)
2. बिजली तथा जल खर्च	6.52 (अनुमानित)
3. प्रचार खर्च (जिसमें रंगीन फिल्म, मेला सम्बन्धी साहित्य तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है।	13.36
4. कृषि दर्शन कार्यक्रम	1.54
5. बैग गाड़ी कार्यक्रम . . .	0.65
6. पशु पालन	0.50
7. अन्य विविध खर्च जिसमें प्रोजेक्ट स्टाफ, आकस्मिक खर्च, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सजावट संबंधी व्यय आदि .	13.64 (अनुमानित)
कुल :	75.44 लाख रु०

विदेशी कम्पनियों द्वारा स्वदेश धन भेजे जाने के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया का निर्णय

3342. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने उन विदेशी कम्पनियों द्वारा स्वदेश धन भेजे जाने पर रोक लगाने का निर्णय किया है जिनके विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्ध के अधीन अंश पूंजी को भारतीयकरण सम्बन्धी प्रस्ताव की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गयी है।

(ख) क्या यह सच है कि यह प्रतिबन्ध चयन की गई केवल कुछ कम्पनियों पर लागू होगा जिसके बारे में गुण दोष के आधार पर निर्णय किया जाएगा।

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या किसी ऐसी कम्पनी द्वारा स्वदेश धन भेजे जाने पर अब तक प्रतिबन्ध लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग) और (ङ) विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभांशों और लाभों की राशि स्वदेश भेजने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन जहां कम्पनियों ने भारतीयकरण या विदेशी इक्विटी को कम करने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं किया है या इस सम्बन्ध में प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं, वहां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों द्वारा लाभों और लाभांशों की राशि स्वदेश भेजने पर रोक लगाने का निश्चय किया गया है। यह नीति समान रूप से लागू की जा रही है, और ऐसी कम्पनियों की एक सूची संलग्न है जिनके मामले में राशियां स्वदेश भेजने पर रोक लगाई गई है। उन कम्पनियों के मामले में जिन्होंने भारतीयकरण या शेयरधारिता को कम करने के लिए ठोस प्रस्ताव पेश किए हैं, कैलेण्डर वर्ष 1975 अथवा कम्पनी के लेखा वर्ष 1975–76 तक लाभों और लाभांशों की राशि को स्वदेश भेजने की मंजूरी दी जा रही है। कैलेण्डर वर्ष 1976 या लेखा वर्ष 1976-77 के आगे के वर्षों के लिए लाभांशों और लाभों की राशियां बाहर भेजे जाने पर रिजर्व बैंक तब तक रोक लगाए रखेगा जब तक भारतीयकरण या शेयरधारिता को कम करने के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाते।

विवरण

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत उन कम्पनियों की सूची जिनके लाभों और लाभांशों को बाहर भेजने से सम्बन्धित आवेदन पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीयकरण या विदेशी शेयरों में कमी करने के प्रस्तावों पर सरकार की मंजूरी तक रोके गए हैं।

(23 फरवरी, 1978 को स्थिति)

क्रम संख्या	कम्पनियों का नाम
	(क) स्टर्लिंग चाय कम्पनियां
1.	ब्रे ऐण्ड चिंगूर टी एस्टेट्स
2.	स्काटिश असम टी कम्पनी
3.	सालोनह टी कम्पनी

4. हरगुत्ती टी कम्पनी
5. देजू टी कम्पनी
6. ब्रिटिश इंडियन टी कम्पनी
7. रूपाजुली टी कम्पनी
8. थनाई टी कम्पनी
9. असम एस्टेट्स लिमिटेड
10. अपर असम टी कम्पनी
11. ग्रीनवुड टी कम्पनी
12. असम कम्पनी लिमिटेड
13. बोरडूवी टी कम्पनी
14. कोरामोरें टी कम्पनी
15. मद्रास टी एस्टेट्स
16. असम फ्रंटियर टी कम्पनी
17. दि इटाखोली टी कम्पनी
18. मोआवंद टी कम्पनी
19. बोरेली टी कम्पनी
20. टिंगरी टी कम्पनी
21. बोराई टी कम्पनी
22. मजूली टी कम्पनी
23. राजभाई टी कम्पनी
24. हलीम टी कम्पनी
25. कूमसांग टी कम्पनी
26. राजाह अली टी एस्टेट्स
27. वारगंग टी कम्पनी
28. कोआपरेटिव होलसेल सोसाइटी लिमिटेड
29. स्टानमोरे अनामल्लाई एस्टेट्स लिमिटेड
30. मलयालम प्लांटेशन्स लिमिटेड

(ख) अन्य कम्पनियां

1. कोलगेट पामोलिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2. बीचम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3. फूड स्पेशलिस्ट लिमिटेड
4. हिन्दुस्तान मिल्क फूड मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड, नई दिल्ली
5. चेलपार्क कम्पनी लिमिटेड
6. लिपिटन लिमिटेड
7. आई० आर० सी० स्टील्स लिमिटेड, कलकत्ता
8. इयरे स्मैलटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता
9. गौडफ्रे फिलिप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई
10. रोड मशीन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता

11. सेसा गोवा लिमिटेड
12. लन्दन रबड़, कम्पनी इंडिया लिमिटेड
13. मिंगाव प्राइवेट लिमिटेड
14. इनार्को लिमिटेड
15. इंडियन कार्ड क्लेक्लोसिंग
16. सिंगर स्विंग मशीन कम्पनी
17. एस० ए० ई० (इंडिया) लिमिटेड

एयर इंडिया द्वारा "समकालीन भारतीय कलाकृतियों का संचय"

3343. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया "समकालीन भारतीय कलाकृतियों का संचय" करती है;

(ख) यदि हां, तो एयर इंडिया में इस काम के लिए क्या संगठनात्मक व्यवस्था है और उस पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) "समकालीन भारतीय कलाकृतियों का संचय" एयर इंडिया के संभवत: किस काम आता है ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) आर्ट गैलरियों में हुई विभिन्न प्रदर्शिनियों में जाकर चित्रों (पेन्टिंग्स) का चुनाव एक समिति द्वारा किया जाता जिसमें एयर इंडिया के वाणिज्य प्रबन्धक (प्रचार), तथा उनके साथ आर्ट स्टूडियो के एक वरिष्ठ कलाकार और एक प्रचार अधिकारी सम्मिलित होते हैं। एयर इंडिया ने अब तक लगभग 11.52 लाख रुपये की कुल लागत से 1432 चित्र (पेन्टिंग्स) खरीदे हैं।

(ग) ये पेंटिंग्स मुख्यतया एयर इंडिया के भारत में तथा विदेशों में स्थित कार्यालयों में प्रयोग के लिए होती हैं। पेंटिंग्स का मुख्यातय: सजावट और प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य भारतीय कला और संस्कृति में रुचि पैदा करना और भारत के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना होता है।

पुरानी क्षेत्रीय फिल्मों के प्रिंटों की उत्पादन शुल्क से मुक्ति

3344. **श्री के० राम मूर्ति :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरानी क्षेत्रीय फिल्मों के प्रिंटों को उत्पादन-शुल्क से उन्मुक्त करने के मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) सरकार ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के इस आशय के अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की है कि पुराने चलचित्रों पर उत्पाद-शुल्क लगाये जाने के बाद से फिल्मों की बिक्री कम हो गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) वर्ष 1978 के बजट में, ऐसे कथा चित्रों के प्रिंटों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दरों में कमी की गई है, जिनकी

निकासी सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्म के प्रथम विमोचन की तारीख से 12 महीने के बाद देश में ही उपयोग के लिए की गई हो। इनके ब्यौरे वित्त विधेयक, 1978 के उपबन्धों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में विहित हैं, जो 28 फरवरी, 1978 को लोक सभा में वित्त विधेयक, 1978 पेश करते समय प्रस्तुत किया गया था।

(ख) जैसा भाग (क) के उत्तर में सकेत किया गया है, पुरानी फिल्मों के रीप्रिटों पर 1978 के बजट में शुल्क से पर्याप्त राहत दी गई है। परन्तु, जैसा हिन्दुतान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा अपने 29 अक्तूबर 1977 के पत्र में सुझाव दिया गया था, ऐसी फिल्मों पर उत्पादन-शुल्क पूर्णत: समाप्त करना सरकार के लिए सम्भव नहीं हो पाया है।

और अधिक हवाई अड्डों पर सेवा उपलब्ध कराने के लिये और अधिक एयर-बसें

3345. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **पर्यटन** और **नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 5 और हवाई अड्डों पर विमान सेवा उपलब्ध कराने के लिए और अधिक एयर-बसें चलाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) एयर-बस से सरकार को कितनी सहायता मिली है;

(घ) यह सेवा किन-किन हवाई अड्डों पर आरम्भ की जायेगी; और

(ङ) अब तक चलाई गई एयर-बसों में से प्रत्येक से कुल कितनी आय हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), और (ग) : निम्नलिखित विमान क्षेत्रों को अगले पांच वर्षों में एयर-बस के परिचालन के लिये क्रमिक रूप में उपयुक्त बनाने का प्रस्ताव है :—

(क) हैदराबाद

(ख) त्रिवेन्द्रम

(ग) गोवा (डेबोलिम)

(घ) श्री नगर

(ङ) गौहाटी

(ग) एयर-बस के परिचालन से इन्डियन एयरलाइन्स को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने, और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने तथा परिचालन लागत में कमी करने में सहायता मिली है।

(ङ) सूचना विमान के प्रकार के हिसाब से रखी जाती है विमान के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से नहीं। नवम्बर 1976 और जनवरी 1978 के बीच एयर-बस के बेड़े से हुई कुल आय (यातायात राजस्व) लगभग 50 करोड़ रुपये थी।

दफ्तरियों की चयन ग्रेड में पदोन्नति के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत

3346. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मन्त्रालय में कार्यरत ऐसे दफ्तरियों की संख्या कितनी है जिन्हें गत दो वर्षों में चयन ग्रेड में पदोन्नत किया गया;

(ख) पदोन्नति से पूर्व उन्हें कितना वेतन मिल रहा था तथा उनकी पदोन्नति के बाद प्रत्येक का कितना वेतन निर्धारित किया गया तथा उनकी पदोन्नति के पश्चात् उन्हें कितना वित्तीय लाभ हुआ; और

(ग) क्या ऐसी पदोन्नतियों के बारे में मन्त्रालय ने अन्य मन्त्रालयों/विभागों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं और यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) पिछले 2 वर्षों में वित्त मन्त्रालय के सचिवालय में 11 दफ्तरियों को सलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत किया गया है।

(ख) 7 दफ्तरियों को उनकी पदोन्नति के तुरन्त बाद कोई वित्तीय लाभ नहीं हुआ, लेकिन दीर्घावधि में उन्हें वित्तीय लाभ होगा। बाकी के 4 दफ्तरियों के मामले में पदोन्नति से पूर्व उन्हें कितना वेतन मिल रहा था, उनकी पदोन्नति के बाद प्रत्येक का कितना वेतन निर्धारित किया गया तथा उन्हें कितना वित्तीय लाभ हुआ इस बारे में सूचना निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	पदोन्नति से पहले मूल वेतन	पदोन्नति के बाद निर्धारित मूल वेतन	शुद्ध वित्तीय लाभ
1.	246/-	255/-	रु० 14/-*
2.	246/-	255/-	रु० 13.80/-*
3.	246/-	255/-	रु० 14.10/-*
4.	242/-	250/-	रु० 13.00/-*

*इसमें महंगाई भत्ते आदि की वृद्धि भी शामिल है।

(ग) समूह 'ग' और समूह 'घ' संवर्गों (इसमें दफ्तरियों का संवर्ग भी शामिल है) में सेलेक्शन ग्रेड आरम्भ करने के बारे में कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग और वित्त मन्त्रालय ने मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। संबंधित कार्यालय ज्ञापनों की प्रतियां सभा पटल पर रख दी गई हैं। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 1833/78]।

पश्चिम बंगाल में दिघा समुद्री शरणस्थल (सी-रिजोर्ट)

3347. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार की स्थापना के पश्चात् देश-भर में पर्यटक-केन्द्रों के विस्तार तथा विकास सम्बन्ध तथ्य क्या हैं;

(ख) उसी अवधि के दौरान खोले गए अथवा प्रस्तावित नये पर्यटक-होटलों सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और खोले गए अथवा खोले जाने के लिए प्रस्तावित होटलों के नाम तथा उनके स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या पिछले कम से कम 12 वर्षों से यह मांग की जा रही है कि पश्चिम बंगाल स्थित एकमात्र दिघा समुद्री शरणस्थल (सी-रिजोर्ट) को केन्द्रीय सरकार के पर्यटक मानचित्र पर लाया जाये तथा उसका विकास किया जाये और वहां एक पर्यटक होटल खोला जाए;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस अनुरोध को स्वीकार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) पर्यटन सुविधाओं के विकास तथा विस्तार का कार्य एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अत: चालू योजनावधि के दौरान आरम्भ की जाने वाली तथा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं को जारी रखा जा रहा है। तथापि पिछले एक वर्ष की अवधि में कुछ मूलभूत निर्णय लिए गए हैं जिनके परिणामस्वरूप कुछ सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से पर्यटन नीति को एक नयी दिशा प्रदान करनी पड़ी है। इस नीति का अनुपालन करते हुए, यह निर्णय किया गया है कि सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में जनता होटलों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाए एवं ऐसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर, जिनकी कि काफी अधिक संख्या में देशीय पर्यटक यात्रा करते हैं, धर्मशालाओं/सरायों की स्थिति में सुधार किया जाएं। नई दिल्ली में एक जनता होटल का निर्माण करने के प्रस्ताव का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है तथा इस प्रायोजना पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। इसी प्रकार, धर्मशालाओं/सरायों में सुधार/विस्तार करने के उपायों पर विचार करने के लिए मार्च, 1978 के अंत में नई दिल्ली में धर्मशालाओं/सरायों के प्रबन्ध से सम्बन्धित मुख्य मुख्य धार्मिक ट्रस्टों के प्रतिनिधियों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग बुलाई गयी है। इस सम्मेलन में की गयी सिफारिशों को दृष्टि में रखते हूए, धर्मशालाओं/सरायों में सुधार/विस्तार करने के लिए उचित उपाय किए जायेंगे। नई दिल्ली में एक 1250 शय्याओं वाले जनता होटल के निर्माण की परियोजना के अतिरिक्त, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने हैदराबाद, पटना, लुधियाना, विजयवाड़ा, अडोनी, औरंगाबाद, वारंगल, करीमनगर, पूना तथा लखनऊ में निजी क्षेत्र में 11 होटल परियोजनाओं का अनुमोदन कर दिया है।

(ग), (घ) और (ङ) दीघा में केन्द्रीय क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। साधनों की कमी के कारण ऐसे स्थानों की संख्या अत्यन्त सीमित हो गयी है जहां केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। तथापि, निधियों की उपलब्धता तथा व्यवहार्यता अध्ययन हो जाने की स्थिति में, दीघा में सुविधाओं की व्यवस्था पर राज्य सरकार के साथ परामर्श करके विचार किया जाएगा।

EXPORT OF DIESEL ENGINE

3348. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the state-wise number and the value of diesel engines exported during 1974-75, 1975-76 and 1976-77, separately;

(b) the names of the foreign countries to which these engines were exported;

(c) the number and the value of diesel engines proposed to be exported in 1977-78 and the number and the value of diesel engines exported so far and the time by which the remaining engines will be exported; and

(d) the export targets fixed for 1978-79 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Figures of exports are not maintained State-wise. The total number and value of diesel engines exported from India during 1974-75, 1975-76 and 1976-77 are given below :—

(Rs. in crores)

Year	No.	Value (including value of parts)
1974-75 . . .	39243	15·68
1975-76 . . .	40632	19·29
1976-77 . . .	37217	19·31

(b) The countries include Saudi Arabia, Iran, Iraq, Nigeria Kuwait, UAR, ARE, Bangladesh, Syria, U. K., Indonesia, Federal Republic of Germany, USA, Australia, Zambia, Sudan, Singapore, Thailand, Malaysia, Burma, Kenya Libya, Sri Lanka, France and Japan.

(c) Figures are available according to value and not according to number. Export target of diesel engines including parts for 1977-78 has been fixed at Rs. 35 crores. Out of which export during April-December, 1977 was estimated at Rs. 26·59 crores. It is expected that the export target for 1977-78 will be achieved.

(d) The export target for 1978-79 has been fixed at Rs. 38 crores.

भारतीय होटल उद्योग के लिये विदेशी सहयोग की अनुमति

3349. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया के अन्तर्गत आने वाली अनेक कम्पनियों ने होटलों के निर्माण के प्रस्ताव पेश किए हैं, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्ष 1977 का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन कम्पनियों से प्राप्त उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिनमें होटलों की स्थापना के लिए विदेशी सहयोग की अनुमति मांगी गई है, और उन प्रस्तावों पर सरकार ने क्या निर्णय किए हैं; और

(ग) भारतीय होटल उद्योग में विदेशी सहयोग की अनुमति देने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है; और नये होटलों की स्थापना के लिए उन कम्पनियों से वर्ष 1977 में प्राप्त हुए प्रस्तावों में उसका कहां तक अनुपालन किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) यद्यपि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया (एम० आर० टी० पी०) अधिनियम के क्षेत्र में आने वाली किसी भी कम्पनी ने 1977 के दौरान होटल की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था, तीन होटलों के निर्माण सम्बन्धी भारतीय तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड के एक प्रस्ताव का सरकार ने 1973 में एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदन कर दिया था।

(ख) मैसर्स भारतीय तम्बाकू कम्पनी ने मैसर्स शेराटन इन्टरनेशनल, यू० एस० ए० के साथ मार्किटिंग प्रयोजनों के लिए सहयोग करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) होटल उद्योग में विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर सरकार की नयी औद्योगिक नीति में विदेशी पूंजी निवेश के लिए निर्धारित की गयी भूमिका को दृष्टि में रखते हुए उनके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है। विशेष रूप से ऐसे विदेशी सहयोग को जिसमें किसी विदेशी पार्टी द्वारा किसी होटल की प्रबन्ध व्यवस्था सम्मिलित है, अनुमति नहीं दी जाती है।

गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा जनता से अंशदान लेने के लिये निर्धारित राशि

3350. **श्री सरत कार :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों ने जनता से अंशदान लेने के लिये कितनी धनराशि के शेयर जारी किए; और

(ख) इसी अवधि में जनता ने सीधे तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने कितनी राशि का अंशदान दिया ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 1975-76 और 1976-77 के दौरान गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सरकारी लिमिटेड कम्पनियों ने जनता से अंशदान लेने के लिए क्रमशः 56.39 करोड़ रुपए और 28.55 करोड़ की राशि के शेयर जारी किए हैं।

(ख) इस अवधि के दौरान जनता ने सीधे क्रमशः 28.56 करोड़ रुपए तथा 15.39 करोड़ रुपए तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने 14.05 करोड़ रुपए और 5.55 करोड़ रुपए का अंशदान दिया है।

सांताक्रुज हवाई अड्डे पर हीरों का पकड़ा जाना

3351. **श्री एस० जी० मुरुगेसन :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1976 में सान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर एक विदेशी यात्री से 55 लाख रुपये के हीरे पकड़े गए थे;

(ख) क्या इस यात्री को तस्करी करने वाले एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह से संबंधित पाया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में और आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि 20-1-78 को 56.36 लाख रुपये कीमत के बिना पालिश किए 28,665.77 कैरट हीरे एक विदेशी यात्री, श्रीमती लिंडा सुसने रिचर के असबाब से पकड़े गए थे, जो एयर इंडिया की फ्लाईट सं० 106 द्वारा सांता-क्रुज हवाई अड्डे पर पहुंची थी। उसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द रखा गया है। अब तक की जांच पड़ताल से लगता है कि वह तस्करों के एक गिरोह की वाहक है। आगे चांज-पड़ताल चल रही है।

EXEMPTION IN TAXES IN BUDGET TO INDUSTRIES

3352. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the result's of exemption in taxes in Budget to industrialists for promotion of rural development are disappointing; and

(b) if so, the scheme being formulated by Government to make it useful ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA) (a) and (b) : With a view to encouraging companies and co-operative societies to involve themselves in the work of rural welfare and uplift, section 35CC was inserted in the Income-tax Act, 1961 by the Finance (No. 2) Act, 1977 to provide that expenditure incurred by them on approved programmes of rural development will be deducted in computing their taxable profits, subject to the fulfilment of the conditions laid down in the said section. Applications from 63 companies have been received upto 1-3-1978 for the approval of the programmes of rural development proposed to be undertaken by them. Certain companies and others, however, represented that it would be more convenient if they are allowed to participate in this laudable task by associating themselves with ard contributing to voluntary agencies which are doing very good work in this direction. The Finance Bill, 1978 (Clause 7) therefore, seeks to provide that sums paid by any tax-payer carrying on business or profession to any association or institution which has as its object the undertaking of programmes of rural development will be allowed as a deduction in computing the taxable profits where such sums are to be used for carrying out a programme of rural development. The details of the proposed provision have been given in paragraphs 30 to 32 of the Memorandum explaining the provisions in the Finance Bill, 1978 circulated to Hon'ble Members along with Budget papers.

किसानों को दिये गये विभिन प्रकार के ऋणों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य बैंककारी संस्थाओं द्वारा वसूल किया गया ब्याज

3353. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्यतः किसानों को तथा विशेषकर छोटे और सीमित किसानों को दिए गए विभिन्न प्रकार के ऋणों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य बैंककारी संस्थाओं द्वारा किस दर से ब्याज दिया गया; और

(ख) क्या छोटे और सीमांत किसानों को उनकी खड़ी फसल पर कोई ऋण दिया जाता है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कब से ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और छोटे किसानों को विशेष रूप से लाभान्वित करने के लिए रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को सलाह दी है कि अलग-अलग किसानों को दिए गए 2500 रु० में से अनधिक प्रत्यक्ष ऋणों पर 11 प्रतिशत से अधिक की दर से ब्याज न लें चाहे वे ऋण अल्पकालीन हों, मध्यकालीन अथवा दीर्घकालीन । ब्याज कर की प्रस्तावित समाप्ति और अल्पकालीन ऋणों पर हाल ही में लगाई गयी सीमा के कारण बैंकों से कहा गया है कि वे इसका लाभ ऋणकर्त्ताओं को और विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के ऋणकर्त्ताओं को दें ।

इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों से आम तौर से निम्नलिखित दर पर ब्याज लेने के लिए कहा है :—

(1) छोटे सिंचाई कार्यों और भूमि विकास के लिए किसानों को मंजूर किए गए 3 वर्ष से अधिक में परिपक्व होने वाले सीमित ऋणों पर 10.5 प्रतिशत से अनधिक; और

(2) विविधीकरण प्रयोजनों के लिए किसानों को मंजूर किए गए 3 वर्षों से अधिक में परिपक्व होने वाले सावधिक ऋणों पर 11 प्रतिशत से अनधिक।

प्राथमिक कृषिक ऋण समितियां अन्तिम ऋणकर्त्ताओं से अल्पकालीन अग्रिमों पर 11.5 प्रतिशत से 14.5 प्रतिशत के बीच की दरों पर ब्याज उन राज्यों में लेते हैं जहां तीन स्तरीय (टायर) प्रणाली प्रचलित है। दो स्तरीय (टायर) प्रणाली वाले संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों में ब्याज की दरें आमतौर पर वार्षिक 11 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच होती हैं। मध्यकालीन कृषि अग्रिमों पर ब्याज की दरें वार्षिक 10.5 प्रतिशत से 16 प्रतिशत के बीच रहती हैं। श्रेणी ब्याज पर योजना के अन्तर्गत बैंक वार्षिक 4 प्रतिशत की दर से ऋण देते हैं।

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों से कहा है कि वह पुनर्वित की दर घटाकर अल्पकालीन कृषि ऋणों के लिए बैंक दर से 3 प्रतिशत कम और मध्यमकालीन कृषि ऋणों पर बैंक दर से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम कर देगा और ब्याज की घटी हुई दरों के रूप में इसका लाभ ऋणकर्ताओं को, विशेष रूप से छोटे किसानों को दिया जाना चाहिए ।

(ख) वाणिज्यिक बैंकों के पास उत्पादक प्रयोजनों के लिए जोत के आकार के आधार पर अल्पकालीन ऋण देने की योजनाएं हैं और फसल विशेष के लिए वित्त की मात्रा निर्धारित है। आमतौर से बैंक ऋणकर्त्ता से खड़ी फसल को बन्धक रखने की

लिखत प्राप्त कर लेते हैं, जो, इस प्रकार छोटे और सीमांतिक किसानों सहित कृषकों की मंजूरी किए गए ऋणों की प्रतिभूति होती है। सहकारी समितियां सामान्यतः एक या दो जमानतदारों अथवा भूमि के प्रभार पर फसल ऋण देती हैं।

GRANTS SOUGHT BY BIHAR GOVERNMENT

3354. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the amount of grants sought by the Bihar Government for 1977-78 ;

(b) the amount sanctioned by his Ministry ; and

(c) the amounts given so far with dates ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H.M. PATEL) (a) : The Government of Bihar requested for a ways and means advance of about Rs. 80 crores to prevent overdraft on the Reserve Bank of India. The State Government also requested for generous Central assistance to cover gap in resources for the Annual Plan 1977-78. A request for grant of Rs. 55 crores to meet the additional net interest liability during the Fifth Plan was also received from the State Government.

(b) : Ways and Means advances totalling Rs. 40 crores were sanctioned to the Government of Bihar during 1977-78. An amount of Rs. 19·50 crores was sanctioned as advance Plan assistance to cover gap in resources. The grant for additional net interest liability sanctioned to the State Government amounts to Rs. 35·62 crores, out of which Rs. 11·33 crores is payable in 1977-78.

(c) The above amounts have been paid to the State Government as shown below:

	Amount (Rs. crores)	Date of Release
Ways and Means advance	25.00	29-6-77
—do—	15.00	28-11-77
Advance Plan assistance	19.50	28-11-77
Grant in lieu of net interest liability	5.665	1-8-77
—do—	5.665	2-1-78

गन्ने का उपयोग

3355. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुड़ के निर्यात के लिए किसी बाहरी देश के साथ कोई करार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो गन्ने के चालू मौसम के दौरान कितने गुड़ का निर्यात किया जा सकता है;

(ग) इससे गन्ने के उपयोग की समस्या किस हद तक सरल हो जायेगी; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितने गन्ने का उपयोग हो जायेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) किसी देश को गुड़ के निर्यात से सम्बन्धित किसी करार को सरकारी स्तर पर अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। किन्तु विद्यमान नीति के अनुसार इसके निर्यात निर्बाध रूप से करने की अनुमति है।

(ख) अनुमान है कि विदेशों में बसे हुए एशियाई मूल के लोगों की सीधी खपत सम्बन्धी गुड़ की मांग लगभग 10,000 मे० टन है। सामान्यत: गर्मी के महीनों में भारत से गुड़ का निर्यात संभव नहीं है। मार्च, 1978 के अन्त तक निर्यात 1000 मे० टन से अधिक होने की सम्भावना नहीं है।

(ग) तथा (घ) वर्ष 1976–77 के दौरान गन्ने का कुल उत्पादन लगभग 1540 लाख मे० टन था। चालू चीनी मौसम के दौरान इसका उत्पादन और अधिक होने की सम्भावना है। लगभग 1000 मे० टन गुड़ के उत्पादन के लिए लगभग 10,000 मे० टन गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी। अत: यह महसूस किया गया है कि गुड़ की इतनी मात्रा के निर्यात से गन्ने के उपयोग की समस्या उल्लेखनीय रूप में आसान नहीं हो सकेगी।

MICA PURCHASED BY MITCO FROM DEALERS OF RAJASTHAN

3356. **SHRI ROOPLAL SOMANI** : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the value of Mica purchased by MITCO from mica dealers of Rajasthan since its inception (1972), year-wise ; and

(b) whether Mica Trading Corporation has a scheme to give incentive to the weaker sections of Rajasthan and if so, the details thereof ;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) MITCO came into being on 1-6-1974 and the value of purchases made from Rajasthan are as under :

(Rs. in lakhs)

Year	Value
1974-75 (10 months)	0·20
1975-76	24·01
1976-77	9·19
1977-78 (upto Feb. '78)	16·70

(b) With a view to improving the expertise of the workers in Rajasthan in preparing ready-to-export material, a training centre was started by MITCO at Bhilwara from March, 1977.

COMPLAINT AGAINST BRANCH MANAGER OF STATE BANK OF INDIA, NARORA

3357. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether some complaints have been received against the Narora Branch Manager of the State Bank of India:

(b) whether the same have been inquired into and if so, the action taken thereon; and

(c) in case no action has been taken, the reasons for delay ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) : State Bank of India is looking into the matter.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक आय

3358. **श्री भगतराम :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महंगाई भत्ते की प्रत्येक किस्त के साथ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक आय में 1.5 प्रतिशत का ह्रसन होता जाता है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की वास्तविक आय में अब तक कुल कितना ह्रसन हो चुका है; और

(ग) कर्मचारियों की वास्तविक आय में इस ह्रसन को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) सूचना का एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

माननीय सदस्य के ध्यान में स्पष्टत: केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की विभिन्न किस्तों की मंजूरी के माध्यम से जीवन-निर्वाह की लागत में वृद्धि के लिए किए गए निराकरण की मात्रा है। तीसरे वेतन आयोग द्वारा सुझाई गई संशोधित वेतन संरचना अखिल भारतीय कर्मचारी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) के 12 महीने के औसत 200 से संबंधित है। वेतन आयोग ने सरकार को एक फार्मूले की भी सिफारिश की थी कि जिसके अनुसार 12 महीने के औसत सूचकांक में 200 अंकों से ऊपर प्रत्येक 8 अंकों की वृद्धि के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में विशिष्ट प्रतिशत दरों पर वृद्धि दी जानी थी। महंगाई भत्ते के इस फार्मूले की सिफारिश करते समय आयोग का यह अभिमत था कि महंगाई भत्ता दिए जाने की योजना में 185/- रुपए प्रतिमाह के निम्नतम वेतन (जो कि उसके द्वारा सुझाया गया था) पर लगभग 95 प्रतिशत निराकरण की व्यवस्था हो और यह कि निराकरण प्रतिशत कम होता चला गया और 1600/- रुपए प्रतिमाह वेतन पाने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह लगभग 31 प्रतिशत था। अधिकांश संघों ने वेतन आयोग को अभ्यावेदन किया कि निम्नतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को

मूल्यों में वृद्धि के लिए 100 प्रतिशत निराकरण किया जाना चाहिए। किन्तु राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, जिसने इस स्तर पर केवल 95 प्रतिशत निराकरण की सिफारिश की थी और न्यूनतम वेतन की सिफारिश करते समय ध्यान में रखे गए विभिन्न अन्य बातों को तथा अधिकतर सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त अनुषंग लाभों (जैसे चिकित्सा लाभ और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं) को देखते हुए वेतन आयोग का विचार था कि उसके द्वारा सुझाई गई महंगाई भत्ते की योजना में निम्नतम स्तर पर किया गया निराकरण पर्याप्त था।

2. राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) के कर्मचारी पक्ष के साथ बात-चीत करने के पश्चात् सरकार ने तीसरे वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए महंगाई भत्ते के फार्मूले को स्वीकार किया, लेकिन निराकरण की बढ़ी हुई दरों पर। इस प्रकार औसत सूचकांक के 272 पर पहुंचने तक बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ते की 9 किस्तें समय-समय पर दी गईं। तीसरे वेतन आयोग ने और आगे यह सिफारिश की थी कि जब औसत सूचकांक 272 को पार कर जाए तो सरकार को स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि क्या महंगाई भत्ते की इस योजना को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए अथवा स्वयं वेतनमानों का ही संशोधन कर दिया जाना चाहिए। औसत सूचकांक के 272 को पार कर जाने के पश्चात, सरकार वेतन आयोग द्वारा सुझाई गई दरों पर महंगाई भत्ते में तदर्थ आधार पर उपयुक्त बढ़ोतरी मंजूर करती रही है। सरकार ने सूचकांक औसत 312 को पूरा करने के लिए महंगाई भत्ते की 5 अतिरिक्त किस्तें मंजूर की। दिसम्बर, 1977 के अन्त में औसत सूचकांक के 320 को पार कर जाने के परिणाम-स्वरूप सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1-1-78 से अतिरिक्त महंगाई भत्ते की एक और किस्त की अदायगी करने का फैसला किया है। इस किस्त की अदायगी किस रूप में और किस प्रकार से की जाए, इस विषय पर सरकार को संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के साथ बात-चीत करनी है।

3. महंगाई भत्ते की 15 किस्तों की मंजूरी के परिणामस्वरूप, सरकारी कर्मचारियों को 196/- रुपए प्रतिमाह के न्यूनतम वेतन स्तर पर 96 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति हो गई है। 300/- रुपए से ऊपर तथा 800/- रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में निराकरण लगभग 70 प्रतिशत है और 1600/- रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में यह लगभग 38 प्रतिशत है। ज्यों-ज्यों वेतन स्तर बढ़ता जाता है, निराकरण का प्रतिशत घटता जाता है। इस के मुकाबले में सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, हाल ही में सेवा-निवृत्ति लाभों में सुधार, सेवा-निवृत्ति के समय देय अर्जित छुट्टी की नकद अदायगी, बीमा और भविष्य निधि में जमा रकमों पर ब्याज की दर में वृद्धि, जैसी बहुत सी रियायतें दी हैं। तीसरे वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए महंगाई भत्ते के फार्मूले में न्यूनतम वेतन स्तर पर भी जीवन निर्वाह की लागत में वृद्धि के 100 प्रतिशत निराकरण करने की परिकल्पना नहीं थी। मूल्यों को नियंत्रित करने सम्बन्धी प्रयत्नों और ऊपर बताई गई रियायतों के अलावा, जीवन निर्वाह की लागत में हुई वृद्धि का निराकरण करने के लिए सरकार का महंगाई भत्ते की किस्तों के अतिरिक्त कोई अन्य विशेष रियायतें देने का विचार नहीं है।

10 तथा 15 जनवरी, 1978 को विभिन्न बैंकों में जमा कराये गये बड़े नोटों की तथा इस समय परिचालन में विद्यमान बड़े नोटों की संख्या

3359. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 तथा 15 जनवरी, 1978 को विभिन्न बैंकों में एक हजार, पांच हजार तथा दस हजार रुपए के कितने नोट जमा कराये गए और ऐसे नोट परिचालन में थे;

(ख) 31 दिसम्बर, 1976 तथा 1977 को तथा 15 जनवरी से 31 जनवरी, 1978 के बीच सौ तथा पचास रुपए के कितने तथा कितने मूल्य के नोट परिचालन में थे; और

(ग) गुजरात में 14 तथा 15 जनवरी, 1978 को तथा 16 जनवरी से 24 जनवरी, 1978 तक प्रत्येक दिन एक हजार तथा उससे अधिक मूल्य के कितने नोट विभिन्न बैंकों में जमा कराये गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : (क) 10 जनवरी और 15 जनवरी, 1978 को 1000/- रुपए, 5000/- रुपए और 10,000/- रुपए के जो करेंसी नोट चलन में थे उनकी संख्या के सम्बन्ध में ब्यौरेवार सूचना देना संभव नहीं है क्योंकि ऐसी सूचना को एकत्र करने में काफी समय और परिश्रम लगेगा। फिर भी, 16 जनवरी, 1978 को कारोबार बन्द करते समय चलन में जो बैंक नोट थे उनकी संख्या इस प्रकार थी :—

नोट का मूल्य	संख्या	कुल मूल्य
1000/- रुपए	12.80 लाख	128.00 करोड़ रुपए
5000/- रुपए	36,300	18.15 करोड़ रुपए
10,000/- रुपए	346	34.6 लाख रुपए
	कुल : 146.5 करोड़ रुपए	

विमुद्रीकरण से पूर्व विभिन्न बैंकों तथा राज-कोषों में उपलब्ध नोटों के अलावा नोटों के विमुद्रीकरण के बाद बदले जाने के लिए प्रस्तुत किए गए नोटों का मूल्य लगभग 60 करोड़ रुपए था। ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) 100 रुपए और 50 रुपए मूल्य के उन नोटों की संख्या और मूल्य जो अलग अलग तारीखों को चलन में थे इस प्रकार है :—

	100 रुपया		50 रुपया	
	10 लाख नोट	मूल्य (करोड़ रुपए)	10 लाख नोट	मूल्य (करोड़ रुपए)
31-12-1976	351.0	3510	105.2	526
31-12-1977	408.5	4085	188.8	944
31-1-1978	411.0	4110	182.9	915

15-1-78 तक की उपर्युक्त सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) यह सूचना देना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इसे एकत्र करने में काफी समय और परिश्रम लगेगा।

PRODUCTION OF OILSEEDS

3360. **Shri Y. P. Shastri** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the annual consumption in tonnes of edible oils in the country as a whole during the last three years ;

(b) whether keeping in view the consumption of oilseeds and the production thereof being less than the consumption, the prices of the commodity registered a considerable increase and whether a large quantity of edible oil had to be imported from abroad during 1977 and if so, the expenditure incurred, in crores of rupees on the import of edible oils upto 31st December, 1977 ; and

(c) the steps taken by Government of India for increasing the production of oilseeds in accordance with the requirement therefor in the country and the special facilities and concessions given to farmers with a veiw to encourage them to increase the production thereof ?

Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) The annual consumption of edible oils can be roughly estimated as follows :

Year	Consumption (lakh tonnes)
1973-74	27·10
1974-75	26·05
1976-77	28·02

(b) During 1976-77, the gap between production and demand had its impact on the prices of edible oils. Efforts were made, however, mainly through imports, to contain prices. Edible oils worth Rs. 136·73 crores were imported during the calendar year 1977 on Government account through the State Trading Corporation.

(c) The following steps have been taken to raise the production of edible oilseeds and to provide incentives to farmers :

(i) Raising the productivity per hectare both in irrigated and un-irrigated areas through rapid spread of improved technology.

(ii) Increasing the area under irrigated crops by exploiting the potential under the command of new irrigated projects.

(iii) Strengthening the seed production programme by augmenting the supply of pure seed.

(iv) Stepping up the coverage by plant protection measures, particularly by aerial spraying over large areas, wherever feasible.

(v) Fixation of support prices and making arrangements for the purchase of the produce at those prices.

(vi) Provision of subsidy on the cost of certified seed and for various plant protection operations under the Intensive Oilseeds Development Programmes and other Centrally sponsored schemes of the Department of Agriculture.

(vii) Extension of area under non-traditional oilseed crops, like sunflower and soyabean.

मैसर्स कोर्स इंडिया द्वारा विदेशों में खाते

3361. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स कोर्स इण्डिया के विदेशों में खाते हैं;

(ख) यदि हां, तो किन देशों में और इनमें भारतीय मुद्रा में कितनी राशि है;

(ग) क्या उन्हें इसके लिये अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि उक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं और यदि नकारात्मक है तो क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) मैसर्स कोर्स इंडिया लिमिटेड ने भारतीय रिजर्व बैंक के सामने ऐसी घोषणा नहीं की है कि उसके विदेशों में कोई खाते हैं । लेकिन उसने भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से मैसर्स कोर्स स्टेशनरी ऐण्ड इक्विपमेंट लिमिटेड हांगकांग के 100–100 हांगकांग डालर के अंकित मूल्य के 1458 शेयर ले रखे हैं ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

बीड़ी का निर्यात

3362. **श्री गंगाधर अप्पा बुरांडे :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकारी औपचारिकताओं के कारण बीड़ी उद्योग महत्वपूर्ण निर्यात में कठिनाइयों का अनुभव कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो बीड़ी निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय में निरीक्षकों की पदोन्नति

3363. **श्री एस० एम० दास :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय बम्बई, पूना, बड़ौदा तथा अहमदाबाद में केवल 15 वर्ष या इससे पहले नियुक्त किए गए केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निरीक्षक

अधीक्षक के पद पर पदोन्नत हो गए हैं और वे ग्रुप 'ए' में (भूतपूर्व श्रेणी 1) भी पहले ही पदोन्नत हो जायेंगे और इसके परिणामस्वरूप इस समहर्ता कार्यालयों के कनिष्ठ निरीक्षक पटना समाहर्ता कार्यालय में अपने समान स्तर वाले उन निरीक्षकों से वरिष्ठ और उच्च अधिकारी हो जायेंगे जो 28 वर्ष अथवा ऐसी ही किसी अवधि में अधीक्षक के पद पर पदोन्नत होंगे; और

(ख) यदि प्रश्न के उक्त भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार का विचार ऐसे मामलों में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) समूह 'ग' और 'ख' में सभी पदों का (जिनमें केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निरीक्षकों तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधीक्षकों के पद शामिल हैं) संवर्ग, प्रत्येक समाहर्तालय अथवा समाहर्तालयों के समूह के लिए पृथक-पृथक होता है। इसे देखते हुए, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निरीक्षक के ग्रेड से अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नतियां, उन संवर्गों में होने वाले खाली स्थानों पर अलग-अलग की जाती हैं और इसके परिणामतः किसी एक समाहर्तालय में (अथवा समाहर्तालयों के समूह में, जो एक ही संवर्ग हो) अपने ग्रेड में अपेक्षाकृत कम वर्षों की सेवा वाले निरीक्षक, किसी अन्य समाहर्तालय में उससे अधिक वर्षों की सेवा वाले व्यक्तियों की अपेक्षा उनसे पहले अधीक्षकों के रूप में पदोन्नति पा सकते हैं।

पटना समाहर्तालय में, अधीक्षक ग्रेड में जो अन्तिम निरीक्षक पदोन्नत हुआ है उसने उस ग्रेड में $26\frac{1}{2}$ वर्षों की सेवा पूरी की है, जबकि बम्बई, पूना और बड़ौदा/अहमदाबाद समाहर्तालयों में स्थिति यह है कि क्रमशः 20 वर्ष, 22 वर्ष और $22\frac{1}{2}$ वर्ष की सेवा पूरी करने वाले निरीक्षकों को (15 वर्ष नहीं जैसाकि प्रश्न में कहा गया है) इस प्रकार पदोन्नति मिली है।

समूह 'क' में पदोन्नति के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, समूह 'ख' के अधीक्षकों की एक अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची तैयार की जाती है और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, समूह 'ख' के अधीक्षकों के ग्रेड में इन अधिकारियों के नाम इस सूची में, उनके द्वारा की गई लगातार सेवा की अवधि के सन्दर्भ में क्रमबद्ध रूप से रखे जाते हैं। निस्सन्देह इसका नतीजा यह हो सकता है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, समूह 'ख' के अधीक्षक ग्रेड में पदोन्नति पाये कुछ अधिकारी, जिनकी निरीक्षक वाले निचले ग्रेड में सेवा कम वर्षों की हो, ऐसे अन्य अधिकारियों से वरिष्ठ बन सकते हैं, जिन्होंने निरीक्षक के रूप में सेवा, अधिक वर्षों की पूरी की हो, परन्तु केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, समूह 'ख' के अधीक्षक के ग्रेड में कम वर्षों की।

इस स्थिति को पूर्ण रूप से समाप्त करने का इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है कि निरीक्षकों के संवर्ग को अखिल भारतीय संवर्ग बना दिया जाय, जो प्रशासनिक रूप से ही व्यवहार्य ही नहीं होगा, बल्कि उससे सम्बन्धित अधिकारियों के लिए कठिनाइयां भी पैदा होंगी क्योंकि तब उनका तबादला सारे भारत में कहीं भी किया जा सकेगा।

1974-75, 1975-76 और 1976-77 के लिये घाटा और वास्तविक आय-व्यय संबंधी आँकड़े

3364. **श्री आर० वेंकटरामन :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74, 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन अनुसार घाटे की राशि कितनी है;

(ख) गत वर्षों के लिए वास्तविक घाटे की राशियां क्या हैं; और

(ग) यदि कोई अन्तर है तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) संशोधित अनुमानों में 1973-74 में 650 करोड़ रुपए, 1974-75 में 625 करोड़ रुपए, 1975-76 में 490 करोड़ रुपए और 1976-77 में 425 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान था ।

(ख) इन वर्षों के लिए लेखों की परीक्षा रिपोर्टों में दिखाये गए बजट सम्बन्धी वास्तविक घाटे की रकम 1973-74 में 328 करोड़ रुपए, 1974-75 में 629 करोड़ रुपए और 1975-76 में 399 करोड़ रुपए थी। 1976-77 के लिए वित्तीय लेखे और लेखों पर रिपोर्ट अभी तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार से प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष के घाटे की रकम 154 करोड़ रुपए बनती है।

(ग) संशोधित अनुमानों और वास्तविक रकम के अनुसार घाटे के आंकड़ों के बीच का अन्तर विभिन्न प्राप्ति और व्यय शीर्षों के अन्तर्गत घटबढ़ का वास्तविक परिणाम होता है। मोटे तौर पर, 1973-74 में हुई घटबढ़, छोटी बचतों के अधिक संग्रह और विदेशी सरकारों द्वारा अग्रिमों की वापसी, आयोजनागत व्यय और रक्षा व्यय में कमी हो जाने से हुई थी। 1974-75 में घटबढ़ की रकम नगण्य थी । 1975-76 और 1976-77 में घटबढ़ का कारण अधिक राजस्व प्राप्तियां और आयोजनागत व्यय में कमी का होना है। 1973-74, 1974-75 और 1975-76 के वर्षों की प्राप्तियों और व्यय के ब्यौरे उन वर्षों के वित्तीय लेखों में दिये गए हैं जिन्हें संसद् के पटल पर रख दिया गया है। 1976-77 के वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय के अनन्तिम आंकड़े 1978-79 के वार्षिक वित्तीय विवरण में दिखाये गए हैं जिन्हें संसद् में प्रस्तुत किया गया है।

CAPITAL INVESTED AND EMPLOYEES WOKING IN PUBLIC SECTOR INDUSTRIES

3365. **Shri Ram Kishan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total capital invested in the public sector industries as on 31st March, 1977 and the total number of persons employed therein and whether a list in respect of State-wise capital invested and number of employees therein will be laid on the Table of the House.

(b) whether the capital invested in the public sector industries in Rajasthan is very low as compared to that of other States; and

(c) if so, the names of the industries proposed tobe set up in Rajasthan next year to remedy the situation.

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) and (b) The total investment (gross block) in Central Government Companies as on 31st March 1977 was Rs. 11,451 crores. Out of this Rs. 227 crores was invested in Rajasthan. The State-wise investment figures are given in the Annexure-I.

The total number of employees as on 31-3-1977 was 14·90 lakhs. Information regarding State-wise break-up of employees is being collected and will be placed on the Table of the House.

(c) The information in regard to schemes pertaining to industry (large and medium and mineral development) proposed to be included in the annual plan for 1978-79 for Rajasthan is given in Annexure-II.

STATEMENT—I

ANNEXURE REFERRED TO LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 3365 FOR MARCH 17, 1978

Name of the State	Investment (Rs. in crores)
Andhra Pradesh	390·7
Assam	312·9
Bihar	2509·1
Delhi	400·7
Gujarat	523·4
Haryana	142·7
Himachal Pradesh	11·8
Karnataka	268·2
Kerala	274·1
Madhya Pradesh	1492·7
Maharashtra	630·3
Orissa	646·5
Punjab	197·8
Rajasthan	227·1
Tamil Nadu	466·9
Uttar Pradesh	376·2
West Bengal	768·3
Jammu & Kashmir	5·7
Other States & Union Territories (other than Delhi)	67·9
Goa	3·3
Unallocated and others	1734·9
Total	11451·2

STATEMENT-II

Schemes pertaining to Industry (Large & Medium) and Mineral Delvelopment proposed to be inincluded in Annual Plan for 1978-79

(Rajasthan)

S. No.	Name of the Scheme
I.	LARGE & MEDIUM INDUSTRIALS :
	Rajashtan Industrial and Minerals Development
	State Enterprises Department
	Conversion of oil fired boilers to coal fired boiler
	Internal Audit Party—
	State Enterprises Department
	Salt Washery
	Development of Salt Area (New)
	Development of Salt Works (New)
	Project Report Cell
	Weights & Measures
	Industrial Area
	Project formulation cell

II. MINERALS DEVELOPMENT :

A. **Mines & Geology Department**
Intensive prospecting mineral survey, reorganisation and expansion of Mines & Geology Department
Quarry Improvement Scheme
Loans to Small Scale Mining Lessees
Approcach roads to Mines & Quarries
Phosphate Mining Beneficiation Jhamarkotra

B. Rajasthan States Mines and Minerals Ltd.
Purchase of shares

विभिन्न प्रकार की राजसहायता के माध्यम से हुई बचतों की जांच

3366. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के वित्त तथा योजना मंत्री द्वारा 23 जनवरी, 1978 को एक प्रेस सम्मेलन में दिए गए इस आशय के सुझाव की ओर दिलाया गया है कि खाद्य-राजसहायता (लगभग 475 करोड़ रुपये) तथा बड़े उद्योगपतियों को दी जाने वाली निर्यात-राजसहायता (150 करोड़ रुपये) में भी बचतें की जा सकती हैं और कि बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से दी जाने वाली परोक्ष रेल-भाड़ा राजसहायता की भी जांच की जानी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां। इस राजसहायता का उल्लेख रेल तथा केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित 1978-79 के बजट दस्तावेजों में उपर्युक्त स्थानों पर किया गया है, वहां इस राजसहायता के सही-सही आंकड़े भी दिखाये गए हैं।

(ख) सभी प्रकार की राजसहायता की समीक्षा करना तथा उसको उत्तरोत्तर कम करना सरकार की नीति है। ऐसा करते समय वस्तुओं की कीमतों तथा जीवन निर्वाह खर्च पर ऐसी किफायतों के प्रभावों को ध्यान में रखा जाएगा। इस के अतिरिक्त रेल भाड़ा राजसहायता को रेलवे समागम समिति, 1973 के ध्यान में भी ला दिया गया है जिसने भारतीय रेल पर सामाजिक भारों की जांच की। समिति की 9वीं रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में सिफारिशें निहित हैं जिन पर सरकार कार्यवाही कर रही है।

SUBSIDIES BY CENTRAL GOVERNMENT

3367. **Shri Ganga Bhakt Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have given 100 crores of rupees as subsidies for the people belonging to various categories and sections of society during the financial year 1977-78 ;

(b) if so, the total amount of subsidies given by the Central Government for the period from the financial year 1970-71 to-date ;

(c) the persons benefited as a result thereof and the nature of benefit given to the backward classes of the society ; and

(d) the amount of subsidy proposed to be given by the Central Government during 1978-79 ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) The Central Government gives subsidies for specific purposes. For example, food subsidy of Rs. 456·01

crores has been provided in BE 1978-79 for payment to Food Corporation of India to compensate for the excess of economic costs over sale realisations of foodgrains. A subsidy of Rs. 21 crores and Rs. 8 crores have also been provided in BE 1978-79 for subsidising the prices of controlled cloth and vegetable oil prices respectively. In the case of foodgrains, salt for edible use, etc. the Railways charge freight rates which are lower than costs of transportation, thus subsidising railway freight on these items; the financial effect of subsidy on railway freight on foodgrains is computed to be Rs. 40·88 crores during 1977-78.

(b) Information about subsidies given by Central Government is available in the annual Budget Documents of Central Government and Railways.

(c) As subsidies are granted for specific purposes, the benefits thereof accrue in general to the entire country, including backward classes of society. The subsidies mentioned in (a) above help in keeping the prices of foodgrains, vegetable oil and controlled cloth low and the benefits thereof flow to all consumers of these items, especially those belonging to weaker sections of the society.

(d) Information about the subsidies is given at the appropriate places in the Budget Documents of 1978-79 relating to the Railways and the Central Government.

तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन के बीच हवाई अड्डे का निर्माण

3368. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुनेलवेली और एक प्रमुख पत्तन तूतीकोरिन के बीच वाल्लन्द गांव के निकट एक हवाई अड्डा बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो मामला किस स्थिति में है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

PRIVATE INDIVIDUALS SENT ABROAD ON GOVERNMENT EXPENDITURE

3369. Shri Hukam Deo Narain Yadav : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of private individuals who went abroad on Government expenditure between April, 1977 to December, 1977 and the purpose of their visit?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

अगरतला में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना

3370. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा राज्य सरकार ने कलकत्ता में भारतीय साम्यवादी (मार्कसवादी) दल के समर्थक समाचार-पत्र के त्रिपुरा संस्करण के लिए अगरतला में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिए 7 लाख रुपये की राशि के ऋण की गारन्टी देने हेतु अपनी स्वीकृति व्यक्त करने वाला पत्र यूनाइटेड बैंक ऑफ इन्डिया को लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो समाचार पत्र और प्रेस के मालिक का नाम क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

अन्तिम अवधि समाप्त होने के पश्चात सरकार को पेश किये गये विमुद्रीकृत बड़े नोट

3371. **श्री जी० एस० तोहर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तिम अवधि समाप्त होने तक सरकार को पेश किए गए बड़े विमुद्रीकृत करेंसी नोटों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : अन्तिम अवधि समाप्त होने तक जनता द्वारा जिन ऊंचे मूल्य वर्गों के विमुद्रीकृत नोटों की घोषणाएं फाइल की गई उनका कुल मूल्य 60 करोड़ रुपए था। यह राशि विमुद्रीकरण के पूर्व बकों तथा राजकोषों में रखे नोटों के अलावा है।

आयकर विभाग में कर सहायक संवर्ग बनाया जाना

3372. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर विभाग में कर सहायक संवर्ग बनाने के लिये प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वांचू समिति) की सिफारिश स्वीकार कर ली है;

(ख) क्या इस निर्णय को क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : (क), (ख) और (ग) आयकर विभाग में कर सहायकों का संवर्ग बनाने के सम्बन्ध में प्रत्यक्षकर जांच समिति (वांचू समिति) की सिफारिश सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली है। इस सम्बन्ध में उक्त निर्णय को अमल में लाने सम्बन्धी आदेश शीघ्र ही जारी किए जायेंगे।

LOANS TO COOPERATIVE TRANSPORT SOCIETIES

†3373. **Shri Natvarlal B. Parmar:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Banks are not granting loans to the people and cooperative societies engaged in transport business as banks do not treat transport as an industry; and

(b) whether Government propose to issue such directives to the banks that the transport should be taken as an industry and loans be granted to them as is being done in the case of other industries, if so, the details in this regard ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) Banks provide financial assistance to co-operatives and individuals engaged in transport business on terms and conditions as are applicable to small scale industries.

(b) Advances to small transport operators upto a limit of Rs. 1·5 lakhs covered by Guarantee Scheme of the Credit Guarantee Corporation of India are exempted from the RBI's directive on minimum lending rate of 12·5%. This enables banks to charge concessional rate of interest in

deserving cases. Besides, banks have been advised by the Reserve Bank of India to charge a rate of interest not exceeding 11% on their term loans of the maturity of not less than three years, granted after 1-1-1978 to small road transport operators.

IDBI also provides concessional refinance to eligible institutions for financing transport operators at concessional rates.

EXPORT OF IRON ORE TO JAPAN FROM BAILADILLA

3374. **Shri Laxmi Narain Nayak** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the time till which iron-ore from Bailadilla will continue to be exported to Japan ; and

(b) whether Central Government are exporting iron-ore to Japan under the terms of a contract between India and Japan and if not, whether only the best quality iron-ore is being exported to Japan and how the remaining crores of tonnes of inferior quality iron-ore lying there is being made use of by Government?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) and (b) Under the existing long-term contract between the MMTC and the Japanese Steel Mills signed on 3-4-1970, exports of Bailadilla iron ore of 65% Fe Grade would be made to Japan upto April, 1980. The buyers have also agreed to continue to purchase Bailadilla iron ore till fiscal 1984 to the extent of supply then being made by the MMTC subject to a satisfactory agreement on prices and other terms and conditions of the contract.

The ore produced by this mine is of very high grade. In the process of mining there is accumulation of iron ore fines and action is at hand for disposal of the same. A trial shipment of 2 lakh tonnes is being made to Japan during Feb.—March 1978.

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

3375. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 और 1977–78 (दिसम्बर तक) के दौरान कितनी मात्रा में जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया गया ;

(ख) जापान को किस दर पर लौह अयस्क की सप्लाई की जा रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि लौह अयस्क के निर्यात में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1976-77 के दौरान जापान को लगभग 178.0 लाख मे० टन तथा 1977-78 (दिसम्बर, 1977 तक) के दौरान 116.0 लाख मे० टन लौह अयस्क का निर्यात किया गया ;

(ख) इन ब्यौरों के बारे में बताना वाणिज्यिक हित में नहीं होगा ;

(ग) तथा (घ) विश्व इस्पात उद्योग में लगातार मंदी रहने के फलस्वरूप निर्यातों का जितना लक्ष्य रखा गया है, उन में भारतीय लौह अयस्क के प्रमख विदेशी खरीदारों के पास भारी मात्रा में स्टाक होने के कारण कमी आ सकती है। तथापि, चालू वर्ष में वास्तविक निर्यात गत वर्ष की तुलना में कम होने की सम्भावना नहीं है।

उचित दर की दुकानों का अधिक संख्या में खोला जाना

3376. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आम जनता को उजित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानों की अधिक संख्या में खोलने सम्बन्धी मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के सम्बन्ध में इस योजना का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) थोक खरीद और विपणन का काम किन एजेंसियों को सौंपा गया है ; और

(घ) योजना का प्रस्तावित परिव्यय कितना है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (घ) आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण बढ़ाने की एक योजना, जिसमें वर्तमान वितरण प्रणाली का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, सभी राज्य सरकारों को भेजी गई हैं, ताकि सरकार द्वारा उस पर अन्तिम निर्णय लेने से पहले सुविचारित राय तथा सिफारिशें जानी जा सकें। इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1. इस योजना का उद्देश्य आम खपत की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना और बढ़ा हुआ उत्पादन विशेष रूप से कमजोर वर्गों तथा कामगर जनता को समान रूप से और कुशलता पूर्वक उपलब्ध कराना है। इस नई नीति का मूल उद्देश्य पहले की तरह अल्पकालीन राहत उपायों तथा तदर्थ हल के के स्थान पर एक स्थायी प्रणाली का निर्माण करना है। प्रस्तावित प्रणाली द्वारा पिछले असंतुलनों को दूर करने तथा देहाती इलाकों में भी वितरण प्रणाली लागू करने का एक प्रभावी साधन तैयार किया जाना है। इसका उद्देश्य वितरण प्रणाली का विस्तार करके इसके अन्तर्गत अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुएं शामिल करने तथा उचित मूल्य की दुकानों के अधिकाधिक विस्तार के लिए प्रभावी कार्-वाई करना भी है, ताकि देश भर के दूरस्थ क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके।

2. उन कार्यों जिनकी परिकल्पना की गई है और उन कार्यवाही योजनाओं जिनका सुझाव दिया गया है, में उन वस्तुओं का उत्पादन प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं और जिनके लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों प्रकार के उपाय किए जाने हैं। इस योजना को तैयार करने में वित्तीय बाध्यताओं को भी ध्यान में लिया गया है और नीति यह है कि वर्तमान आधार ढांचे की सुविधाओं और योजना-परिव्ययों का अनुकूलतम उपयोग किया जाये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की नई नीति की अधिक महत्वपूर्ण बातें ये हैं :—

—वितरण प्रणाली में पहले से शामिल आवश्यक वस्तुओं का प्रभावी वितरण करना तथा उसमें और नयी वस्तुएं शामिल करना। इस योजना में प्रारम्भ में अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल, कपड़ा, वनस्पति तेल तथा वनस्पति और आम-खपत की चुनी विनिर्मित वस्तुएं शामिल की जानी हैं।

—आम खपत की चुनी विनिर्मित वस्तुओं जैसे नहाने तथा कपड़ा धोने के साबुन, नमक, दियासलाई, चाय, कापियां, आम औषध व दवाइयों के बारे में सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों को राज्य सरकारों के परामर्श से उत्पादन, उपलभ्यता, तथा फुटकर मूल्यों की परिवीक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर लेना है। सम्बन्धित मन्त्रालय कुल मांग का और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं का जायजा लेने और उन्हें पूरा करने के उपाय करने के लिए उत्तरदायी होने चाहिएं;

—अनाज, दालों, खाद्य तेलों अथवा तिलहनों, कपास आदि का बफर स्टाक बनाना और अपेक्षित आवश्यक वस्तुओं का आयात करना;

—भण्डारण, परिवहन तथा वितरण की लागत के क्षेत्रों में औचित्य लाना;

—शहरी और देहाती क्षेत्रों के बीच वस्तुओं के आबंटन तथा उनके मूल्यों के असन्तुलनों को दूर करना;

—निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में वर्तमान आधार ढांचे की सुविधाओं का अनुकूलतम उपयोग किया जायेगा। वितरण कार्य के लिए कारगर प्रणालियों विकसित करने और इसके लिए शहरी तथा देहाती दोनों इलाकों में सहकारी समितियों का जाल बिछाने पर बल दिया जायेगा। यदि आवश्यक हुआ तो इस उत्तरदायित्व को लेने के लिए ग्राम पंचायतों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है ;

—दूर-दूर तक फैले क्षेत्रों को शामिल करने के लिए फुटकर बिक्री केन्द्रों की संख्या इस प्रकार बढ़ाना कि 2000 की जनसंख्या के लिए कम से कम एक बिक्री केन्द्र हो जाये;

—विवेकपूर्ण ढंग से विभिन्न वस्तुओं की बिक्री करके और न्यूनतम बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता में सुधार करना;

—उपभोक्ताओं को शामिल करते हुए सतर्कता समितियां स्थापित करना, जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पर्यवेक्षण तथा सतर्कता रखने और उपभोक्ताओं के हित का बचाव करने के लिए कानूनी शक्तियां प्राप्त हों। केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर उच्चाधिकार प्राप्त समितियों की स्थापना करना जो सम्पूर्ण वितरण के बारे में समन्वय कार्य तथा पर्यवेक्षण करेगी और गतिविधियों पर नजर रखेंगी तथा सरकार को समय-समय पर उपयुक्त उपायों की सिफारिश करेंगी।

एल्यूमीनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया को ऋण

3377. **श्री रोबिन सेन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमिनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जेकेनगर, आसनसोल के विस्तार, विकास और उक्त कम्पनी के नवीकरण के लिये सरकार और अर्द्ध-सरकारी सस्थानों ने वर्ष 1960 से 1974 तक कितनी राशि के ऋण दिये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार और अन्य सस्थाओं द्वारा वर्ष प्रतिवर्ष दिये जाने वाली ऋण की राशि के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या प्रबन्धकों ने सरकार और अर्द्ध-सरकारी सस्थानों द्वारा दिये गये ऐसे ऋण की बड़ी राशि का दुरुपयोग किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग) और (घ) सरकारी वित्तीय सस्थानों म से एक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, मैसर्स एल्यूमिनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के विस्तार, विकास और नवीकरण आदि के लिए वर्ष 1960 से 1974 तक ऋण सहायता प्रदान की। निगम द्वारा कम्पनी को प्रतिवर्ष दी जाने वाली ऋण सहायता का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :—

अदायगी वर्ष	दिये गये ऋण की राशि	टिप्पणी
1	2	3
	(लाख रुपयों में)	
1962	72.00	
1963 . . .	38.00	

1	2	3
1964	20.00	
1965	10.00	
1968	20.00	
1969	0.54	
1970	1.65	
1971	0.65	
कुल	162.84	31 दिसम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार ऋण की बकाया राशि 75.29 लाख रुपये थी।

निगम ने सूचित किया है कि उसे कम्पनी को दी गयी ऋण राशियों के दुरुपयोग की कोई सूचना नहीं है।

भारतीय ऋण तथा निवेश निगम से भी ऐसी ही सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने भी मै० एल्यूमिनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को कुछ ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं। बैंकों में प्रचलित प्रथा और व्यवहार तथा बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के खातों के विवरणों को प्रकट नहीं किया जा सकता।

वित्त मंत्रालय में मितव्ययता के लिये किये गये उपाय

3378. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत मार्च में कार्यभार संभालने के पश्चात् उन्होंने अपने मंत्रालय तथा मंत्रालय के अधीन अन्य कार्यालयों में काय को सुधारने के लिए कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उससे क्या परिणाम निकले ;

(घ) उनके मंत्रालय में तथा मंत्रालय के अधीन कार्यालयों में मितव्ययता लाने के लिए अप्रैल, 1977 के बाद से क्या उपाय किये गये हैं और उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(i) 1976-77 के दौरान व्यय विभाग के सिविल व्यय प्रभागों को विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों को स्थानान्तरित कर दिया गया था। 1-2-1978 से विभिन्न मंत्रालयों के व्यय प्रभागों के कर्मचारियों को जो वित्त मंत्रालय के संवर्ग में थे संबंधित मंत्रालयों/विभागों के संवर्गों को स्थायी आधार पर स्थानान्तरण कर दिया गया है। इससे व्यय प्रभाग प्रशासनिक मंत्रालयों के अन्य प्रभागों के साथ एकीकृत रूप में कार्य कर सकेंगे और इस प्रकार निर्णय लेने में गति और कार्यकुशलता को बढ़ावा मिलेगा।

(ii) प्रशासन में सुधार लाने और प्रशासनिक विलम्बों को टालने के लिए, मंत्रालयों/विभागों को दिनांक 1-3-78 से, अधीनस्थ कार्यालयों को और अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए अनुदेश दिए गए हैं।

(iii) लेखाओं के विभागीकरण का अन्तिम चरण, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड की राजस्व प्राप्तियां आ जाती हैं दिनांक 1-4-1977 से कार्यान्वित किया गया।

(iv) 1-2-78 से यात्रा भत्ता नियमों के कुछ उपबंधों का सरलीकरण किया गया है।

(v) कार्यविधियों के सरलीकरण की कार्यवाही के रूप में, उन सरकारी कर्मचारियों की डाक्टरी जांच की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है जो अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत्त हों और सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के अन्दर-अन्दर संराशीकरण के लिए आवेदन करें। यह आदेश 26-12-77 से लागू किया गया है।

(ग) उपर्युक्त उपायों से कार्यालयों के कार्य परिचालनों को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी और उससे सरकारी कर्मचारियों को सामान्य लाभ भी होगा।

(घ) वित्त मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे सादगी और सभी प्रकार की तड़क-भड़क को टालने के संबध में सरकार द्वारा दिये गए बल को ध्यान में रखते हुए व्यय में अत्यन्त किफायत बरतें, कृपया देखिए वित्त सचिव का 13-5-77 का अर्द्ध-सरकारी पत्र और 27-5-77 का कार्यालय ज्ञापन, जिनकी प्रतियां 17 जून, 1977 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न सख्या 902 के उत्तर में सभा-पटल पर पहले ही रख दी गई थी।

जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, राजस्व विभाग में 130 पद समाप्त कर दिए गए हैं/आस्थगित रखे गए हैं। इस मंत्रालय के अन्य विभागों में, समह 'क' के 13 पद, समूह 'ख' के 74 पद, समूह 'ग' के 43 पद और समूह 'घ' के 14 पद समाप्त कर दिए गए हैं/आस्थगित रखे गए हैं। रक्षा लेखाओं के महानियंत्रक के कार्यालय में विभिन्न ग्रेडों के 147 पदों को भरा नहीं गया है। उपरोक्त के अलावा, अपर सचिव के एक पद के ग्रेड को कम करके संयुक्त सचिव के ग्रेड में लाया जा रहा है और अवर सचिव के एक पद का ग्रेड कम करके अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में बदल दिया गया है। टेलिफोनों, स्टाफ कारों और समयोपरि भत्ते के व्यय में भी अत्यंत किफायत बरती जा रही है।

चने और दालों के लिये समर्थन मूल्य

3379. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न किस्मों के चने और दालों के समर्थन मूल्य के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) सामान्य उपभोक्ता को चने और दालों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) सरकार ने वर्ष 1978-79 के विपणन मौसम के लिये पिछले वर्ष के 95 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य के मुकाबले में चने का समर्थन मूल्य 125 रुपये प्रति क्विंटल पहले ही निर्धारित कर दिया है। अरहर (तुर) और मूंग के समर्थन मूल्य निर्धारित करने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

(ग) दालों के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाकर तथा उनकी उत्पादकता में सुधार करके उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये पहले से शुरू किये गये उपायों को जारी रखा जायेगा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन० सी० सी० एफ०) को प्राथमिक मण्डियों से बड़ी मात्रा में दालों की खरीद करने के निदेश दिये गये हैं। दालें भी एक मद हैं जो उत्पादन एवम् वितरण प्रणाली की परिकल्पित योजना में शामिल हैं। दालों का और आयात करने की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है। सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से दालों के मूल्यों तथा उपलभ्यता पर लगातार निगरानी रख रही है और जब भी आवश्यक होगा, और उचित कदम उठाये जायेंगे।

उद्योग और कृषि में निर्यात के मुख्य विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाले मद

3380. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग और कृषि क्षेत्रों में निर्यात के मुख्य विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाले मद कौन-कौन से हैं तथा उनकी निर्यातित मात्रा प्रति टन किलो में कितनी है और वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान डालरों में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ख) निर्यात दरों के मदों में स्पष्ट परिवर्तन प्रवत्तियां क्या हैं और इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई तथा इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) भारत की प्रमुख चुनिंदा मदों के आयात

(मूल्य करोड़ रु० में)

क्रमांक	मद	मात्रा की इकाई	1975-76		1976-77		अप्रैल-जुलाई			
							1976		1977	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
औद्योगिक										
1.	इंजीनियरी माल	मूल्य	—	413	—	554	—	163	—	179
2.	हस्तशिल्प की वस्तुएं	मूल्य	—	252	—	402	—	74	—	143
3.	रसायन तथा सहोत्पाद	मूल्य	—	85	—	109	—	28	—	38
4.	चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित वस्तुएं	मूल्य	—	223	—	293	—	99	—	90
5.	पटसन से बनी वस्तुएं	हजार मे० टन	522	251	456	201	125	55	142	63
6.	सूती परिधान	मूल्य	—	146	—	257	—	106	—	75
7.	सूती थान, मिल में बने	दस लाख वर्ग मीटर	423	122	562	201	144	47	132	51
8.	लोहा तथा इस्पात	मूल्य	—	68	—	283	—	89	—	70
कृषि										
9.	खली	हजार मे० टन	1095	96	1727	224	554	56	437	76
10.	तम्बाकू, अनिर्मित	,,	74	93	80	97	45	60	44	67

विवरण—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11.	मसाले	हजार मे० टन	58	72	55	73	15	14	20	33
12.	खांड तथा साफ की हुई चीनी	,,	1201	472	581	148	266	76	46	11
13.	काजू गिरी	,,	54	96	52	106	26	50	22	80
14.	मछली तथा मछली से तैयार पदार्थ	,,	52	127	59	180	19	62	18	58
15.	चाय	दस लाख कि० ग्रा०	212	237	243	293	46	56	54	100
16.	काफी	हजार मे० टन	59	67	48	114	23	43	23	96
	कुल योग (अन्य मदों सहित)	मूल्य	—	4036	—	4981	—	1500	—	1658
						(5143 आर)				

आर=मदवार अलग-अलग संशोधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण से देखा जा सकता है कि अप्रैल–जुलाई, 1977 के पहले 4 महीनों के दौरान विशेषतः चीनी, इस्पात, सूती परिधानों तथा चमड़ा व चमड़े से बनी वस्तुओं के मामले में, निर्यात निम्न स्तर पर रहे। देश के अन्दर बढ़ी हुई मांगों और साथ ही निम्न इकाई मूल्य प्राप्ति के कारण चीनी के निर्यात कम हुए । इस्पात के मामले में भी, स्वदेशी मांग में वृद्धि हो जाने के कारण निर्यात योग्य बेशी की कम उपलब्धता रही। संरक्षणात्मक प्रवृत्तियों के कारण सूती परिधानों के निर्यातों पर भी कुप्रभाव पड़ा जबकि चमड़े के मामले में यूरोपीय टैनरों के पास पर्याप्त माल की मौजूदगी व मंदी की स्थिति जिम्मेदार है।

(ख) चुनिंदा निर्यात मदों का इकाई मूल्य

(इकाई मूल्य रु० में)

क्रमांक	मद	मात्रा की इकाई	1975–76	1976–77	अप्रैल—जलाई	
					1976	1977
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पटसन से बनी वस्तुएं	टन	4806.32	4404.17	4432.00	4432.10
2.	चाय	कि ग्रा०	11.15	12.04	12.18	27.15
3.	काफी	कि ग्रा०	11.22	24.90	19.06	41.47
4.	चमड़े तथा कनवस के बने जूते आदि	जोड़े	16.14	16.75	19.07	16.40
5.	तम्बाक, अनिर्मित	कि ग्रा०	12.53	12.04	13.26	15.32
6.	मसाले	टन	12352.33	13524.41	9250.00	16367.65
7.	मछली	टन	24270.99	30503.38	31778.35	31750.00
8.	चीनी	टन	3932.15	2553.79	2840.51	2299.13
9.	मिल निर्मित सूतीथान	वर्गमीटर	2.87	3.57	3.23	3.87
10.	जानवरों के लिए चारा जिसमें खली भी शामिल है	टन	896.12	1159.80	1003.07	1733.82

विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से ऋण

3381. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बैंक के वित्तीय वर्ष 1978 के दौरान भारत को विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई और कृषि, मत्स्य पालन, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन और दूर संचार क्षेत्र में प्राप्त उत्पादिता का स्वरूप क्या है और परियोजनाओं की क्षेत्रवार मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): पहली जुलाई, 1977 को आरम्भ हुए बैंक के वित्तीय वर्ष 1978 की पहली छमाही के दौरान भारत को विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 16.1 करोड़ डालर (लगभग 139 करोड़ रुपए) की सहायता प्राप्त हुई है। परियोजनाओं की क्षेत्रवार मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

क्रम सं०	क्षेत्र	परियोजना जिनके लिए सहायता दी गई	उत्पादकता का स्वरूप
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कृषि	तमिलनाड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की कृषि ऋण परियोजनाएं, कर्नाटक और बिहार की कृषि विपणन परियोजनाएं, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को ऋण की दूसरी किस्त, हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और राजस्थान की कृषि विकास और विस्तार परियोजनाएं, तथा तराई बीज परियोजना के अलावा राष्ट्रीय बीज परियोजना ।	ऋण परियोजनाओं का उद्देश्य मुख्यतः छोटी सिंचाई के विकास के लिए किसानों को ऋण देने के कार्यक्रमों की सहायता करना है । किसानों को डेरी विकास, मुर्गीपालन, रेशम कीट पालन, मीन उद्योग और अन्य सम्बद्ध कार्यों के लिए भी ऋण दिया जाएगा । कृषि विस्तार और प्रशिक्षण को मजबूत करना, कृषि संबंधी अनुसंधान को जिसमें अनुकूली अनुसंधान और क्षेत्र-परीक्षण शामिल है, सुदृढ़ और पुनर्गठित करना, पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले सुधरे उपकरणों के नमूने तैयार करना, परीक्षण करना, उनका प्रदर्शन और वितरण करना, भूमिगत जल का सर्वेक्षण और नियंत्रण करना आदि, कृषि विकास और विस्तार परियोजनाओं की बुनियादी बातें हैं । कुछ चुनी हुई छोटी सिंचाई परियोजनाएं सड़कों और संसाधन सुविधाओं का भी सुधार करना है । बीजों के क्षेत्र में सब्जी बीज उत्पादन के लिए भंडारण और विपणन में सुधार । बीज पैदा करने वाले बीज के उत्पादन में सुधार और बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान की क्षमताओं के कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं ।

विवरण—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	मीन उद्योग	गुजरात मीन उद्योग परियोजना	इस ऋण का उद्देश्य वर्तमान बंदरगाह और तट सुविधाओं में जिसमें मछली पकड़ने की नौकाओं के बेड़े का विस्तार करना और परम्परागत मछुआ क्षेत्र का आधुनिकीकरण शामिल है, सुधार करना है ।
3.	सिंचाई	राजस्थान, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में सिंचाई और सिंचाई क्षेत्र विकास परियोजनाएं ।	इन परियोजनाओं में बराज और/या सिंचाई नहरों का निर्माण, सड़कों को बड़ी श्रेणी की सड़कों में बदलना या उनका निर्माण और सिंचाई क्षेत्रों के विकास की परिकल्पना की गई है जिसमें नालियों के निर्माण, कृषि ऋण के लिए व्यवस्था, कृषि संबंधी अनुसंधान को मजबूत बनाने और कृषि के आधुनिकीकरण का काम शामिल है ।
4.	ऊर्जा	विद्युत पारेषण (दूसरा, तीसरा और चौथा ऋण), ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंगरोली तापीय बिजली और बम्बई हाई अपतट (आफ्शोर) विकास के लिए परियोजनाएं ।	पारेषण के क्षेत्र में ऋण पारेषण/लाइनें और उप-केन्द्रों के लिए सप्लाई और निर्माण कार्य में सहायता करते हैं । लघु सिंचाई के कुंओं के लिए ऊर्जा की व्यवस्था सहित ग्रामीण विद्युतीकरण में तेजी लाने की परिकल्पना की गई है । सिंगरोली में परियोजना के अंतर्गत टर्बो जनित्र एककों की स्थापना और अपेक्षित पारेषण प्रणाली का निर्माण आता है । बम्बई हाई अपतट (आफ्शोर) विकास परियोजना द्वारा दो समुद्रगत पाइप लाइनों के निर्माण और दो कुंओं के प्लेटफार्मों, दो संसाधन प्लेटफार्मों और गैस संसाधन संयंत्र के निर्माण तथा उपस्कर पर विदेशी मुद्रा की लागत के लिए वित्त व्यवस्था की जाती है ।

5. परिवहन और दूर संचार	• 13वीं रेलवे परियोजना, 5वीं और छठी दूर संचार परियोजना	रेलवे के क्षेत्रों में इस ऋण में से रोलिंग भण्डार की खरीद, रेलवे के अन्य सामान और उपस्कर तथा तकनीकी सेवाओं के लिए धन दिया जाता है । इससे लोकोमोटिवों की मरम्मत, रेल लाइनों को फिर से बनाने, पुलों के निर्माण कार्य तथा कार्यशालाओं के लिए संयंत्र और मशीनरी की व्यवस्था की जाती है । दूर संचार के क्षेत्र में स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली टैलेक्स और जेनटेक्स केबल प्रणाली, रेडियो पद्धति, डाक व तार कार्यशाला के लिए सामान और संघटक, अनुसंधान प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए उपस्कर तथा औजारों के लिए सहायता दी जाती है । इसके अलावा दूर संचार के सरकारी कारखानों के लिए डाक व तार विभाग द्वारा सामान की खरीद के लिए भी व्यवस्था की जाती है ।

सितम्बर, 1977 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को भेजा गया भारतीय शिष्ट मंडल

3382. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा सितम्बर/अक्टूबर 1977 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को जो दस-सदस्यीय भारतीय शिष्ट मंडल भेजा गया था, उसने किन-किन स्थानों की यात्रा की थी और उसका क्या परिणाम निकला था ;

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों की मंडी में सामान्यत: किन-किन इंजीनियरी सामान की अधिक मांग है ; और

(ग) मदवार मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय आयोग की सहायता के अन्तर्गत इन्जीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा प्रायोजित यूरोपीय आर्थिक समुदाय के रेशों को 10 सदस्यीय इण्डियन मशीन टूल प्रतिनिधि मंडल ने सितम्बर/अक्टूबर, 1977 में बेल्जियम, जर्मन संघीय गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस तथा ब्रिटेन का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल के दौरे के फलस्वरूप कुछ व्यवसाय मिला और साथ ही उपयोगी पूछताछें की गईं ।

(ख) अन्य इंजीनियरी माल के अलावा दस्ती औजार, मोटरगाड़ियों के पुर्जे और सहायक उपकरण, बाइसिकलें तथा उसके पुर्जे, इलैक्ट्रानिक उपस्कर, इस्पाती पाइप तथा ट्यूबें आदि, मशीन औजार जैसे ड्रिलिंग मशीनें, धातु काटने के आरे, प्रेस, मिलिंग मशीनें, छोटी खरादें आदि और चक आदि जैसे सहायक उपकरण आदि के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय बाजार में संभाव्यता का सामान्य रूप से पता लगाया गया है।

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय को विभिन्न मदों के निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए उपायों में शामिल हैं : उत्पादनवार प्रतिनिधि मंडलों को प्रायोजित करना, विशिष्ट व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, चुनी हुई इंजीनियरी मदों का विशेष प्रदर्शन करना आदि ।

भारत का विदेशों के साथ व्यापार सन्तुलन

3383. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976-77 और 1977-78 (अप्रैल से सितम्बर) के दौरान भारत का अमरीका, पश्चिम जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, आस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान के साथ व्यापार संतुलन का स्वरूप क्या था और उसमें विशिष्ट प्रवृत्ति के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(करोड़ रु० में)

देश का नाम	व्यापार शेष 1976-77	व्यापार शेष 1977-78 (अप्रैल–सितम्बर)	किसी विशिष्ट प्रवृत्ति के कारण
1. सं० रा० अमरीका	(–) 483.33	(–) 6.80	1977-78 के पहले छः महीनों के दौरान, विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में सं० रा० अमरीका से होने वाले हमारे आयितों में 44% कटौती तथा उस देश को होने वाले हमारे निर्यातों में 11 प्रतिशत वृद्धि के कारण घाटा काफी हद तक कम हो गया है ।
2. पश्चिम जर्मनी	(–) 77.23	(–) 119.77	बराबर प्रतिकूल शेष बने रहने का कारण यह है कि पश्चिम जर्मनी से होने वाले हमारे आयातों में तेजी से वृद्धि हुई है जिससे यह पता चलता है कि यह देश सर्वाधिक प्रतियोगी सप्लाई स्रोत के रूप में उभरा है ।
3. सोवियत संघ	(+) 113.90	(–) 65.43	—
4. ब्रिटेन	(+) 191.19	(+) 17.86	—
5. कनाडा	(–) 79.52	(–) 59.97	—
6. फ्रांस	(+) 36.02	(–) 13.63	—
7. जापान	(+) 247.05	(–) 90.62	—
8. आस्ट्रेलिया	(–) 187.79	(+) 3.26	1976-77 में प्रतिकूल व्यापार शेष मख्यतः आस्ट्रेलिया से गेहूं के आयातों की वजह से रहा । गेहूं के आयात रोक देने से ऐसी आशा है कि यह प्रवृत्ति इस वर्ष उलट हो जाएगी ।
9. सऊदी अरब	(–) 255.71	(–) 46.24	प्रतिकूल व्यापार शेष रहने का कारण यह है कि भारत ने इन देशों से भारी मात्रा में तेल के आयात किए ।
10. ईरान	(–) 361.49	(–) 176.31	
11. पाकिस्तान	(+) 8.85	(+) 5.56*	—

*अप्रैल–जुलाई तक आंकड़े अनन्तिम हैं ।

मोकालवाड़ी कानोर टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा कर-अपवंचन

3384. **श्री राम देवी राम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) क्या माकलिवाड़ी कानोर टी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता आसम में बड़ी संख्या में चाय बागानों के मालिक होने के कारण विभिन्न करों का सहानुभूतिपूर्ण ढंग से कर-अपवंचन कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या कम्पनी विदेशी मुद्रा प्राप्त करने और कर-अपवंचन हेतु बिक्री आय को कम करने के लिये विदेशों में निर्धारित मूल्य से कम पर चाय का निर्यात कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, गत तीन वर्षों में नीलामी और प्राइवेट पार्टियों के माध्यम से कुल कितनी बिक्री की गई तथा प्रत्येक वर्ष में कितना कर निर्धारण किया गया ; और

(ङ) प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख): फिलहाल उपलब्ध सूचना के अनुसार, आय-कर प्राधिकारियों को कर-अपवंचन की कोई निश्चित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

सीमा शुल्क अधिनियम/केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अंतर्गत ब्यौरा, यदि कोई हो, एकत्र किया जा रहा है और सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

(ग),(घ) और (ङ) निर्यात-बिक्री के न्यून-मूल्यांकन के बारे में आयकर प्राधिकारियों को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । पिछले तीन वर्षों के दौरान, आय-विवरणियों में जो आय दिखाई गई तथा जिसपर कर-निर्धारित किया गया, उसका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

कर निर्धारण वर्ष	विवरणी में दिखाई गई आय (रु०)	आय, जिस पर कर-निर्धारित किया गया (रु०)
1974–75	हानि 37,978	48,300
1975–76	हानि 15,053	12,702
1976–77 . .	हानि 82,839	हानि 79,268

जांच कार्य, जो अभी जारी है, पूरा हो जाने पर उचित कार्यवाही की जायगी ।

सीमा शुल्क अधिनियम/केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अन्तर्गत ब्यौरा, यदि कोई हो, एकत्र किया जा रहा है और सदन-पटल पर रख दिया जायगा ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आपातस्थिति के दौरान आंसुका में नजरबन्द हुए अपने कर्मचारियों को पिछले वेतनों की अदायगी

3385. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की नीति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश दिये गये हैं कि वे आपातस्थिति के दौरान 'आंसुका' में नजरबन्द हुए अपने कर्मचारियों को पिछले वेतनों की अदायगी करें ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि बैंकों ने उपरोक्त निर्देशों पर अब तक कार्यवाही नहीं की है ; और

(ग) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा तथा सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने आपातस्थिति के दौरान 'आंसुका' के अधीन नजरबन्द हुए व्यक्तियों को पिछले वेतन की अदायगी आज तक नहीं की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ बैंकों ने बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं किया है। इन मामलों के बारे में सम्बन्धित बैंकों को लिखने के बाद उन्होंने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि ऐसे सभी मामलों में सरकार के आदेशों के अनुसार भुगतान कर दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

मध्य प्रदेश में पर्यटक रूचि के स्थानों के लिये विमान सेवायें

3386. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार आन्तरिक विमान सेवा की आवश्यकता पर सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई है क्या सरकार मध्य प्रदेश के लिये विमान सेवा आरम्भ करने पर विचार कर रही है जिससे पर्यटक रुचि के सब स्थानों को जोड़ा जा सके ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उपर्युक्त मांग को केन्द्रीय सरकार के सम्मुख रखा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) "थर्ड लेवल एयर आपरेशन" के बारे में प्रॉजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा सरकार के विचाराधीन है। रिपोर्ट का सम्बंध, पर्यटन एवं अन्य दृष्टियों से महत्वपूर्ण उन छोटे नगरों को, जो इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं से नहीं जुड़े हैं, जोड़ने के प्रस्तावों, परिचालन के आर्थिक पहलुओं, सरकारी सहायता की प्रकृति तथा ऐसे ही अन्य संबद्ध मामलों से है ।

(ख) और (ग) : मध्य प्रदेश सरकार से राज्य के अन्दर ही विमान सेवाएं चालू करने का एक आवेदन प्राप्त हुआ है। थर्ड लेवल एयर-ऑपरेशनों के मामले पर निर्णय करते समय इस पर भी विचार किया जाएगा।

वाणिज्य मंत्रालय तथा इसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले संगठनों के परामर्शदात्री निकायों में प्रतिनिधित्व

3387. **श्री नाथू सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सभी क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय औद्योगिक एसोसिएशनों, स्वैच्छिक व्यापार संगठनों, वाणिज्य तथा उद्योग व्यापार मण्डलों के नाम और पते क्या हैं जिनको वाणिज्य मंत्रालय तथा इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले संगठनों के परामर्शदात्री निकायों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है ;

(ख) भारत में उन क्षेत्रीय/राष्ट्रीय वाणिज्यिक मण्डलों, उद्योग एसोसियेशनों अथवा अन्य निकायों के नाम और पते क्या हैं जिनको विदेशों में निर्यात के अन्तर्गत नौवहन दस्तावेजों का सत्यापन करने अथवा वाणिज्यिक माल के लिए भारत मलक का प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकारी है ; और

(ग) भारतीय सामान के निर्यात अथवा निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित निर्यात निगमों के नाम और पते क्या हैं और उनमें से कितनों को निर्यात गृहों के रूप में मान्यता प्राप्त है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश में कार्य कर रहे भारतीय विदेशी वाणिज्य मण्डलों की संख्या

3388. **श्री नाथू सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय में कितने भारत-विदेशी वाणिज्य मंडल अथवा विदेशी वाणिज्य मंडल (जैसे भारत–जर्मन अथवा भारत–इटली वाणिज्य मंडल) और व्यापार और उद्योग के अन्य ऐसे कितने निकाय काम कर रहे हैं और उनके नाम और पते क्या हैं ;

(ख) व्यापार और उद्योग के ऐसे वाणिज्य मंडलों और भारत-विदेशी संयुक्त आयोग के नाम और पते क्या हैं (जैसे भारत–अमरीकी आयोग) जिन्हें सरकार की औपचारिक प्रतिनिधित्व अथवा मान्यता प्राप्त है ; और

(ग) वाणिज्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत परिषद् समितियों आदि सहित, जिनमें व्यापार और उद्योगों का प्रतिनिधित्व है, आने वाले संगठनात्मक ढांचे अथवा संगठनात्मक चार्ट जिसमें विभागों और संगठनों को दर्शाया गया है, का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

निर्यातकों के निर्यात साख गारन्टी निगम

(एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन) द्वारा दी गई सुविधाएं

3389. **श्री नाथू सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यातकों के निर्यात साख गारंटी निगम द्वारा निर्यातकों और बैंकों को इस समय क्या सुविधाएं दी गई हैं और निगम की स्थापना के एक वर्ष बाद क्या नई सेवाएं सुविधाएं दी गई हैं ;

(ख) गत वर्ष निर्यातकों के निर्यात साख गारंटी निगम के कार्यालयों की संख्या कितनी थी, उसमें कितने कर्मचारी नियुक्त थे और उससे कितनी कीमत का व्यापार (कीमत और निर्यात के सौदों के हिसाब से) किया ;

(ग) उनसे कितना लाभ प्राप्त हुआ और गत वर्ष निर्यातकों के निर्यात साख गारंटी निगम ने निर्यातकर्ताओं और अन्यों को हानि का मुआवजा देने के लिये वास्तव में कितने धन का भुगतान किया ; और

(घ) वर्ष 1965-66 के दौरान उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) में पूछे गये आंकड़े क्या थे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) से (घ) : अपेक्षित जानकारी दी जाती है :

		31-12-1965 को		31-12-1977 को	
(1)	निर्यात ऋण गारंटी निगम के कार्यालयों की सं० . .	4		8	
(2)	कर्मचारियों की संख्या	85		180	
(3)	किये गये व्यवसाय का मूल्य .	*55	करोड़ रु०	*3257	करोड़ रु०
(4)	प्रवृत्त पालिसियों की सं० .	*1305		*4870	
(5)	जारी की गई गारंटियों की संख्या	*279		*3466	
(6)	प्राप्त प्रीमियम . .	*13	लाख रु०	650	लाख रु०
(7)	निर्यातकों को दावों का भुगतान .	*3	लाख रु०	199	लाख रु०

*पूरे कैलेंडर वर्ष के लिये ।

विवरण

इस समय निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम द्वारा दी गई मूल सुविधाएं ये हैं :—

(1) (क) निर्यातकों को बीमा पालिसियां जारी करना जिनके द्वारा भारत से किये गए निर्यातों पर विदेशी खरीदारों के दिवालियापन अथवा वित्तीय कठिनाइयों के कारण भुगतान का न मिलना कवर किया जाता है ।

(ख) बैंकों को वितीय गारंटी जारी करना जिनके द्वारा उन निर्यात अग्रिमों का वापिस न किया जाना कवर किया जाता है जो लदानपूर्व तथा लदान-पश्चात् दोनों स्थितियों में निर्यातकों को दिये जाते हैं ।

(2) जो पालिसियां तथा गारंटियां 1957 में निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम के स्थापित होने के एक वर्ष बाद आरम्भ की गई, वे इस प्रकार हैं :—

(क) पालिसियां

1. विशिष्ट लदान पालिसी
2. संविदा पालिसी
3. सेवा पालिसी

(ख) गारंटियां

1. पैकिंग ऋण गारंटी
2. पूर्ण कारोबार पैकिंग ऋण गारंटी
3. लदान-पश्चात् निर्यात ऋण गारंटी
4. निर्यात वित्त गारंटी
5. निर्यात उत्पादन वित्त गारंटी
6. निर्यात निष्पादन गारंटी
7. अन्तरण गारंटी
8. खरीदार ऋण तथा ऋण गारंटी की लाइन ।

आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय की गतिविधियां, कृत्य और संगठन

3390. **श्री नाथू सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी विभाग, आर्थिक सलाहकार कार्यालय और निर्यातनिरीक्षण एजेंसियों का निर्यात नियमित और संवर्धन करने में गतिविधियों, कृत्यों और संगठन का स्वरूप क्या है और प्रत्येक से गठन में कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ; और

(ख) 1 जनवरी, 1978 को निर्यात नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले निर्यात की मदों की संख्या कितनी थी और पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में उनकी संख्या कितनी थी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) आयात व निर्यात व्यापार संगठन जिसके प्रधान अधिकारी मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात हैं, भारत सरकार की जो आयात/निर्यात नीतियों का जिनमें लौहा तथा इस्पात मदों और लोहे मिश्र धातुओं का इस प्रकार का लाइसेंसिंग शामिल है, उसका कार्यकारी प्राधिकरण है। यह संगठन निर्यात प्रतिपूर्ति तथा नकद मुआवजा सहायता के जरिए निर्यात सहायता भी प्रदान करता

है। मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात का कार्यालय सरकार का एक संलग्न कार्यालय है और इसके अधीनस्थ कार्यालय देश के 19 स्थानों पर स्थित हैं। पूरे संगठन में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या 15-3-1978 को 2,623 थी।

वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता, विदेश व्यापार, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, भारतीय उत्पादों के निर्यात तथा वाणिज्यिक जानकारी के संबंध में अंकसंकलन जानकारी का संकलन तथा प्रसारण करने वाला प्रारंभिक अभिकरण है। यह संगठन विदेशों का दौरा करने वाले भारतीय व्यापारियों का विदेशों में नियुक्त भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधियों से परिचय कराने की व्यवस्था करता है। इस संगठन के कुल कर्मचारियों की संख्या 443 है।

आर्थिक सलाहकार का कार्यालय निर्यात नीति तैयार करता है, निर्यात योजना बनाता है, चालू नीतियों का आवधिक मूल्यांकन तथा समीक्षा करता है। यह प्रभाग तकनीकी सहायता, निर्यात के लिए प्रबंध सेवाओं तथा भारतीय उद्यमियों द्वारा विदेशों में निवेश से संबंधित कार्य का भी परिवीक्षा करता है। इस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 47 है।

निर्यात निरीक्षण अभिकरण सीधे ही वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करते हैं और निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत आने वाले सामान का अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण तथा पोत लदान पूर्व निरीक्षण का नियंत्रण करने के लिए शीर्ष निकायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार के पांच अभिकरण बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास में स्थापित किये गये हैं जिसके 47 उप-कार्यालय देश भर में कार्य कर रहे हैं। इन 47 उप-कार्यालयों के अलावा 10 अन्य सरकारी निरीक्षण अभिकरण भी काम कर रहे हैं। इन अभिकरणों में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या 2,104 है।

(ख)	(1) 1 जनवरी, 1978	466 वस्तुएं
	(2) पहली पांचवर्षीय योजना के अंत में	608 वस्तुएं
	(3) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में	195 वस्तुएं

दुर्लभ खनिजों के बारे में निर्यात नीति

3391. **श्री के० ए० राजन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दुर्लभ खनिजों के बारे में निर्यात नीति में छूट देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत सहायता सार्थ संघ से सहायता

3392. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सहायता सार्थ संघ द्वारा आगामी वर्ष के दौरान भारत के लिए कितनी राशि की सहायता देने की सिफारिश की गई है ; और

(ख) सार्थ संघ समूह, संयुक्त राज्य अमरीका और अरब देशों द्वारा सहायता देने के लिये क्या मुख्य शर्तें हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए भारतीय सहायता संघ द्वारा दी जाने वाली नई सहायता की राशि का संकेत जून 1978 में होने वाली संघ की बैठक के बाद ही मिलेगा ।

(ख) भारतीय सहायता संघ (अर्थात् आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, इटली, जापान, दि नीदरलैण्ड, नार्वे, स्वीडन, युनाइटिड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ) और अरब देशों द्वारा दी जाने वाली सहायता की मुख्य शर्तों का विवरण केन्द्रीय सरकार के 1978-79 के बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन (अनुबंध-IV के पृष्ठ 121–128) में दिया गया है जो 28 फरवरी, 1978 को सभा-पटल पर रखा गया था ।

केन्द्रीय मंत्रियों के विदेशों के दौरों पर व्यय

3393. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 और 1977 में वर्ष-वार केन्द्रीय मंत्रियों के विदेशों के दौरों पर कितनी राशि खर्च हुई ; और

(ख) मंत्रियों के विदेशों के दौरे कम करने और इस कारण उन पर होने वाले व्यय में कमी करने का यदि कोई प्रस्ताव है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही यह उपलब्ध हो जाएगी, सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) विद्यमान आदेशों के अन्तर्गत, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों तथा स्वतंत्र रूप से कार्यभार संभालने वाले राज्य मंत्रियों को विदेशों में भेजने के मामले में वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री के अनुमोदन की आवश्यकता होती है । अन्य मंत्रियों को भेजने के ऐसे ही मामलों का वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदन किया जाता है । इस संबंध में कोई और अनुदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

विदेशी मुद्रा में लेन देन करने के लिये प्राधिकृत भारतीय तथा विदेशी बैंकों की शाखाओं की संख्या

3394. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1978 को देश के विभिन्न भागों में विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने के लिये प्राधिकृत भारतीय तथा विदेशी बैंकों की कुल संख्या कितनी थी और विदेशों में

काम कर रही भारतीय बैंकों की समुद्र-पार शाखाओं की कुल संख्या कितनी थी तथा उनके नाम और पते क्या हैं;

(ख) 1 जनवरी, 1978 को नार्थ अमरीका, पश्चिम यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय बैंकों की शाखाएं कितनी थीं; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) में पूछे गये आंकड़े क्रमशः प्रथम और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अंत में क्या थे?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : यथा संभव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत में विदेशी मुद्रा में लेन देन करने वाले वाणिज्यिक बैंक

3395. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में विदेशी स्वामित्व/नियंत्रणाधीन बैंकों की संख्या कितनी है जो विदेशी मुद्रा में लेन-देन करते हैं और 1 जनवरी, 1978 को भारत में उनकी शाखाएं कितनी थीं;

(ख) गत वर्ष बैंकिंग क्षेत्र के कुल विदेशी मुद्रा व्यापार में विदेशी बैंकों का अंश कितना था; और

(ग) उपरोकत भाग (क) और भाग (ख) में मांगे गये आंकड़े क्रमशः प्रथम और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम वर्षों में क्या थे।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 12 विदेशी स्वामित्व/नियंत्रण के वाणिज्यिक बैंक भारत में विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिये प्राधिकृत हैं। 31 दिसम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार उनकी विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाली 123 शाखाएं थीं।

(ख) भारत में प्राधिकृत डीलरों द्वारा विदेशी मुद्रा के कारोबार के संबंध में रिजर्व बैंक के पास सबसे ताज़ा आंकड़े वर्ष 1976 के बारे में हैं। इस कारोबार में विदेशी बैंकों का हिस्सा लगभग 19 प्रतिशत बैठता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्राधिकृत डीलरों की शाखाओं और विदेशी मुद्रा के कारोबार के ब्योरों के बारे में 1974 से पहले की सूचना उपलब्ध नहीं है।

.ारतीय हवाई अड्डों से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

3396. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष भारतीय हवाई अड्डों से सभी विमान कंपनियों के कितने विमानों ने अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें कीं और उनमें से कितने भारतीय निर्यात मान ले गये और इस संबंध में चोटी की तीन कौनसी कम्पनियां हैं ;

(ख) एयर इंडिया के पास कितने विमान हैं और वे कितने-कितने समय बाद कुल कितनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान भरते हैं और गत वर्ष एयर इंडिया की कितनी उड़ानों में भारतीय निर्यात-माल गया; और

(ग) पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम वर्षों में उपरोक्त भाग (क) और (ख) में पूछे गये आंकड़े क्रमशः क्या थे?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग): सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निर्यात माल के लिये गोदाम/शैड

3397. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से निर्यात माल बाहर भेजा जाता है उनमें से प्रत्येक पर कुल कितने निर्यात माल के गोदाम/शैड हैं और 1 जनवरी, 1978 को उनकी माल रखने की कुल क्षमता कितनी थी;

(ख) गत वर्ष विमान सेवाओं द्वारा भारतीय निर्यात माल के कितने प्रतिशत का निर्यात किया गया और गत वर्ष विमानों द्वारा निर्यात किये गये कुल निर्यात माल का कुल वजन और मूल्य कितना था और उसमें से एयर इंडिया द्वारा कितना माल ढोया गया; और

(ग) पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तिम वर्षों के उपरोक्त भाग (क) और भाग (ख) में पूछे गये आंकड़े क्रमशः क्या थे?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) चारों अंतर्राष्ट्रीय वमान क्षेत्रों पर निर्यात किये जाने वाले माल के लिये गोदामों/शेडों की संख्या तथा उनकी माल रखने की क्षमता 1-1-1978 को निम्न प्रकार थी:—

विमानक्षेत्र	निर्यात किये जाने वाले मालके लिये गोदामों/शेडों की संख्या	एक बार में माल रखने की क्षमता (मीटरी टनों में)
बम्बई .	8	640
कलकत्ता .	1	114
दिल्ली . .	7	650
मद्रास . . .	2	71

(ख) विमानों द्वारा निर्यात किया जाने वाला माल 1976–77 के दौरान कुल निर्यात किये जाने वाले माल का 17% था। इस अवधि के दौरान, विमानों द्वारा निर्यात किये गये माल का वजन 57,645 टन था तथा इसका मूल्य 840 करोड़ रुपए था। एयर इंडिया द्वारा वाहित माल के ब्यौरे एकत्रित किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा के पहाड़ी जिलों में पर्यटन का विकास

3398. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव क्या है;

(ग) राज्य द्वारा पहाड़ी स्वास्थ्यवर्धक स्थानों और पर्यटन स्थलों का विकास न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) मंत्रालय ने उक्त क्षेत्रों को उड़ीसा और भारत के मानचित्रों में शामिल करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) और (ख) : उड़ीसा के पहाड़ी जिलों में पर्यटन के विकास के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, मयूरगंज जिले में सिमलीपाल तथा ढनकनाल जिले में कपिलास को उड़ीसा में पर्यटन विकास के राज्य सरकार द्वारा बनाये गये परस्पेक्टिव प्लान में सम्मिलित किया गया है।

(ग) राज्य क्षेत्र में किन केन्द्रों को विकास के लिये चुना जाएगा इस बात का निर्धारण संभवतया इस बात पर निर्भर करेगा कि साधनों की स्थिति क्या है और उसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने उसे कौनसी प्राथमिकता दी है ।

(घ) उपलब्ध साधनों की सीमा के अन्तर्गत केन्द्रीय सैक्टर में भुवनेश्वर, पुरी तथा कोणार्क में सुविधाओं के विकास पर बल दिया जा रहा है। उड़ीसा के पहाड़ी जिलों में पर्यटक सुविधाओं का विकास करने का अभी फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

वार्षिक तथा छठी पंचवर्षीय योजना में विकास सम्बन्धी नियतन को बढ़ाने तथा प्रशासनिक व्यय में कमी के लिये कार्यवाही

3399. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वार्षिक तथा छठी पंचवर्षीय योजना में विकास संबंधी नियतन को बढ़ाने तथा प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस बारे में उनके मंत्रालय द्वारा राज्यों को क्या अनुदेश तथा परामर्श दिया गया है; और

(ग) राज्यों द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : छठी पंचवर्षीय आयोजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है । राज्यों के लिये 1978–79 की वार्षिक आयोजना में परिव्यय चालू वर्ष के परिव्यय से लगभग 19% अधिक है। राज्य सरकारों के साथ किये गये विचार-विमर्शों तथा उनको भेजे गये पत्रों में आयोजनाभिन्न व्यय में किफायत करने,

सरकार को देय रकमों की अपेक्षाकृत बेहतर वसूली करके आदि के माध्यम से राज्यों के संसाधनों में सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। विशेषत: प्रशासनिक व्यय में कटौती करने के महत्व पर बल दिया गया है। योजना आयोग में हुई चर्चा के दौरान, राज्य सरकारें अतिरिक्त कराधान कर और कर-भिन्न राजस्व में सुधार और आयोजनाभिन्न व्यय में किफायत करके 1978–79 में लगभग 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिये सहमत हो गई हैं।

स्वीकृति के लिये पड़ी उड़ीसा की बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनायें

3400. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की कौन-सी बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाय चालू वित्तीय वष में क्रियान्विति हेतु उनके मंत्रालय द्वारा स्वीकृति के लिये पड़ी हैं;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा उन पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी; और

(ग) यदि स्वीकृति देने में विलम्ब किया गया है तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) उड़ीसा की कोई भी बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजना वित्त मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिये नहीं पड़ी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

AMOUNT OF LONE ADVANCED BY BANK OF BARODA IN SURAT DISTRIT

*1340. SHRI CHHITUBHAI GAMIT : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of persons of Nijhar, Muchhal, Songarh, Vyara, Mandav, Mahua, Mangrol and Valod Adivasi talukas in Surat District, who were advanced loans by the Bank of Baroda during the period from 1974 to 1977 indicating the amount of loan advanced in each case and the purpose for which it was advanced ;

(b) the number of Adivasis, Harijans, Small and Marginal farmers as well as agricultural labourers out of them, together with the amount of loan given in each case; and

(c) whether Bank of Baroda is the Lead Bank in Surat district and if so, the special functions of this Bank vis-a-vis other banks and whether Bank of Baroda has accomplished these functions and if not, who is responsible therefor and the details of the action to be taken against them ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b) : The statistical reporting system does not yield data on banking operations at a level lower than the district-level.

Available information regarding the aggregate advances and advances to neglected sectors of Bank of Baroda in Surat District as at the end of June, 1974 and June, 1977 is set out in the *Annexe*.

The banks do not maintain data according to the castes of their constituents.

(c) Bank of Baroda has the lead responsibility in the District of Surat under the Lead Bank Scheme. As the Lead Bank of the District, it is expected to survey the District, identify growth centres for branch opening, assess the growth potential which can be developed with the help of bank credit and formulate area credit schemes/district credit plan for joint implementation by all the financial institutions operating in the District. Bank of Baroda has formulated a District Credit Plan for Surat District which is being taken up for implementation.

Statement

(Amount in Rs. crores)

	June, 1974		June, 1977	
	Accts.	Amount	Accts.	Amount
Total Advances]:	**3000**	**9·40**	**15811**	**19·9**
Of Which Total Neglected Sectors	**6693**	**5·79**	**11603**	**13·07**
(*a*) Agriculture :				
(*i*) Direct	5442	1·99	8353	5·83
(*ii*) Indirect	28	0·69	22	0·03
(*b*) Small Scale Industrry	725	2·79	1282	6·54
(*c*) Road Transport Operators	60	0·16	118	0·34
(*d*) Retail Trade	169	0·09	278	0·15
(*e*) Small Business	40	0·01	604	0·06
(*f*) Professional & Self-employed	209	0·03	941	0·11
(*g*) Education	20	0·03	5	0·01

पर्यटन के विकास के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु लाइबेरिया से अनुरोध

3402. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाइबेरिया ने पर्यटन विकास के लिये समेकित योजना तैयार करने हेतु भारत से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या दोनों देशों के बीच विमान सेवा आरम्भ करने की संभावना का पता लगाया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : हाल ही की भारत यात्रा के दौरान, लिबियाई प्रतिनिधि मंडल ने प्रर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय एवं इसके अधीनस्थ सार्वजनिक उद्यमों के अधिकारियों के साथ लाइबीरिया में पर्यटन विकास के लिये समेकित योजना तैयार करने के प्रशन पर विचार-विमर्श किया। भारत द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में प्रदान की जा सकने वाली विशेषज्ञता एवं परामर्शदायी सेवाओं के बारे में प्रतिनिधि मंडल को बताया गया।

एयर इंडिया द्वारा लाइबीरिया के लिये अपनी सेवाएं परिचालित करने का प्रश्न भी उठाया गया। तथापि, दोनों देशों के बीच यातायात संभावनाओं की कमी के कारण, वर्तमान में एयर इंडिया का लाइबीरिया के लिये विमान सेवा परिचालित करने की कोई योजना नहीं है।

भारत के बड़े औद्योगिक गृह जिन्हें विदेशों में संयुक्त उपक्रम के लिये अनुमति दी गई

3403. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में भारत के बड़े औद्योगिक गृहों को विदेशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं लगाने के लिये हाल ही में अनुमति दी गई है; और यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या उद्योग मंत्रालय ने यह सुझाव दिया है कि एन० आर० टी० पी० एक्ट के अन्तर्गत आने वाले बड़े औद्योगिक गृहों को विदेशों में और अधिक संयुक्त उद्यम् परियोजनाएं लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) ऐसी पार्टियों, फर्मों के और कंपनियों की ब्योरे सहित कुल संख्या कितनी है जिनको वर्ष 1977 में संयुक्त उपक्रम परियोजना में भाग लेने की अनुमति दी गई है और ऐसी प्रत्येक परियोजना कहां-कहां पर स्थित है;

(ङ) क्या कुछ मामलों में संयुक्त उपक्रम समिति के निर्णय के विरुद्ध शिकायतें भी की गई हैं; और

(च) यदि हां, तो वर्ष 1977 के संबंध में उनके तथ्य क्या हैं और उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, नहीं विदेशों में संयुक्त उद्यमों के लिये 1977 के दौरान दिये गये 48 अनुमोदनों में से एकाधिकार प्रतिबंधामत्क व्यापार प्रणाली अधिनियम, 1969 के अधीन पंजीकृत बड़े औद्योगिक घरानों को केवल 8 अनुमोदन जारी किये गये ह।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-1834/78]

(ङ) तथा (च) केवल एक मामले में कतिपय शिकायतें मिली थीं। परन्तु शिकायत करने वालों द्वारा लगाये गये अभियोगों की जांच करने पर यह पाया गया कि उस मामले में मंजूर किये गये संयुक्त उद्यम का अनुमोदन रद्द करने का कोई मामला नहीं था।

इण्डियन फार्मर्स फर्टीलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड में विदेशी राष्ट्रिक

3404. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली में बहूत बड़ी संख्या में अत्यधिक खर्चे पर विदेशी राष्ट्रिक नियुक्त किये गये हैं तथा नियुक्ति जारी रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और वे कब से इण्डियन फार्मर्स फर्टीलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड में काम कर रहे हैं;

(ग) इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों में वेतन तथा भत्ते, छुट्टी यात्रा रियायत, परिलब्धियां तथा आवास, संचार आदि अन्य सुविधाओं पर, पृथक-पृथक कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि ये विदेशी राष्ट्रिक प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं और कुछ इंजीनियरों को इण्डियन फार्मर्स फर्टीलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड में कार्य करने की अनुमति न देने की पहल कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और ऐसे भारतीय कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) इफ्फको ने कोई विदेशी नागरिक, नियुक्त नहीं किये हैं । विदेशी नागरिकों ने इफ्फको में करारों के आधार पर काम किया है, जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित होते हैं।

(ख) इस समय कोआपरेटिव फर्टिलाइजर इन्टरनेशनल, जो एक लाभ न कमाने वाली संस्था है, द्वारा नियुक्त दो विदेशी नागरिक इफ्फको के साथ हुए सहयोग करार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं । ये तकनीशियन भारत में क्रमशः मार्च, 1974 तथा सितम्बर, 1974 से कार्य करते रहे हैं और 18 मार्च, 1978 को वापस चले जाएंगे।

(ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित ब्यौरा दिया गया है।

(घ) ये विदेशी नागरिक अनुमोदित करार में दी गई शर्तों के अन्दर ही कार्य करते रहे हैं और इन्होंने कार्य तथा अनुशासन की सामान्य आवश्यकताओं से बाहर कोई कार्य नहीं किया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कोआपरेटिव फर्टिलाइजर इन्टरनेशनल--व्यय रुपयों में

	1975-76	1976-77	1977-78 फरवरी, 1978 तक
वेतन तथा भत्ते	--	--	93,776*
मकान किराया	33,438	74,153	43,868
यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय सहित	2,62,239	1,06,068	85,057
अन्य	72,262	30,423	17,148
आयकर, जिसका भुगतान किया गया	4,98,140	3,56,818	**
	8,66,079	5,67,462	2,39,849

*वेतन तथा भत्तों का भुगतान विश्व बैंक द्वारा दी गई निधि से किया गया ।

**आयकर, अवधि के पूरा होने पर दिया जाना है ।

अक्तूबर, 1977 के बाद रद्द होने वाली और विलम्ब से होने वाली उड़ानों की स्थिति में सुधार

3405. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री रद्द होने वाली और विलम्ब से होने वाली विमान उड़ानों के बारे में 23 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5021 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1977 के बाद रद्द होने वाली और विलम्ब से होने वाली विमान उड़ानों की स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में अब तक की वास्तविक स्थिति क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : जी, हां। एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। दखिए संख्या एल० टी०- 1835/78]

भूतलिंगम समिति द्वारा अध्ययन कार्य पूरा किया जाना

3406. **श्री के० ए० राजन :** क्या **वित्त** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतलिंगम समिति द्वारा जारी की गई प्रश्नावली के प्रति विभिन्न सगठनों और एजेंसियों की प्रतिक्रिया बहुत असतोषजनक रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस स्थिति में समिति अपना अध्ययन समय पर पूरा कर सकेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : भूतलिंगम अध्ययन दल ने कोई प्रश्नावली जारी नहीं की है। किन्तु, इस अध्ययन दल ने अपने विचारार्थ विषयों के बारे में कुछ पार्टियों, अर्थात् अखिल भारतीय स्तर के कर्मचारी-संगठनों और मजदूर संघों, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, प्रख्यात अर्थशास्त्रियों, शोध संस्थाओं, वित्तीय संस्थाओं आदि के विचार आमत्रित करने के लिये पत्र लिखे थे। उन 261 पत्रों में से 13-3-78 तक 51 पत्रों के उत्तर प्राप्त हुये थे।

(ग) आशा है कि अध्ययन दल अपनी रिपोर्ट ठीक समय पर प्रस्तुत कर देगा।

(घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

पर्यटन के विकस के लिये महाराष्ट्र को वित्तीय नियतन

3407. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पयटन विभाग के विकास के लिये महाराष्ट्र राज्य को गत तीन वर्षों में वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या उस वित्तीय सहायता से कोई विशिष्ठ परियोजना आरम्भ की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस राशि का उपयोग किस प्रकार किया गया?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : क्योंकि राज्य सरकारों को पर्यटन स्कीमों के लिये आर्थिक सहायता देने की प्रणाली को चौथी पंचवर्षीय योजना चालू होने पर समाप्त कर दिया गया था, इन स्कीमों को केन्द्रीय क्षेत्र में या राज्य क्षेत्र में हाथ में लिया जाता है। अतः केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन की अभिवृद्धि के लिये वित्तीय सहायता के रूप में महाराष्ट्र राज्य को कोई निधियां आवंटित नहीं की गई थीं। तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित स्कीमों पर 1,04,12,233 रुपये का व्यय किया गया :—

स्कीम का नाम	1974–75	1975–76	1976–77
पर्यटन विभाग			
1. औरंगाबाद में युवा होस्टल	43,000	—	—
2. एलिफेंटा में पानी की सप्लाई	3,59,000	2,87,000	6,52,233
3. अंजता में पानी की सप्लाई	3,45,000	45,000	57,000
4. एल्लोरा के पुरातात्विक आहाते के अंदर पानी की सप्लाई तथा तारकोल की सड़क	48,000	—	59,000
5. बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान का विकास	3,07,000	39,000	
भारत पर्यटन विकास निगम			
1. औरगाबाद होटल का विस्तार	14,04,000	33,20,000	32,48,000
2. बम्बई में परिवहन यूनिट	99,000		—
3. एलिफेंटा/अजता के रेस्टोरेंट में परिवर्धन/परिवर्तन/सुधार	—	65,000	—
4. बम्बई में शुल्क मुक्त दूकान का नवीकरण तथा सुधार	—	35,000	—

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात सामान्य बीमा कम्पनियों को पुन : ग्रुप बनाना

3408. **श्री किशोर लाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण पर लगभग 106 कंम्पनियों को चार बड़ी कम्पनियों में रिग्रुप किया गया था और एक-एक कंम्पनी का मुख्यालय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में बनाया गया;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य लोगों द्वारा प्रीमियम के रूप में दी जाने वाली बड़ी धनराशि का देश के व्यापक हित के लिये प्रयोग करना था;

(ग) क्या राष्ट्रीयकरण के पश्चात् ग्राहकों को प्रीमियम में कोई राहत दी गई है; और

(घ) अन्य कल्याण परियोजनाओं के लिये कितनी धनराशि जुटाई गई तथा प्रयोग की गई ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य, जैसा कि साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में बताया गया है, यह है कि समुदाय के हित में साधारण बीमा कारबार का विकास करके अर्थव्यय की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि अर्थव्यवस्था के संचालन से संपत्ति का केन्द्रीकरण न हो जिससे आम आदमी को हानि होती है।

(ग) जी, हां। राष्ट्रीयकरण के बाद कतिपय किस्म के जोखिमों की प्रीमियम दर कम कर दी गई है जो इस प्रकार है :

(i) पशु बीमा की औसत प्रीमियम दर जो 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक थी घाटकर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत से $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक कर दी गई है।

(ii) पानी के जहाजों के सामान की कुल हानि के बीमे के लिये प्रीमियम दर जो 3.75 प्रतिशत थी घटाकर 2.25 प्रतिशत से 3.50 प्रतिशत कर दी गई।

(iii) कृषि पम्प सेटों के संबंध में आग, चोरी और टूट-फूट का बीमा जो राष्ट्रीयकरण से पहले मुक्तरूप से नहीं होता था और यदि होता था तो केवल निषेधामत्क लागत पर होता था अब विशेष नीति के अंतर्गत केवल 50 रुपये में हो जाता है।

(iv) आग पुनर्बीमा में अतिरिक्त प्रीमियम वसूल किये बिना सीमित विस्फोट का बीमा भी शामिल कर लिया गया है।

(v) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की औसत बीमा दरें भी कम हो गई हैं।

(vi) श्रमिक प्रतिकर बीमा के प्रीमियम में केवल 60 प्रतिशत की वृद्धि की गई है हालांकि इसके अंतर्गत देय लाभ दोगुने से तीनगुने तक बढ़ गए हैं जो चोट की किस्म और मृत्यु पर निर्भर करते हैं।

(घ) भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कंम्पनियों को वर्ष 1977 के दौरान प्राप्त हुई कुल राशि मोटे तौर पर 80 करोड़ रुपये बैठती है। भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले निवेश के संबंध में 1977 से लागू वर्तमान नीति के अनुसार निवेशयोग्य राशियों की नई वार्षिक प्राप्तियों के 35 प्रति-शत का निवेश केन्द्रीय/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित बांडों तथा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों में करना पड़ता है। अन्य 35 प्रतिशत आवास संवर्धन के लिये आवास और नगर विकास निगम को ऋण देने के लिये निर्धारित होता है। केन्द्रीय/राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में लगाई गई

राशियां विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था करने के लिये भी उपलब्ध होती हैं।

ए० जीस आफिस एम्पलाइज यूनियन, त्रिवेन्द्रम को मान्यता

3409. **श्री के० ए० राजन**
श्री वयालार रवि } क्या **वित्त** मंत्री ए० जीस आफिस एम्प्लाइज यूनियन, त्रिवेन्द्रम को मान्यता देने के बारे में 22 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4411 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए० जीस आफिस एम्प्लाइज यूनियन, त्रिवेन्द्रम को मान्यता देने के बारे में इस बीच निर्णय ले लिया गया है।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क), (ख) तथा (ग): मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है;

केरल राज्य में लेखों को लेखापरीक्षा से पृथक करना

3410. **श्री के० ए० राजन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में लेखों को लेखापरीक्षा से पृथक करने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो लेखापरीक्षा से राज्य लेखों को पृथक करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि महालेखाकार के कार्यालय के कर्मचारियों ने इस मामले में कुछ सुझाव/मांगें दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं, उनका विवरण क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) अप्रैल, 1976 में यथा-संशोधित नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 10 किसी राज्य के राज्यपाल को, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से और भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक से परामर्श करके वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा किए जाने वाले लेखा संबंधी कार्यों को अपने अधिकार में लेने की शक्ति प्रदान करती है। लेखाओं को लेखापरीक्षा से अलग करने संबंधी पहल राज्य सरकारों द्वारा की जानी है जिन्हें तकनीकी, प्रशासनिक और कर्मचारियों संबंधी पहलुओं के बारे में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करके केन्द्रीय सरकार के पास भेजने चाहिए। केरल सरकार से अभी तक इस प्रकार के कोई भी प्रस्ताव नहीं मिले हैं।

(ख)(क) में दी गई टिप्पणियों को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जनवरी, 1977 में महालेखाकार के कार्यालय, त्रिचर शाखा के लेखा परीक्षा और लेखा संघ से सरकार को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें यह अनुरोध किया गया कि केरल में लेखाओं को लेखापरीक्षा से अलग करने की दशा में—

(i) कर्मचारियों का अहित करके उनकी सेवा शर्तों को नहीं बदला जाना चाहिए, और

(ii) त्रिचुर स्थित शाखा कार्यालय के वर्तमान कर्मचारियों को खपाने के लिये त्रिचर में एक विभागीकृत वेतन तथा लेखा कार्यालय की स्थापना करके वहां के कर्मचारियों के कल्याण का संरक्षण किया जाना चाहिए।

केरल सरकार से प्रस्तावों के प्राप्त होने पर इन पर उचित विचार किया जाएगा।

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के अनुभाग अधिकारियों के वेतन तथा सरकारी रुतबा

3411. **श्री के० ए० राजन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के अनुभाग अधिकारियों को वेतन और सरकारी रुतबे के मामलों में केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों के बराबर नहीं समझा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा तथा कारण क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों और लेखापरीक्षा विभाग के अनुभाग अधिकारियों के वेतनमान और रुतबे उनके कर्तव्यों तथा दायित्वों के स्वरूप और सीमा के आधार पर निर्धारित किये गये हैं। इस विभेद की सिफारिश उत्तरोत्तर वेतन-आयोगों द्वारा की गई है। दोनों वर्गों के बीच समानता की मांग की तीसरे वेतन आयोग द्वारा हाल ही में जांच भी की गई और उसने उसे स्वीकार नहीं किया। सचिवालय के अनुभाग अधिकारी 650–1200 रुपये के संशोधित वेतनमान में हैं और ये पद राजपत्रित समूह 'ख' के पद माने जाते हैं। लेखापरीक्षा विभाग के अनुभाग अधिकारी 500–900 रुपये के संशोधित वेतनमान में हैं और ये पद समूह 'ग' के पद माने जाते हैं। उपर्युक्त वेतनमान सरकार द्वारा तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किये गये थे।

STAR CATEGORISATION OF HOTELS AND JANATA HOTELS

3412. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 247 on the 2nd December, 1977 regarding basis on which hotels are Star categorised and state :

(a) whether these hotels have been reclassified under Stars category;

(b) the number of hotels about which a criteria has been fixed till now and the number of cases still under consideration and the number of new cases received daily to bring hotels under Star category ;

(c) whether any Janata Hotel has been brought under stars category till now, if so, the number and locations thereof if not, the reasons therefor and the number of hotels proposed to be opened under star category during the next two years, year-wise; and

(d) whether it is a fact that prices ofeatable items and the rent for rooms have been increased considerably in stars category hotels during the last three years and if so, its percentage and action being taken by Government to reduce them ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) No, Sir. The criteria followed for classification of hotels for star categorisation is under review.

(b) Out of the 287 hotels which are on the approved list of the Department of Tourism, 152 hotels have been classified in different star categories. The remaining 135 hotels have yet to be star-categorised. On an average 2-3 applications are received in a month from hotels seeking approval or in some instances for classification.

(c) No, Sir, as no Janata hotels have yet been constructed. The number and location of such hotels to be constructed are dependant upon the funds that will be made available for this purpose in the next Five Year Plan (1978—83).

(d) The Department of Tourism approves only the room tariff of approved hotels. Prices of eatables have not so far been fixed or controlled by the Department of Tourism. The room tariff is fixed on the basis of an internationally accepted formula which is related to operational costs. The increase in tariff which has ranged from 5% to 60% over the last three years has been permitted in accordance with this formula. The question of revision of the formula is being considered.

CONSTRUCTION OF JANATA HOTELS BY STATES AND CENTRAL GOVERNMENTS AND BY PUBLIC

3413. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 859 on the 18th November, 1977 regarding chain of Janata Hotels and state:

(a) whether there is any proposal to construct, Janata Hotels in thecou ntry, if so, the number of hotels to be constructed by the Central as well as State Governments separately in different States;

(b) whether Government have received applications from public seeking permission to open hotels and if so, the number of applications received so far by Government and facilities proposed to be given for opening Janata Hotels; and

(c) minimum and maximum number of rooms and beds in the proposed Janata Hotels and on what terms the permission would be granted to own these hotels, whether it is also proposed to allow the hotels presently running in the country to participate in these hotels ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) It is proposed to construct Janata hotels in the 4 metropolitan cities (Delhi, Bombay, Calcutta and Madras) and at other selected

tourist centres. The number and location of such hotels to be constructed in the Central sector will depend upon the resources made available for this purpose during the next Five Year Plan (1978—83).

(b) Only enquiries have been received from the public seeking information about the scheme of constructing Janata hotels. Among the facilities being considered for inclusion in the Janata hotel scheme are institutional financing at moderate rates of interest for construction of such units and land to be given at concessional rates.

(c) Action has been initiated by the Department of Tourism to get prototypes of 4 models of Janata hotels prepared consisting of units with bed capacities of 1250, 600, 300 and 100 beds. These model designs will be available to parties in the private sector interested in constructing such hotels. There is no objection to existing hotels participating in the scheme of Janata hotels.

निर्यातकर्ता फर्मों का निर्यात-गृहों के रूप में मान्यता

3414. **श्री चतुर्भुज :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में (1966 में) सरकार ने कितनी निर्यातकर्ता फर्मों को निर्यात-गृह के रूप में मान्यता दी थी और कितनी ऐसी फर्मों को 1 जनवरी, 1978 को इस रूप में मान्यता दी गई ;

(ख) वाणिज्यिक आसूचना तथा आंकड़ा विभाग (कलकत्ता) द्वारा प्रकाशित की जा रही 'डायरेक्टरी आफ इण्डियन एक्सपोर्ट्स' में निर्यातकों को श्रेणीबद्ध करने और उनके नाम सम्मिलित करने के लिये क्या आधार हैं;

(ग) पहली पंचवर्षीय योजना (1956), तीसरी पंचवर्षीय योजना (1966) के अन्त में तथा 1-1-1978 को इस 'डायरेक्टरी' में कितनी निर्यातकर्ता फर्में सम्मिलित थीं;

(घ) फेडरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट्स आर्गेनाइजेशन्स (भारती निर्यातय संगठन महासंघ) की निर्यातक सूची में कितनी निर्यात फर्में सम्मिलित हैं और इस सूची में फर्म का नाम शामिल करने का आधार क्या है;

(ङ) उपरोक्त वर्षों में से प्रत्येक में उपर्युक्त भाग (क), (ग) और (घ) में पूछी गई फर्मों में से (एक) कितनी विदेशी स्वामित्व वाली या विदेशी नियंत्रण वाली फर्में थीं, (दो) कितनी भारतीय फर्में थीं, (तीन) कितने व्यापारिक निर्यातक थे, (चार) कितने निर्माता निर्यातक थे, (पांच) कितने लघु उद्योग थे और (छः) कितने बड़े पैमाने के उद्योग थे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना (मार्च, 1966) के अंत में पुनर्गठित निर्यात सदनों की संख्या 77 थी। 1-1-1978 को 305 मान्यताप्राप्त निर्यात सदन थे।

(ख) भारतीय निर्यातक डाइरेक्ट्री में निर्यातकों के नाम जोड़ने की आरंभिक कसौटी है अच्छी वित्तीय साख, निर्यात निष्पादन/विनिर्माण का अनुभव।

(ग) डायरेक्टरी में शामिल फर्मों की संख्या निम्नोक्त प्रकार थी :

पहली पंचवर्षीय योजना (1956) के अंत में	992
तीसरी पंचवर्षीय योजना (1966) के अंत में	3400
1 जनवरी, 1978 को	4011

(घ) उन फर्मों तथा संगठनों की कुल संख्या जो इस समय साधारण सदस्य अथवा सहयोगी सदस्य के रूप में एफ० आई०ई०ओ० के पास पंजीकृत है, 610 हैं।

निर्यात संवर्धन परिषदें, वस्तु बोर्ड, अन्य सरकारी प्रायोजित संस्थाएं, व्यापार एसोसियेशन चेम्बर आफ कामर्स तथा इससे मिलते जुलते दूसरे संगठन एफ० आई० ई० ओ० के साधारण सदस्य बनने के पात्र हैं। निर्यात व्यापार में दिलचस्पी रखने वाली या उसमें वास्तव में लगी हुई कोई फर्म अथवा व्यक्ति, एफ०आई०ई०ओ० का सहयोगी सदस्य बनने का पात्र है बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति अथवा फर्म फेडरेशन की साधारण सदस्यता के लिये पात्र किसी निकाय का पहले ही सदस्य हो। निर्यात सदन, परामर्शदात्री फर्में, बैंक तथा बैंकिंग संस्थायें भी सहयोगी सदस्य बन सकती हैं।

(ङ) 1-1-1978 को मान्यताप्राप्त निर्यात सदनों में व्यापारी निर्यातकों, विनिर्माता निर्यातकों तथा लघु उद्योग एककों की संख्या एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी। वर्ष 1966 के बारे में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विमानों द्वारा निर्यात संवर्धन के लिये स्थायी समिति

3415. श्री चतुर्भुज : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमानों द्वारा निर्यात संवर्धन के लिये स्थायी समिति (स्कोप-एयर) के क्या कृत्य हैं और इसे कब और क्यों स्थापित किया था;

(ख) इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और इस समिति की बैठक कितने समय बाद होती है;

(ग) इस समिति के गठन के पीछे निहित उद्देश्यों की अब तक किस सीमा तक पूर्ति हो सकी है; और

(घ) इस समिति के गठन के बाद से विमानों द्वारा होने वाले भारतीय निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (घ) : 29 जून, 1974 को वाणिज्य मंत्रालय ने पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय से परामर्श करके विमान द्वारा निर्यात संवर्धन संबंधी स्थायी समिति (स्कोप-एयर) का गठन किया जिसमें संबंधित मंत्रालयों और संगठनों के प्रतिनिधि रखे गये हैं ताकि देश के निर्यातों को विमान द्वारा ढुलाई से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हो सके। स्कोप-एयर के अध्यक्ष अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय हैं और पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण,

एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइन्स, राज्य व्यापार निगम, एयर कार्गो एजेन्ट्स एसोसियेशन, व्यापार विकास प्राधिकरण, फेडरेशन आफ कस्टम हाऊस एजेंट्स एसोसियेशन आदि के प्रतिनिधि सदस्य हैं।

इस समिति की बैठकें औसतन चार मास में एक बार होती हैं और आरम्भ से अब तक इसके 11 सत्र हो चुके हैं। स्कोप-एयर से हवाई निर्यातों के संबंध में स्थान तथा भाड़ा दरों से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन करना तथा उन पर चर्चा करना, अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्तर्देशीय विमान पत्तनों पर हवाई माल प्रोसैसिंग सुविधाओं की स्थापना के लिये जरूरी उपायों पर विचार करना तथा देश के निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न संबंधित प्राधिकरणों को सतत आधार पर सक्रिय बनाना अपेक्षित है।

स्कोप-एयर की एक मुख्य उपलब्धि देश के अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्तर्देशीय विमान पत्तनों दोनों के एकीकृत विमान माल काम्पलैक्सों की स्थापना रहा है। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विमान पत्तनों पर स्थापित एकीकृत विमान माल काम्पलैक्स संतोषजनक रूप में कार्य कर रहे हैं। कैरियर्स तथा प्रमुख उपयोगकर्ताओं के बीच विचार-विमर्श के लिये मंच प्रदान करते हुए स्कोप-एयर निर्यातकों द्वारा महसूस की जा रही अनेक समस्याओं को हल करने में सहायक रहा है।

विमान से ढोए गए निर्यात 1976-77 में देश के कुल निर्यातों के 17 प्रतिशत ठहरते हैं जो अब तक रिकार्ड किया गया। हालांकि 1973-74 में हवाई निर्यातों का मूल्य 265.63 करोड़ था किन्तु 1976-77 में आंकड़े 840.43 करोड़ रु० थे। तीन वर्षों में हवाई निर्यात मूल्य की दृष्टि से तीन गुने से भी अधिक हो गए।

एस०ए०एस० पास लेखापरीक्षकों की पदोन्नति

3416. **श्री वयालार रवि:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इण्डियन आडिट एण्ड एकाउन्ट्स डिपार्टमेंट में एस०ए०एस० पास कितने लेखा परीक्षक हैं जो पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ख) ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) लेखापरीक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में एस०ए०एस० पास 960 लेखापरीक्षक पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ख) एस०ए०एस० पास लेखापरीक्षकों की पदोन्नति मूल कार्यालयों में अनुभाग अधिकारी संवर्ग में पदों/रिक्तियों की उपलब्धि पर निर्भर करती है। एस०ए०एस० पास कर्मचारियों को पदोन्नति की सुविधा देने के लिये उन्हें विभाग के अन्दर अर्थात् उन कार्यालयों में जहां एस०ए०एस० पास कर्मचारियों की कमी है तथा विभाग से बाहर, दोनों जगह प्रतिनियुक्तियों के लिये भेजने में उदारता बर्ती जाती है।

प्रत्येक राज्य में काम कर रहे आयकर अधिकारियों की संख्या

3417. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिन्न-भिन्न ग्रेडों में आयकर अधिकारियों की मंजूर शुदा कुल संख्या कितनी है;

(ख) कितने पद रिक्त पड़े हैं, वे कब से रिक्त पड़े हैं और उन्हें न भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1977 को प्रत्येक राज्य में कितने-कितने अधिकारी कार्य कर रहे थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) विभिन्न ग्रेडों में आयकर अधिकारियों की स्वीकृत संख्या नीचे दिय अनुसार है :—

ग्रुप 'क'—		
	वरिष्ठ वेतनमान—1032	
	कनिष्ठ वेतनमान—597	
ग्रुप 'ख'—		2047
	जोड़	3676

(ख) आयकर अधिकारियों के 3676 स्वीकृत पदों में से 66 पद खाली पड़े हैं। 53 पदों के बदले में 53 जगहें खाली रखी जा रही हैं जिनकी स्वीकृति केवल 31 मार्च, 1978 तक की है। बाकी कुछ जगहें अप्रत्याशित कारणों से हाल ही में खाली हुई हैं।

(ग) आयकर अधिकारियों की संख्या से संबंधित सूचना राज्य-वार नहीं रखी जाती है। लेकिन 30 दिसम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक आयकर आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में और केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के अधीन निदेशालयों में कार्य कर रहे आयकर अधिकारियों की संख्या संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है (अनुबंध)।

विवरण

31-12-1977 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक आयकर आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के अधीन के निदेशालयों में कार्य कर रहे आयकर अधिकारियों की संख्या।

आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र

1. आंध्र प्रदेश, हैदराबाद	169
2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र, शिलांग	57
3. बिहार, पटना	90
4. बम्बई सिटी; बम्बई (सेन्ट्रल); तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई	567
5. दिल्ली, नई दिल्ली	275
6. गुजरात, अहमदाबाद	287

7. कानपुर; आगरा; तथा मेरठ	155
8. केरल, एर्णाकुलम (दक्षिण), कोचीन	77
9. कर्नाटक, बंगलौर; तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर	135
10. लखनऊ; इलाहाबाद; तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ	121
11. मध्य प्रदेश, भोपाल	114
12. उड़ीसा, भुवनेश्वर	43
13. पुणे, पुणे	132
14. पटियाला; अमृतसर; जालंधर; तथा हरियाणा; हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़; रोहतक	207
15. राजस्थान, जयपुर	106
16. तमिलनाडु, मद्रास और कोयम्बत्तर	273
17. विदर्भ और मराठवाड़ा, नागपुर	69
18. पश्चिम बंगाल, कलकत्ता; कलकत्ता (सेन्ट्रल); आसनसोल, और क्षेत्रीय निरीक्षण संस्थान, कलकत्ता	661
19. भारतीय राजस्व सेवा (प्रत्यक्ष-कर) स्टाफ कालेज, नागपुर	4
केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के अधीन के निदशालय	
1. निरीक्षण निदेशालय (आयकर और लेखापरीक्षा), नई दिल्ली	4
2. निरीक्षण निदेशालय (जांच पड़ताल), नई दिल्ली	20
3. निरीक्षण निदेशालय (गवेषणा, सांख्यिकी तथा प्रकाशन), नई दिल्ली	5
जोड़	3571

इंण्डियन एयर लाइन्स के अलाभप्रद सिद्ध हुए मार्गों पर हानि को कम करने के लिए मितव्ययता उपाय

3418. **श्री एस० आर० दामणी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स के वे आपरेशनल रूट कौन से हैं जो आपरेशन लागत को पूरा करने के पश्चात् लाभ दिखाते हैं और वे रूट कौन से हैं जिनकी आय और व्यय बराबर है;

(ख) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष में 31 दिसम्बर, 1977 तक इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यरण के सैक्टर-वार वित्तीय परिणाम क्या रहे; और

(ग) सिद्ध अलाभप्रद मार्गों पर हानि को कम करने के लिये सोचे गये अथवा विचाराधीन मितव्ययता उपायों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषौत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : 111 मार्गों में से, इंडियन एयरलाइन्स ने संलग्न विवरण के अनुसार 1976-77 में 34 मार्गों पर लाभ अर्जित किया। 1976-77 के दौरान इन 34 मार्गों पर अर्जित लाभ की कुल राशि 25.16 करोड़ रुपये थी तथा इसी अवधि के दौरान शेष 77 मार्गों पर 12.66

करोड़ रुपय का घाटा हुआ इस प्रकार समग्र रूप से लगभग 12.50 करोड़ रुपये का लाभ हुआ।

सभी सैक्टरों से संबंधित सूचना बहुत विस्तृत है। किसी भी विशेष सैक्टर या मार्ग के वित्तीय परिणामों को, जब कभी भी मांगा जाएगा, मुहैया कर दिया जाएगा।

(ग) समय-समय पर मितव्ययिता संबंधी उचित उपाय किये जाते हैं और यह मेनिफेस्ट से स्पष्ट है कि कारपोरेशन की लाभप्रदता में किरायों में कोई वृद्धि किए बिना भी वृद्धि हुई है तथा लाभ कमाने वाले मार्गों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। मितव्ययिता तथा उत्पादकता में सुधार एक लगातार साथ-साथ चलने वाली प्रक्रिया है और इसे पृथक नहीं किया जा सकता। तथापि, हानियों में कमी करने के लिय निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :–

(i) विमान-बेड़े की स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिचालित की गई सेवाओं को युक्तिसंगत बनाना।

(ii) ऐसे मार्गों पर, जहां धारिता उपलब्ध है, यातायात को बढ़ावा देने के प्रयत्न करना।

(iii) कार्गो यातायात में सुधार।

(iv) ऐसे मार्गों पर, जो अलाभप्रद हैं, प्रोत्साहन किराए तथा दरें आदि चालू करना।

विवरण

इंडियन एयरलाइन्स के उन मार्गों को दिखाने वाला विवरण जिन पर 1976-77 के दौरान व्यय से अधिक आय हुई।

क्र० सं०	सेवा संख्या	मार्ग
1.	105/06	बम्बई–बंगलौर
2.	109/10	बम्बई–मद्रास
3.	109/20	बम्बई–हैदराबाद
4.	131/32	बम्बई–कराची
5.	159/60	बम्बई–मंगलौर
6.	163/64	बम्बई–डबोलिम
7.	167/68	बम्बई–गोवा–त्रिवेन्द्रम
8.	171/72	बम्बई–मद्रास
9.	173/74	बम्बई–मद्रास
10.	175/76	बम्बई–कलकत्ता
11.	181/82	बम्बई–दिल्ली
12.	183/84	बम्बई–दिल्ली
13.	185/86	बम्बई–दिल्ली

क्र० सं०	सेवा संख्या	मार्ग
14.	187/88	बम्बई–दिल्ली
15.	209/10	कलकत्ता–गोहाटी
16.	229/30	कलकत्ता–गोहाटी
17.	263/64	कलकत्ता–दिल्ली
18.	265/66	कलकत्ता–मद्रास
19.	273/74	कलकत्ता–बम्बई
20.	401/02	दिल्ली–कलकत्ता
21.	403/04	दिल्ली–हैदराबाद–बंगलौर
22.	405/06	दिल्ली–बम्बई
23.	413/14	दिल्ली–काठमान्डु
24.	423/24	दिल्ली–अमृतसर–श्रीनगर
25.	425/26	दिल्ली–श्रीनगर
26.	427/28	दिल्ली–श्रीनगर
27.	431/32	दिल्ली–लाहौर
28.	439/40	दिल्ली–मद्रास
29.	441/42	दिल्ली–कराची
30.	451/52	दिल्ली–काबुल
31.	455/56	अमृतसर–काबुल
32.	523/24	बंगलौर–बम्बई
33.	535/36	मद्रास–कोचीन
34.	539/40	मद्रास–हैदराबाद–दिल्ली

NEW TOURIST CENTRES IN EACH STATE

3419. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number of new tourist centres being set up in each State by Government with a view to promote tourism; and

(b) the number of new hotels proposed to be constructed for providing facility to tourists and the locations thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Tourism schemes in the Central Sector are not taken up on State-wise basis. The selection of tourist centres for developing facilities is made on the basis of the following criteria :

(*i*) the existing tourist traffic to the place;

(*ii*) the potential the place holds for attracting both international and domestic tourists;

(*iii*) its accessibility;

(iv) its development in relation to the existing or future travel pattern or circuit of tourists within country;

(v) its relation to the overall promotional strategy and the development programme of the Department;

(vi) the investment that the State Government concerned would make for developing the infrastructure such as roads, water and electric supply, transport facilities etc.

(b) In the Central Sector it is proposed to construct hotels at the following places during the next Five Year Plan (1978—83) subject to the availability of funds :

(i) Janata hotels at the 4 metropolitan cities of Bombay, Delhi, Calcutta and Madras, as also at a few other selected tourist centres to be determined on the basis of available accommodation and the need for additional accommodation at these centres.

(ii) The programme of the India Tourism Development Corporation includes new hotels at New Delhi, Agra, Chandigarh, Gauhati, Gulmarg, Goa, Bombay, Ahmedabad and Bhopal.

AIR FACILITY FROM CALCUTTA TO NICOBAR

3420. SHR O. P. TYAGI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the people of Andaman and Nicobar Islands are facing great difficulties due to non-availability of transport facilities for Calcutta;

(b) whether Government propose to extend their air service from Calcutta to Nicobar Islands keeping in view the difficulties being faced by the Islanders; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a), (b) and (c) : The air service between Calcutta and Port Blair which was earlier operated with a Viscount aircraft via Rangoon is now being operated direct with Boeing-737 aircraft effective August, 1977. This has meant at wofold increase in capacity between the mainland and Port Blair. The present utilisation of seats on this route is from 55 to 60%. The traffic has not matched the expectations. Indian Airlines is very much short of fleet capacity for new links or additional services. The growth of traffic between the mainland and Andaman and Nicobar Islands is, however, being watched and the question of additional services to Car Nicobar will be considered if and when the situation warrants it.

राज्य व्यापार निगम द्वारा नियुक्त किए गए अप्रेंटिस क्लर्क

3421. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम तथा इसकी सहयोगी फर्मों द्वारा कितने अप्रेंटिस क्लर्क नियुक्त किये गये;

(ख) 31 जनवरी, 1978 तक उनमें से कितनों की छंटनी कर दी गई थी; और छंटनी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि निगम अप्रेंटिस क्लर्कों की भर्ती तथा उनको खपाने के मामले में भ्रष्ट प्रक्रिया अपना रहा है;

(घ) क्या भावी भर्ती के समय छंटनी हुए इन लोगों के लिये कुछ कोटा नियम अथवा कुछ रियायतें देने का सरकार का विचार है; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 में राज्य व्यापार निगम तथा उसके सहयोगी संगठनों द्वारा भर्ती किये गये अप्रेंटिस क्लर्कों की संख्या 255 है।

(ख) अप्रेंटिसशिप नियोजक संगठन तथा प्रशिक्षणार्थी के बीच संविदा व्यवस्था है जिसके अधीन नियोजक निर्धारित अवधि के लिये निर्दिष्ट कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण देना मजूर करता हैं। प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर प्रशिक्षणार्थियों का नया बैच लिया जाता है। अप्रेंटिसशिप एक्ट के अन्तर्गत नियोजक अपने प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार देने के लिये बाध्य नहीं है।

(ग) भर्ती गुणावगुण के आधार पर प्रवण समिति द्वारा की जाती है।

(घ) तथा (ङ) : निगमों को यह सलाह दी गई है कि अन्य बातें समान रहते हुए भी नियमित रिक्तियों के आधार पर उनके द्वारा अपने प्रशिक्षणार्थियों को तरजीह दी जानी चाहिए।

आसाम में किसानों को कृषि ऋण

3422. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि ऋण की छोटी राशि (आसाम में किसानों के लिये) के आवेदन पत्र एक ही राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा द्वारा कलकत्ता अथवा शिलांग स्थित क्षेत्रीय मुख्यालयों को भेजे जाते हैं क्योंकि गोहाटी अथवा आसाम राज्य में कोई क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं हैं ;

(ख) सरकार बैंक की सुविधाओं के विकास के लिये उत्तर पूर्व क्षेत्र में बैंकों की ऋण संबंधी नीति से संबंधित सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने हेतु गोहाटी में राष्ट्रीयकृत बैंक का क्षेत्रीय मुख्यालय कब स्थानान्तरित करेगी; और

(ग) क्या सरकार अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को गोहाटी में ऐसे कार्यालय तथा समूचे राज्य में कुछ शाखाएं खोलने के लिये कहेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : प्रश्न में उल्लिखित संदर्भ संभवतया उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में है जिनके प्रधान कार्यालय कलकत्ता में हैं। शाखा और प्रभागीय प्रबंधकों को इतनी वित्तीय शक्तियां दे दी गई हैं कि वे प्रधान कार्यालय की पूर्वानुमति लिये बिना ही छोटे कृषि ऋण स्वीकार कर दें। एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने जिसका

कोई स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय पहले नहीं था, अब एक ऐसा कार्यालय गोहाटी में खोल दिया है ताकि क्षेत्रीय स्तर पर ऋण मामलों को निपटाया जा सके।

CASES OF CORRUPTION AGAINST PERSONS IN OPIUM OFFICE, BHAWANI MANDI (RAJASTHAN)

3423. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state : whether it is a fact that there are cases of corruption, etc. against some persons in opium office, Bhawani Mandi (district Jhalawar, Rajasthan) and if so, the details thereof and the action taken there on so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : Yes, Sir. Some complaints have been received alleging corrupt practices on the part of the staff of Bhawani Mandi Opium Division in Rajasthan. While in a few cases the allegations were found to be baseless and unsubstantiated, in some other cases preliminary enquiry was initiated. The enquiry revealed that some staff, in collusion with the cultivators, had falsely shown partial uprooting of the poppy crop in the records, thus enabling the cultivators to receive higher rate of payment for the opium tendered by them to the Government and/or become eligible to a licence to cultivate poppy in the 1977-78 crop season. Further enquiry is in progress and necessary action will be taken on receipt of the enquiry report. In the meantime, some of the concerned staff have been transferred out of Bhawani Mandi.

उचित दर की दुकानों पर मदों के वितरण के लिये योजना

3424. **श्री दुर्गा चन्द**
श्री नरेन्द्र सिंह
श्री समर गुह } : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने देश में चीनी और अनाज के अतिरिक्त अन्य मदों का वितरण उचित दर की दुकानों पर करने के लिये एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी कोई व्यापक वितरण प्रणाली तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) प्रत्येक राज्य में इस समय वस्तुओं की वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले गांवों की संख्या कितनी है; और

(च) आगामी पांच वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक राज्य में इस योजना के अन्तर्गत कितने गांवों को लाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (घ) : केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण

बढ़ाने के लिये एक योजना बनाई है, जिसमें वर्तमान वितरण प्रणाली के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है । यह योजना अब सभी राज्य सरकारों को भेजी गई है, ताकि सरकार द्वारा उस पर अंतिम निर्णय लेने से पहले उनकी सुविचारित राय तथा सिफारिशें जानी जा सकें। इस योजना की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ङ) व (च) इस समय देहाती इलाकों में लगभग 1.93 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं। इस योजना में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या इस प्रकार बढ़ाने के लिये राज्यवार योजनाएं बनाने की परिकल्पना की गई है कि आमतौर पर 2000 और उससे अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव अथवा ग्राम समूह के लिये एक उचित मूल्य की दुकान होगी।

विवरण

1. इस योजना का उद्देश्य आम खपत की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना और बढ़ा हुआ उत्पादन विशेष रूप से कमजोर वर्गों तथा कामगार जनता को समान रूप से और कुशलता पूर्वक उपलब्ध कराना है। इस नई नीति का मूल उद्देश्य पहले की तरह अल्पकालीन राहत उपायों तथा तदर्थ हल के स्थान पर एक स्थायी प्रणाली का निर्माण करना है। प्रस्तावित प्रणाली द्वारा पिछले असंतुलनों को दूर करने तथा देहाती इलाकों में भी वितरण प्रणाली लागू करने का एक प्रभावी साधन तैयार किया जाना है। इसका उद्देश्य वितरण प्रणाली का विस्तार करके इसके अंतर्गत आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं शामिल करने तथा उचित मूल्य की दुकानों के अधिकाधिक विस्तार के लिये प्रभावी कार्रवाई करना भी है, ताकि देश भर के दूरस्थ क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाया जा सके।

2. उन कार्यों जिनकी परिकल्पना की गई है और उन कार्यवाही योजनाओं जिनका सुझाव दिया गया है, में उन वस्तुओं का उत्पादन प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं और जिनके लिये अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों प्रकार के उपाय किये जाने हैं। इस योजना को तैयार करने में वित्तीय बाध्यताओं को भी ध्यान में लिया गया है और नीति यह है कि वर्तमान आधार ढाँचे की सुविधाओं और योजना-परिव्ययों का अनुकूलतम उपयोग किया जाये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की नई नीति की अधिक महत्वपूर्ण बातें ये हैं :—

—वितरण प्रणाली में पहले से शामिल आवश्यक वस्तुओं का प्रभावी वितरण करना तथा उसमें और नई वस्तुएं शामिल करना। इस योजना में प्रारंभ में अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल, कपड़ा, वनस्पति तेल तथा वनस्पति और आम-खपत की चुनी विनिर्मित वस्तुएं शामिल की जानी हैं।

—आम खपत की चुनी विनिर्मित वस्तुओं जैसे नहाने तथा कपड़ा धोने का साबुन, नमक, दियासलाई, चाय, कापियों, आम औषध व दवाइयों के बारे में सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को राज्य सरकारों के परामर्श से उत्पादन, उपलभ्यता तथा फुटकर मूल्यों की परिवीक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर लेना है। संबंधित मंत्रालय कुल मांग का और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की आश्यकताओं का जायजा लेने और उन्हें पूरा करने के उपाय करने के लिये उत्तरदायी होने चाहिए।

—अनाज, दालों, खाद्य तेलों अथवा तिलहनों, कपास आदि का बफर स्टाक बनाना और अपेक्षित आवश्यक वस्तुओं का आयात करना।

—भण्डारण, परिवहन तथा वितरण की लागत के क्षेत्रों में औचित्य लाना।

—शहरी और देहाती क्षेत्रों के बीच वस्तुओं के आवंटन तथा उनके मूल्यों के असंतुलनों को दूर करना।

—निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में वर्तमान आधार ढाँचे की सुविधाओं का अनुकूलतम उपयोग किया जायेगा। वितरण कार्य के लिये कारगर प्रणालियां विकसित करने और इसके लिये शहरी तथा देहाती दोनों इलाकों में सहकारी समितियों का जाल बिछाने पर बल दिया जायेगा। यदि आवश्यक हुआ तो इस उत्तरदायित्व को लेने के लिये ग्राम पंचायतों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

—दूर-दूर तक फैले क्षेत्रों को शामिल करने के लिये फुटकर बिक्री केन्द्रों की संख्या इस प्रकार बढ़ाना कि 2000 की जनसंख्या के लिये कम-से-कम एक बिक्री केन्द्र हो जाये।

—विवेकपूर्ण ढंग से विभिन्न वस्तुओं की बिक्री करके और न्यूनतम बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों की आर्थिक आत्म-निर्भरता में सुधार करना।

—उपभोक्ताओं को शामिल करते हुए सतर्कता समितियां स्थापित करना, जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पर्यवेक्षण तथा सतर्कता रखने और उपभोक्ताओं के हित का बचाव करने के लिये कानूनी शक्तियां प्राप्त हों। केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर उच्चाधिकार प्राप्त समितियों की स्थापना करना जो सम्पूर्ण वितरण के बारे में समन्वय कार्य तथा पर्यवेक्षण करेंगी और गतिविधियों पर नजर रखेंगी तथा सरकार को समय-समय पर उपयुक्त उपायों की सिफारिश करेंगी।

ईरान द्वारा चीनी लेने से इन्कार किए जाने के कारण चीनी का इकट्ठा हो जाना

3425. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति** और **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान द्वारा लगभग 1,20,000 टन चीनी जो ईरान के लिये आरक्षित रखी गई थी, लेने से इन्कार किये जाने के कारण, देश में चीनी भारी मात्रा में इकट्ठी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिये कितनी चीनी एकत्र की गई है, उसमें से कितनी चीनी अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग के लिये उपयोग में लाई गई है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिये इसमें से कितनी चीनी आरक्षित की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं। ईरान ने जितनी चीनी के लिए संविदा की थी, उसे खरीदने से उसने इंकार नहीं किया है। भारत सरकार तथा ईरान सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के अन्तर्गत दिसम्बर, 1977 तक ऋण पर ईरान को 1.20 लाख मे० टन चीनी की मात्रा सप्लाई की जानी थी। तथापि ईरान के खरीद संगठन ने यह पसंद व्यक्त की कि करार के अन्तर्गत उन्हें सप्लाई की

जाने वाली चीनी रंग में पेरिस ग्रेड 6 के अनुरूप हो। चूंकि भारतीय चीनी पेरिस ग्रेड 6 के समान नहीं है, अतः ईरान ने सुझाव दिया कि उन्हें चीनी के बदले उतने ही मूल्य का सीमेंट सप्लाई किया जाये। भारत सरकार इसके लिये सहमत हो गई है। देश में सीमेंट की कमी को देखते हुए तीसरे देशों से सीमेंट खरीदकर ईरान को उसे सप्लाई करने का प्रश्न दोनों सरकारों के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि अप्रैल-दिसम्बर, 1977 अवधि के दौरान राज्य व्यापार निगम के पत्तन गोदामों में लगभग 47,000 मे० टन चीनी की मात्रा उपलब्ध थी। इस बीच राज्य व्यापार निगम ने इसमें से 8800 मे० टन चीनी की मात्रा जनवरी-फरवरी, 1978 में घरेलू बाजार में बेच दी है।

LOSS TO PUBLIC UNDERTAKINGS DUE TO STRIKE IN MAHARASHTRA

3426. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the loss suffered by public undertakings run by the Centre due to recent strike by Maharashtra State employees has been estimated; and

(b) if so, the industry-wise break-up thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H.M. PATEL): (a) and (b) From the information available 14 Central Government enterprises have reported that they have not incurred any losses due to strike. Two companies have reported having incurred losses as follows :—

(i) *Central Warehousing Corporation.*

Owing to strike the Regional Office at Bombay and the warehouses located in Maharashtra could not provide Disinfestation Extension Service as a result of which the Corporation suffered a loss of about Rs. 8,000/-.

(ii) *National Textile Corporation*

(Maharashtra North).

The Corporation suffered a loss of about Rs. 30,000/- due to delay in getting payment against supplies made to Maharashtra Government.

आस्ट्रेलिया से ऊन के गोलों (वूल टाप) का आयात

3427. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1978 के "इक्नोमिक टाइम्स" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि आस्ट्रेलिया से 5 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्य के ऊन के गोले (वूल टाप) मंगाये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि ऊन के गोले ऊनी धागे (वर्सटिड आदि) और ऊनी कपड़े आदि के आयात की चालू आयात नीति के अतर्गत अनुमति से देश के कोम्बिंग और ऊनी उद्योगों के सामने निश्चित रूप से एक बड़ा संकट आयेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऊनी गोलों, धागों और कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है और यदि नहीं, तो क्यों ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) ऊन के गोलों, ऊनी धागे तथा ऊनी वस्त्रों का आयात विद्यमान आयात नीति के अन्तर्गत विशेषीकृत ऊनी माल के निर्यात के आधार पर ही किया जाता है । वर्ष 1978-79 की नीति अभी विचाराधीन है।

खुर्जा में 'पोटरी' उद्योगों द्वारा उत्पादित उत्पादों से अर्जित विदेशी मुद्रा

3428. **श्री मोहनलाल पिपिल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खुर्जा स्थित विभिन्न 'पोटरी उद्योग' द्वारा उत्पादित उत्पादों के संबंध में सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कुल कितनी राशि वसूल की गई ;

(ख) उसी अवधि में इन उद्योगों के उत्पादों के निर्यात से सरकार को कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(ग) इस क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास करने के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गई अथवा निर्यात के लिये आबंटित की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) खुर्जा स्थित विभिन्न पोटरी उद्योगों से गत तीन वर्षों में वसूल हुई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कुल रकम नीचे दी गयी है :—

वर्ष	वसूल किया गया राजस्व
	रुपये (000)
1975	·42
1976	238
1977	390

(ख) यह बताया जाता है कि इन औद्योगिक एककों के उत्पादों को कोई सीधा निर्यात **नहीं** हुआ है । इसलिए, इन औद्योगिक एककों के उत्पादों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का यदि कोई हो, ठीक-ठीक ब्यौरा देना संभव नहीं है ।

(ग) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बहुराष्ट्रीय निगम

3429. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजनेस इंटरनेशनल द्वारा दिल्ली में आयोजित सत्र में 55 बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था यदि हां, तो ऐसे निगमों के नाम क्या हैं, ये किस-किस मूल देश के थे, इन निगमों की मुख्य व्यापारिक रुचि क्या थी और उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या था ।

(ख) क्या अमरीकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा से पूर्व ऐसा सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया था;

(ग) विदेश मंत्रालय और आगन्तुक के बीच हुए विचार-विमर्श के मुख्य निष्कर्ष क्या है ; और

(घ) इस बारे में क्या अनुवर्ती कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) बिजनेस इंटरनेशनल ने 29 जनवरी, 1978 और 1 फरवरी, 1978 के बीच नई दिल्ली में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया था। उस सम्मेलन में जिन बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) बहुराष्ट्रीय निगमों के जिन प्रतिनिधियों ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, उनकी विदेश मंत्रालय के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई थी।

विवरण

जनवरी-फरवरी, 1978 में दिल्ली में हुए बिजनेस इंटरनेशनल के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की कम्पनियों और निगमों की सूची।

नाम	मूल देश (मुख्यालय)	मुख्य व्यवसाय
एल्कन एल्युमिनियम लि०	कनाडा	एल्यमिनियम
एल्फा लावल एब	स्वीडन	डेरीफार्मों, रसायन संसाधन उद्योगों, यांत्रिक इंजीनियरी उद्योगों, प्रदूषण तथा जल अभिक्रिया प्रशीतन तथा बिजली उत्पादन उपस्कर और संयंत्र
अमेरिकन एक्स-प्रेस कं०	संयुक्त राज्य अमेरिका	अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग।
एटलस कोप्को एब	स्वीडन	सुरंग बनाने, खनन और सिविल इंजीनियरी संबंधी वैधक उपस्कर, चल और अचल कम्प्रेसर, औद्योगिक औजार, वायवीय कलपुर्जे, आदि।
बाक इंटरनेशनल लि०	युनाइटेड किंगडम	औद्योगिक तथा चिकित्सा गैसों का निर्माण और वितरण
बार्डन इंक	संयुक्त राज्य अमेरिका	दूध और दुग्ध उत्पाद, खाद्य तथा रसायन उद्योग
ब्रुक बांड लाएबिग लि०	युनाइटेड किंगडम	चाय, काफी, मांस तथा अन्य खाद्य उत्पादों का पैकिंग और वितरण।

नाम	मूल देश (मुख्यालय)	मुख्य व्यवसाय
ब्रंस्विक कारपोरेशन	संयुक्त राज्य अमेरिका	जहाजी इंजनों, अवकाश के समयआमोद प्रमोद के उपकरणों, चिकित्सा साधनों, औद्योगिक फिल्टरन तथा पालिमर उत्पादों का निर्माण ।
कैटरपिलर ट्रैक्टर कं०	संयुक्त राज्य अमेरिका	ट्रेक्टर तथा मिट्टी हटाने के उपस्कर
दि चैज मैनहट बैंक	संयुक्त राज्य अमेरिका	बैंकिंग ।
क्लार्क इक्विपमेंट कं०	संयुक्त राज्य अमेरिका	सामान उठाने-धरने की मशीनें, निर्माण संबधी उपस्कर, मोटरगाड़ियों आदि के कल-पुर्जे आदि ।
कम्बशन इंजीनियरिंग इंक	संयुक्त राज्य अमेरिका	फासिल ईंधन तथा न्यूक्लीय भाप उत्पादन पद्धतियों सहित अनेक प्रकार के उपस्करों पेट्रोलियम तथा गैस संसाधन उपस्करों आदि का निर्माण ।
कॉंटिनेन्टल बैंक	संयुक्त राज्य अमेरिका	वाणिज्यिक बैंकिंग ।
कंट्रोल डाटा कारपोरेशन	संयुक्त राज्य अमेरिका	संगणक और वित्तीय सेवाएं ।
ई० आई० डु पोन्ट डेनेमर्स एण्ड कम्पनी इंकारपोरेटेड	संयुक्त राज्य अमेरिका	रसायन और सम्बद्ध औद्योगिक उत्पाद ।
फ्लोर कारपोरेशन	संयुक्त राज्य अमेरिका	इंजीनियरी और तेल शोधक कारखानों, पेट्रोरसायन कारखानों, न्यूक्लीय कारखानों आदि का निर्माण ।
जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी	संयुक्त राज्य अमेरिका	बिजली के उपस्कर ।
गुडईयर टायर एण्ड रबर कम्पनी	संयुक्त राज्य अमेरिका	टायर और रबड़ उत्पाद ।
गल्फ आयल कारपोरेशन	संयुक्त राज्य अमेरिका	पेट्रोलियम अन्वेषण, उत्पादन, शोधन अनुसंधान और विपणन ।
हरक्युलिस इंकारपोरेटेड	संयुक्त राज्य अमेरिका	मध्यवर्ती रासायनिक पदार्थ ।
हिताची लिमिटेड	जापान	बिजली और इलेक्ट्रोनिक उत्पाद
होएक्स्ट ए० जी०	पश्चिम जर्मनी	रसायन और औषध
हफ्स इंटरनेशनल	संयुक्त राज्य अमेरिका	वाणिज्यिक संचार उपग्रह, प्रणाली भूमि केन्द्र और संबंधित उपस्कर ।
आई० सी० आई०	यूनाइइटेड किंगडम	रसायन ।
इंगरसोल-रैंड ऐण्ड कम्पनी	संयुक्त राज्य अमेरिका	अनेक प्रकार की मशीनों और उपस्करों तथा कम्प्रेसरों आदि का निर्माण ।

नाम	मूल देश (मुख्यालय)	मुख्य व्यवसाय
एस० सी० जानसन ऐण्ड सन इंकारपोरेटेड	संयुक्त राज्य अमेरिका	वैक्स और रसायन विशेषज्ञता उत्पाद
मारुबेनी कारपोरेशन	जापान	सामान्य व्यापार ।
मेडिट्रानिक इंकारपोरेटेड	संयुक्त राज्य अमेरिका	जीव-चिकित्सा इंजीनियरी और चिकित्सा सम्बन्धी उपकरनों का निर्माण और विपणन ।
मेमोरेक्स कारपोरेशन	संयुक्त राज्य अमेरिका	अंक संसाधन उपकरण तथा सामग्री और श्रव्य-दृश्य क्षेत्र की उपभोक्ता वस्तुएं ।
मेमोरैक्स मेकर एण्ड कम्पनी इंकारपोरेटेड	संयुक्त राज्य अमेरिका	मानव, पशु और वातावरण स्वास्थ्य के लिए उत्पाद और सेवाएं ।
मिनेसोटा माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी	संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रीसीजन कोटिंग और बांडिग पर आधारित उच्च टैक्नालॉजी उत्पादों का निर्माण और विपणन ।
मित्सुइ एण्ड कम्पनी लि०	जापान	सामान्य व्यापार ।
मानसैंटो कम्पनी	संयुक्त राज्य अमेरिका	रसायन ।
नेशनल फोर्ज कम्पनी	संयुक्त राज्य अमेरिका	भारी पूंजी उपस्करों के बनाने वालों के लिए प्रीसीजन मशीनें ओपन डाई स्टील फोर्जिंग
नैंटोमस	संयुक्त राज्य अमेरिका	पेट्रोलियम की खोज, उत्पादन शोधन और विपणन आदि ।
नेसल एलिमेंटेना कम्पनी	स्विट्जरलैंड	खाद्य वस्तुएं ।
निकोलस इंटरनेशनल लि०	आस्ट्रेलिया	दवाइयां और अस्पताल का सामान ।
फाइजर इंक	संयुक्त राज्य अमेरिका	भेषज और अस्पतालों में काम आने वाले उपकरण ।
फिलिप मोरिस इंक	संयुक्त राज्य अमेरिका	सिगरेट, बीयर, रसायन, कागज और पैकेजिंग सामग्री ।
पिलिंगटन ब्रदर्स ब्रिटेन	ब्रिटेन	कांच का सामान ।
आर० जे० रेनाल्ड्स इंडस्ट्रीज इंक	अमेरिका	समुद्री स्थलीय परिवहन ।
रिचडसन मैरेल इंक	अमेरिका	भेषज ।
राकवेल इंटरनेशनल	अमेरिका	औटोमोटिव, एयरोस्पेस, इलैक्ट्रानिक्स उपभोक्ता और उपयोग तथा औद्योगिक उत्पाद ।

नाम	मूल देश (मुख्यालय)	मुख्य व्यवसाय
रोह्म एण्ड हास कंपनी	अमेरिका	रसायन और सहायक उत्पाद ।
सैंडविक ए बी	स्वीडन	सीमेंट कार्बाइड उत्पाद, इस्पात, आरे तथा औजार, इस्पात-बेल्ट कन्वेयर ।
स्पैरी रैण्ड कारपोरेशन	अमेरिका	संगणक, फारम, उपस्कर, रक्षा उपस्कर, हाइड्रीलिक उपस्कर आदि ।
स्ट्रीलिंग ड्रग इंक	अमेरिका	भेषज, घरेलू वस्तुएं, रसायन, दूषण नियंत्रण प्रणाली आदि ।
स्विस बैंक कारपोरेशन	स्विट्जरलैंड	वाणिज्यिक बैंकिंग ।
सिन्थीलेवो एस० ए०	फ्रांस	भेषज ।
टेटरा पाक इंटरनेशनल ए बी	स्वीडन	तरल पदार्थों विशेषकर दूध और फलों के रस की पैकिंग प्रणाली ।
यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन	अमेरिका	रसायन, प्लास्टिक, गैस, धातु, कार्बन उत्पाद, वेल्डिंग उपस्कर आदि ।
युनाईटिड एनर्जी रिसोरसिज इंक	अमेरिका	तेल और प्राकृतिक गैस
वैल्स फार्गो बैंक	अमेरिका	बैंकिंग ।

आयात नीति

3430 श्री के० लकप्पा : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में सरकार द्वारा बनाई गई आयात नीति की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान आयात के लिए यदि कोई नई वस्तुएं निर्धारित की गई हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या नई नीति के परिणामस्वरूप कुछ वस्तुओं के आयात की मात्रा में कमी होगी और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा ।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) से (ग) 1978-79 के लिये आयात नीति तैयार की जा रही है तथा इस स्थिति में कोई भी ब्यौरा देना लोक हित में नहीं होगा ।

ALLOCATION OF FUNDS TO STATES OUT OF AMOUNT RECEIVED FROM WORLD BANK

3431. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many difficulties arise for the States because of the manner in which funds are allocated at present;

(b) whether it is also a fact that while advancing funds to the States out of the amount received from World Bank, Central Government pay one per cent interest to World Bank whereas the States are charged 9 per cent interest: and

(c) if so, the time by which a balance would be maintained in allocation of funds, etc. and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) The central assistance is allocated to the States in accordance with a formula (known as the 'Gadgil formula') approved by the National Development Council. The releases of central assistance are made according to certain set procedures as part of the scheme for financing the State plans.

(b) The external assistance received from the World Bank Group and other sources enters the central pool of resources from which central assistance to State Governments is allocated on the above pattern. The assistance from the World Bank is received at about 8 per cent per annum whereas assistance from IDA, its sort lending affiliate, carries a service charge of 0·75% per annum only. The central assistance is given to the State Governments in the form block grants and loans according to the pattern applicable to the State. The loan portion carries an interest of 5-1/2 per cent, with a rebate of 1/4 percent for timely repayment.

(c) Does not arise.

RISE IN THE PRICES OF TURMERIC AND JEERA

3432. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether prices of turmeric and Jeera have gone up considerably along with the price of mustard oil;

(b) whether it is proposed to stop export of turmeric and jeera as has been done in cases of potatoes and onion; and

(c) if so, when and if not, the reasons ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) The wholesale prices of turmeric and jeera steadily rose from April, 1977 reaching the peak in September/October, 1977. There has, however, been a decline in the prices of both these commodities since October/November, 1977. The wholesale price index of turmeric declined by 27·7% between October, 1977 and February, 1978. As for jeera, wholesale prices declined by about 28·6% at Calcutta and Agra between September, 1977 and February, 1978.

(b) & (c) Exports of both turmeric and jeera have been banned with effect from January 4, 1978 .

घोष एण्ड बोस इन्डस्ट्रीज की जांच

3433 **श्री बसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने कलकत्ता स्थित सेंट्रल बैंक आफ इंडिया जी० बी० आई० ग्रुप (घोष एण्ड बोस इंडस्ट्रीज) के लेखों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की घोष एंड बोस इंडस्ट्रीज के ऋणों और आस्तियों में कोई विसंगति अथवा अनियमितता का पता चला है ;

(ग) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने किस उद्देश्य के लिए ऋण दिया था और यह वास्तव में किस उद्देश्य के लिये प्रयुक्त हुआ तथा सरकार ने उपरोक्त मामले में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार ने किसी अधिकारी को, जिसने यह अनियमित कार्य किया था, इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) से (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना दी है कि सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने अपने प्रधान कार्यालय से एक अधिकारी को उसकी कलकत्ता ब्रांच में जी० बी० आई० ग्रुप के खातों के परिचालन में अनियमितताओं के आरोप की जांच के लिए प्रतिनियुक्त किया था । जांच से पता लगा है कि यह पार्टी जाली बीजकों के आधार पर ऋण प्राप्त करके बैंक को धोखा देती रही है। सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया इस पार्टी के विरुद्ध कलकत्ता पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज करा चुका है और पता लगा है कि उसके परिणाम-स्वरूप इस ग्रुप के भागीदार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बैंक ने इस पार्टी के विरुद्ध दीवानी कार्रवाई भी करने का निश्चय किया है।

सैण्ट्रल बैंक आफ इंडिया अपने स्टाफ की भूलों की भी जांच कर रहा है और आशा है कि जांच समाप्त हो जाने पर अंतर्ग्रस्त कर्मचारियों के विरुद्ध बैंक द्वारा कार्रवाई की जायेगी।

सहकारिता के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण

3434. **श्री अब्दुल अहद वकील :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सहकारिताओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण चालू करेगी;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी वस्तुओं का वितरण किया जायेगा; और

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) राज्य सरकारों को अपने विचार तथा सिफारिशें भेजने के लिए हाल ही में परिचालित की गई आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन-एवं-वितरण बढ़ाने की योजना में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए शहरी तथा देहाती दोनों ही इलाकों में वितरण की प्रभावी पद्धतियां बनाने और सहकारी समितियों के जाल का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

(ख) तथा (ग) इसमें शामिल की जाने वाली वस्तुएं तथा योजना की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दिखाई गई हैं।

विवरण

1. इस योजना का उद्देश्य आम खपत की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना और बढ़ा हुआ उत्पादन विशेष रूप से कमजोर वर्गों तथा कामगार जनता को समान रूप से और

कुशलता पूर्वक उपलब्ध कराना है। इस नई नीति का मूल उद्देश्य पहले की तरह अल्पकालीन राहत उपायों तथा तदर्थ हल के स्थान पर एक स्थायी प्रणाली का निर्माण करना है। प्रस्तावित प्रणाली द्वारा पिछले असंतुलनों को दूर करने तथा देहाती इलाकों में भी वितरण प्रणाली लागू करने का एक प्रभावी साधन तैयार किया जाना है। इसका उद्देश्य वितरण प्रणाली का विस्तार करके इसके अन्तर्गत अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुएं शामिल करने तथा उचित मूल्य की दुकानों के अधिकाधिक विस्तार के लिए प्रभावी कार्रवाई करना भी है, ताकि देश भर के दूरस्थ क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके।

2. उन कार्यों जिनकी परिकल्पना की गई है और उन कार्यवाही योजनाओं जिनका सुझाव दिया गया है, में उन वस्तुओं का उत्पादन प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं और जिनके लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों प्रकार के उपाय किए जाने हैं। इस योजना को तैयार करने में वित्तीय बाध्यताओं को भी ध्यान में लिया गया है और नीति यह है कि वर्तमान आधार ढांचे की सविधाओं और योजना-परिव्ययों का अनकूलतम उपयोग किया जाये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की नई नीति की अधिक महत्वपूर्ण बातें ये हैं :—

—वितरण प्रणाली में पहले से शामिल आवश्यक वस्तुओं का प्रभावी वितरण करना तथा उसमें और नई वस्तुएं शामिल करना। इस योजना में प्रारम्भ में अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल, कपड़ा, वनस्पति तेल तथा वनस्पति और आम-खपत की चुनी विनिर्मित वस्तुएं शामिल की जानी हैं।

—आम खपत की चुनी विनिर्मित वस्तुओं जैसे नहाने तथा कपड़ा धोने के साबुन, नमक, दियासलाई, चाय, कापियों, आम औषध व दवाइयों के बारे में सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को राज्य सरकारों के परामर्श से उत्पादन, उपलभ्यता तथा फुटकर मूल्यों की परिवीक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर लेना है। संबंधित मंत्रालय कुल मांग का और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं का जायजा लेने और उन्हें पूरा करने के उपाय करने के लिए उत्तरदायी होने चाहिएं ;

—अनाज, दालों, खाद्य तेलों अथवा तिलहनों, कापस आदि का बफर स्टाक बनाना और अपेक्षित आवश्यक वस्तुओं का आयात करना;

—भण्डारन, परिवहन तथा वितरण की लागत के क्षेत्रों में औचित्य लाना ;

—शहरी और देहाती क्षेत्रों के बीच वस्तुओं के आबंटन तथा उनके मूल्यों के असंतुलनों को दूर करना ;

—निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में वर्तमान आधार ढांचे की सुविधाओं का अनुकूलतम उपयोग किया जायेगा। वितरण कार्य के लिए कारगर प्रणालियां विकसित करने और इसके लिए शहरी तथा देहाती दोनों इलाकों में सहकारी समितियों का जाल बिछाने पर बल दिया जायेगा। यदि आवश्यक हुआ तो इस उत्तरदायित्व को लेने के लिए ग्राम पंचायतों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

——दूर-दूर तक फैले क्षेत्रों को शामिल करने के लिए फुटकर बिक्री केन्द्रों की संख्या इस प्रकार बढ़ाना कि 2000 की जनसंख्या के लिए कम से कम एक बिक्री केन्द्र हो जाये।

——विवेकपूर्ण ढंग से विभिन्न वस्तुओं की बिक्री करके और न्यूनतम बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों की आर्थिक आत्म-निर्भरता में सुधार करना ;

——उपभोक्ताओं को शामिल करते हुए सतर्कता समितियां स्थापित करना, जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पर्यवेक्षण तथा सतर्कता रखने और उपभोक्ताओं के हित का बचाव करने के लिए कानूनी शक्तियां प्राप्त हों। केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर उच्चाधिकार प्राप्त समितियों की स्थापना करना जो सम्पूर्ण वितरण के बारे में समन्वय कार्य तथा पर्यवेक्षण करेंगी और गतिविधियों पर नजर रखेंगी तथा सरकार को समय समय पर उपयुक्त उपायों की सिफारिश करेंगी।

पूंजीगत सामान पर उत्पादन शुल्कों में कटौती और सीमा शुल्कों को पुनः निर्धारित करना

3435. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों के महासंघ ने सरकार से अनरोध किया है कि पूंजीगत सामान पर उत्पादन शुल्कों में कटौती की जाये और सीमा-शुल्कों को पुनःनिर्धारित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ ने तारीख 31 जनवरी 1978 के एक ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा है कि वह समय आ गया है जब आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिये उत्पादनशुल्क में 'चतुर्दिक' कटौती वांछनीय ही नहीं बल्कि अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु, महासंघ ने उन निश्चित क्षेत्रों का उल्लेख नहीं किया है जहां उत्पादनशुल्क में ऐसी कटौती की जरूरत है। जहां तक सीमाशुल्क का सम्बन्ध है, महासंघ ने सुझाव दिया है कि आयातशुल्क, खासकर पूंजीगत उपस्करों, औद्योगिक कच्चे माल और संघटकों पर, कम किया जाना चाहिए।

(ग) (i) 1978-79 के बजट में, सरकार की इस सम्बन्ध में आर्थिक नीति को ध्यान में रखते हुए उत्पादनशुल्क में कुछ राहतें दी गई हैं। 69 निर्दिष्ट मदों का उत्पादन करने वाले लघु निर्माताओं को पर्याप्त राहत दी गई है। शुल्क में इन राहतों के ब्यौरे, संसद को पेश किए गए बजट दस्तावेजों में दिये गये हैं।

(ii) निर्दिष्ट पूंजीगत उपस्करों और सम्बद्ध मदों (मुख्यतः जिनका इस्तेमाल, चमड़े और सिलेसिलाये वस्त्रों, इन दोनों प्रमुख निर्यातोन्मुख उद्योगों में होता है) और तेल अन्वेषण में प्रयुक्त मशीनरी, निर्दिष्ट मशीनी औजारों, परीक्षण मशीनों और उपकरणों पर सीमाशुल्क मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से घटा कर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत किया गया है।

प्रत्येक देश से ली गई सहायता/ऋण

3436. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक देश से कितना-कितना ऋण लिया हुआ है ।

(ख) छठी योजना के लिए प्रत्येक देश से कितना-कितना ऋण लिए जाने का विचार है;

(ग) प्रत्येक देश मे गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितनी-कितनी सहायता ली गई और

(घ) छठी योजना के दौरान प्रत्येक देश से कितनी-कितनी सहायता ली जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ग) एक अनुबन्ध संलग्न है, जिसमें 31 दिसम्बर 1977 को प्रत्येक स्रोत की बकाया ऋणों और पिछले वर्षों में प्रत्येक स्रोत से प्राप्त सहायता सम्बन्धी सूचना का ब्यौरा दिया गया है ।

(ख) और (घ) छठी आयोजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसके अलावा, अलग अलग देशों और अन्य स्रोतों द्वारा सहायता के वचन आमतौर से वार्षिक आधार पर दिये जाते हैं ।

विवरण

चालू दर पर करोड़ रुपए

क्रम सं०	देश/स्रोत	31-12-1977 को बकाया ऋण राशि	एजेंसी/देशों के अनुसार प्राप्त सहायता (ऋण और अनुदान) 1974-75	1975-76	1976-77
1	2	3	4	5	6
1.	आस्ट्रिया	29.98	1.38	2.71	2.82
2.	बेल्जियम	50.35	4.84	6.86	8.56
3.	कनाडा	366.40	77.70	72.53	67.94
4.	डेनमार्क	21.93	2.18	2.91	2.73
5.	फ्रांस	268.69	39.31	62.61	54.40
6.	जर्मन संघीय गणराज्य (जर्मनी)	1,197.92	93.84	120.78	123.43
7.	इटली	28.19	—	—	3.52
8.	जापान	828.37	80.82	89.37	129.80
9.	नीदरलैण्ड	268.73	26.40	45.86	62.04
10.	स्वीडन	94.52	38.44	65.18	35.16
11.	यूनाइटेड किंगडम	845.03	112.69	139.58	148.21
12.	संयुक्त राज्य अमेरिका	2,757.27	65.38	107.58	71.13

1	2	3	4	5	6
13.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	218.07	4.32	4.54	20.88
14.	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ	2,752.99	319.80	430.20	480.73
15.	स्विट्जरलैण्ड	45.94	0.53	7.58	8.58
16.	आस्ट्रेलिया	—	2.85	13.19	7.50
17.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय	—	41.29	44.23	—
18.	संयुक्त राष्ट्रसंघीय आपात कार्य	—	5.54	39.70	2.84
19.	ईरान	672.38	93.35	326.56	174.49
20.	इराक	145.52	67.50	31.26	33.12
21.	संयुक्त अरब अमीरात	58.48	—	44.10	17.9
22.	कुवैत अरब आर्थिक विकास निधि	29.98	—	—	20.00
23.	चैकोस्लोवाकिया	40.12	6.42	4.96	8.5
24.	हंगरी	8.24	1.47	2.42	2.6
25.	पोलैंड	10.60	1.68	0.49	0.0
26.	सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	332.60	14.36	26.64	25.8
	जोड़	11072.20	1102.09	1691.84	1512.8

फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आफ इंडिया का अनुरोध

3437. डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद: : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैडरेशन आफ एसोसिएशन आफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज आफ इंडिया द्वारा अपने ज्ञापन में किए गए निम्न अनुरोधों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया और नीति क्या है :

(एक) छोटे एककों को उत्पादन-शुल्क से राहत;

(दो) पिछड़े क्षेत्रों में लघु एककों के मामले में कम से कम पांच वर्षों के लिये उत्पादनशुल्क में छूट ;

(तीन) अप्रत्यक्ष कराधान के बारे में झा आयोग की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन; और

(चार) लघु क्षेत्र के विकास के लिये अधिक धनराशि का आबंटन ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (i), (ii) और (iii) लघु निर्माताओं को प्रोत्साहन देने और देश में उद्यमी आधार प्रशस्त करने की सरकार की नीति के अनुरूप, 1978 बजट में लघु निर्माताओं को उत्पादन शुल्क में पर्याप्त राहत दी गई है जिससे वे अपेक्षाकृत बड़े एककों के साथ सफलतापूर्वक होड़ कर सकें। झा समिति द्वारा की गई

सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, 69 निर्दिष्ट मदों का निर्माण करने वाले लघु एककों को, एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये मूल्य तक के ऐसे माल की प्रथम निकासी पर देय शुल्क से छूट दी गई है, बशर्ते पूर्ववर्ती वर्ष में कुल निकासियां 15 लाख रुपये से अधिक की नहीं हुई हों। यह छूट किसी भी क्षेत्र में स्थित एककों को उपलब्ध हैं।

(iv) सरकार, देहाती और लघुक्षेत्र के उद्योगों के विकास के जरिये देहाती क्षेत्रों में लाभकर नियोजन के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता को समझती है। वर्ष 1977-78 में 145 करोड़ रुपये के मुकाबले, 1978-79 में इनके लिये कुल 219 करोड़ रुपये नियत किए जाएंगे।

आयकर तथा सम्पत्ति कर अधिनियमों का संशोधन करने का निर्णय

3438. श्री के० मालन्ना : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कि सरकार ने आयकर और सम्पत्ति कर अधिनियमों का संशोधन करने का निर्णय किया ह।

(ख) क्या चल तथा अचल सम्पत्ति पर पूंजी निवेश से होने वाली आय और गैर सदस्यों से मिलने वाले दान को भी आय कर से छूट देने का निर्णय किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो जहां तक सरकार की नीति का संबंध है राजनैतिक दलों के लिए कर से छूट और कंपनी के दान पर रोक लगाने के बारे में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला): (क), (ख) तथा (ग) सरकार, निम्नलिखित की दृष्टि से विधान प्रस्तुत करना चाहती है :—

(i) राजनीतिक दलों द्वारा (चल और अचल दोनों सम्पत्तियों, में) किये गये अपने पूंजी निवेशों से प्राप्त आय और उन्हें गैर-सदस्यों से दान के रूप में प्राप्त आय पर आय-कर में छूट देना;

(ii) उनके द्वारा धारित परिसम्पत्तियों के मूल्य पर धन-कर से छूट देना;

(iii) किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका, पैम्फलिट अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रकाशनों में विज्ञापन के लिये सभी करदाताओं द्वारा (जिसमें कम्पनियां भी शामिल हैं) किये गये व्यय पर कर लगने-योग्य लाभों की संगणना में छूट नहीं देना। आय-कर में प्रस्तावित छूट तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि राजनीतिक दल उचित बहीखाते नहीं रखते, और अपने वार्षिक लेखों की किसी चार्टर्ड-लेखाकार अथवा अन्य किसी अर्हताप्राप्त लेखाकार द्वारा लेख परीक्षा नहीं कराते। आयकर तथा धन-कर में छूट केवल उन्हीं राजनीतिक दलों के मामले में दी जायगी, जो चुनाव चिह्न (आरक्षण तथा आवंटन आदेश 1968 के अन्तर्गत भारत के चुनाव आयोग के पास पंजीकृत हों अथवा पंजीकृत हुए समझे जाते हों।

स्टर्लिग चाय कम्पनियां

3439. श्री के० मालन्ना: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 'स्टर्लिग' (विदेश) कम्पनियों की संख्या कितनी है जो भारत में चाय उद्योग में कार्य कर रहीं हैं और कब से कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या इन्हें केवल विदेशी लोग ही चला रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा वे कितनी वार्षिक आय भारत सरकार को कर के रूप में दे रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

एयर इण्डिया तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा अन्य नगरों में चलाये जा रहे अतिथि गृह

3440. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा दिल्ली, बम्बई मद्रास तथा अन्य नगरों में कितने अतिथि-गृह चलाये जा रहे हैं; और

(ख) एयर इण्डिया तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उन पर कुल कितना वार्षिक व्यय किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोतम कौशिक) : (क) दिल्ली में इंडियन एयरलाइन्स का कोई "गेस्ट हाउस" नहीं है तथा एयर इंडिया का केवल एक गेस्ट हाउस है।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक व्यय लगभग 73,465/- रुपए था जिसमें कर्मचारियों के वेतन, किराया, टैक्स, पानी तथा बिजली प्रभार और संधारण, मरम्मत आदि की व्यवस्था सम्मिलित है।

PROBLEMS OF GOLDSMITHS

3441. SHRI RAM KANWAR BERWA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether many goldsmiths met him during his recent visit to Trivandrum and also invited his attention to their problems;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a), (b) & (c) Some goldsmiths belonging to All Kerala Gold Workers Union met the Minister of State at Trivandrum on 9th January, 1978. The Minister assured them that their grievances would be looked into and such remedial action as may be called for will be taken within the framework of the Gold (Control) Act.

The Government has since made some relaxations allowing the goldsmiths to buy and sell gold ornaments subject to certain conditions by issue of Notification Orders on 14th February, 1978. Provisions regarding grant of goldsmith's certificates have also been relaxed.

AMENDMENT OF GOLD CONTROL ACT

3442. SHRI KANWAR BERWA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state whether Government propose to amend Gold Control Act in order to make available gold easily to the goldsmiths for preparing ornaments and to remove their other difficulties and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : At present tno proposal to amend the Gold (Control) Act is under the consideration of the Government.

However, under the present Gold (Control) Act itself gold has been made available to the goldsmiths for manufacture and sale of jewellery. Whatever difficulties experienced by the goldsmiths under the present Gold Control Act, are being removed by making suitable amendments of the Rules made thereunder, consistent with the main objectives of the Gold Control Act.

INCOME TAX ARREARS

3443. SHRI BHARAT SINGH CHOWHAN
SHRI YAGYA DUTT SHARMA
SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the names of the firms against which income tax amounting to rupees five lakhs or more is outstanding during the financial year ending 31st March, 1978; and

(b) the reasons for not realizing the arrears so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA) : (a) & (b) According to presently available information, the number of assessees against whom gross arrears of income tax above Rs. 5 lakhs were pending as on 31-12-77 as 1663. (This excludes the number of such cases in the charge of Commissioner of Income-tax, Andhra Pradesh, whose report could not be received in time.)

Other information asked for in parts (a) and (b) of the Question is not readily available and its collection from field offices spread all over the country will involve considerable time and effort. If the Hon'ble Member desires to have information in respect of any particular case or cases, the same will be collected and furnished.

SCHEME TO PROMOTE THE EXPORT OF ARTICLES MANUFACTURED BY SMALL ARTISANS

3444. SHRI BHARAT SINGH CHOWHAN
SHRI YAGYA DUTT SHARMA
SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether any effective scheme to promote the export of article manufactured by small artisans is under consideration of Government; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) & (b) No new scheme is under consideration of the Government for promoting exports of articles manufactured by small artisans. The existing export promotion Schemes cover all handicrafts products including those manufactured by small artisans.

अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को कम करने के लिये प्रस्तावित आर्थिक उपाय

3445. **डा० बापू कालदाते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्थव्यवस्था में हाल की स्फीतिकारी प्रवृत्तियों के कारण क्या हैं; और

(ख) इनको कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा अग्रेतर स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को कम करने के लिए किन आर्थिक उपायों का प्रस्ताव किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीतिकारी दबावों पर सफलतापूर्वक अंकुश रखा गया है। इसी कारण, थोक कीमतों का सूचक अंक (1970-71=100), जो 26 मार्च, 1977 को समाप्त हुए सप्ताह में 182.1 था, कम होकर 25 फरवरी, 1978 को समाप्त हुए सप्ताह में 180.3 हो गया।

(ख) मुद्रास्फीति पैदा करने वाले दबावों पर अंकुश रखने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनका उल्लेख आर्थिक समीक्षा 1977-78 में किया गया है, जिसे हाल ही में संसद में पेश किया गया है।

कतिपय औद्योगिक गृहों को ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों तथा राज्य सरकारों के नाम और उनके द्वारा दी गई रांशि

3446. **डा० बापू कालदाते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स बिरला, मेसर्स टाटा, मेसर्स मफतलाल, मेसर्स बजेरिया तथा मेसर्स डालमिया जैन को 1977 के दौरान किन वित्तीय संस्थाओं द्वारा कितनी राशि दी गई;

(ख) इसी अवधि में किन-किन राज्य सरकारों द्वारा इन औद्योगिक गृहों को कितनी और राशि दी गई ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इसी अवधि में सस्ती बिजली, जल तथा भूमि जैसी कोई विशेष रियायत भी दी थीं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) वित्तीय संस्थाएं बड़े औद्योगिक घरानों को दिये गये अपने ऋणों के बारे में औद्योगिक लाइसेंस नीति समिति की रिपोर्ट में यथानिर्दिष्ट सूचना रख रही थीं। अलबत्ता, 1974 को समाप्त अर्धवर्ष के आरम्भ से इन संस्थाओं ने एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड औद्योगिक समूहों के बारे में इस प्रकार की सूचना रखना शुरू किया है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बिरला, टाटा और मफतलाल

औद्योगिक घरानों को दी गई सहायता की राशि संलग्न विवरन में दी गई है। एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अधीन बाजोरियां अथवा डालमिया जैन नामक कोई औद्योगिक घराना रजिस्टर्ड नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

संस्थाओं का नाम	अवधि	वितरित किए गए ऋण की राशि		
		बिरला	टाटा	मफत लाल
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	1977	22.56	80.00	—
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	1977	68.00	433.00	60.00
भारतीय यूनिट ट्रस्ट	1977	—	—	—
जीवन बीमा निगम	1-4-76 से 31-3-77	74.00	441.67	10.46
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1-7-76 से 30-6-77	*928.04	*429.37	—

*मंजूर की गई राशि ।

बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली तथा मद्रास में "फाइव स्टार" होटलों को दी गई राशि

3447. **डा० बापू कालदाते :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली तथा मद्रास में फाइव स्टार होटलों को नये होटलों के निर्माण के लिए अथवा वर्तमान होटलों के विस्तार के लिए कितनी राशि दी गई;

(ख) होटलों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक को कितनी राशि दी गई;

(ग) कितनी राशि वसूल की गई है; और

(घ) उनके नाम क्या हैं और उन पर कितनी राशि बकाया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोतम कौशिक): (क), (ख), (ग) और (घ) गत पांच वर्षों के दौरान ऋण के रूप में 264.50 लाख रुपये की राशि दी गई है, जिसका विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

गत पांच वर्षों के दौरान बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली तथा मद्रास में पांच स्टार होटलों को निर्माण, अथवा वर्तमान होटलों के विस्तार, के लिए दी गई राशि का विस्तृत ब्यौरा दिखाने वाला विवरण :—

क्रम सं०	होटल कम्पनी का नाम	दी गई राशि	31-12-77 तक वसूल की गई राशि	31-12-77 को देय किश्त	टिप्पणी
		लाख रुपये	लाख रुपये		
1.	ओरयन्टल होटल्स लिमिटेड, मद्रास (ताज कारोमान्डल होटल)	72.50	*	कुछ नहीं	नई परियोजना
2.	ईस्टर्न इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड, बम्बई (हालिडे इन)	67.00	6.33	,, ,, ,, ,,	
3.	आई० टी० सी० लिमिटेड	25.00	**	,, ,, ,, ,,	
	(i) नई दिल्ली (होटल मौर्य)				
	(ii) आगरा (होटल मुगल)				

*वापसी 20-5-1978 से शुरू होनी है।
**वापसी 20-4-1979 से शुरू होनी है।

वांचू समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

3448. **डा० बापू कालदाते :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1977 से वांचू समिति की किन सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) क्या शेष स्वीकृत सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो वांचू समिति की स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित करने के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) से (घ) यद्यपि मार्च 1977 से वांचू समिति की किसी भी सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया गया है तथापि उन शेष सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है जो सरकार द्वारा स्वीकार

कर ली गई है किन्तु जिन्हें अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें उन सिफारिशों को जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है किन्तु जिन्हें कार्यान्वित किया जाना है, और उनको कार्यान्वित नहीं किए जाने के कारण बताये गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1836/78**]

टंडन समिति द्वारा सिफारिश किये गये बैंक ऋण देने के लिये सिद्धान्त

3449. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टंडन समिति ने बैंक ऋण देने के लिये कुछ सिद्धान्तों की सिफारिश की थी ताकि ऋण लेने वाले उद्योगों द्वारा अधिक मूल्य की माल सूचियों पर नियंत्रण रखा जा सके और ऋण का बेहतर उपयोग किया जा सके ;

(ख) क्या यह सच है कि इन सिफारिशों के बावजूद ऋण लेने वाले कुछ उद्योग निर्धारित सीमा से अधिक बैंक ऋण लेने में सफल हो गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या उद्योगों को बैंक ऋण देने के समुचे मामले की पूरी जांच करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) बैंक ऋणों विषयक रिजर्व बैंक के अध्ययन दल ने, जिसे टंडन समिति कहा जाता है औद्योगिक ऋणकर्त्ताओं के लिये कुछ वित्तीय सिद्धांतों का सुझाव दिया है। इस समय में सिद्धांत उन सभी औद्योगिक ऋणकर्त्ताओं के लिये लागू है जिनकी कुल ऋण लिमिट बैंकिंग प्रणाली से 10 लाख रुपये से अधिक है।

(ख) और (ग) रिजर्व बैंक, टंडन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में बैंकों द्वारा की गई सामान्य प्रगति की समीक्षा करता है। परन्तु बैंक, उत्पादन में अड़चनों को दूर करने के लिये, रिजर्व बैंक द्वारा इस बारे में समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर, उपयुक्त मामलों में, इन सिद्धांतों से अलग भी हट सकते हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कमाये हुए तथा बिना कमाये हुए चमड़े का निर्यात

3450. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार निर्यात किये गये कमाए हुए तथा बिना कमाए हुए चमड़े की मात्रा संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) बिना कमाए चमड़े की अपेक्षा कमाये हुए चमड़े के निर्यात को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसका देश के भीतर चमड़ा व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) कच्चे लोम चर्म के अलावा कच्चे चमड़े के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । तथापि कोटा प्रतिबंध के अन्तर्गत अर्द्ध तैयार चमड़े के निर्यात की अनुमति दी जाती है । पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्द्ध तैयार तथा तैयार चमड़े के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :—

मूल्य लाख रुपयों में

	मात्रा दस लाख किग्रा० में					
	1974–75		1975–76		1976–77	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1 2	3	4	5	6	7	8
1. अर्द्ध कमाई हुई खालें तथा चमड़िया	25.5	10179	31.8	13441	24.6	13707
2. तैयार चमड़ा .	5.4	3035	7.1	5495	12.8	10503
3. कच्चा लोम चर्म . .	—	42	—	19	—	79

(ख) तथा (ग) 1972-73 में डा० सीतारमैय्या समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने चमड़ा निर्यात व्यापार की अर्जन क्षमता को बढ़ाने तथा देश में वर्द्धित मूल्य तथा रोजगार का सृजन करने के विचार से कच्ची/अर्द्ध साधित खालों तथा चमड़ियों के निर्यातों के स्थान पर तैयार चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यातों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है । नई नीति का चमड़ा व्यापार तथा उद्योग पर अच्छा प्रभाव पड़ा है । पिछले कुछ वर्षों में चमड़ा उद्योग में अर्द्ध तैयार खालों तथा चमड़ियों के उत्पादन के स्थान पर तैयार चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुओं का काफी उत्पादन हुआ है और इस अवधि के दौरान देश में फिनिशिंग क्षमता में भारी वृद्धि की गई है । तैयार चमड़े के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है तैयार चमड़े के निर्यात, जो 1974-75 में 30 करोड़ रु० के थे, 1976-77 में बढ़कर लगभग 105 करोड़ रु० के हो गए ।

एयरबस परिचालन के लिये हवाई अड्डों का विकास

3451. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने हवाई अड्डे एयरबस परिचालन से सम्बद्ध हैं;

(ख) क्या एयर बस परिचालन के लिए कुछ और हवाई अड्डों का भी विकास किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोतम कौशिक): (क) फिलहाल पांच—बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा बंगलौर।

(ख) और (ग) जी हां। अगले पांच वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स की क्रमिक आधार पर गौहाटी, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, श्रीनगर तथा गोआ के लिये एयर बस सेवाएं चालू करने की योजना है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोगता सहकारी समिति को नियंत्रित कपड़े का आबंटन

3452. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति के नियंत्रित कपड़ा बेचने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977-78 के दौरान अब तक इस समिति को कितने नियंत्रित कपड़े का आबंटन किया गया और इस समिति से गरीब तथा जरुरतमंद लोगों को किस प्रकार वितरित किया;

(ग) क्या कुछ व्वक्तियों ने शिकायत की थी कि इस समिति के माल रोड स्थित स्टोर पर नियंत्रित कपड़े का कालाबाजार होता है; और

(घ) वे शिकायतें किस प्रकार की थीं और यह कालाबाजार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां।

(ख) समिति को वर्ष 1977-78 के दौरान 28-2-1978 तक नियंत्रित कपड़े की 295 गांठें आबंटित की गई थी। 28-2-1978 तक यह कपड़ा समिति के 16 फुटकर बिक्री केंद्रों के माध्यम से राशन कार्डों पर 20 मीटर प्रति कार्ड प्रति मास की दर से बेचा गया।

(ग) जी हां।

(घ) शिकायत यह थी कि 12-1-1977 को 2 व्यक्ति दिल्ली में पुराने सचिवालय, के पास पी० एण्ड टी० बिल्डिग में स्थित माल रोड शाखा से अनधिकृत रूप से कुछ नियंत्रित कपड़ा ले जाते हुए देखे गये थे। इस शिकायत की जांच दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा की जा रही है, जो संघ शासित क्षेत्र में नियंत्रित कपड़े का समुचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी अभिकरण है।

बैंक आफ बड़ौदा द्वारा अनुमोदित कृषि प्रस्ताव

3453. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ बड़ौदा ने गत तीन वर्षों के दौरान एक लाख रुपए के कितने तथा एक लाख रुपए से अधिक के कितने कृषि प्रस्तावों का अनुमोदन किया है ;

(ख) इस बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान एक लाख रुपए से अधिक के तथा 5 लाख रुपए से अधिक के पिछड़े क्षेत्रों के कितने प्रस्ताव प्राप्त किए और उनका क्या हुआ;

(ग) कार्यकारी पूंजी, रहन, गिरवी रखे कच्चे माल आदि के लिए वित्त देने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है; और

(घ) कितने मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है और किन परिस्थितियों में ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) बैंक आफ बड़ौदा ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 1 लाख रुपए तक के 73227 और 1 लाख रुपए से अधिक के 370 कृषि ऋण प्रस्ताव अनुमोदित किये ।

(ख) अब इकट्ठा की गई सूचना नीचे लिखे अनुसार है :—

पिछड़े हुए इलाकों के प्रस्तावों की संख्या औरे राशि

एक लाख रुपए से अधिक			5 लाख रु० से अधिक		
प्राप्त हुए	स्वीकृत	रद्द किये गये	प्राप्त हुए	स्वीकृत	रद्द किये गये
161	160	11	33	32	1

(ग) बैंक आफ बड़ौदा द्वारा कृषि ऋणों के लिये कार्यकारी पूंजी विषयक आवश्यकतायें मंजूर करने के वास्ते जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांत नीचे लिखे अनुसार है :—

	दृष्टि बंधक पर	बंधक पर
(+) मार्जिन	25 प्रतिशत	25 प्रतिशत
(+) 10000 रुपए तक की स्वीकृत सीमा पर ब्याज की दर	11 प्रतिशत वार्षिक	11 प्रतिशत वार्षिक
10001 से 50000 रु० तक	$13\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक	$13\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक
50000 रुपये से ऊपर	15 प्रतिशत वार्षिक	15 प्रतिशत वार्षिक

(+) शर्त यह है कि वस्तुओं विषयक चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन निर्धारित किये गये निर्देशों और इन निर्देशों में से, जो भी अधिक हो । 4 प्रतिशत की विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत छोटे/सीमांतिक किसान पात्र होते हैं ।

(घ) बैंक ने अपनी शाखाओं को निर्देश दे दिये हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों का सख्ती से पालन करें और अभी तक इनके उल्लंघन की कोई सूचना नहीं मिली है ।

केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में सावधि ऋण के रूप में जारी किये जाने वाले लाइसेंसों तथा संगठित क्षेत्र की अन्य आवश्यकताओं के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त

3454. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों में सावधि ऋण, कार्यकर पूंजी, रहन, एल एम० गिरवी के रूप में दिये जाने वाले धन तथा संगठित क्षेत्र को अन्य आवश्यकताओं के बारे में रिजर्व बैंक ने क्या मार्गदर्शी सिद्धांत बताये हैं;

(ख) भिन्न-भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ब्याज की दरें क्या हैं;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान लाइसेंस देने की नीति और संगठित क्षेत्र द्वारा भिन्न-भिन्न औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन की तुलना में केंद्र घोषित पिछड़े क्षत्रों के विकास का कितनी बार पुनर्विलोकन किया; और

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए समुचित रूप से धन नहीं दे सका है; किन-किन क्षेत्रों में आबंटन पूरा नहीं किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक स्थिति का किस प्रकार मुकाबला करेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) यद्यपि, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कोई विशिष्ट निधि निर्धारित नहीं की जाती है, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं का यह प्रयास रहता है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के अर्थक्षम औद्योगिक उद्यमों की ऋण आवश्यकतायें प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएं । औद्योगिक विकास को तथा सामान्य रूप से पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में वाणिज्यिक बैंकों की ऋण की ब्याज की दरें संशोधित की हैं ।

ऋण के ब्याज की संशोधित दरें नीचे लिखे अनुसार हैं :—

अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज की अधिकतम दर

मांग और अवधि दायित्वों वाले बैंक	1 मार्च, 1978 से पहले की दरें	नई दरें
	प्रतिशत	प्रतिशत
(क) 50 करोड़ रुपए से अधिक और भारत से बाहर निगमित बैंक	$16\frac{1}{2}$	15
(ख) 25 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए के बीच	$17\frac{1}{2}$	15
(ग) 25 करोड़ रुपए से कम	कोई अधिकतम सीमा नहीं	16

सावधिक ऋण

मांग और अवधि दायित्वों वाले बैंक	1 मार्च, 1978 से पहले की दरें	नई दरें
	प्रतिशत	प्रतिशत
(क) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिए 3 वर्ष से अन्यून अवधि के वास्ते सांविधिक ऋण	12.50	12.50
(ख) अन्य सभी प्रयोजनों के लिए 3 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए सांविधिक ऋण		
(i) 3 और 7 वर्ष के बीच	15.00	14.00
(ii) 7 वर्ष से अधिक	14.00	
(ग) छोटे पैमाने के उद्योगों, छोटे सड़क परिवहन चालकों और विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों की छोटी इकाइयों को 3 वर्ष से अन्यून अवधि के सांविधिक ऋण	11 प्रतिशत (1-1-1978 से प्रभावी)	

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए रियायती पुनर्वित्त सहायता की एक योजना चला रहा है । जब कभी बैंक और राज्य वित्तीय निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्वित्त का लाभ लेते हैं तो छोटे और मझोले उद्योगों से 9.5 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल करते हैं ।

1980 तक पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य

3455. डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1980 तक 10 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी मशीनरी को तेज करने तथा पर्यटक उद्योग में तेजी लाने के लिये पूर्ण योजनायें तैयार कर ली हैं; और

(ख) क्या इस संबंध में हाल के "पाटा" (पी० ए० टी० ए०) सम्मेलन में कोई सुझाव दिये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोतम कौशिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में पाटा का संबंध सम्पूर्ण प्रशांत क्षेत्र के लिए पर्यटन को प्रोत्साहन देने से है । अतः भारत द्वारा 1980 के लिए निर्धारित 10 लाख पर्यटकों के आगमन के लक्ष्य को पूरा करने के संबंध में नई दिल्ली में हुए हाल के "पाटा" सम्मेलन में विशिष्ट रूप से कोई सुझाव नहीं दिये गए ।

सामान्य बीमा निगम की जीवन बीमा निगम को छोड़ते हुए चार सहायक कम्पनियों द्वारा एकत्र की गई प्रीमियम-आय

3456. **डा० सुब्रहमण्यम स्वामी:** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सामान्य बीमा निगम की जीवन बीमा निगम को छोड़ कर चार सहायक कम्पनियों ने वर्ष 1977 में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत कुल कितनी राशि प्रीमियम के रूप में प्राप्त की : (एक) 10 लाख रूपए या इससे अधिक की शेयर पूंजी वाली कम्पनियों से जहां 10 प्रतिशत छूट दी जाती है, प्राप्त प्रीमियम राशि (दो) ऐसे लोगों और/या संस्थानों से प्राप्त प्रीमियम की कुल राशि, जिनमें सरकारें, सरकारी उपक्रम, स्वायत शासन, नगरपालिका, निगमित निकाय रुचि रखते हैं (तीन) ऐसे लोगों और/या संस्थानों से प्राप्त प्रीमियम की कुल राशि जिनमें बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाएं रुचि रखती हैं (चार) मोटर बीमा से प्राप्त प्रीमियम की राशि (पांच) श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अधीन प्राप्त प्रीमियम की राशि (छः) भारत से बाहर स्थित कार्यालयों से प्राप्त प्रीमियम की राशि ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) साधारण बीमा निगम को छोड़कर भारतीय साधारण बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियों को कैलेंडर वर्ष 1977 में सीधे प्रीमियम से कुल 294 करोड़ रुपए की सकल आय हुई (इन आंकड़ों की लेखापरीक्षा होनी बाकी है) (i), (ii) और (iii) चूंकि ये कम्पनियां ग्राहकों के वर्गों के अनुसार प्रीमियम का हिसाब नहीं रखती इसलिए अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(iv) मोटर बीमा कारबार से वर्ष 1977 में प्रीमियम के रूप में 60.7 करोड़ रुपए की आमदनी हुई ? (इन आंकड़ों की लेखापरीक्षा होनी बाकी है) ।

(v) श्रमिक प्रतिकर बीमा कारबार से वर्ष 1977 में प्रमियम के रूप में लगभग 4.3 करोड़ रुपए की राशि के प्राप्त होने का अनुमान है (इन आंकड़ों की लेखापरीक्षा होनी बाकी है) ।

(vi) भारत से बाहर स्थित कार्यालयों से वर्ष 1977 में प्रीमियम के रूप में 33 करोड़ रुपए की निवल राशि प्राप्त हुई (इन आंकड़ों की लेखापरीक्षा होनी बाकी है) ।

SCHEME FOR DEVELOPMENT OF TOURISM IN HIMACHAL PRADESH

3457. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the names of the schemes under consideration of Government for development of tourism in Himachal Pradesh ;

(b) whether priority will be accorded to backward and snowcovered areas of tourists' attention and whether these areas are proposed to be developed ; and

(c) if so, the salient features in this regard ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) The Central Department of Tourism has under consideration the following schemes in Himachal Pradesh :—

(i) Development of the Vasistha hot water springs near Manali.

(ii) Construction of a Club house at Manali.

(b) and (c) The development of tourism to any place/area is dependent upon the availability of basic infrastructural facilities such as communications and regular and adequate supply of water and electricity. Since these basic facilities are at present not available in the backward and snowcovered areas of tourist attractions in Himachal Pradesh, there is no proposal for the present in the Central sector to provide tourist facilities in these areas. However, since they hold a potential for developing trekking, it is proposed to promote trekking in these areas for attracting tourists. For this purpose trek routes will be compiled after reconnoitring the area.

RATES OF INTEREST ON NATIONALISED BANK LOANS FOR INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL IMPLEMENTS

3458. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the rates of interest on the loans advanced by nationalised banks for industrial and agricultural implements; and

(b) whether Government propose reducing the rates of interest on the loans advanced to farmers for the purchase of tractors, tubewells, etc., and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) Small scale industries and agriculture constitute an important part of the priority sector. Banks generally charge concessional rates of interest from these sectors as they are exempted from the minimum lending rate of 12·5%.

(b) In order to stimulate capital investment in the farm sector, the banks have been advised to charge a rate of interest not exceeding 10·5% on term loans with maturity of not less than three years granted to farmers for purposes of minor irrigation and land development.

FIRMS/BREWERIES ENGAGED IN MANUFACTURE OF ENGLISH WINE

3459. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the names of the firms/breweries engaged in the manufacture of English wine in the country and the number of them in the public as well as in the private sectors separately ;

(b) whether Government have ascertained the fact that actual production cost of a bottle of wine is very low whereas it is sold at very high price ; and

(c) if not, the percentage of alcohol, water etc. mixed for preparing the said wine and the actual cost per litre thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) The list of distilleries to whom industrial licence for the manufacture of Indian Made Foreign Liquor has so far been granted is attached. None of these companies is in public sector. Besides these companies some more companies are also engaged in the manufacture of Indian Made Foreign Liquor, capacity for which prima facie has been set up by these companies in violation of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 and their application for carry-on-Business are still under consideration of the Ministry of Petroleum Chemicals and Fertilisers.

(b) Prices of Indian Made Foreign Liquor are not controlled by the Central Government.

(c) Indian Made Foreign Liquor is generally 25° under proof. Information regarding water mixed for preparing the said Wine and the actual cost per litre thereof is not available with the Central Government.

STATEMENT

1. M/S. Ajudhia Distilleries	U.P.
2. Carew and Company	U. P.
3. Rampur Distillery and Chemical Works	U. P.
4. Upper Doab Sugar Mills Pilkani	U. P.
5. Panipat Cooperative Sugar Mills	Haryana
6. Ranger Breweries	Himachal Pradesh
7. Sonal Distilleries Pvt. Ltd.	Rajasthan
8. Patiala Distillery	Punjab
9. Vindale Distilleries	Andhra Pradesh
10. Mysore Sugar Companies Ltd.	Karnataka
11. Pampsar Distillery	Karnataka
12. Amrit Distilleries Pvt. Ltd.	Karnataka
13. West India Distilleries Pvt. Ltd.	Karnataka
14. Uggar Sugar Works Ltd.	Karnataka
15. Yezdi Distilleries	Karnataka
16. Nirayu Distillery Pvt. Ltd.	Karnataka
17. Jamni Distillery Pvt. Ltd.	Karnataka
18. Travancore Sugars and Chemical Ltd.	Kerala
19. Jamnir Taluka Cane Producers Cooperative Society	Maharashtra
20. Brihan Maharashtra Distillery	Maharashtra
21. Tilak Nagar Distillery	Maharashtra
22. Kay Distillery Pvt. Ltd.	Maharashtra
23. Raman Distillery Ltd.	Maharashtra
24. United Agencies Ltd., Kolapur	Maharashtra
25. Central Distillery and Chemical Works Ltd.	U.P.
26. Kulburgi Distillery	Karnataka
27. Deokars Distillery	Maharashtra
28. Narang Industries Ltd.	U. P.
29. Indolaven Breweries	Haryana
30. Jagjit Industries Ltd.	Punjab
31. Shadilal Distillery Works	U.P.
32. Polychem Ltd.	Maharashtra

INTRODUCTION OF ELECTRICALLY PROPELLED COMPUTERS BY L. I. C.

3460. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the management of the Life Insurance Corporation has decided to introduce electrically propelled computers; and

(b) if so, whether representations from employees opposing the same have been received by Government and if so, action taken thereon ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b) Government have appointed an Expert Group to look into computer requirements of the insurance industry. The matter would be examined in all its aspects when the Report of the Group is received.

बैंक आफ बड़ौदा की वित्तीय स्थिति एवं इस बैंक द्वारा तथा अन्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कार्यान्वयन की जांच के लिये समिति

3461. **श्री गोबिन्द मुन्डा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ बड़ौदा का गत तीन वर्षों में प्रशासकीय ढांचा क्या था, निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं, कार्यकारी अधिकारियों के नाम क्या हैं और वित्त देने की उनकी शक्तियां क्या थीं;

(ख) क्या यह सच है कि बैंक के केन्द्रीय, क्षेत्रीय और जोनल संगठनों ने अग्रिम देने का काम समन्वित रूप से नहीं किया; गत 3 वर्षों में बैंक के विकास की क्या दर थी;

(ग) जोनल प्राधिकारियों द्वारा वित्त के लिये जिन प्रस्तावों की सिफारिश की गई उनमें से कितने प्रस्तावों में केंद्रीय स्तर पर पार्टियों/धनराशियों के बारे में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिये गये और उन परिवर्तनों के क्या कारण थे; और

(घ) क्या सरकार धन दिये जाने और इस बैंक द्वारा तथा अन्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के कार्यान्वयन की जांच के लिये समिति नियुक्त करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) बैंक का सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन, और कामकाज तथा कारोबार एक प्रबंध निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है । अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बैंक का मुख्य कार्यकारी होता है और उन शक्तियों और कर्त्तव्यों का उपयोग करता है जो बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित कर दी जाती हैं । बैंक आफ बड़ौदा के निदेशक मण्डल की वर्तमान संरचना अनुबंध में दी गयी है । अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की सहायता के लिए 1 महाप्रबंधक, 5 उप महाप्रबंधक और 1 मुख्य विधि सलाहकार होते हैं । भारत में सहायक महाप्रबंधक स्तर के 7 क्षेत्रीय प्रबंधक 7 क्षेत्रों के प्रभारी होते हैं । वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नीचे लिखे अनुसार है :—

(1) निदेशक मण्डल	पूरी शक्तियां
*(2) कार्यकारियों की समिति	50 लाख रुपए का नया ऋण मंजूर करने की शक्ति है और उन्हीं शर्तों और निबंधनों के वर्तमान ऋणों की समीक्षा की भी पूरी शक्तियां हैं
(3) केंद्रीय कार्यालय में कार्यकारी अधिकारी	30 लाख रुपए

(4) **क्षेत्रीय समिति**	25 लाख रुपए
(5) क्षेत्रीय प्रबंधक	20 लाख रुपए
(6) प्रादेशिक प्रबंधक और मुख्य प्रबन्धक	12.5 लाख रुपए
(7) वरिष्ठ प्रबंधक	9 लाख रुपए

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को वही शक्तियां प्राप्त हैं जोकि कार्यकारियों की समिति को हैं ।

(ख) (i) बजट को अंतिम रूप देने के समय बाजार के विभिन्न हिस्सों में ऋण के विकास का निर्णय कर लिया जाता है और इसके लिए बैंक की ऋण योजना और ऋण प्रसार के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा हिदायतों का ध्यान रखा जाता है । अलबत्ता जब कभी सरकार की नीति में कोई बड़ा अंतर आता है या नियम-स्तर पर नकदी की स्थिति की दृष्टि से आवश्यक होता है तो यथावश्यक फेरबदल कर ली जाती है । क्षेत्रीय प्राधिकारी सारे वर्ष ऋण योजना के संबंध में, बम्बई स्थित केंद्रीय कार्यालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं । बैंक ने बतलाया है कि केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच आवश्यक तालमेल मौजूद है ।

(ii) बैंक की विकास दर नीचे दी गयी है :—

	1974	1975	1976
शाखाओं की संख्या . .	827	887	1077
	(करोड़ रुपयो में)		
जमायें . .	816	996	1258
ऋण	516	651	888
प्राथमिकता प्राप्तक्षेत्रों को ऋण (निर्यात को छोड़कर) .	123	145	185
लाभ . .	2.60	2.90	3.25

(ग) हर मामले के गुणावगुण के आधार पर क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा सिफारिश किये गये प्रस्ताव यथा स्थिति, निदेशक मण्डल या कार्यकारियों की समिति द्वारा अनुमोदित या संशोधित अथवा अस्वीकृत किये जाते हैं ।

(घ) बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा गया है, जो कि एक स्वायतशासी सांविधिक निकाय है और जिसे बहुत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं । इस नियंत्रण को लागू करने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों से सांविधिक विवरण मंगाने के अलावा, बैंकों की बहियों और खातों का भी सांवधिक निरीक्षण करता है। सुव्यवस्थित बैंकिंग यूनिटों का विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक अपने निरीक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर समुचित अनुवर्त्ति कार्रवाई भी करता है । रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों पर लागू किये गये पर्यवेक्षण और नियंत्रण को देखते हुए बैंकों के काम की जांच के लिए कोई समिति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

बैंक आफ बड़ोदा के निदेशकों के नामों की सूची

क्रम सं०	नाम, पद और संक्षिप्त विवरण	नियुक्ति की तारीख	अवधि की समाप्ति की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री आर० सी० शाह, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, बैंक आफ बड़ौदा, 8, वालचंद हीराचंद मार्ग, बम्बई-400001।	1-5-75	30-4-79
2.	श्री जितेंद्र कुमार नारनभाई पटेल, (अहमदाबाद में गांधी रोड स्थत बैंक की शाखा में लिपिक) (बैंक के कामगर कर्मचारियों के प्रतिनिधि)	11-12-72	10-12-75 (जब तक उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं होती वे कार्य करते रहेंगे)।
3.	श्री आर० एम० देसाई, एजेंट, सूफी बोग शाखा, बैंक आफ बड़ौदा, सूरत (गुजरात) (बैंक के अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों के प्रतिनिधि)	4-11-77	3-11-80
4.	श्री ई० बी० रीनबोथ, नं० 2, कन्टोनमेंट, जबलपुर-482001 (म० प्र०) (बैंक के जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले)।	—तदैव—	—तदैव—
5.	श्री वी० के० लक्ष्मणन, उपाध्यक्ष, दी थुदियालर कापरेटिव, एग्रीकलचरल सर्विसज लिमिटेड, के० वरमादुराई, कोयम्बटूर-641017 (तमिलनाडु) (किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले)	तदैव—	—तदैव—
6.	श्री कृपाल सिंह शेखावत, कलाकार, बी-18, ए शिव मार्ग, बनी पार्क, जयपुर-302006 (राजस्थान) (कारीगरों के प्रतिनिधि)	—तदैव—	—तदैव—

1	2	3	4
7.	श्री आनन्द एन० अमीन, अध्यक्ष, डूरा केमिकल्स कार्पोरेशन (प्रा०) लि०, दूसरी मंजिल, आनन्द भवन, रीलीफ रोड, अहमदाबाद 38000 (गुजरात)	4-11-77	3-11-80
8.	श्री सी० सी० चोक्शी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, मैसर्स सी० सी० चोक्शी एंड कं०, मफतलाल हाऊस, बकबे रेक्लेमेशन, बम्बई-400020 (महाराष्ट्र)।	–तदैव–	–तदैव–
9.	श्री चुन्नी लाल इन्दलिया, (अ० ज०) कृषि शास्त्री, गांव बछनू, तहसील नोखा, जिला बीकानेर (राजस्थान)	–तदैव–	–तदैव–
10.	डा० वी० एस० व्यास, जी० एस० एफ० सी०—कृषि प्रबंध के प्रोफेसर, भारतीय प्रबंध संस्थान, वस्त्रपुर, अहमदाबाद-380015 (गुजरात)।	–तदैव–	–तदैव–
11.	श्री इब्राहीम अशरफ, उद्योगपति (चमड़े के व्यापारी), दारुल मौला, 88/22, नल रोड, सीसामऊ, कानपुर (उ० प्र०)	30-12-77	29-12-80
12.	श्री आर० जानकीरमन, ज्वाइंट चीफ एकाउन्टेंट, लेखा तथा व्यय विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई।	1-11-77	
13.	कुमारी कुसुमलता मित्तल, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली।	20-4-76	

बैंक आफ बड़ौदा की औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में संगठित क्षेत्र से वित्त के लिये प्राप्त प्रस्ताव

3462. **श्री गोबिन्द मुण्डा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ बड़ौदा को औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में संगठित क्षेत्रों से गत 3 वर्षों में वित्त के लिये कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) इस बैंक द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए इन वर्षों में कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी वास्तविक रूप से उद्यमियों को दी गई;

(ग) बैंक को इस अवधि में प्राप्त ऋण आवेदन-पत्रों का ब्यौरा क्या है; उनका निपटान किस प्रकार किया गया, कितनों का अन्तिम निपटान किया गया, कितने मामलों में वित्त में कटौती की गई एवं उसके कारण क्या हैं तथा विचाराधीन मामलों की स्थिति क्या है; और

(घ) उनके द्वारा कार्यचालन पूंजी, गिरवी रखकर सांवधिक ऋण पर किस दर से ब्याज लिया जाता है और औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में से भिन्न अन्य क्षेत्रों में ऋण की दर से यह दर किस प्रकार तुलनीय है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : 15 दिसम्बर, 1977 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक आफ बड़ौदा को पिछड़े क्षेत्रों के संगठित से 673 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । इनमें से 606 प्रस्ताव अर्थक्षम पाये गये थे और उनके लिए कुल 1288 लाख रुपए की सीमा मंजूर की गयी थी; 63 प्रस्ताव नामंजूर किये गये थे और 4 पर बैंक विचार कर रहा है ।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में घोषित की गई नई ब्याज दर नीति के अनुसार, सांवधिक ऋणों तथा कार्यचालन पूंजी दोनों के ब्याज की दरों में आमतौर से कमी हुई है । 3 वर्ष और उससे अधिक के पूंजीगत निवेश के लिए 12-1/2 प्रतिशत से अनधिक ब्याज की दरों पर उद्योग को सांवधिक ऋण उपलब्ध होते हैं । जब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाता है तो बैंक द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दरें निम्न-लिखित होती है :—

1. निर्धारित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में अवस्थित एकक	9-1/2 प्रतिशत वार्षिक
2. निर्धारित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के एकक	12-1/2 प्रतिशत वार्षिक
3. ऋण गारंटी योजना (सी० जी० एस०) और तकनीकी उद्धमकर्ता योजना के अंतर्गत आने वाले छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों के लिए विशेष दर	11 प्रतिशत वार्षिक

हवाई अड्डों पर विमान सेवाओं के लिये सुरक्षा उपाय विकसित करने हेतु सुरक्षा आयोग

3463. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हवाई अड्डों पर विमान सेवाओं के लिए उचित सुरक्षा उपाय विकसित करने हेतु एक सुरक्षा आयोग नियुक्त करने का है;

(ख) क्या सुरक्षा उपायों के बारे में पहले की गई किन्हीं सिफारिशों को पूर्णतः क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) जी नहीं । घातक दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए सामान्यतः किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच अदालत की नियुक्ति की जाती है और विभिन्न जांच अदालतों द्वारा की गयी सुरक्षा उपायों संबंधी सिफारिशों को, जहां कहीं संभव होता है, कार्यान्वित किया जाता है ।

(ख) और (ग) : 1971 से नियुक्त की गई विभिन्न जांच अदालतों द्वारा सिफारिशें किये गये समस्त सुरक्षा उपायों को, ऐसे कुछेक को छोड़ कर जिन पर कार्यान्वयन संबंधी कार्यवाही चल रही है, कार्यान्वित किया जा चुका है ।

गुड़ का निर्यात करने के लिये राज्य व्यापार निगम को प्राधिकृत करना

3464. **श्री बसन्त साठे:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब तक केवल राज्य व्यापार निगम को गुड़ का निर्यात करने के लिये प्राधिकृत किया गया था और क्या सरकार ने हाल ही में गैर-सरकारी व्यापारियों को 5,000 टन गुड़ के निर्यात करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति के बदलने का क्या औचित्य है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) तथा (ख) : अगस्त 1977 में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यातों के लिए, 1,000 मे० टन गुड़ का कोटा रिलीज किया गया । यह देखा गया कि जनवरी 1978 के अन्त तक इस कोटे का 200 मे० टन से अधिक भाग उपयोग में नहीं लाया गया था । अतः जब जनवरी, 1978 में निर्यातों के लिए 5,000 मे० टन का अतिरिक्त कोटा रिलीज किया गया था तब यह विनिश्चय किया गया था कि गुड़ का अधिक मात्रा में निर्यात करने के लिए निर्यातों को राज्य व्यापार निगम अथवा नेफेड तक ही सीमित रखना आवश्यक नहीं है और गैर-सरकारी व्यापारियों को भी इस कोटे का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से स्वर्ण डीलरशिप लाइसेंसों के लिये विचाराधीन आवेदन पत्र

3465. **श्री बसन्त साठे:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम/नियमों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे स्वर्णकार आभूषण बनाने अथवा तोड़कर उन्हें फिर से बनाने के लिए अधिक आसानी के साथ स्वर्ण प्राप्त कर सकें और स्वर्णकारों के लिए उनके व्यवसाय को चलाने में बाधक विभिन्न प्रकार की अन्य रुकावटें दूर हो सकें;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित/विचराधीन संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्वर्ण डीलरशिप के लिए लाइसेंस देने की नीति को अनुदार बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र राज्य के दागपुर भंडारा, यातमाल, अकोला, अमरावती, चन्द्रपुर, वर्धा और बुलडाना जिलों (विदर्भ प्रदेश) से स्वर्ण डीलरशिप के लाइसेंस हेतु कितने आवेदनपत्र प्राधिकारियों के पास विचाराधीन हैं और जिलावार कितने आवेदन-पत्र मंजूर किये गये हैं । रद्द कर दिये गये हैं । कुछ जानकारी के अभाव से निलम्बित रखे गये हैं और निलम्बित आवेदन-पत्रों को शीघ्रता से मंजूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) और (ख) : फिलहाल स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

वर्तमान स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत ही स्वर्णकारों को, जवाहरात बनाने और उन्हें बेचने के लिये, सोना उपलब्ध कराया गया है। स्वर्णकारों द्वारा, वर्तमान स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत जो कठिनाइयां महसूस की जा रही हैं उन्हें, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों के अनुरूप, अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में उपयुक्त संशोधन करके, दूर किया जा रहा है । हाल ही में 14 फरवरी, 1978 को अधिसूचनायें जारी की गई हैं जिन के अन्तर्गत कोई भी स्वर्णकार, ग्राहकों से प्राप्त विशिष्ट आर्डर के संदर्भ में बिक्री के लिये, सौ-सौ ग्राम की ऐसी मानक स्वर्ण छड़ों से आभूषण तैयार कर सकते हैं, जिन्हें अपने पास रखने की अनुमति प्राप्त है और वे एक समय में अधिकतम 35 ग्राम तक के आभूषणों की छोटी खरीददारियां भी कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त, स्वर्णकारों को प्रमाणपत्र देने की शर्तों को भी उदार बना दिय गया है ताकि सभी ऐसे स्वर्णकारों को प्रमाणपत्र दिये जा सकें जिनका रिकार्ड स्वच्छ और ईमानदारी का रहा हो और जिन्होंने किसी प्रमाणित स्वर्णकार के साथ तीन महीने की निर्धारित अवधि तक प्रशिक्षु के रूप में काम करके स्वर्णकारिता के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर ली हो ।

(ग) 4 नवम्बर, 1977 तक को एक अधिसूचना जारी करके, स्वर्ण-व्यापारियों को लाइसेंस देने की नीति को निम्न प्रकार से उदार बना दिया गया है :—

(i) प्रमाणित स्वर्णकारों के लिये स्वर्ण व्यापारियों का लाइसेंस प्राप्त करने के लिये बिक्री की अर्हक सीमा को 5 किलोग्राम से घटा कर 2 किलोग्राम कर दिया गया है ।

(ii) गहनों के निर्यात के लिये, व्यापारियों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु, मात्रा और मूल्य संबंधी शर्त को एक हजार ग्राम तथा एक लाख रुपये से घटा कर क्रमश: एक सौ ग्राम तथा दस हजार रुपए कर दिया गया है ।

(iii) व्यापारी लाइसेंस धारी किसी भागीदारी फर्म के अलग होने वाले भागीदार, कतिपय, शर्तों पर, स्वर्ण व्यापारियों का लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र हैं ।

स्वर्ण व्यापार वाली किसी फर्म के वे कर्मचारी भी, जिन्हें निर्धारित अनुभव प्राप्त हो, कतिपय शर्तों पर स्वर्ण व्यापारियों का लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(घ) 14 मार्च 1978 की स्थिति के अनुसार विवरण नीचे दिया गया है :—

आवेदन-पत्र

	अनिर्णीत	स्वीकृत	रद्द
नागपुर	7	4	6
भण्डारा	1	—	1
यावतमाल	1	—	1
अकोला	4	3	2
अमरावती	1	2	1
चन्द्रपुर	6	—	—
वर्धा	1	—	—
बुलधाना	—	2	2

अनिर्णीत आवेदनों पत्रों को तत्काल निपटाने के लिये, अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार किया गया है ।

गैर सरकारी बैंकों के सामाजिक नियंत्रण के लिये उपाय

3466. **श्री बसन्त साठे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 गैर-सरकारी वाणिज्यिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण सुनिश्चित करने में प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 का संशोधन करने और रिजर्व बैंक को यह शक्ति देने का है कि वह चैयरमैन के रूप में भर्ती के लिये उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की केंद्र सरकार को सिफारिश कर सके, जैसा की राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में किया जा रहा है; और

(ग) गैर-सरकारी बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण को प्रभावी बनाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क), (ख) और (ग) : सरकार इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 गैर सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण सुनिश्चित करने में प्रभावकारी नहीं है । अधिनियम के परिचालन की निरंतर समीक्षा की जाती है और आवश्यक समझा जाने पर उसके संशोधन संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं ।

धनकर में से कृषि भूमि को अलग करने का प्रस्ताव

3467. **श्री कंवर लाल गुप्तः** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पहले दस धन कर निर्धारितियों (असेसीस) के नाम क्या हैं जो देश में अधिकतम धन कर देते रहे हैं;

(ख) धन कर निर्धारितियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार धन कर में से कृषि भूमि को अलग करने का है;

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला): (क) 31-3-1977 तक किये गये धन-कर निर्धारणों के आधार पर, प्रथम दस धन-कर निर्धारितियों के नाम अनुबंध में दिये गये हैं ।

(ख) 31-3-1977 की स्थिति के अनुसार, धन-कर निर्धारितियों की कुल संख्या 2,49,306 है ।

(ग) कृषि-भूमि को धन कर से पूर्णतः मुक्त करने के लिये सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

(घ) तथा (ङ) : सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । उनमें उठाया गया मुख्य मुद्दा यह है कि कृषि-भूमि के सम्बन्ध में धन-कर से पूरी छूट दी जानी चाहिये । जैसा कि ऊपर (ग) में बताया गया है, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

31-3-1977 तक किये गये धन-कर निर्धारणों के आधार पर प्रथम दस धन-कर निर्धारितियों के नाम ।

क्रम संख्या	निर्धारिती का नाम
1.	स्वर्गीय सर जे० एम० सिंधिया (हि० अ० प०)
2.	बड़ोदा के श्री एफ० पी० गायकवाड़
3.	पंडित एल० के० झा०, दरभंगा के स्वर्गीय कामेश्वर सिंह के निष्पादक
4.	कच्छ के श्री मदन सिंह जी
5.	श्री वी० डी० चौगुले
6.	सर राम वर्मा ।
7.	जयपुर के श्री भवानी सिंहजी ।
8.	श्री एल० डी० चौगुले ।
9.	के० एल० आर० टी० सी० पेंशन ऐंड ग्रेच्युटी फण्ड ।
10.	नवानगर की राजमाता साहिबा गुलाब कुंवारबा ।

बैंक से एक ही समय में बड़ी राशि के 500 करेंसी नोट लेने वाले व्यक्तियों के नाम तथा पते

3468. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिनको एक हजार रुपए के तथा उससे बड़ी राशि के करेंसी नोट दिए जाते हैं उनके नाम बैंक द्वारा नोट किये जाते हैं;

(ख) यदि हां तो उनके नाम तथा पते क्या हैं जिन्होंने 1977 तथा 1978 के दौरान एक ही समय में 500 करेंसी नोट लिये;

(ग) क्या सरकार ने उनकी जमा राशियों के स्रोतों के संबंध में कोई जाँच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : (क) बैंकों के पास उन व्यक्तियों के नाम दर्ज करने का कोई अनुदेश नहीं है जिन्हें 1000 रुपए या उससे अधिक मूल्य के नोट दिये गये थे ।

(ख), (ग) और (घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होते ।

विमुद्रीकरण के पश्चात् बड़ी मुद्रा के नोट पेश करने वाले दस शीर्ष व्यक्तियों अथवा कम्पनियों अथवा फर्मों के नाम

3469. **श्री कंवर लाल गुप्त:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) ऐसे 10 शीर्ष व्यक्तियों अथवा कम्पनियों अथवा फर्मों के नाम बतायें जिन्होंने विमुद्रीकरण के पश्चात 1 हजार तथा अधिक मूल्य वाले करेंशी नोट पेश किये;

(ख) क्या सरकार को किसी बैंक के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है जिसने विमुद्रीकरण के पश्चात बड़े नोट स्वीकार किये ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि भारी राशि के उक्त करेंसी नोट नेपाल को भेजे गये और तब वहां से स्पष्टीकरण दायर किये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही वह उपलब्ध हो जाएगी उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) और (ग) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनके बारे में पड़ताल की जा रही है ।

(घ) सरकार के नोटिस में कोई विशिष्ट मामले नहीं आये हैं ।

15 से 27 मार्च, 1977 के दौरान दिल्ली में बैंकों से लाखों रुपया निकाला जाना

3470. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि है दिल्ली में 15 से 27 मार्च, 1977 की अवधि के दौरान बैंकों से लाखों रुपये निकाले गये थे;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम बतायें जिन्होंने उपरोक्त अवधि के दौरान एक दिन में एक बार 10 लाख रुपए से अधिक राशि निकाली;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार धन निकालने के औचित्य की तथा बैंक में उस धन के जमा कराने के स्त्रोत की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली के एक राष्ट्रीयकृत बैंक से एक व्यक्ति द्वारा अपने चालू खाते में से 50 लाख से अधिक राशि निकाली गई थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधि ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) से (च) अधिकांश बैंकों ने सूचना दी है कि 15 मार्च, से 25 मार्च 1977 की अवधि के दौरान उनके ग्राहकों ने कोई असामान्य मात्रा में धन नहीं निकाला है । अलबत्ता इस अवधि के दौरान दिल्ली में कुछ मामलों में 10 लाख रुपए से अधिक की निकासियां जिसमें एक निकासी 50 लाख रुपए की थी, किये जाने की सूचना दी गयी है । इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह बताया है कि बैंकर में प्रचलित प्रथाओं और व्यवहारों के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होने वाली विधि के उपबंधों के अनुसरण में बैंक के अलग अलग ग्राहकों विषयक सूचना प्रकट नहीं की जा सकती ।

ADVANCE TO POLITICAL DETENUS HELD UNDER D.I.R. AND MISA

†3471. SHRI YAGYA DATT SHARMA
SHRI SUBHASH AHUJA
DR. LAXMINARAYAN PANDEYA } : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have issued instructions to the Banks for advancing loans to the political detenus held under D.I.R. and MISA during the emergency for setting up some business ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether such persons have actually been advanced loans under this Scheme ; and

(d) if so, their names and the amount of loans advanced ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b) Instructions have been issued to the public sector banks that they may extend credit assistance on liberal terms and on a priority basis for economically viable ventures, under any of their existing schemes for neglected sectors, to applicants

who suffered detention or imprisonment under MISA or DSIR, for six months or more during the emergency, solely because of their political affiliations or membership of erstwhile banned organisations and who without bank assistance, would not be able to resume economic activities for their livelihood.

(c) & (d) The feedback received from the banks indicates that they are extending assistance under this advice. However, since the assistance is being given in terms of the existing schemes of the banks for small borrowers in the neglected sectors, no separate data are being maintained in regard to the assistance given to the MISA/DSIR detenus.

ISSUE OF LICENCES FOR IMPORT AND EXPORT TO PRIVATE SECTOR

3472. SHRI YAGYA DATTA SHARMA
SHRI SUBHASH AHUJA
DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the names of the Commodities for which import and export licneces have been granted by Government in private sector during the current financial year ;

(b) the value of these licences ; and

(c) whether Government are confident that import and export of the commodities of the value of licences would be materialised within the prescribed period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Particulars of the import and export licences issued are published in the "Weekly Bulletin of Import Licences, Export Licences," copies of which are supplied to the Parliament Library.

(b) Value of import and export licences issued to private parties during April—December, '77 is given below:—

	Value
	Rs. (Crores)
(a) Import Licences	1888
(b) Export Licences	784

(c) Licences are issued on the applications submitted under the policy in force from time to time. It cannot be averred that imports would fructify in the case of all licences, either wholly or partly.

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अतिरिक्त रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के संशोधित परिव्ययों की मंजूरी के लिये अनुरोध

3473. **श्री रोबिन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने योजना आयोग से अनुरोध किया है कि अतिरिक्त रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के संशोधित परिव्ययों के लिए मंजूरी दी जाए;

(ख) क्या योजनाओं के लिए उक्त संशोधित मंजूरी का प्रश्न वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय संशोधित परिव्ययों के लिए शीघ्रता से मंजूरी प्रदान करेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल). (क) जी, हां । पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने पांच लाख रोजगार कार्यक्रम/नियोजन संवर्द्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत अक्टूबर, 1976 में स्वीकृत की गई सीमाओं से ऊपर उसके द्वारा चालू की गई योजनाओं के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए योजना आयोग को लिखा था, जो पांच लाख रोजगार कार्यक्रम/नियोजन संवर्द्धन कार्यक्रम को प्रशासित कर रहा था । इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया और योजना आयोग ने राज्य सरकार को इस निर्णय से अवगत करा दिया ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खेतरी (राजस्थान) में औरतों के साथ अशिष्ट व्यवहार की घटना के समाचार के बारे में

RE : REPORTED INCIDENT OF MOLESTATION OF WOMEN AT KHETRI (RAJASTHAN)

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं एक अभूतपूर्व गम्भीर मामले की चर्चा करना चाहता हूं । जयपुर के निकट खेतड़ी में लगभग 100 महिलाओं का बलात्कार किया गया । यह बलात्कार सिनेमा हाल के अन्दर हुआ सी० आर० पी० तथा अन्य अवांछनीय तत्वों ने 50 महिलाओं को घरों में ले जाकर 48 घटों तक रखा । इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई हम सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही चाहते हैं । गृह मंत्री को आज वक्तव्य देना चाहिये । यह शर्मनाक बात है और हम इसे सहन नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यह सचमुच गम्भीर बात है । अधिक अच्छा होता यदि आप पहले नोटिस देते ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं गृहमंत्री को आज ही वक्तव्य देने के लिये कह रहा हूं ताकि सभा को इसके बारे जानकारी मिल सके ।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह सारे देश के लिये शर्म की बात है .

SHRI MANI RAM BAGRI (Mathura) : The Rajasthan Government should be dismissed. (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें कहे दिया है। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें। (**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण (सतारा) : यह बात सचमुच बहुत ही गम्भीर तथा लज्जाजनक है । सरकार को स्वयं ही वक्तव्य देना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह मंत्री को तीन बड़े वक्तव्य देने के लिये कह चुका हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करने हेतु सभा स्थगित करने का नोटिस देता हूं (**व्यवधान**) ।

श्री सौगत राय : सभा को उस समय तक स्थगित किया जाये जब तक गृह मंत्री व्यान देने नहीं आते (**व्यवधान**) ।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पाँडिचेरी) : हम श्री कंवर लाल गप्त को सुनना चाहते हैं । गृह मंत्री के व्यान से पहले हम श्री कंवरलाल गुप्त को सुनना चाहते हैं ।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : हम गृह मंत्री के व्यान से पहले श्री कंवर लाल गुप्त को सुनना चाहते हैं ;

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह मंत्री को तीन बड़े व्यान देने के लिये कह चुका हूं ।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : जो मामला उठाया गया है, वह गम्भीर है । सभा इस मामले पर पहले ही विचार कर रही है । जब यह मामला उठाया गया, तो गृह मंत्री सभा में नहीं थे ।

हमने इसके बारे में गृह मंत्री को संदेश भेजा । हमने यह भी बताया कि उन्हें 3 बजे वक्तव्य देना है । मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह गृह मंत्री के वक्तव्य की प्रतीक्षा करें। (**व्यवधान**) ।

श्री सौगत राय : हम श्री गुप्त की बात पूरी तरह से सुनना चाहते हैं। मैं अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि वह माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझें । आप गृह मंत्री से कहें कि वह 3 बजे अवश्य वक्तव्य दें ।

श्री गुप्त अपना पूरा भाषण नहीं दे सके । उन्हें आपने रोक दिया। (**व्यवधान**)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : I am not fully aware of the factual position and therefore cannot give any information. I came to office at 11·45 A.M..... (*Interruptions*)

It is not possible for me to make a statement because I have yet to collect information from the state Government. I can make the statement tomorrow. It is not possible to give the statement to-day.

I can make the statement by Monday.

अध्यक्ष महोदय : सभा इस मामले से बहुत चिंतित है । क्या आप व्यान आज शाम छः बजे नहीं दे सकते ।

श्री चरण सिंह : मुझे जयपुर से पूछताछ करनी होगी और अन्य स्थानों से सूचना एकत्र करनी होगी । इसमें समय लगेगा ।

यदि कोई सूचना प्राप्त हो जाये तो मैं आज शाम छः बजे ही वक्तव्य दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

श्री बी० पी० मंडल : मैं बिहार की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । वहां हालत और खराब हो रही है । आपने सभा को आश्वासन दिया था लेकिन दो-तीन दिन के बाद भी कुछ नहीं हुआ ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन प्रमाणित लेखे और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोतम कौशिक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 25 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 24 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(3) उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** सं० एल० टी० (1820/78)] ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : कार्यसूची की मद संख्या 3 के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जिसकी मैंने आपको सूचना भी दी है । निर्यात निरीक्षण परिषद और अधिकरण दो वर्ष बीतने के बाद वर्ष 1975-76 के लिए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रही हैं । उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं । उसके निदेशक श्री मजुमदार पर भी ऐसे ही आरोप हैं । जब तक विलम्ब का स्पष्टीकरण न कर दिया जाये तब तक उन्हें सभा पटल पर पत्र न रखने दिये जायें । नियमानुसार यही व्यवस्था है ।

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Beg) : There were certain difficulties in regard to the Hindi version. Hence it has been delayed.

निर्यात निरीक्षण परिषद तथा अधिकरण के वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे रबड़ बोर्ड का 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अधीन अधिसूचनाएं

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्यात (गुण-प्रकार-नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 16 के उपनियम (3) के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण परिषद् तथा अधिकरण के वर्ष 1975–76 के (एक) वार्षिक प्रतिवेदन तथा (दो) लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया] । **देखिए** सं० एल० टी० 1821/78] ।

(2) रबड़ बोर्ड के वर्ष 1976-77 के कार्यकलापों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** सं० एल० टी० 1822/78] ।

(3) निर्यात (गुण-प्रकार-नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) रोजिन का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978 जो दिनांक 25 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 576 में प्रकाशित हुए थे ।

(द) विद्युत ट्रांसफार्मरों का निर्यात (गुण-प्रकार-नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1978, जो दिनांक 4 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 603 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** सं० एल० टी० 1823/78] ।

श्री सौगत राय: चूंकि निर्यात निरीक्षण परिषद में भ्रष्टाचार है इसलिए हमारी निर्यात की वस्तुओं के गुण प्रकार में कमी आ रही है ।

श्री पी जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं देख रहा हूं कि पिछले कई महीने से हिंदी में प्रतिवेदन रखने में विलम्ब हो रहा है । इसके तीन कारण हैं (1) हिन्दी अनुवादकों की अपर्याप्त संख्या (2) हिन्दी टाइपिस्टों की अपर्याप्त संख्या (3) हिन्दी के प्रेस में काम इतना अधिक है कि वह कार्य पूरा करने में असमर्थ हैं । अतः आप प्रधान मंत्री से कहें कि हिन्दी में अनुवाद के मामले में जो भी कठिनाइयां हों उन्हें दूर किया जाये । सरकार को तुरंत इस मामले पर विचार करना चाहिये । हिन्दी मुद्रण की दिक्कतें भी दूर होनी चाहिये ।

कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1978

श्री आरिफ बेग: डा० राम कृपाल सिन्हा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 4 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 329 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखा गया । [**देखिए** सं० एल० टी० 1824/78] ।

ध्यान आकर्षण (प्रक्रिया) के बारे में

RE : CALLING ATTENTION (PROCEDURE)

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं आपका ध्यान नियम 1976 के उप नियम (1) और (5) की ओर दिलाता हूं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय: इस बारे में अनेक बार चर्चा हो चुकी है । आप बार-बार व्यवस्था का वही प्रश्न नहीं उठा सकते ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में व्याप्त स्थिति

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : Sir, I call the attention of the Minister of Education, Social Welfare and Culture to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

Reported situation prevailing in the Banaras Hindu University, which is a national institution, leading to total disruption of academic atmosphere.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : बनारस हिंदु विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, विज्ञान संकाय के कुछ छात्रों ने 17 फरवरी, 1978 को एक अभ्यावेदन दिया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 1978 में होने वाली प्री-मेडिकल परीक्षा में बैठने वाले बनारस हिंदु विश्वविद्यालय के मूल छात्रों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए मांग की गई थी । बाद में, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में स्थान सुरक्षित करने के लिए भी मांग की गई । क्योंकि इस मामले पर औषध विज्ञान संकाय और विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् द्वारा विचार किया जा रहा था, अतः विश्वविद्यालय के रेक्टर ने छात्रों को व्यक्तिगत रूप से स्थिति अवगत कराई और उनको यह आश्वासन दिया गया कि इस मामले पर शीघ्र ही विचार किया जाएगा ।

2. विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना, छात्रों ने आन्दोलन शुरू कर दिया । 21 फरवरी की सायं लगभग 8.30 बजे लगभग 60–70 छात्र रेक्टर के निवास स्थान पर गये और नारे लगाये । उनको यह कहे जाने पर कि अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है और वे रेक्टर से उनके कार्यालय में अगले दिन मिल सकते हैं, छात्र प्रवेश-द्वारों पर चढ़ गये और रेक्टर के निवास स्थान में घुस गये। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और अध्यापकों द्वारा समझाने के बावजूद छात्रों ने जाने से इन्कार कर दिया । अतः रेक्टर के लिए, जिला प्राधिकारियों से अपने निवास स्थान और उसके इर्दगिर्द शान्ति स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था । छात्रों को कुछ समय तक समझाने के प्रयत्नों के पश्चात्, जो बेकार गये, पुलिस प्राधिकारी 22 फरवरी, 1978 की सुबह 12 छात्रों को पुलिस स्टेशन ले गए । तथापि, दस छात्रों को उनके पुलिस स्टेशन ले जाए जाने के एक घन्टे के अन्दर ही छोड़ दिया गया ।

3. लगभग 7.00 बजे प्रातः लगभ 60-70 छात्रोंग का एक दल रेक्टर के निवास स्थान पर नारे लगाते हुए आया और छात्र जबरदस्ती गेट खोलकर अहाते में दाखिल हो गए । दल ने दो शान्ति सैनिकों पर काबू कर लिया और फूलों के गमले तोड़ने शुरू कर दिये, फर्नीचर को इधर उधर फेंक दिया तथा पानी का कनेक्शन काटने लगे । वे दरवाजा तोड़कर बड़ी संख्या में ड्राइंग रूम में घुस गए । उन्होंने (i) पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों के लिए रेक्टर द्वारा क्षमा मांगने, (ii) प्री मेडिकल परीक्षा से सम्बन्धित उनकी मांग पर तत्काल कार्-

वाई करने और (iii) उन दो छात्रों को छोड़ने की मांग की, जो अभी तक पुलिस स्टेशन में थे और जिनकी जमानतें नामंजूर कर दी गई थी। छात्रों ने रेक्टर को जबरदस्ती रिक्शा में बिठाया और उन्हें पुलिस स्टेशन ले गये। लगभग आधे घंटे के बाद रेक्टर के लिए उन दो छात्रों को छुड़वाना सम्भव हो सका।

4. 23 फरवरी, 1978 की सुबह विज्ञान संकाय के छात्रों ने विज्ञान संकाय की कक्षाओं को भंग करने का प्रयास किया और प्रातः लगभग 10 बजे विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय में प्रवेश करने का प्रयास किया। क्योंकि केन्द्रीय कार्यालय के गेट बन्द थे, छात्रों ने फूलों के गमलों, ट्यूब लाईटों, खिड़की के शीशों को तोड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद वे रेक्टर के निवास स्थान पर गए तथा एकबार फिर निवास स्थान में जबरदस्ती प्रवेश करने का प्रयास किया किन्तु उन्हें पुलिस ने, जो उस समय तक वहां पहुंच गई थी, ऐसा करने से रोक दिया।

5. 3 मार्च, 1978 को विश्वविद्यालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें उन्होंने छात्रों को यह सूचित किया कि दबाव में अथवा तनाव के वातावरण में कोई भी शैक्षिक निर्णय नहीं लिया जा सकता और शिक्षा संस्था में और विश्वविद्यालय में प्रशासन में अनुशासनहीनता, उत्तेजनापूर्ण व्यवहार और हिंसा का कोई स्थान नहीं है और उसे सहन नहीं किया जा सकता। रेक्टर ने छात्रों को, विघटनकारी कार्यों में भाग लेने के विरुद्ध चेतावनी दी और कहा कि उनके साथ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अधिसूचना के जारी होने के तुरंत बाद कुछ छात्रों ने प्री-मेडिकल परीक्षा में विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए स्थानों के आरक्षण के संबंध में तत्काल निर्णय लेने का दबाव डालने का प्रयास शुरू कर दिया। वे रेक्टर के निवास-स्थान पर आए, वहां उन्होंने अपमान जनक नारे लगाए और फिर औषध विज्ञान संकाय ओर चले गए वहां उन्होंने वहां चल रही कुछ कक्षाओं को भंग किया। लगभग दोपहर के समय वे कला संकाय के आडिटोरियम के सामने एकत्र हो गए। उन्होंने विश्वविद्यालय पी० डब्ल्यू० डी० के एक ट्रक में आग लगा दी और स्वास्थ्य केंद्र में चले गए जहां उन्होंने खिड़की के शीशे तोड़ दिए और औषधि निपटान काउन्टर को आग लगा दी। उन्होंने, केंद्र के बाहर पड़े हुए लकड़ी के अनेक बक्सों में भी आग लगा दी। पुलिस, फायर ब्रिगेड के साथ स्थल पर पहुंच गई और स्थिति पर काबू पा लिया। भवनों, निवास स्थानों तथा कैम्पस में रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रैक्टर ने कैम्पस में प्रवेश करने वाले छात्रों द्वारा पहचान-पत्रों को दिखाया जाना, बैठकों अथवा जलूसों पर निषेध आदि जैसे एहतियाती उपायों के सम्बन्ध में घोषणा की। किसी भी छात्र द्वारा आदेशों का पालन न करने पर जिला प्राधिकारियों से, कैम्पस में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उपयुक्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

6. आन्दोलन फिर भी जारी रहा और छात्र संघ द्वारा विश्वविद्यालय के रेक्टर, डा० टी० आर० अनन्तारामन के त्याग-पत्र की लगातार मांग की जाती रही।

4 मार्च, 1978 को डा० टी० आर० अनन्तरामन ने अध्यक्ष को, जो विश्वविद्यालय के विजिटर हैं, रेक्टर के पद से अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत कर दिया। अपने त्याग-पत्र में उन्होंने विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसरों, अधिकारियों, जिला प्राधिकारियों और पुलिस की उपस्थिति में छात्रों द्वारा उनसे त्याग-पत्र देने के जबरदस्त आग्रह का उल्लेख किया था।

7. विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् को उसी दिन शाम को 4 बजे एक आपात बैठक हुई और उसमें निम्नलिखित संकल्प परित किए :—

"शैक्षिक परिषद ने किसी न किसी मामले पर कुछ आंदोलनकारियों द्वारा किसी न किसी कारण से घेरावों आंदोलनों आगजनों (जिसमें विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र का भवन तथा विश्वविद्यालय के एक ट्रक का जलाया जाना भी शामिल है), हिंसा तथा गुन्डागर्दी की घटनाओं और जहां तक कि रेक्टर को दबाव के अन्तर्गत दुर्भाग्य-वश त्याग-पत्र देने के लिए मजबूर करने के परिणाम स्वरुप कैम्पस में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर विचार किया ।"

"यह स्पष्ट शब्दों में कार्यों की भर्त्सन करती है जिनके कारण प्रशासन के पास कैम्पस में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की सहायता प्राप्त करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रहा ।"

"परिषद को यह जानकर खेद हुआ है कि अपनी ड्यूटी का पालन करते समय कहा जाता है कि कुछ पुलिस कर्मचारी बिना अनुमति के कुछ छात्रावासों में घुस गए तथा निर्दोष छात्रों की भी पिटाई की जिसकी एक उपयुक्त समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए।

"परिषद् को दुःख है कि जब से डा० एम० एल० धर छोड़े गए हैं, तब से लम्बे समय तक अनिश्चितता की स्थिति के कारण विश्वविद्यालय का प्रशासन कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है । यह विजीटर से अपील करती है कि वह मनोनीत कुलपति से तत्काल कार्य-भार संभालने का अनुरोध करें ।

"शैक्षिक परिषद् इस सिद्धांत की पुष्टि करती है कि दबाव के अन्तर्गत कभी कोई त्याग-पत्र स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए तथा इसलिए अपनी एकता व्यक्त करते हुए रेक्टर से अपना त्याग-पत्र वापस लेने तथा विजीटर और कार्यकारी परिषद् से दबाव के अन्तर्गत रैक्टर के त्याग-पत्र पर विचार न करने की अपील करती है ।"

"यह छात्र संघ के अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों से स्थिति को आगे और न बिगाड़ने की अपील करती है । यह संघ के अध्यक्ष से तथा भूख-हड़ताल पर बैठे अन्य सभी छात्रों से अपनी भूख-हड़ताल को तत्काल समाप्त करने और कैम्पस में शान्ति पुनः स्थापित करने का भी अनुरोध करती है ।

"यह विश्वविद्यालय के सभी छात्रों से कैम्पस में सामान्य स्थिति लाने में शैक्षिक समुदाय के साथ सहयोग करने की अपील करती है।"

शैक्षिक परिषद ने आग निश्चय किया कि सामान्य स्थिति लाने और अधिकांश छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय बन्द न किए जाने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य केवल 6 मार्च, 1978 को बन्द रखा जाए, 7 मार्च, छुट्टी का दिन था।

8. 8-10 मार्च, 1978 के बीच आंदोलन ने जोर पकड़ा । प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने भी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया और क्रमिक भूख हड़ताल शुरु कर दी ।

दूसरे संकायों के कुछ छात्र भी बाहों में काला फीता बांधे देखे गये थे । 9 मार्च को राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा एक बैठक की गई जिसमें यह निर्णय किया गया कि यदि रेक्टर का त्याग-पत्र कार्यकारी परिषद द्वारा न स्वीकार किया गया हो तो उसको परिसर में प्रवेश न करने दिया जाये । मेडिकल कालेज के कुछ छात्रों और कनिष्ठ डाक्टरों ने भी 10 मार्च से भूख हड़ताल शुरु कर दी ।

9. इसी बीच, 9 मार्च, 1978 को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की एक बैठक नई दिल्ली में हुई । कार्यकारी परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव पारित किया कि रेक्टर का त्यागपत्र स्वीकार न किया जाए, जो उन्होंने असाधारण परिस्थितियों में दबाव में आकर दिया था । कार्यकारी परिषद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से यह अनुरोध करने का भी निश्चय किया कि वे परिसर में हुई हाल की घटनाओं की जांच करने के लिए एक वर्तमान न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्ति न्यायाधीश का नाम सुझाऐं । परिषद ने शिक्षक संघ और छात्र संघ से भी परिसर में पुनः शान्तिपूर्ण शैक्षिक जीवन स्थापित करने में सहायता करने का अनुरोध किया ।

10. दिल्ली में कार्यकारी परिषद की बैठक में भाग लेने के बाद विश्वविद्यालय के रेक्टर 11 मार्च, 1978 को वाराणसी लौट आए । छात्रों के एक दल द्वारा उन्हें कैम्पस में प्रवेश करने से रोक दिया गया । क्योंकि कई वरिष्ठ शिक्षक समझाने बुझाने में असफल हो गए, अतः रैक्टर को मजबूर होकर वापस लौटना पड़ा और शहर में एक होटल में ठहरना पड़ा। शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल रैक्टर से होटल में ही मिला और उन्हें कैम्पस की स्थिति से अवगत किया । स्थिति पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद रैक्टर ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया जाए । शैक्षिक परिषद की एक बैठक उसी दिन सांय 4 बजे हुई । परिषद ने घटनाओं को नोट किया और रैक्टर द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन किया । रैक्टर ने विश्वविद्यालय के अनिश्चित काल तक बन्द रहने का एक कार्यालय आदेश सांय 6 बजे जारी किया और छात्रों को अगले 48 घंटों के अन्दर अपने-अपने छात्रावासों को खाली करने तथा कैम्पस से चले जाने की सलाह दी । विश्वविद्यालय के कार्यालय विशेष रूप से 12 मार्च, 1978 को खुले रखे गये, ताकि सभी छात्र आसानी से अपने घरों को जा सकें । साथ साथ जिला प्राधिकारियों से परिसर में कानून और व्यवस्था की स्थिति की जिम्मेदारी लेने के लिए अनुरोध किया ।

11. जिला प्राधिकारियों ने विश्वविद्यालय परिसर में 11 मार्च, 1978 की आधी रात को प्रवेश किया और पुलिस को मर्म स्थानों पर तैनात किया गया । छात्रों ने भी छात्रावास छोड़ना शुरू किया । उसके बाद छात्रों की पुलिस से मुठभेड़ की कोई घटना घटी हो ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

12. क्योंकि कुलपति (मनोनीत) डा० बी के० आनन्द ने मुझे लिखे अपने पत्र दिनांक 10 मार्च, 1978 में स्वास्थ्य के आधार पर विश्वविद्यालय का कार्यभार संभालने में अपनी असमर्थता प्रकट की है, अतः विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नए कुलपति को नियुक्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

13. सरकार का यह विचार है कि शैक्षिक मामलों में निर्णय विश्वविद्यालयों के समुचित निकायों द्वारा योग्यता पर पूर्ण रूप से विचार करने के बाद लिया जाना चाहिए,

न कि आंदोलन की धमकी अथवा किसी प्रकार के दबाव के अंतर्गत छात्र समुदाय का भी यह कर्त्तव्य है कि वह निर्णयों को मान लें और अपनी मांगें मनवाने के लिए आन्दोलनात्मक तरीकों में न पड़ें । यदि कोई शिकायतें हों तो उनका समाधान पारस्परिक परामर्श तथा विचार विमर्श द्वारा किया जाना चाहिए । सरकार और विश्वविद्यालय की ओर से मैं इस सदन के सभी वर्गों से अनुरोध करता हूं कि वे परिसर में सामान्य स्थिति पुनः स्थापित करने में विश्वविद्यालय और जिला प्राधिकारियों की सहायता करें और जल्दी ही विश्वविद्यालय पुनः खोले जाने में सहायता करें ।

SHRI HARIKESH BAHADUR : The educational atmosphere has become polluted not only in Banaras Hindu University but all over the Country. There is unrest in all the Universities of the Country.

It is not correct to say that students made representation on February 17, 1978. The held demonstration on that day and demanded weightage of 10% in the marks obtained. The provision of this benefits is already there. They have demanded that this concession should also be extended to the B.Sc. Students.

The University administration has stopped giving this concession. The administration also refused to give concession which was being given to the students of this University. The result was that students held demonstration. The most unfortunate thing is that there is Vice-Chancellor in the University for the last few months. Dr. T. R. Anantraman has been appointed Rector of the University, who is not able to run the administration of the University. Banaras Hindu University is a big University and a man of repute should be appointed Vice Chancellor there. No bureaucrat or Civil servant should be sent there because the bureaucracy of India is absolutely corrupt, dishonest, inefficient, arrogant and irresponsible.

The Police has beaten up innocent students. The police, when enters the Campus, they not only beat the students but commit decoity also. They take away all the belongings of the students. I would request the hon. Minister that instruction should be issued to University administration to reopen the University soon and to institute an inquiry into the working of the University of administrator and the activities of Vice-Chancellor during emergency.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER : I have appealed to create such an atmosphere so that he may take step to reopen the University. Secondly, I may say that the New Vice-Chancellor, when takes over there will see to it as to whether enquiry should be instituted or not. If any prima facie case is established inquiry will be instituted.

Then the hon. Member said that a Vice Chancellor should be appointed. Dr. Anand has been selected for appointment to the post of Vice-Chancellor.

सभा का कार्य

BUSINESS OE THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि 20 मार्च 1978 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित कार्य किया जायेगा :—

1. आज की कार्यसूची से आगे ले जाये गये सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार ।

2. **विचार तथा पास करना** :—

(क) वर्ष 1975-76 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान ।

(ख) वर्ष 1977-78 के अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान ।

3. वर्ष 1978-79 के लिए मिजोरम बजट पर सामान्य चर्चा ।

4. **चर्चा तथा मतदान करना**:—

(क) वर्ष 1978-79 के लिए लेखानुदानों की मांगों (मिजोरम) पर चर्चा तथा मतदान ।

(ख) वर्ष 1977-78 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (मिजोरम) पर चर्चा तथा मतदान ।

5. **विचार तथा पास करना**:—

(क) उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) विधेयक, 1978 **विचार तथा पास करना**

(ख) हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1978 **विचार तथा पास करना** ।

6. पब्लिक सैक्टर लोहा और इस्पात कम्पनी (पुनर्संरचन) और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक 1977 पर आगे **विचार तथा पास करना** ।

7. राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पास करना :—

(क) पत्तन विधि (संशोधन) विधेयक, 1977 (**विचार तथा पास करना**) ।

(ख) लोक वक्फ (सीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1978 (**विचार तथा पास करना**) ।

जैसा कि सदस्यों को जानकारी है, वर्ष 1978-79 के लिए बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान 23 मार्च, 1978 से आरम्भ होगा, जैसा कि दिनांक 15 मार्च, 1978 के समाचार भाग 2 में प्रकाशित समय सारणी में दिखाया गया है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : जब भी कभी संसदीय कार्य और श्रम मंत्री सभा की कार्यवाही के बारे में वक्तव्य देते हैं हम लोग यह जानने के उत्सुक होते हैं कि सरकार विभिन्न विधेयकों को कब तक पुरःस्थापित करने जा रही है। यह तो हम जानते हैं कि अन्य मामलों पर चर्चा वित्तीय विधेयक के पास होने के बाद होगी। विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों की मांगें अप्रैल के अन्त तक चलती रहेंगी फिर तो लोक सभा की बैठकें बहुत कम रह जाएंगी इतनी कम अवधि में सरकार कैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक और विधायी विधेयकों को निपटाएगी। मैंने दल-बदल विरोधी विधेयक का उल्लेख किया था और मंत्री महोदय ने उसके लिए मंजूरी दी थी। फिर औद्योगिक संबंधों के मामले में भी एक व्यापक विधेयक लाने का वचन दिया हुआ है। 42वें संशोधन के अधिकांश उपबंधों से छुटकारा पाने के लिए भी एक संवैधानिक संशोधन विधेयक लाना है। संसद के भूतपूर्व सदस्यों की पेंशन समाप्त करने के बारे में भी एक विधेयक लाना है। मंत्री महोदय हमें बताएं कब तक इन महत्वपूर्ण विधेयकों को लाया जाएगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं आपका ध्यान 15 मार्च के समाचार भाग दो की ओर दिलाना चाहता हूं इसमें विभिन्न मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा किस-किस दिन होगी इसका उल्लेख किया गया है। गृह मंत्रालय जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है इसके लिए बिल्कुल आखिर में समय दिया गया है। 24, 25 और 26 मार्च को सभी अनुदानों की मांगें बिना चर्चा के एक साथ स्वीकृत हो जाएंगी इसलिए मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा थोड़ी पहले कराई जाए क्योंकि यह महत्वपूर्ण मंत्रालय है और इसकी मांगों पर चर्चा का अवसर मिलना चाहिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा: मैं माननीय सदस्य श्री मावलंकर का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने हमारा ध्यान कुछ उन विधेयकों की ओर दिलाया है जिसके लिए सरकार वचनबद्ध है। हम इन विधेयकों को सत्र की समाप्ति से पहले पेश करना चाहते हैं।

जहां तक गृह मंत्रालय को अनुदानों की चर्चा का संबंध है हम भी उन पर चर्चा कराना चाहते हैं। मैं गृह मंत्री से इस बारे में बातचीत करूंगा ताकि इन पर चर्चा सभा में हो सके।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

छठा प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर :) मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर दस मिनट तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha Then Adjourned For Lunch Ti l Ten Minutes Past Fourteen Of The Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर सत्रह मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha Reassembled After Lunch At Seventeen Minutes Past Fourteen Of The C ock.

लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE—Contd.

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में व्याप्त स्थिति का सामना

[श्री राममूर्ति पीठासीन हुए
SHRI RAMMURTI *In tne Chair*]

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH (Varanasi) : Mr. Chairman, Sir, I have gone through the statement of the hon. Minister. That statement has been prepared by his officials. You will be surprised to know that for the last 10 years this University is being run by an ordinance only.

There is no Vice Chancellor, no registrar and no accountant in that University and the Rector is not capable of taking decisions at his own level. One should have courage, ability and patience for taking important decision and all this he lacks, whatever has happened in this University, it is the result of this state of indecision.

Shri K. L. Shrimali was appointed Vice Chancellor of that University for political reasons. Many appointments were made on the basis of groupism.

The teachers who have been working there for the last eighteen years have not still been confirmed.

In its first meeting the Academic council proposed that ten per cent weightage should be given to all science students of the University for admission in medical colleges but in its second meeting it was decided only student of B. Sc. part-I will be given weightage. In protest the students staged demonstration in front of Rector's office but no untoward incident occurred.

I would like to know by when the Vice-Chancellor will be appointed for this University.

An enquiry should be made in the affairs of the University during the Vice Chancellorship of Shri K. L. Shrimali.

A scheme is being formulated for appointment of associate teachers. On their appointment they are planning to threw 400 old teachers out of job., will the hon. Minister give us an assurance that these teachers will not be thrown out of jobs and temporary teachers will be made permanent.

The hon. Minister should consider this matter seriously. I want that minimum 50 per cent seats should be reserved in Medical Colleges for Science Students.

Either the Vice Chancellor should be appointed at the earliest or a round table conference should be held in his regard or a Parliamentary Committee should be sent there to see how academic atmosphere can be created there. With these words I conclude.

Dr. PRATAP CHANDRA CHUNDER: The questions that have been raised by the hon.Member can only be solved by the University itself. Universities are autonomous bodies. If we will interfere they will say that Government is interfering with the autonomy of the university and if we don't take any action they will say the Education Minister is useless. So I am in a akward position.

If there is peaceful atmosphere the academic bodies will definitely try to open the University.

We have taken prompt action for the appointment of new Vice Chancellor. But the new Vice Chancellor is not in a fit state of health and he wants time to assume office.

As far the enquiry if there is a prima facie case action will definitely be taken after the new Vice Chancellor assumes Office.

SHRI MANOHAR LAL (Kanpur) : It is not only the question of Banaras University but it is also the problem of entire educational System. What is the reason of unrest amongst students of the different Universities.

For the last one and half years there was no Registrar in the University. The University has been functioning under his control for the last 1½ years. During the Congress rule appointments of Vice-Chancellors were made on political basis, and their qualifications etc. were not taken into account.

There are about 400 temporary teachers who have been working there for the last 18 years, but still they are temporary. I want to know when these teachers will be made permanent and what steps are being taken to make education job-oriented ?

These are irregularities in the functioning of this University. There are a number of charges against the Vice Chancellors of various Universities. Why Government is not taking action against them?

It should be ensured that the Criminals associated with Youth Congress or with any other party are not given admission in Universities. So that the activities of sabotage do not take place in Universities and Colleges. We should make all-out efforts to make our education job-oriented so that the students do not resort to Violence after coming out of the Colleges.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER : The questions raised by the Hon. Member are not related to this matter. We are making sincere efforts to make the education job-oriented and therefore we want to bring radical charges in our education system. It is not correct to say that the trouble is only in those Universities which are functioning without Vice-Chancellors. Even in Allahabad University and Lucknow University there have been agitations. We are taking steps to appoint new Vice-Chancellors.

SHRI MANOHAR LAL : What steps are being taken to make temporary teachers permanent?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER : It does not come under our purview.

SHRI RAMJI LAL SUMAN (Firozabad) : This question of Banaras Hindu University is a very important one. The Hon. Education Minister has said that Banaras Hindu University is a free institution and as such he cannot interfere with its functioning. If the persons holding top posts show strictness, the bureaucracy cannot do any wrong things. Therefore, if there is some trouble in the University, the Education Minister or the Prime Minister should take immediate steps to control the situation. Because ultimately the responsibility falls on the Minister. In our election Manifesto, we had given an assurance to the people to introduce uniform education. There are some reasons for students agitation. The students should be given representation in executive body of the University. They should also be consulted in the University's affairs.

I want to know why the officers responsible for beating students have not been dismissed.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER : We are making efforts to give representation to the students in various bodies of the Universities and for this purpose we had introduced Vishwa Bharati Universiy Bill in the last session. Discussion is going on on the Aligarh Muslim University Bill. In this way we are marching in this direction.

I am thankful to the President of the Student's Union who took steps to reopen the University. Unless there is peaceful atmosphere in the University, how can it function properly ?

SHRI RAMJI LAL SUMAN : It is reported that some policemen entered the student's hostel without permission and beat up some innocent students. It should be inquired into by a appropriate Committee.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER : The Academic Council has passed a resolution to this effect.

SHRI NATHU SINGH (Dausa) : The Hon. Minister has repeatedly said that politics will not be allowed to interfere in the working of University, but we find that the University is becoming a don of politicians.

The students met the Rector and he asked the students to demand for Reservation instead of 10 per cent weightage. The students agreed to fifty percent reservation. But on 22nd February this decision was reversed in a meeting. In the meeting it was decided that neither 10 per cent weightage nor 50 per cent reservation will be given. Thereafter, the students met the Rector on the 25th February. He assured the students that a meeting will be convened on the 28th February, but nothing was done. Dr. Urrappa was asked to convene a meeting on 2nd March, but again no meeting was convened. Ultimately, the students resorted to agitation. Still there are some Officers in the Education Ministry and U.G.C who do not want peaceful atmosphere in the Universities. I want to ask the Hon. Minister whether such Corrupt Officers will be removed from these departments. During emergency, they supported the previous Government. Action should be taken against such officers so that we may create peaceful atmosphere in the university. I want to know whether Government will form a Committee Citizen to ascertain the facts and to punish guilty persons. This Committee should consist of students, Professors and respected Citizen, who have nothing to do with politics.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER : Sir, the University Grant Commission is working according to rules. Until the Parliament does not change the rules, the existing rules will have to be followed. According to existing rules, we cannot interfere in the working of Universities. If we will take any step against

them, they will immediately go to Court. Our Ministry has suggested the University that they should form a Committee consisting the representatives of students and teachers. Persons from outside should not be included in that Committee.

SHRI NATHU SINGH : There are some Officials in your Ministry who misappropriate the grants given to the Universities. Will you take some action against them? There are several cases in which they have misappropriated the funds.

SHRI CHANDER SHEKHER SINGH (Varanasi) : I want to know from the hon. Minister whether the representative of youth organisations would be included in the said Committees.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER : The student organisations are naturally given representation in the Committee, because there should be some link between students and teachers.

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

SHRI MANI RAM BAGRI (Mathura) : On 2-3-78 Shri Ram Kishan had made an allegation against me that I had called a meeting of the officers and asked them to stop the flood waters of Bharatpur from coming to Mathura. Perhaps, Shri Ram Kishan had made this allegation in a sentimental outburst when he could not bear the sad plight of the people of Bharatpur. I have never been guided by regional considerations. Let Shri Ram Kishan not forget that it was I who had arranged the meeting of the Hathi Commission at Mathura as a result of which Rs.750 crores and Rs. 1050 crores were sanctioned for flood control measures in Bharatpur and Mathura respectively. Instead of making allegations against me, Shri Ram Kishan should persuade the bureaucracy to expedite the flood Control measures so that neither Bharatpur nor Mathura get flooded.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

नियम 377 के आधीन मामले

MATTTERS UNDER RULE 377

(एक) डा० राम मनोहर लोहिया तथा डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं को संसद भवन के निकट स्थापित करने की आवश्यकता

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hazipur): Dr. Ram Manohar Lohia had not only fought against the foreign rule in the country, but also dedicated his life for the welfare of the depressed classes and throughout his life he had been raising his voice against injustices. In view of his services to the nation a statue of Dr. Ram Manohar Lohia should be installed on the 23rd March in the traffic Island between Parliament House and Transport Bhawan.

Similarly, a statue of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, who was a great patriot and freedom fighter, a great Parliamentarian and a peerless orator, should be installed either in front of India Gate or in Parliament Street.

(दो) पश्चिम बंगाल में किसानों को मिलावटी कीटनाशी दवाइयां दिये जाने का समाचार

श्री राज कृष्ण डान (बर्दवान) पश्चिम बंगाल में सप्लाई की जाने वाली कीटनाशी दवाइयां अपमिश्रित हैं। अपमिश्रण के कारण किसानों को ही नहीं बल्कि समूचे राष्ट्र को हानि हो रही है। कृषकों द्वारा ठीक समय पर उपचारात्मक उपाय किए गए और उन्होंने सी० आई० बी० ए० द्वारा निर्मित डिमेक्रोन नामक कीटनाशी दवा का प्रयोग किया। छिड़काव का काम दोपहर में किया गया किन्तु इन दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बिना कोई उपचार किए हजारों एकड़ में धान की फसल नष्ट हो गई। इससे पश्चिम बंगाल ही नहीं वरन् समूचे देश में धान तथा पटसन की खेती प्रभावित हुई है। अतः यह एक गंभीर मामला है और सरकार को तत्काल इस ओर ध्यान देना चाहिए।

(तीन) विश्वविद्यालय में शैक्षिक स्वतन्त्रता का समाचार

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उनके पास आ रही जानकारी पर नियंत्रण के कारण विश्वविद्यालयों की समुचित जांच में बाधा उत्पन्न हो रही है। यह नियंत्रण विश्वविद्यालयों के भ्रष्ट प्रोफेसरों तथा शिक्षा मंत्रालय के प्रशासकों की अवांछनीय सांठगांठ द्वारा किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर प्रधान मंत्री ने आई० आई० टी०, दिल्ली से सम्बन्धित मामले की जांच की तो शिक्षा मंत्रालय से इस सम्बन्ध में फाइलें सप्लाई करने वाले वे लोग थे जिनके बेटे-बेटियां आई० आई० टी०, दिल्ली में पढ़ रहे हैं और जिन्हें वहां दाखिला गलत तरीकों से मिला है। फलप्रधान मंत्री के लिए सही जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं हो सका। अतः प्रधान मंत्री द्वारा इन विश्वविद्यालयों के मामलों की समुचित जांच की जानी चाहिए तथा विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा मंत्रालय में वर्तमान अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया जाना चाहिए।

(चार) देश के विभिन्न भागों में हाल ही में हुई ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुई क्षति

SHRI MANI RAM BAGRI (Mathura): Adequate attention is not being paid to the problems of agriculturists even in the present regime. Necessary facilities have not been provided to them. Recently, the crops have been badly damaged by hailstorms over a large part of the country. There should have been a discussion on it in this House. It would have been better if the Minister of Agriculture had declared that the affected agriculturists would be adequately compensated for the damage caused by hailstorms. But nothing has been done. Necessary steps should be taken in this direction.

The Minister of Agriculture should give an assurance to the farmers that the affected agriculturists will be adequately compensated against the loss caused by hailstorms. Necessary steps should be taken in this direction.

अनुदानों की मांगें (रेल) 1978-79

DEMANDS FOR GRANTS—(RAILWAY) 1978-79

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब 1978-79 के बजट (रेलवे) की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा।

जो सदस्य कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं वह इसकी सूचना सभा पटल पर पन्द्रह मिनट के भीतर रख दें।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेल मंत्रालय की वर्ष 1978–79 निम्नलिखित अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की गई

मांग संख्या	मांग का नाम	स्वीकृति के लिए सदन में पेश की गयी अनुदान की मांग की रकम
1	2	3
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड	2,53,53,000
2	विविध व्यय	12,65,27,000
3	चालित लाइनों और अन्य को भुगतान	70,25,000
4	संचालन-व्यय—प्रशासन	160,85,35,000
5	संचालन-व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	703,96,12,000
6	संचालन-व्यय—परिचालन कर्मचारी	359,71,86,000
7	संचालन-व्यय—परिचालन (ईंधन)	329,69,90,000
8	संचालन-व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	110,79,62,000
9	संचालन व्यय—विविध व्यय	65,51,82,000
10	संचालन व्यय—कर्मचारी कल्याण	59,00,81,000
11	संचालन-व्यय—मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	145,00,00,000
11क	संचालन-व्यय—पेंशन निधि में विनियोग	50,00,00,000
12	सामान्य राजस्व को लाभांश और यात्री किराया कर के बदले राज्यों को अनुदान के लिए अंशदान	232,82,40,000
13	चालू लाइन निर्माण—(राजस्व)	10,29,73,000
14	नयी लाइनों का निर्माण—पूंजी और मूल्यह्रास आरक्षित निधि	65,70,17,000
15	चालू लाइन निर्माण—पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधी	1298,98,89,000
16	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	46,23,16,000

1	2	3
17	सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण और उसके ब्याज की अदायगी—विकास निधि .	8,54,22,000
18	विकास निधि में विनियोग .	31,78,23,000
19	राजस्व आरक्षित निधि में विनियोग . . .	33,64,37,000
20	अतिपूंजीकरण के परिशोधन के लिए भुगतान—सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण और उसके ब्याज की अदायगी—राजस्व आरक्षित निधि	136,24,77,000
21	दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में विनियोग	10,18,35,000
22	दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि . .	8,05,58,000

SHRI NATHU RAM MIRDHA (Nagore) : Rajasthan is the second state of the country. But during the last seven years only one or two railway lines have been constructed there. Even in the present budget there is no specific provision for any major projects to be implemented there. The only broad gauge line in Rajasthan is Kotah or Swai Madhopur line. Survey is being made for the last seven years for conversion of Jaipur—Alwar—Ahmedabad line into broad gauge line but nothing further has been done for it. First phase of the Rajasthan canal is going to be completed but nothing has been done to provide railway lines in this area.

Matters relating to the recruitment etc. of class III and class IV railway employees posted in Rajasthan are dealt with by the Railway Service Commission. Allahabad. There are six railway divisions in Rajasthan and since long a demand is being made to set up a separate Railway Service Commission for Rajasthan but nothing has been done so far, in spite of the repeated assurance given for it.

During the rainy season the railway track get submerged due to inundation of Sanbhar lake and the whole area get cut off from the remaining country circular routes have to be adopted for journey which takes more time and involves more expenditure. It is understood that there is some scheme for diversion of the routes but the budget contain no specific provision therefor.

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपना भाषण अगली चर्चा में जारी रख सकते हैं अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे ।

रेल मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	1.	श्री पी० जी० मावलंकर:	प्रथम श्रेणी तथा वातानुकलित श्रेणी के यात्रियों की तुलना में दूसरी श्रेणी के यात्रियों को अधिक यात्रा सुविधायें आदि देने में उत्तरोत्तर और तेजी से वृद्धि करने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए

1	2	3	4	5
1	2. श्री जी० पी० मावलंकर		नई रेल लाईनों के निर्माण, विशेषकर पिछड़े और दूरस्त क्षेत्रों में, सम्बन्धी दृष्टिकोण एवं नीति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता, जो लाभ का ध्यान रखे बिना और मुख्यतया लोकहित और समुचित विकास को ध्यान में रखकर हो ।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाए
,,	3.	,,	रेलवे में व्यापत भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये तुरन्त तथा प्रभावकारी कदम उठाने में असफलता, जिसके कारण यात्रियों तथा व्यापारियों को बहुत अधिक परेशानी होती है ।	,,
,,	4.	,,	आमूल पुनर्गठन जिसके परिणामस्वरूप रेलवे बोर्ड भंग हो सके ।	
1	5.	,,	ननसारी रेलवे स्टेशन पर रेलवे के खर्चे से बहुत शीघ्र ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं
,,	6.	,,	अहमदाबाद और अमृतसर के बीच नई गाड़ी चालू करने की संभाव्यता का पता लगाने की आवश्यकता ।	,,
,,	7.	,,	अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच इन क्षेत्रों के हजारों लोगों की सुविधा के लिये तेज गति की तथा बिना रुके चलने वाली यात्री गाड़ियाँ चलाने की आवश्यकता ।	,,
,,	8.	,,	गुजरात (पश्चिम रेलवे) में बड़ौदा और बुलसर के बीच दैनिक यात्रियों तथा यात्रा करने वाले छात्रों की सुविधा के लिए कुछ अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की आवश्यकता ।	,,
,,	9.	,,	अहमदाबाद से वाराणसी बरास्ता भोपाल चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस की गति तेज करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	10.	श्री पी० जी० मावलंकर	अहमदाबाद और दिल्ली के बीच मीटर-गेज लाईन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० कम कर दिए जायें
,,	11.	,,	अहमदाबाद के निकट रनिप तथा साबरमति (पश्चिम रेलवे) पर यात्रियों तथा पैदल चलने वालों के लिए पैदल पुल बनाने की तत्काल आवश्यकता।	
,,	12.	,,	लम्बा सफर करने वाले दूसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए सस्ती दरों पर बिस्तरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
,,	13.	,,	गुजरात में भावनगर-तारापुर नई रेलवे लाईन का निर्माण शुरू करने की तत्काल आवश्यकता।	,,
,,	14.	,,	गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में चलने वाली कुछ यात्री-एक्सप्रैस गाड़ियों में डीजल ईंजन लगाने तथा इनमें से कुछ रेलों की गति बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता।	,,
,,	15.	,,	रेलवे बोर्ड तथा अन्य रेलवे प्रशासनिक अफसरों तथा नौकरशाहों द्वारा व्यय में बहुत अधिक कटौती करने की आवश्यकता।	,,
,,	16.	,,	पश्चिम रेलवे के मुख्यालय का स्थानान्तरण बम्बई से गुजरात के अहमदाबाद या बड़ौदा जैसे बड़े शहर में करने की आवश्यकता।	,,
,,	17.	,,	बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्री सहायकों (कुलियों) के लिये विशेष शैड बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	18.	,,	अहमदाबाद के निकट साबरमती रेलवे कालोनी में रह रहे रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिये स्वच्छ, अच्छी, स्वस्थ्यप्रद निर्वाह दशायें; पेयजल तथा उचित शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
1	79.	**श्री ए० के० राय :**	छोटा नागपुर (बिहार) के हजारी बाग, उत्तर बंगाल के बलूरघाट और देश के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइन बिछाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
,,	80.	,,	रेल कर्मचारियों को बोनस देने में असफलता	,,
,,	81.	,,	रेलवे सुरक्षा दल को समाप्त करने और उसकी जिमेदारी को उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत को, जिसमें रेलवे लाईन पड़ती है, सौंपने की आवश्यकता ।	,,
,,	82.	,,	रेलवे मंत्रालय द्वारा एन०सी०सी० आर एस० के प्रति भेद-भाव पूर्ण रवैया ।	,,
1	83.	,,	पूर्व रेलवे के धनबाद जिले (बिहार) में अम्बोना और कालूबथन के बीच हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिये जायें ।
,,	84.	,,	पथेरढीह धनबाद और चन्द्रपुरा–धनबाद लाइन पर रेल गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता	,,
,,	85.	,,	पूर्वी रेलवे के धनबाद जिले में प्रधानखण्डा पथेरढीह लाइन पर बंदरचुवा और निरपेनिया गांव के बीच रेलवे फाटक की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	86.	,,	पूर्व रेलवे के धनबाद जिले के प्रधानखण्डा और राधा नगर स्टेशन पर ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	87.	,,	पूर्व रेलवे में धनबाद से प्रधानखण्डा होते हुए सिन्दरी तक एक यात्री गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
,,	88.	,,	पूर्व रेलवे में गोमोह के बजाय गया होते हुए बर्दवान से रांची तक यात्री गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
1	150.	**श्री भगत राम :**	रेलवे कर्मचारियों की बोनस की मांग को न मानना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
,,	151.	,,	नैमतिक श्रमिकों को नियमित कर्मचारी बनाने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	154.	श्री भगत राम	लुधियाना और चन्डीगढ़ के बीच रेल सम्पर्क बनाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिये जायें ।
15	168.	,,	फिल्लौर में गाड़ियों को रुकने का समय बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
2	157.	**श्री रेणुपद दास** :	पूर्व रेलवे के नदिया, पश्चिम बंगाल में कृषनगर सिटी जंक्शन से शिकारपुर बरास्ता करीमपुर तक नई रेलवे लाईन बिछाने हेतु प्रारम्भिक इंजीनियरिंग-एवं-यातायात सर्वेक्षण की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं
,,	158.	,,	पूर्व रेलवे में रणघाट, कृषनगर शहर और लालगोला के बीच 'इन्टरलाक' प्रणाली का उपबन्ध करने के लिये सिग-नल सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता ।	,,
,,	159.	,,	पूर्व रेलवे में कृषनगर सिटी से आगे रणघाट–लालगोला सेक्शन के विद्युती-करण करने के लिये लागत-एवं-संभाव्यता सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	160.	,,	पूर्व रेलवे में रणघाट-गेडे सेक्शन के विद्युतीकरण के लिये लागत एवं-संभाव्यता सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता ।	,,
,,	161.	,,	पूर्वी रेलवे के लालगोला-रणघाट सेक्शन में मुरागाचा बेथुआधारी, देवग्राम तथा प्लासी स्टेशनों पर दिन दहाड़े वैगन तोड़ कर चोरी करने की घटनाओं को रोकने में असफलता ।	,,
14	162.	,,	पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे के विस्तार के लिये आर्थिक लाभ को पूर्व-शर्त बनाना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
,,	163.	,,	पूर्व रेलवे में रणघाट-लालगोला सेक्शन में, जो पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले का पिछड़ा क्षेत्र है, कृषनगर सिटी जंक्शन से शिकारपुर के बीच नई रेलवे लाईन बनाने में असफलता ।	,, 6

1	2	3	4	5
14	164.	श्री रेणुपद दास	पूर्व रेलवे में कृषनगर सिटी जंक्शन से आगे रणघाट लालगोला सेक्शन के विद्युतीकरण करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
,,	165.	,,	पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले में रणघाट गेडे सेक्शन पूर्व रेलवे के विद्युतीकरण करने में असफलता ।	,,
,,	166.	,,	पूर्व रेलवे में नवद्वीप शान्तिपुर नेरो गेज लाईन को बड़ी लाईन में बदलने में असफलता ।	,,
,,	167.	,,	कृषनगर सिटी जंक्शन पर लोको शेड बनाने में असफलता ।	,,
15	169.	,,	पूर्व रेलवे के खगड़ाघाट रोड स्टेशन के दूसरी श्रेणी के प्रतीक्षालय को बाहर से हटाकर प्लेटफार्म पर बनाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं
,,	170.	,,	पूर्व रेलवे में रणघाट लालगोला सेक्शन पर कृषनगर सिटी जंक्शन पर यात्रियों को शीघ्रता से सुविधा देने के लिए दूसरा पैदलपुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	171.	,,	पूर्व रेलवे के मुरागाचा स्टेशन तक पहुंच सड़क बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	172.	,,	पूर्व रेलवे के खगड़ाघाट रोड स्टेशन के मुख्य स्टेशन भवन की मुरम्मत करने, अधिक बुकिंग काउंटरों की व्यवस्था करने तथा प्लेटफार्म में घुसन तथा प्लेटफार्म से निकलने के लिये दो प्रवेश बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	173.	,,	पूर्व रेलवे में दुबुलिया, मुरागाचा, देव-ग्राम और प्लासी स्टेशनों पर यात्रियों को एक गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी पकड़ने की सुविधा देने के लिये दूसरा प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	174.	,,	पूर्व रेलवे में दुबुलिया, मुरागाचा, देव-ग्राम और प्लासी स्टेशनों पर यात्रियों	,,

1	2	3	4	5
			को एक गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी पकड़ने की सुविधा देने के लिए पैदल पुल बनाने की आवश्यकता ।	
1	183.	**श्री सौगत राय :**	काकीनाड़ा, पूर्व रेलवे में लोको शैड बनाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
,,	184.	,,	कलकत्ता और दिल्ली के बीच दर्जा रहित तेज गाड़ियां चलाने में असफलता ।	,,
,,	185.	,,	रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने में असफलता ।	,,
,,	186.	,,	रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में असफलता ।	,,
,,	187.	,,	मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे लाईन बिछाने में असफलता ।	,,
,,	188.	,,	कलकत्ता की महानगरीय परिवहन परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने में असफलता ।	,,
,,	189.	,,	आसाम में हिल सैक्शन का विकल्प बनाने में असफलता ।	,,
,,	190.	,,	पश्चिमी दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल में बेलूरघाट तक रेलवे लाईन बिछाने का काम शुरू करने में असफलता ।	,,
,,	191.	,,	रेलवे प्रशासन तथा प्रबन्ध में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
,,	192.	,,	पूर्व रेलवे के सियालदह-बोगांव तथा बडेल-कटवा सैक्शन में दोहरी रेलवे लाईन बिछाने में असफलता ।	,,
15	193.	**श्री सौगत राय :**	नीलगंज रोड पर बैरनपुर के निकट उपरिपुल बनाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं
,,	194.	,,	लेन गार्डन्स पर, जहां नए स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, उपरिपुल बनाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
15	195.	श्री सौगत राय :	बैरनपुर के निकट तलपुकुर पर पैदल पुल बनाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिए गए
,,	196.	,,	कचरापाड़ा रेलवे वर्कशाप का विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,
1	199.	**श्री आर० वेकटारमन :**	त्रिचिरापल्ली से तूतीकोरिन मुख्य पत्तन तक बड़ी लाईन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	200.	,,	दक्षिण रेलवे के मद्रास-अराकोणम और मद्रास-गुडूर सैक्शन का विद्युतीकरण करने में असफलता ।	,,
4	295.	**श्री ए० के० साहा :**	अडरा डिवीजन में जून, 1977 से रिक्त पड़े स्टेशन मास्टरों के 7 पदों को भरने में असफलता ।	,,
,,	296.	,,	दक्षिण-पूर्व रेलवे के अडरा डिवीजन में विष्णुपुर और गढ़बेटा रेलवे स्टेशनों का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
,,	297.	,,	दक्षिण-पूर्व रेलवे के अडरा डिवीजन में इन्द्रबिल से गोल्डडाप्लासल के बीच आठ केबिनमैनों के रिक्त पदों को भरने में असफलता ।	,,
,,	298.	,,	रेलवे कर्मचारियों के सभी क्वार्टरों में बिजली लगाने की आवश्यकता ।	,,
10	299.	,,	दक्षिण पूर्व रेलवे के अडरा डिवीजन में गढ़बेटा स्टेशन के रेल कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने की आवश्यकता ।	
,,	300.	,,	दक्षिण-पूर्व रेलवे के अडरा डिवीजन में चन्द्रकोना स्टेशन के स्टाफ क्वार्टरों में जल की सप्लाई के लिए कुएं या गहरे नलकूप की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
4	311.	**श्री कुसुम कृष्णमूर्ति :**	छः रेलवे सेवा आयोगों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं

1	2	3	4	5
1	327.	**श्री कवंर** लाल गुप्त :	दिल्ली के शक्ति नगर क्रासिंग पर ऊपरि पुल शीघ्र बनाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं
,,	328.	,,	दिल्ली में यातायात की समस्या को सुलझाने के लिये शीघ्रता से रिंग रेलवे को पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	329.	,,	दिल्ली के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर माल-गाड़ियों को अन्य प्लेटफार्मों पर ठहराने के लिये रेलवे प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
,,	330.	,,	दिल्ली में शक्ति नगर, कीर्ति नगर तथा अन्य स्थानों पर नये हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	331.	,,	दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर भीड़भाड़ कम करने तथा सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिये कदम उठाने की आवश्यकता ।	,,
,,	332.	,,	रेलवे विभाग में, विशेषकर अधिकारियों के पदों के लिये नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जातियों की उपेक्षा ।	,,
14	333.	,,	सांपला, जिला रोहतक से उसी जिले की झज्जर तहसील तक रेलवे लाईन बनाने और झज्जर तहसील को बहादुर गढ़ से रोहतक जिले (हरियाणा) के साथ जोड़ने में असफलता ।	,,

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

चौदहवां प्रतिवेदन

श्री यादवेन्द्र दत (जोनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से जो 15 मार्च, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी, समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से जो 15 मार्च, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम का निरसन और अधिनियम आंसुका को वापस लेने के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: REPEAL OF CONSTITUTION (FORTY-SECOND AMENDMENT) ACT AND WITHDRAW OF MISAAL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री समर गुह के संकल्प पर विचार करेंगे :

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम का, जो संसद द्वारा आपातस्थिति के दौरान वस्तुतः परशवता की दयनीय स्थिति में पास किया गया था और जिसका उद्देश्य भारत के लोगों की प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता को षड्यंत्रकारी ढंग से पंगु बनाना और भारत के संविधान के मूल उद्देश्यों का खुला उल्लंघन करके देश में अर्द्ध-निरंकुश शासन कायम करने के अपवित्र प्रयास द्वारा कानून की सर्वोच्चता के आधारभूत सिद्धान्त को खंडित करना था, तुरन्त निरसन करके गत लोक सभा चुनाव के ऐतिहासिक अवसर पर जनता से की गई अपनी पावन प्रतिज्ञा पूरी करे और यह भी सिफारिश करती है कि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम को तुरन्त वापस लिया जाए, जिसका हमारे प्रजातन्त्र के उपरोक्त काले दिनों के दौरान जनता की सर्वोच्च इच्छा की अवज्ञा करके भूतपूर्व प्रधान मंत्री की वैयक्तिक तानाशाही की रक्षा करने के प्रयोजन से लोगों का दमन करने और उन्हें कुचलने के मुख्य हथियार के रूप में अत्याचारपूर्ण ढंग से प्रयोग किया गया था।"

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV (Saharsa): This resolution moved by Shri Samar Guha reminds us of the pledge given by the Janta Party at the time of General elections of 1977.

In every part of the country agitations are being staged against the non fulfilment of various promises made by the Janta Party in its manifesto. The time has come now when these promises should be fulfilled one by one.

Today the position is very strange. On the one hand we are pressuring the Government to reject out right the 42nd Constitution Amendment and to repeal Misa while on the other hand Government is trying to introduce Misa in a different form by including various provisions in the Criminal Procedure Code. These provisions are more dangerous than Misa which is in force during emergency and under which we had to bear great atrocities committed by the previous regime. I will therefore appeal the Members to pass the resolution which is now before the House as the people of the country are not going to pardon the Janata Government anymore for nonfulfilment of its promises.

The proposed amendment is the Criminal Procedure Code is loing to curtail the freedom of citizen and democracy in the country and will prove a fatal blow on many rights of our countrymen country wide agitations in different forms are merely a reflection of the feelings of the people against the proposed amendments in Cr. P. C. and unkept promises of the Janta Party. In order to ensure that the condition in the country do not deteriorate further, I will once again appeal to the members to pass this resolution unanimously.

उपाध्यक्ष महोदय : स्थिति यह है कि इस संकल्प के लिए निर्धारित किया गया समय समाप्त हो चुका है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मुझे श्री समर गुह का एक तार मिला है जिसमें उन्होंने अस्वस्थ होने के कारण कहा है कि उत्तर देने का मेरा अधिकार अगले दिन के लिए स्थगित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : कई सदस्यों ने संकल्पों की सूचना दी है । किन्तु होता क्या है कि प्रत्येक सदस्य निर्धारित समय से अधिक समय ले लेता है । यह बात नहीं होनी चाहिए ।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे बताया गया है कि जब संकल्प के प्रस्तावक श्री गुह सभा में उपस्थित होंगे तो मंत्री जी उत्तर देंगे । अतः नियम 340 के अन्तर्गत मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद अगले दिन के लिए स्थगित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु कामत जी, आप दो नियमों को एक साथ नहीं पढ़ सकते ।

श्री हरि विष्णु कामत : किन्तु श्रीमान जी, कोई भी सदस्य नियमों का लाभ उठा सकता है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : श्रीमानजी, यदि श्री कामत ने स्थगन के लिए प्रस्ताव पेश किया है तो उससे और ही स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । आपने कहा है कि इसके लिए नियत समय समाप्त हो गया है । किन्तु आपको इसके लिए समय बढ़ाना होगा । यदि सभा समय बढ़ाने से सहमत नहीं होती तो फिर श्री कामत के प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं है । क्योंकि फिर तो संकल्प स्वयं ही स्थगित हो जायेगा । अतः यदि सभा प्रो० गुह के संकल्प का समय बढ़ाने के लिए सहमत है तो श्री कामत का स्थगन प्रस्ताव पेश किया जा सकता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या पिछली बार इसका समय एक घंटा नहीं बढ़ाया गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : इसीलिए मेरा सुझाव है कि इसके लिए समय एक घंटा बढ़ा दिया जाये । तत्पश्चात श्री कामत अपना प्रस्ताव पेश कर सकते हैं और उसके बाद हम दूसरे संकल्प पर विचार करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा पर निर्भर करता है । किन्तु यदि इसे स्थगित किया जायेगा तो फिर इस पर नियम 30 भी लागू होगा । जिसके अनुसार यदि इसे बैलट में प्राथमिकता नहीं तो इस पर आगे चर्चा नहीं होगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : अभी इसके लिए अगले दिन के लिए पांच मिनट शेष हैं। इसका समय अगले दिन बढ़ाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : बशर्ते कि यह बैलट में आ जाये। आप अपना प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। किन्तु फिर इस पर नियम 30 भी लागू होगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 340 के अधीन संकल्प पर वादविवाद आगामी दिन के लिए स्थगित कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा इसके पक्ष में है?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : वादविवाद स्थगित किया जाता है।

अंग्रेजी को अतिरिक्त सम्पर्क भाषा बनाये रखने के बारे में संकल्प

RESOLUTION *RE*: CONTINUAN CE OFENG LISH AS ADDITIONAL LINK LANGUAGE .

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् (तंजावूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद् को दिये गये इस दृढ़ आश्वासन को क्रियान्वित करने के लिए संविधान में संशोधन करें कि सम्पर्क भाषा हिन्दी के अलावा अंग्रेजी भाषा भी तब तक अतिरिक्त सम्पर्क भाषा बनी रहेंगी जब तक अहिन्दी भाषी लोग चाहेंगे।"

स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह आश्वासन दिया था। उस समय से अहिन्दी भाषी लोग सदन में और सदन के बाहर संवैधानिक संशोधन की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग यह है कि इस आश्वासन को संवैधानिक संरक्षण दिया जाये।

यह दावा किया गया है कि हिन्दी को राज्यों की सम्पर्क भाषा बनाया जाये क्योंकि देश के 42 प्रतिशत लोग इसे मानते हैं। किन्तु यह 42 प्रतिशत लोग कुछ राज्यों जैसे बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इसलिये यदि 42 प्रतिशत जनता को ध्यान में रखकर इसे सम्पर्क भाषा बनाया जायेगा तो देश के कुछ भागों के लोग ही लाभान्वित होंगे, शेष लोग सदैव के लिए घाटे में रह जायेंगे।

हम हिन्दी विरोधी नहीं हैं। हम केवल इस बात का विरोध करते हैं कि हिन्दी राज्यों की एकमात्र सरकारी भाषा न बनाई जाये। कनाडा का उदाहरण हमारे समक्ष है। उसने इस समस्या का समाधान कैसे किया है। कनाडा में अंग्रेजी और फ्रांसीसी बोलने वाले दोनों प्रकार के लोग हैं। यद्यपि फ्रैंच बोलने वाले कनाडा वासियों की संख्या कम है फिर भी उन्हें समान दर्जा, समान अधिकार दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि अंग्रेजी को भी सरकारी भाषा के रूप में समान दर्जा दिया जाये।

जनवरी 1978 में बंगलौर में जनता पार्टी के सम्मेलन में यह आश्वासन दिया गया था कि एक भाषा दूसरी पर थोपी नहीं जायेगी और सभी भाषाओं को विकास को पूरा अवसर दिया जायेगा। यह चुनावों से पहले की बात है। यह चुनाव नीति हो सकती है। यदि सरकार अहिन्दी भाषी लोगों का विश्वास जीतना चाहती है तो संसद ही एक ऐसा स्थान है जहां उन्हें आश्वासन दिया जा सकता है। हम चाहते हैं कि मात्र मौखिक आश्वासन न दिया जाये अपितु इस सम्बन्ध में एक संवैधानिक संशोधन भी लाया जाये।

मैं अंग्रेजी को सम्पर्क भाषा बनाने का अनुरोध इसलिए नहीं कर रहा कि मैं इस भाषा पर मुग्ध हूं, बल्कि इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह सबसे अधिक सुविधाजनक माध्यम है जो हिन्दी और अहिन्दी भाषी लोगों के लिए समान रूप से लाभप्रद है।

हिन्दी बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की सरकारी भाषा है। नौ छोटे राज्यों अर्थात मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम अण्डमान, अरूणाचल प्रदेश, गोआ, मिजोरम और लक्षद्वीप की सरकारी भाषा अंग्रेजी है। लेकिन केन्द्रीय सचिवालय में टिप्पणियां और पत्र अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं और बाद में उनका हिन्दी में अनुवाद किया जाता है और हिन्दी प्रतियां अहिन्दी-भाषी राज्यों को भेजी जाती हैं। सरकार को हिन्दी की प्रतियां केवल उन्हीं राज्यों को भेजनी चाहिए जो हिन्दी में चाहते हैं। सभी राज्यों को हिन्दी की प्रतियां भेजने का क्या लाभ ? इस काम में बेकार समय-धन और जनशक्ति का अपव्यय किया जा रहा है।

अहिन्दी भाषी राज्यों के लोग हिन्दी को सरकारी भाषा के रूप में अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। अतः यह मामला लोगों पर छोड़ दिया जाये जिससे वे बिना सरकारी प्रयास के स्वाभाविक रूप में अपनी भाषा का विकास कर सकें। यदि लोग यह सोचते हैं कि हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाना ही होगा तो इसे पहले से ही वास्तविक भाषा बनाना होगा और बाद में इसे सम्पर्क सरकारी भाषा बनाया जाये। जनता सरकार को समझौता करना चाहिए कि हम संविधान संशोधन करके नेहरू जी के इस पवित्र आश्वासन का कि अंग्रेजी भाषा भी तब तक अतिरिक्त सम्पर्क भाषा बनी रहेगी जब तक हिन्दी भाषी लोग इसे चाहेंगे, पालन करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि :

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह पण्डित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद् को दिये गये इस दृढ़ आश्वासन को क्रियान्वित करने के लिए संविधान में संशोधन करे कि सम्पर्क भाषा हिन्दी के अलावा अंग्रेजी भाषा भी तब तक अतिरिक्त सम्पर्क भाषा बनी रहेगी जब तक अहिन्दी भाषी लोग चाहेंगे।"

[**श्री धीरेन्द्रनाथ बसु** पीठासीन हुए
Shri Dhirendranath Basu in the Chair]

***श्री के० राममूर्ति** (धर्मपुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह पण्डित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद् को दिये गये इस दृढ़ आश्वासन को क्रियान्वित करने के लिए संविधान में संशोधन

करें कि सम्पर्क भाषा हिन्दी के अलावा अंग्रेजी भाषा भी तब तक अतिरिक्त सम्पर्क की भाषा बनी रहेगी जब तक अहिन्दी भाषी लोग चाहेंगे ।"

संकल्प में इस बात की मांग की गई है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अहिन्दी भाषी लोगों को भाषा के सम्बन्ध में दिए गए आश्वासन कि संवैधानिक संरक्षण दिया जाये।

पंडित नेहरू ने अहिन्दी भाषी लोगों को यह आश्वासन दिया था कि अंग्रेजी भाषा भी तब तक अतिरिक्त संपर्क की भाषा बनी रहेगी जब तक अहिन्दी-भाषी लोग चाहेंगे। अभी तक दक्षिण के राज्यों के लोगों को यह विश्वास था कि पंडित नेहरू के आश्वासन को क्रियान्वित किया जाएगा लेकिन देश में जो राजनीतिक वातावरण व्याप्त है उससे यह लगता है कि नेहरू जी के आश्वासन की भी अवहेलना कर दी जाएगी। दक्षिणी राज्यों के लोगों ने हाल ही के चुनावों में इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनकी जनता पार्टी में कोई आस्था नहीं है क्योंकि इनकी कोई आर्थिक नीति नहीं है और वे भाषा के प्रति हठधर्मी अपना रहे हैं।

दक्षिणी राज्यों के लोगों को यह आशंका है कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित न कर दिया जाए इसलिए वह नेहरू जी के आश्वासन को संवैधानिक संरक्षण दिलाना चाहते हैं। जनता पार्टी की सरकार केवल हिन्दी-भाषी राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है यह समग्र राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली केन्द्रीय सरकार नहीं है।

पंडित नेहरू हिन्दी को भारत की एकमात्र भाषा घोषित कर सकते थे लेकिन वे जानते थे कि जीवन के बाद भाषा ही सबसे महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने भी कहा है कि राष्ट्र की भाषा हिन्दुस्तानी होनी चाहिए लेकिन जनता सरकार अहिन्दी-भाषी लोगों पर हिन्दी जबर्दस्ती थोप रही है। भाषा के प्रति ऐसी कट्टरता से वे केवल देश में पृथकता के बीज ही बो रहे हैं।

हाल ही में हुए जनता पार्टी के सम्मेलन में श्री मोरारजी देसाई ने दावा किया कि देश के 60 प्रतिशत लोगों द्वारा हिन्दी बोली जाती है इसलिए हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाया जाना चाहिए लेकिन यह दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह मात्र कल्पना है और इसी अनिश्चित दावे पर कि हिन्दी देश की अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती है, हिन्दी हम पर थोपी जा रही है। यह अनबन और विवाद को जन्म देगा। पंडित नेहरू का यह विचार था कि भाषा विवाद से देश का विघटन हो सकता है।

बार-बार यह बात दोहरा कर कि हिन्दी देश की अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती है अहिन्दी भाषी लोगों को वशीभूत करने का प्रयास किया जा रहा है कहा गया है जो लोग हिन्दी नहीं बोलते उन्हें राष्ट्र से प्रेम नहीं है।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि हिन्दी भाषी लोगों पर अंग्रेजी और गैर-हिन्दी भाषी लोगों पर अंग्रेजी नहीं थोपी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि 2 वर्ष के भीतर प्रादेशिक

भाषाएं राज्यों की राज भाषाएं बना दी जानी चाहिएं। यदि इसका यह तात्पर्य है कि अंग्रेजी का राज्यों से बहिष्कार कर दिया जाये तो मैं इसका विरोध करता हुं।

हिन्दी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में ही राजभाषा है। इन राज्यों को राष्ट्र की एकता के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दोषी ठहराने के बजाये श्री देसाई ने तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा लागू किए गए द्विभाषी फार्मूला लागू करने के प्रति आपत्ति उठाई है।

इस जनता सरकार के कार्यों के प्रति गैर हिन्दी भाषी लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है और उनमें यह शंका उत्पन्न हो गई है कि क्या स्वर्गीय प्रधान मंत्री के इस आश्वासन, कि हिन्दी नहीं थोपी जायेगी, का सम्मान किया जायेगा। भाषा का मामला सूझ बूझ और विवेक से ही सुलझाया जा सकता है।

यदि भाषा के मामले को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना है तो यह संकल्प इस सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाये और सरकार को निदेश दिया जाये कि भाषा सम्बन्धी नेहरू के आश्वासन की समाविष्ट कर संविधान का संशोधन करें।

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Bahraich) : Sir, I move my amendment No. 1

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : I move my amendment No. 2.

So many things have been said about this resolution by Shri Ramamurthy. The language question is very delicate which should be considered calmly. Only 2 or 3 percent people in India are English-speaking . We are in favour of development and popularisation of Hindi in the regions concerned.

Tamil is no doubt a rich language.

Both Gandhiji and Pt. Nehru played a great role in their respective speeches for the popularisation of Hindi : It was Pandit Nehru who said that no nation can became great on the basis of a foreign language because foreign language cannot be the language of the people.

Greatmen like Swami Dayanand, NetajiSubhash Bose etc.etc. also patronised Hindi. All greatmen hailing from the South had agreed that Hindi should be National Language. We cannot continue English as National Language.

A nation having no national language of its own cannot develop. We have due regard and have for southern language while pleading the case of Hindi.

श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य (उलुबोरियो) : यह अत्यन्त नाजुक और महत्वपूर्ण विषय है। हम यहां पर राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्र की एकता और अपने कर्त्तव्य का पालन करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कार्य है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरे सम्मान के साथ अपनी मातृभाषा सीखनी चाहिए और सम्मान अन्य भाषाओं को देना नहीं भूलना चाहिए। यह भी याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा औपनिवेशिक विरासत में हमारे यहां आई है। साथ ही यह हमारी मातृभाषा भी नहीं है। दूसरी ओर, हमारे देश में हिन्दी भाषी जनता सब से अधिक है और इसीलिए हमारे देश में अधिकतम लोग हिन्दी का प्रयोग करते हैं लेकिन हमें हिन्दी बलपूर्वक नहीं थोपनी चाहिए। हमें जनता की भावनाओं के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या

का नहीं है बल्कि लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं का है। अतः हिन्दी भाषी लोगों से सन्तोष रखना चाहिए ताकि अंग्रेजी भाषा यहां से जाये और हिन्दी हमारे देश में सम्पर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान ले। लेकिन इसे किसी पर नहीं थोपनी चाहिए।

पश्चिमी बंगाल में बंगला भाषी जनसंख्या का बहुमत है। फिर भी हमने हिन्दी भाषा को ग्रहण किया है। लेकिन किसी भाषा को थोपना या जबरन लागू करना हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के विकास के लिए उचित नहीं है। हम सभी को प्रत्येक भाषा का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। यदि यह परिपाठी अपनाई गई तो हम भाषायी विवाद हल कर सकेंगे।

श्री के० गोपाल (करूर) : आज भाषा का प्रश्न हमारे देश में ज्वलन्त प्रश्न है। जनता पार्टी के सत्ता में आने से इस प्रश्न से अत्यन्त गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। त्रि-भाषा फार्मूला बनाया गया। इसका यह उद्देश्य था कि गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोग हिन्दी सीखेंगे और हिन्दी भाषी राज्यों के लोग कोई एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखेंगे। अब दक्षिण के लोगों ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के माध्यम से हिन्दी सीखना आरम्भ कर दिया है। किन्तु इस बात का पता नहीं है कि क्या उत्तर भारत में किसी स्कूल में कोई दक्षिण भाषा सिखाने का प्रबन्ध किया गया है। इससे पता चलता है कि दक्षिण भारत की भाषाओं के प्रति कितना अधिक द्वेश भाव है।

1961 में हुए एक सम्मेलन में एक फार्मूला तैयार किया गया था। यदि हमारे पास अराष्ट्रीय भाषा के रूप में एक से अधिक भाषाएं होतीं तो कोई हानि नहीं थी। यह कहना कि हमें केवल हिन्दी ही सीखनी चाहिए हमारे लिए बुद्धिमानी की बात नहीं है। हमारी यह इच्छा नहीं है कि अंग्रेजी सदा के लिए चलती ही रहे। हमारी अपनी ही भाषा होनी चाहिए। यदि अंग्रेजी विदेशी भाषा है तो हिन्दी भी इसी समान विदेशी भाषा है जैसी कि हमारे लिए अंग्रेजी है। इसीलिए हम हिन्दी के थोपे जाने का घोर विरोध कर रहे हैं। दक्षिण भारत के लोग इसके प्रति बहुत संवेदनशील हैं और हिन्दी के थोपने का कोई प्रयास देश की एकता के लिए घातक सिद्ध होगा। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस संकल्प को स्वीकार करें।

श्री रागावलू मोहन रंगम (चेंगलपट्ट) : यह हिन्दी बनाम अंग्रेजी की समस्या न होकर दक्षिण भारतीय भाषाएं बनाए हिन्दी की है। यह गैर हिन्दी भाषी लोगों बनाम हिन्दी भाषी लोगों की समस्या है।

मैं देश के सुदूर दक्षिण भारत से आया हूं। मेरी मातृ भाषा तेलुगु है। मैं तमिल बोलता हूं। तमिलनाडु में साढ़े चार करोड़ लोग तमिल बोलते हैं। यह पवित्र पावन भाषा है। यह प्राचीन भाषा है। लेकिन मैं यह सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तमिल को ही सारे भारत की राज भाषा बनायी जाये। जो हिन्दी को ही अपनी मातृ भाषा मानते हैं वे चाहते हैं कि हिन्दी ही कन्याकुमारी से हिमालय तक इस देश के 60 करोड़ लोगों की राज भाषा बने, जबकि हिन्दी साहित्य बहुल भाषा नहीं है। हमारा देश बड़ा विशाल देश है। केवल 3 या 4 करोड़ लोग ही एक विशेष भाषा बोलते हैं। तो फिर यह आशा कैसे की जा सकती है कि हमारे देश के सभी लोग एक ही भाषा को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार करें।

हमारे देश में 16 प्रतिशत से कम लोग हिन्दी बोलते हैं और 5प्रतिशत से कम लोग हिन्दी लिखते हैं। केवल 3 या 4 राज्यों में और वह भी देश के उत्तरी भागों में ही बोली जाने वाली भाषा को राज भाषा कैसे मानी जा सकती है ?

अंग्रेजी भाषा शिक्षा की देवी सरस्वती का उपहार है। प्रसिद्ध विद्वान श्री सी 0 राजगोपालआचार्य ने ये शब्द कहे हैं जो अंग्रेजी के विरोधी थे और जो 1938 में ही हिन्दी को राजभाषा बनाना चाहते थे। ऐसे महान व्यक्ति ने जिसने वर्ष 1938 में कहा था कि हिन्दी राज भाषा होनी चाहिए, तमिल भाषी लोगों तथा अहिन्दी. भाषी लोगों के इस रवैये कि हिन्दी एक मात्र राजभाषा नहीं होनी चाहिए को देखकर 1965 में कहा था कि सभी भाषाऐं एक समान मानी जानी चाहिएं।

किस ने यह निर्णय करना है कि कौन सी भाषा देश की राज भाषा बनाई जाये ? क्या हम भावी पीढ़ी के स्वामी हैं ? हमें आर्थिक विकास के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। भाषा नीति के बारे में क्यों ऐसी अनावश्यक बातें की जायें ? यह प्रश्न भावी पीढ़ियों पर छोड़ देना चाहिए।

यदि यह कहा जाये कि हिन्दी को देश की राज भाषा बनाया जाये तो देश विखण्डित हो जायेगा। मैं देश की एकता चाहता हूँ। यह क्यों अनावश्यक कहा जाता है कि हिन्दी लागू की जाये ?

हिन्दी-भाषी लोगों से केवल एक भाषा सीखने के लिये कहा गया है जबकि हमारे बच्चों को तीन भाषाएं सीखनी पड़ती हैं--जैसे तमिल, हिन्दी और अंग्रेजी । हिन्दी भाषी लोग केवल हिन्दी जानने के आधार पर प्रशासन कार्य में डिग्री प्राप्त किये बिना ही मद्रास में आंकर कलक्टर या जिलाधिकारी बन जाते हैं और हमारे बच्चों पर शासन करते हैं। हम यह सहन नहीं कर सकते। लाभ और हानि समान रूप से विभाजित की जानी चाहिये। देश के 60 करोड़ लोग समान रूप से माने जायें और सभी भाषाएं भी समान मानी जायें।

हमारे संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये कि न केवल हिन्दी ही अतिरिक्त भाषा के रूप मे लागू रखी जायेगी बल्कि अंग्रेजी भाषा भी स्थायी रूप से लागू रहेगी अन्यथा सभी 15 भाषाएं समान मानी जाये और उन्हे समूचे भारत की राजभाषाएं मानी जाये, कोई एक विशेष भाषा नहीं।

SHRI OM PRAKASH TYAGI : The language issue is an important question. It has to be given a dispassionate consideration.

The assurance given by Pandit Nehru about continuance of English as the associate language should continue to be implemented. But the constitution should not be amended to incorporate that assurance.

It has to be clearly understood that according to our constitution all India languages are national languages. Hindi is only the link language.

So far as proceedings of this House are concerned facilities should be made available to Members to express themselves in all the national languages.

Hindi was accepted as the link language not because it is the richest Indian language but because it can be understood by majority of the people of the country.

Hindi has been made the link language in the interest of national unity. If there is no national unity the country will be disintegrated.

English can be understood and spoken by only 2 percent of the people in the country. This is the position despite the efforts made by British Government in our country to propagate it for about 150 years. Hindi is the link language of its own and it will continue to be so.

The representatives of the people of the North and the South had unanimously decided about making Hindi the link language. It was Shri Rajagopalachari who had first of all took up the cause of propagation of Hindi.

The fears of non-Hindi speaking people about any injustice to them regarding entry into Central services should be understood. All the recruitment examinations should be conducted in all the Indian languages so that no injustice is done to anybody.

There is no question of imposition of Hindi on any body. Similarly, English should also not be imposed on any body.

It is not proper to say that Hindi is not a developed language. Sanskrit which is the mother of all languages is very rich. So Hindi language has no handicap.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

Hindi-speaking people should study one South Indian language in addition to Hindi. Similarly non Hindi speaking people should study Hindi in addition to their own language. We should get rid of the influence of English. If English is imposed, our languages will suffer

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है 1967 में मैंने एक प्रश्न उठाया था और अध्यक्ष महोदय उससे सहमत हुए थे कि संसद में सभी भाषाओं के साथ-साथ अनुवाद की व्यवस्था होनी चाहिये। परन्तु ऐसा अभी तक नहीं हुआ। सभी राज्यों की भाषाओं के लिये अनुवाद की व्यवस्था होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

हमने प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये हैं और कुछ प्रार्थना-पत्र मिले भी हैं। हम उचित व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं।

श्री गणपति प्रधान (सम्भलपुर): मुझे यह कहते हुये खेद होता है कि अभी तक अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया जा रहा है। हमें भारतीय भाषाओं को प्रयोग में लाना चाहिये।

इस्पात और खान मंत्री (बीजू पटनायक) क्या सभा आज सायं 6 बजे स्थगित होगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस संकल्प पर चर्चा का समय 5.50 पर समाप्त होता है।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : इसका समय दो घन्टे बढ़ा दिया जाये।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : दो घन्टे बढ़ाने का अर्थ होगा चर्चा अगले दिन तक चलेगी ।

SHRI YADVENDRA DATT: I support the motion moved by Shri Mavlankar.

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इस संकल्प पर दो घन्टे का समय आज नहीं बल्कि गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के अगले दिन के लिये बढ़ायें जाने के पक्ष में हैं, अपने स्थानों पर खड़ा हों ।

ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्य समय बढ़ाये जाने के पक्ष में हैं । इस संकल्प के लिये दो घन्टे का समय बढ़ाया जाता है ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं इस संकल्प पर आज पांच मिनट के लिये बोलूंगा और अगले दिन अपना भाषण जारी रखूंगा ।

भाषा सम्बन्धी कट्टरता को किसी भी रूप में बढ़ावा नहीं देना चाहिये । हम राष्ट्रीय एकता का प्रयत्न कर रहे हैं । भाषा के प्रश्न पर हमें बड़ी शान्ति से चर्चा करनी चाहिये । दुर्भाग्यवश हम ऐसा अब तक कर नहीं पाए हैं ।

मैं हिन्दी भाषी नहीं हुं और न ही वह मेरी मातृभाषा है । परन्तु इस संकल्प का समर्थन करते हुये मैं समझता हुं कि हिन्दी को भारत की सम्पर्क भाषा होना चाहिये । परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इस काम के लिए उत्तरदायी लोग इसे स्वीकार्य रूप में गैर-हिन्दी भाषी लोगों तक नहीं पहुंचा पाए ।

यह संकल्प बड़ा ही सीधा-सादा है । इसमें कहा गया है कि हिन्दी को तब तक सम्पर्क भाषा न बनाया जाए जब तक गैर-हिन्दी भाषी लोग इसे स्वीकार न कर ले तथा उस समय तक अंग्रेजी ही अतिरिक्त सम्पर्क भाषा बनी रहे । यदि हम द्वेश की एकता बनाए रखना चाहते हैं तो पंडित नेहरू के आश्वासन को निभाया जाना चाहिये ।

1965 में हिन्दी स्वत: ही सम्पर्क भाषा बन गई । दक्षिण ने इसका विरोध किया कयोंकि वहां लोगों ने समझा कि हिन्दी उन पर लादी जा रही है । दक्षिण के लोगों को हिन्दी से कोई आपत्ति नहीं हैं, और वे उसे सीख रहे हैं । हमारे राज्य में हिन्दी हमारी मातृ भाषा नहीं है परन्तु हम सभी वहां हिन्दी सीख रहे हैं । परन्तु लादने की बात आते ही वे सब उसका विरोध करेंगे । जो सदस्य हिन्दी का समर्थन करना चाहते हैं वे उसके प्रति कट्टरता का रुख अपना कर उसका अहित कर रहे हैं । यदि वे वास्तव में हिन्दी का प्रचार कर उसका अहित कर रहे हैं । यदि वे वास्तव में हिन्दी का प्रचार करना चाहते हैं और उसे सम्पर्क भाषा बनाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा इस रूप में करना चाहिये जिससे उन लोगों की भावनाओं को ठेस न लगे जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है ।

खेतड़ी (राजस्थान) में औरतों के साथ अशिष्ट व्यवहार के आरोपों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE ALLEGATIONS OF MOLESTATION OF WOMEN IN KHETRI (RAJASTHAN)

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैंने लखनऊ की घटना के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। वहां शांति से प्रदर्शन करने वालों पर बड़ी मात्रा में लाठी चार्ज किया गया और गोली चलाई गई। इनमें संसद सदस्य शामिल थे तथा कांग्रेस सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।

अध्यक्ष महोदयः : नियमों के अनुसार स्थगन प्रस्ताव की सूचना सवेरे दस बजे से पहले दी जानी चाहिए।

श्री सी० एम० स्टीफन : लखनऊ में आज एक बड़ी गम्भीर स्थिति पेदा हो गई है। इसका सम्बन्ध गन्ना उत्पादकों से है। वहां प्रदर्शन हए हैं। लाठी चार्ज और गोलीबारी हई है। सदन के एक सदस्य को पीटा गया है। निर्वाचित सदस्य श्री गोयल के गोली मारी गई। उनकी दशा बड़ी गम्भीर है। श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री उमाशंकर दीक्षित विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है।

गृह मन्त्री इस विषय पर एक वक्तव्य दें।

श्री बसन्त साठे : कार्यवाही सांरांश में शामिल नहीं किया गया।

श्री सौगत राय : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इस सदन के एक सदस्य को पीटा गया है।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : आज सुबह कुछ माननीय सदस्यों ने खेतड़ी में महिलाओं के साथ की गई कथित छेड़छाड़ के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने की मांग की थी। अब माननीय सदस्य लखनऊ की घटना के बारे में जानने की मांग कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हुं कि पहले उन्हें खेतड़ी सम्बन्धी समाचार के बारे बताऊं या लखनऊ सम्बन्धी।

श्री सौगत राय : पहले खेतड़ी के बारे में बताईये।

श्री चरण सिंह : आज के 'हिन्दुस्तान, में खेतड़ी राजस्थान में 26 फरवरी, 1978 को 100 से अधिक महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के संबंध में प्रकाशित आरोपों के बारे में आज दोपहर बाद सदन में मामला उठाया गया और अनेक सदस्यों ने इस समाचार पर स्वाभाविक दुःख तथा चिन्ता व्यक्त की। अध्यक्ष की इच्छा पर राजस्थान सरकार से पूछताछ की गई और टेलीफोन पर उनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रेस रिपोर्ट बिल्कुल निराधार तथा झूठी है।

2. उपलब्ध सूचना के अनुसार 26 फरवरी, 1978 को खेतड़ी में एक शामियाने में, जो एक स्थानीय सिनेमा हाल देशबन्धु टाकेज के साथ लगाया गया था, फिल्म स्टार शो आयोजित किया गया था। लगभग 2000 टिकट वालों को शामियाने में आने दिया गया था किन्तु बाहर बिना टिकट वालों की एक बड़ी भीड़ अन्दर घुसने के लिए जोर रही थी। शो शुरू होने के बाद भीड़ ने पत्थर फेकने शुरू कर दिये और जब पुलिस ने स्थिति पर काबू करने की कोशिश की तो कुछ बदमाशों ने बिजली का कनक्शन काट दिया। प्रोग्राम बन्द हो गया और उपस्थित स्थानीय अधिकारियों, अर्थात सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट और पुलिस

उप अधीक्षक ने ड्यूटी पर तेनात लगभग 120 पुलिस कर्मचारियों की मदद से महिलाओं तथा वच्चों को अपने संरक्षण में ले लिया और किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उन्हें साथ लगे देशबन्धु टाकेज में ले गये। इसके वाद अनियंत्रित भीड़ को तितर वितर कर दिया गया। स्थिति पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात महिलाओं तथा बच्चों को सुरक्षित रूप से उनके मकानों पर पहुंचाने के प्रबन्ध किए गए।

3. राजस्थान सरकार ने इस आरोपों का पूर्ण रूप से खंडन किया है कि अवांछनीय तत्वों द्वारा किन्हीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई थी अथवा उन्हें समारोह स्थल से जबरदस्ती ले जाया गया था। यह प्रकरण राज्य विधान सभा में भी उठाया गया था जहां मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक सारी घटना की जांच करेंगे।

4. आज सदन में दोपहर बाद, इस घटना में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कुछ कर्मचारियों के अन्तर्ग्रस्त होने का उल्लेख किया गया। इस बात की जांच कर ली गई है कि केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल खेतड़ी में तेनात नहीं है। परन्तु, खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिये केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की एक टुकड़ी है। घटना में उनके अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

5. इसके अतिरिक्त भी प्रेस रिपोर्ट की सत्यता बहत ही संदेहजनक प्रतीत होती है क्योंकि इस प्रकार की गम्भीर घटना, जो बताया जाता है कि 26 फरवरी 78 को हुई थी, सम्भवत: आज तक बगैर रिपोर्ट किए हए नहीं रह सकती थी। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि 4 मार्च, 1978 को श्रम राज्य मंत्री प्रो0 केदार नाथ दो संसद सदस्यों, नामत: सर्व श्री कन्हैयालाल तथा जे० पी० माथुर के साथ प्रोजेक्ट पर हड़ताल के सिलसिले में खेतड़ी गये थे, किन्तु कथित घटना के सम्बन्ध में उनसे कोई शिकायत नहीं की गई थी।

6. मैं सदन से गंभीरता से अपील करूंगा कि जब तक सम्बन्धित प्राधिकारियों से जांच न कर ली जाए तब तक ऐसे संसनीखेज समाचार पर विश्वास न किया जाए।

लखनऊ की घटना के बारे में

RE : INCIDENT AT LUCKNOW

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने यह मामला एक समाचार पत्र की खबर के आधार पर उठा दिया जोकि बिलकुल निराधार सिद्ध हुआ। मैं अनुभव करता हुं कि हमें इस मामले में अधिक सावधानी से कार्य करना चाहिये था। यह ठीक है कि संसदीय प्रक्रिया के अनुसार किसी सदस्य को लोक महत्व का विषय उठाने का अधिकार है। परन्तु यदि यह गलत है, तो मुझे इसके लिए खेद है।

SHRI ISHWAR CHOWDHRY (Gahya): I raised the question of the resignation of Shri Charan Singh while listening to the issue raised by Shri Kanwar Lal Gupta, I realise that I unduly got exited.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप लखनऊ के बारे में भी कुछ बतायेंगे ?

श्री चरण सिंह : लखनऊ में कांग्रेसी नेताओं के साथ घटी घटना की मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में जानकारी एकत्रित कर, सोमवार को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। परन्तु हां, मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हुं कि जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का क्यों न हो।

इसकी पश्चात् लोकसभा सोमवार, 20 मार्च, 1978, 29 फाल्गुन, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई

The lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Monday, 20th March 1978/Phalguna 29, 1899 (Saka)